रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15—दिसम्बर 21, 2007 (अग्रहायण 24, 1929)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15—DECEMBER 21, 2007 (AGRAHAYANA 24, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1103

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1245

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 3

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1899

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 6425

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 801

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 11825

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 709

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—361GI/2007

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1103

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court..... 1245

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1899

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 6425

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 801

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 11825

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 709

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2007

सं. 170-प्रेज/2007--राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुरेन्द्र सिंह

हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

दिनांक 14.9.2006 को पी पी पुनारा में एक विशिष्ट सूचना मिली कि वी डी सी सदस्य अर्थात् मंजूर हुसैन सुपुत्र जीएच. कादिर, निवासी लोवर पुनारा, तहसील रामनगर, जिला ऊधमपुर के घर में दो आतंकवादी छिपे हुए हैं। तत्काल ही पी पी पुनारा के प्रभारी एच सी सुरेन्द्र सिंह सं. 181/यू के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा घेराव/तलाशी अभियान शुरू किया गया। जब आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी उन पर जवाबी गोलीबारी की। गोलीबारी की इस लड़ाई में दोनों आतंकवादियों ने उस मकान से भागने की कोशिश की। एच सी सुरेन्द्र सिंह ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर आतंकवादियों का पीछा किया और घटनास्थल पर ही एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। तथापि, जब ये दूसरे आतंकवादी का पीछा कर रहे थे उस आतंकवादी ने निकटवर्ती नाले में एक बड़ी चट्टान के पीछे मोर्चा संभाल लिया। एच सी सुरेन्द्र सिंह ने अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ छिपे हुए आतंकवादी को ढेर करने की पुरजोर कोशिश की लेकिन क्योंकि आतंकवादी उस बड़ी चट्टान के पीछे पूरी तरह से छिपा हुआ था इसलिए पुलिस पार्टी उसे ढेर करने में सफल नहीं हो सकी। आतंकवादी ने एच सी सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ रही पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाया और बंदूक की इस लड़ाई में एच सी सुरेन्द्र सिंह और दो अन्य पुलिस कार्मिक गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। एच सी सुरेन्द्र सिंह को वहां से हटा कर कमान अस्पताल, ऊधमपुर ले जाया गया लेकिन तब तक उन्होंने घेरा बनाये रखा था। जिस आतंकवादी को ढेर किया गया था

बाद में उसकी पहचान एजाज अहमद उर्फ अब्दुल्ला उर्फ अबू फुर्कन पुत्र मो. तलीफ, निवासी लौधरा के रूप में की गई जो एल इ टी का खूंखार आतंकवादी था और दुदु - बसंतगढ़ का एरिया कमांडर था। मारे गए उस आतंकवादी के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार और गोली-बारुद बरामद किए गए। एजाज अहमद उर्फ अब्दुल्ला उर्फ फुर्कन पुत्र मो. तलीफ निवासी लौधरा, आतंकवादी क्रियाकलापों में संलिप्त होने के अतिरिक्त 30.4.2006 को बसंतगढ़ में अल्पसंख्यक समुाय के 13 लोगों की हत्या करने की कुटिल योजना भी इसी ने बनाई थी। घटनास्थल पर निम्नलिखित हथियार/गोली-बारुद बरामद हुए :-

i)	ए के - 47 राइफल	-	01 नग
ii)	ए के - मैग्जीन (खाली)	-	02 नग
iii)	ए के - जिंदा राउंद	-	13 नग
iv)	एच ई चीनी हथ गोले	-	01 नग

इस मुठभेड़ में, श्री सुरेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं0 171-प्रेंज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. प्रेम विश्वास
   सहायक कमांडेंट
2. पी. स्वामी
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

बांदीपुर बाजार, जम्मू और कश्मीर के एक शॉपिंग कांप्लेक्स में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट ऽजीरु सूचना के आधार पर 30 जून, 2006 को 90 बटालियन सीमा सुरक्षा बल और 15 राजपूताना राइफल्स की टुकड़ियों द्वारा संयुक्त घेराव और तलाशी अभियान चलाया गया। लक्ष्यगत बाजार स्थल पर पहुंचने के बाद पार्टी ने 300830 बजे घेरा डाला और 300915 बजे तलाशी अभियान शुरु किया। शॉपिंग कांप्लेक्स की तलाशी लेने के लिए 90 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के श्री प्रेम विश्वास, सहायक कमांडेंट, सं. 02009949, कांस्टेबल पी स्वामी तथा राजपूताना राइफल्स के ले. कर्नल विनय राव चौहान तथा 01 सिपाही से युक्त एक पार्टी का गठन किया गया। भूतल से लेकर सबसे ऊपर तक तलाशी ली गई। जब दूसरी मंजिल पर बर्तन रखने की आलमारी की तलाशी ली जा रही थी तो कृत्रिम छत के पीछे तीन उग्रवादी अचानक सामने आ गए और उन्होंने तलाशी ले रही पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। ले. कर्नल विनय राव चौहान पर कई गोलियां लगीं और वे गिर पड़े। कांस्टेबल पी. स्वामी के भी दांये पैर में चोट लगी। घायल होने के बावजूद कांस्टेबल पी. स्वामी ने अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की पेशेवर क्षमता का परिचय देते हुए तुरंत ही अपने निजी हथियार से एक उग्रवादी पर गोलीबारी चला दी और उसे अशक्त बना दिया। चूंकि दूसरा उग्रवादी सुरक्षित स्थिति में था और लगातार गोलीबारी कर रहा था इसलिए श्री प्रेम विश्वास, सहायक कमांडेंट और 15 राजपूताना राइफल्स के एक सिपाही ने कांस्टेबल पी.

स्वामी को कवरिंग फायरिंग दी, वे बड़ी तेजी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गए तथा वहां पर मोर्चा संभाला। एक उग्रवादी द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से ये तीनों कार्मिक बाल-बाल बचे। चूंकि मकान की सीढ़ियों से ले. कर्नल विनय राव चौहान हिल-डुल नहीं रहे थे और उग्रवादियों की कोई हलचल भी दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए श्री प्रेम विश्वास, सहायक कमांडेंट अपनी निजी सुरक्षा और जीवन की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर पड़े हुए अधिकारी ले. कर्नल विनय राव चौहान को देखने और उग्रवादी को पकड़ने के लिए एक बार फिर सीढ़ियों से ऊपर गए। श्री प्रेम विश्वास, सहायक कमांडेंट जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़े वैसे ही अचानक उनके सामने हथियार लिए हुए एक उग्रवादी आ गया। अधिकारी ने फौलादी साहस का परिचय देते हुए आमने-सामने की लड़ाई में उस उग्रवादी को गोली मार कर ढेर कर दिया। इसी बीच ग्रेनेड में विस्फोट होने से मकान में आग लग गई और ले. कर्नल विनय राव चौहान को छोड़ कर सभी मकान से बाहर आ गए। आग बुझाने के बाद घटना स्थल से ले. कर्नल विनय राव चौहान के शव के साथ तीन उग्रवादियों के जले हुए शव बरामद हुए। मारे गए तीनों उग्रवादियों में से दो की पहचान मंदूर अह.डा., निवासी वार्ड नं. 02, बांदीपुर और अबीब हुसैन शाह पुत्र सैफुद्दीन शाह, निवासी पोष्चन, बांदीपुर के रूप में हुई। मारा गया एक अज्ञात उग्रवादी विदेशी उग्रवादी था। घटनास्थल से निम्नलिखित हथियार और गोली-बारुद बरामद हुए:-

क)	ए के 47 राइफल	-	02 (जली हुई)
ख)	ए के मैग्जीन	-	07 (जली हुई)
ग)	गोली बारुद ए के	-	14 नग
घ)	चीनी पिस्तौल	-	01 नग
ङ)	पिस्तौल मैग्जीन	-	01 नग
ग़)	पिस्तौल एमन्यू.	-	02 नग
छ)	रेडियो सेट केनवुड	-	01 नग

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री प्रेम विश्वास, सहायक कमांडेंट और पी स्वामी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 जून, 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं0 172-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. कश्मीरी लाल
   हैड कांस्टेबल
2. आल्ताफ हुसैन (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल
2. बलजिन्द्र सिंह
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एक विशिष्ट सूचना के आधार पर ग्राम - अमीराबाद (जी आर - एम वाई - 9992), जिला - पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में एस ओ जी और एस एस आर, त्राल के साथ मिल कर सीमा सुरक्षा बल की 53 और 173 बटालियन की टुकड़ियों द्वारा दिनांक 29 मई, 2006 को लगभग 1400 बजे से लेकर 1 जून, 2006 को 1000 बजे तक एक संयुक्त विशेष घेराव और तलाशी अभियान चलाया गया। जब लगभग 300915 बजे यह पार्टी शबन शेख पुत्र नबीर शेख के मकान की तलाशी ले रही थी तब मकान की छत पर रखे गए घास के सूखे चारे में छिपे उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। कांस्टेबल बलजिन्द्र सिंह, जो मुख्य प्रवेश द्वार को कवर कर रहे थे, उग्रवादियों की गोलीबारी के सामने साहस से खड़े रहे और उन्होंने उग्रवादियों के भागने के रास्ते को रोक दिया। उग्रवादियों ने मकान की छत से कांस्टेबल बलजिन्द्र सिंह पर गोलीबारी करनी जारी रखी और मकान से भाग कर जाने का रास्ता बनाने की कोशिश में ग्रेनेड भी फेंका। चूंकि कांस्टेबल बलजिन्द्र सिंह लगातार गोलीबारी के बीच मकान के प्रवेश द्वार पर बैरियर के रूप में डटे हुए थे इसलिए 3 उग्रवादियों की मकान से निकल कर भाग जाने की सभी कोशिशों को उन्होंने अपनी बहादुरी से एवं

कारगर ढंग से विफल कर दिया था। गोलीबारी होने और ग्रेनेड में विस्फोट होने के कारण घास के सूखे चारे में आग लग गई। आग बुझाने के बाद जब मलवा हटाया गया तो हथियार और गोली-बारुद के साथ दो उग्रवादियों के शव बरामद हुए। बाद में उनकी पहचान निम्नवत की गई :-

(i) मो. अशरफ बट उर्फ साहिल पुत्र
सनाल्लाह बट निवासी नौदल (एच एम गुट)

(ii) हफीज मो. अथर उर्फ हफीज जांबाज
निवासी महाराष्ट्र (एच एम गुट)

दिनांक 31 मई, 2006 को लगभग 0600 बजे गुलाम मो. लोन और गुलाम कादिर लोन के घर के निकट तलाशी अभियान शुरु किया गया। सीमा सुरक्षा बल की तलाशी पार्टी को देख कर दो अलग-अलग मकानों में छिपे उग्रवादियों ने एक तलाशी पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी और हथगोला फेंका। एक साहसिक चाल में सीमा सुरक्षा बल की 173 बटालियन के श्री आर.एस. बिष्ट, सहायक कमांडेंट और श्री डी.एस. बरार, उप-कमांडेंट दो अलग-अलग बंकर वाहनों में अपनी टीमों को लक्ष्यगत मकान के और नजदीक ले गए। दोनों ओर से चली भारी गोलीबारी के बीच ये दोनों कांस्टेबल, बहादुरी से और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर रेंगते हुए लक्ष्यगत मकान तक पहुंचे और प्रत्येक ने एक-एक हथगोला फेंक दिया। इस पर एक आतंकवादी अचानक ही कांस्टेबल आल्ताफ हुसैन की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए मकान से बाहर कूदा। कांस्टेबल आल्ताफ हुसैन ने मकान के प्रवेश द्वार को कवर किया हुआ था। उग्रवादियों की गोलियां इनकी छाती में लगीं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, कांस्टेबल आल्ताफ हुसैन ने इस नजदीकी लड़ाई में असाधारण साहस दर्शाते हुए एक उग्रवादी को घायल कर दिया। हैड कांस्टेबल कश्मीरी लाल और कांस्टेबल बलजिंद्र सिंह ने घायल और निश्चल पड़े कांस्टेबल आल्ताफ हुसैन को वहां से हटाने में बहादुरी का परिचय दिया। कांस्टेबल आल्ताफ हुसैन को वहां से हटाते समय हैड कांस्टेबल कश्मीरी लाल की दांई बांह और दांई जांघ पर उग्रवादियों की गोलियां लगीं। इसे देख कर उग्रवादी ने आत्मघाती कोशिश की और हैड कांस्टेबल कश्मीरी लाल की ओर चल पड़े। हैड कांस्टेबल कश्मीरी लाल और कांस्टेबल बलजिन्द्र सिंह ने महान कर्तव्यपरायणता और आपवादिक साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों का बच कर भागने का रास्ता रोक दिया और अचूक गोलीबारी से एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार दिया। मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में मो. अयूब नायक पुत्र श्री अब्दुल अहद नायक, निवासी अमीराबाद (एच एम गुट) के रूप में की गई। चौथे उग्रवादी को 01 जून को लगभग 0400 बजे 05 यू बी जी एल ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया गया था जब वह घेराबंदी तोड़ कर भागने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसकी पहचान जस्सर अहमद खां पुत्र मुख्तियार अहमद खां, निवासी लजीबल मोहल्ला, अनंतनाग के रूप में की गई थी। कांस्टेबल आल्ताफ

हुसैन ने इस अभियान के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। घटनास्थल पर निम्नलिखित हथियार और गोलीबारुद बरामद हुए :-

क)	ए के 47 राइफल	-	04 नग
ख)	ए के मैग्जीन	-	06 नग
ग)	गोली-बारुद ए के 47	-	48 नग
घ)	ई एफ सी ए के - 47	-	24 नग
ङ)	पिस्तौल	-	01 नग
च)	पिस्तौल मैग्जीन	-	02 नग
छ)	यू बी जी एल ग्रेनेड	-	05 नग
ज)	जला हुआ एल पी जी सिलेंडर	-	01 नग
झ)	मोबाइल नोकिया - 1100	-	01 नग

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री कश्मीरी लाल, हैड कांस्टेबल, (स्व.)आल्ताफ हुसैन, कांस्टेबल और बलजिन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29 मई, 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं0 173-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केंन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मोहम्मद मदिन
   लांस नायक
2. चन्द्र कांत बोरो
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 23.11.2005 को लगभग 1430 बजे दो फिदायीन अचानक ही डी/96 बटालियन के मुख्य गेट के सामने दिखाई दिए। उनमें से एक उग्रवादी, दूसरे को फायरिंग कवर देते हुए मुख्य गेट की ओर संतरियों यपर गोलीबारी करने लगा। उन्होंने गार्ड कमांडर के मोर्चे को लक्ष्य बनाते हुए दो ग्रेनेड फेंके और भारी गोलीबारी कर दी जिससे हवलदार कांस्टेबल रुघा राम शहीद हो गए। मोर्चा सं. 3 के संतरी कांस्टेबल अजय कुमार की गोलीबारी से एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया। दोनों ओर से चल रही भारी गोलीबारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कांस्टेबल/जनरल ड्यूटी चन्द्र कांत बोरो ने चालाकी से दरवाजे की एक तरफ मोर्चा संभाला और जब उग्रवादी कमरे में आए तो कांस्टेबल चन्द्रकांत बोरो ने अपने जीवन को जोखिम में डाला और खाली हाथ छिपे स्थान से बाहर कूदे तथं उग्रवादी के राइफल के बैरल को पकड़ कर उसे उपर की और कर दिया और उसे काबू में कर उसे मारने के लिए जोर से शोर मचाया। कांस्टेबल चन्द्र कांत बोरो की उस उग्रवादी के साथ नजदीकी लड़ाई हुई तथं इन्होंने राइफल को दोनों हाथों से पकड़ कर उसे ऊपर की ओर घुमा दिया। उग्रवादी ने कांस्टेबल चन्द्र कांत बोरो की पकड़ से अपनी राइफल छुड़ाने की पुरजोर कोशिंश की ताकि वह इन्हें मार सके। उग्रवादी को मारने के लिए हथियार का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि स्वयं कांस्टेबल चन्द्र कांत बोरो को

नुकसान पहुंच सकता था। लांस नायक मोहम्मद मदिन ने अपने जीवन को गंभीर जोखिम में डाला और कांस्टेबल चन्द्र कांत बोरो की सहायता करने और उग्रवादी को मारने के लिए वे अपने छिपे हुए स्थान से बाहर कूद पऊ और अपनी क्षमता, उत्कृष्ट साहस और सूझ-बूझ का परिचय देते हुए इन्होंने अपनी राइफल का मुंह मोड़ा और तब तक अपी राइफल के बट से उग्रवादी के सिर और मूंह पर चोट करते रहे जब तक टुकड़े-टुकड़े नहीं हो गए। तब तक कांस्टेबल चन्द्र कांत बोरो, उग्रवादी से राइफल छीनने में सफल हो गए। जब कांस्टेबल चंद्र कांत बोरो ने देखा कि उग्रवादी अपने पाउच से ग्रेनेड बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो इन्होंने उग्रवादी से छीने गए हथियार से ही उस पर गोली बारी कर दी। इस हमले के दौरान दो फिदायीन उग्रवादी मारे गए और 08 मैग्जीनों के साथ दो ए के-56 राइफलें, 07 चीनी ग्रेनेड, ए के गोली बारुद के 159 राउंद, दो जाली कार्ड/दो जैकेट और I टाइप पउच उनके कब्जे से बरामद हुए। उग्रवादियों के इस खतरनाक मिशन का मुकाबला करते समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन बहादुर कार्मिकों ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया ओर पांच अन्य घायल हुए जिनमें से एक कार्मिक गंभीर रूप से घायल हुआ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री मोहम्मद मदिन, लांस नायक और चन्द्र कांत बोरो, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 नवम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 174-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	सुबेश कुमार सिंह महानिरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
2.	नरेन्द्र भारद्वाज उप महानिरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
3.	कल्याण सिंह सहायक कमांडेंट	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
4.	सुभाष कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	भीम कुमार कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
6.	जितेन्द्र सिंह (मरणोपरांत) कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 4.10.2006 को लगभग 1130 बजे पूरी तरह से हथियारों से लैस दो उग्रवादियों ने न्यू स्टेंडर्ड होटल, बुहशॅ चौक क्षेत्र, श्रीनगर के एक्सेस कंट्रोल प्वाइंट पर ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध गोलीबारी की। उग्रवादी की गोलीबारी के कारण एक्सेस प्वाइंट पर ड्यूटी पर तैनात 131वीं बटालियन के कांस्टेबल/बग.जसवंत सिंह घटनास्थल पर ही मारे गए। उग्रवादी की गोलीबारी के कारण लाल चौक के निकट व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित होटल में भय और आंतक का वातावरण बन गया। उग्रवादी, होटल के भीड़-भाड़ वाले प्रवेश द्वार पर

जम्मू और कश्मीर के दो कार्मिकों को भी मारने में सफल हो गए। इसके बाद उग्रवादियों ने होटल में अपनी सुविधा के अनुसार मोर्चा संभाला और दशनामी अखाड़ा बिल्डिंग पर ग्रेनेड फेंके। यह बिल्डिंग होटल के सामने है जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो कंपनियां थीं।

श्री सुबेश कुमार सिंह, महानिरीक्षक (आई जी), श्रीनगर श्री नरेन्द्र भारद्वाज, उप महानिरीक्षक (डी आई जी), श्रीनगर के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद इन्होंने स्थानीय यूनिटों के क्यू आर टी को होटल के चारों ओर तैनात कर दिया। जब क्यू आर टी ने मोर्चा संभाल लिया तो श्री एस.के. सिंह, आई जी ने सबसे पहले यह काम किया कि जो सिविलियन दोनों ओर की गोलीबारी में फंस गए थे उन्हें वहां से हटाया। इसके लिए इन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बी पी वाहनों का इस्तेमाल किया। उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी किए जाने के बावजूद ी आर पी एफ की टुकड़ियां, उस क्षेत्र से सिविलियनों को सुरक्षित हटाने में सफल रहीं। इसके बाद श्री एस.के. सिंह, आइ जी ने उग्रवादियों की भारीगोलीबारी के बीच क्यू आर टी को अलग मोर्चो पर लगाया और उग्रवादियों का घेराव करने की योजना बनाई ताकि उनके भाग कर बच निकलने के रास्तों को रोका जा सके। श्री एस.के. सिंह ने स्टैंडर्ड होटल के पीछे एक मकान में मोर्चा संभाला और होटल कांप्लेक्स में घुसने की योजना बनाई। श्री भारद्वाज ने पूरे क्षेत्र का चक्कर लगाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उग्रवादियों की रुक-रुक कर की जा रही गोलीबारी के बीच चाक-चौबंद घेराव किया जा सके। इसी समय इन्होंने देखा कि एक उग्रवादी कूद तक बाई-लेन की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ये तत्काल ही अपना बंकर उस तरफ ले गए ताकि उग्रवादी को भागने से रोका जा सके। इस पर उग्रवादी ने श्री भारद्वाज पर भारी गोलीबारी कर दी जिससे उनके बी पी वाहन का शीशा चकनाचूर हो गया। श्री भारद्वाज के अंगरक्षक ने जबावी गोलीबारी की जिससे उग्रवादी वापस होटल की ओर जाने पर मजबूर हो गए। इसके बाद इन्होंने श्री एस.के. सिंह के मिल कर होटल पर हमला करने की योजना बनाई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अटारी से होटल में घुसने की कोशिश की जाए। हालांकि वहां पर भी उग्रवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी कर दी। श्री एस.के. सिंह, आई जी ने उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बीच और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगेर अटारी तक अपनी पार्टी का नेतृत्व किया जहां से इन्होंने 131वीं बटालियन के श्री कल्याण सिंह, ए सी के नेतृत्व वाले ग्रुप द्वारा होटल में घुसने की कार्रवाई शुरु की। इसके साथ ही इन्होंने श्री भारद्वाज, डी आई जी को निदेश दिया कि वे बिल्डिंग के एक तरफ छेद करें ताकि सी आर पी एफ की टुकड़ियां, सीढ़ियों को स्पष्ट रूप से देख सकें और श्री कल्याण सिंह की पार्टी को कवरिंग फायरिंग दे सकें। इस प्रकार सी आर पी एफ की पार्टी को अटारी से तीसरी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता की गई। इसी समय तीसरी मंजिल से सहायता के लिए चीखें सुनाई दीं। श्री एस.के. सिंह, अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर, आगे बढ़े और सहायता के लिए चीख रे हिमाचल प्रदेश के तीन विद्यार्थियों का

बचा लिया। होटल पर कब्जा करने की कोशिश पूरी रात जारी रही और जेनरेटरों का इस्तेमल कर पूरे क्षेत्र में तेज रोशनी की गई ताकि उग्रवादी वहां से भागने न पायें। उग्रवादियों ने पूरी रात रुक-रुक करगोलीबारी जारी रखी जब कि श्री एस.के. सिंह, आई जी, श्री एन.भारद्दाज, डी आई जी और सी आर पी एफ की टुकड़ियों ने पूरी रात अपना मोर्चा संभाले रखा। दिनांक 5.10.2006 को 0530 बजे कमरे में घुसने की कार्रवाई शुरु की गई। श्री कल्याण सिंह, ए सी, कांस्टैबल सुभाष, 131वीं बटालियन ने अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ कांप्लेक्स की तीसरी मंजिल को बहादुरीसे पार किया। इस टीम के दबाव के कारण उक उग्रवादी ने ग्रेनेंड फेंका और लोहार गली (होटल को जोड़ने वाली बाई-लेन) से भागने के लिए वह पहली मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गया। 123वीं बटालियन के कांस्टेबल भीम कुमार ने सी आर पी एफ की अन्य टुकड़ियों के साथ, जिन्हें उग्रवादियों को बचकर निकलने से रोकने के लिए वहां तैनात किया गया था, उग्रवादी को देखा और ग्रेनेड हमले के बावजूद उग्रवादी पर चपलता से गोलीबारी करके उसे वहीं पर ढेर कर दिया। इसके बाद श्री भारद्दाज, डी आई जी ने रूम इंटरवेंशन पार्टी का प्रभार संभाला और अपने जीवन को गंभीर खतरे में डाल कर तीसरी मंजिल के 3 कमरों में छेद किए ताकि दूसरी मंजिल में आसानी से ग्रेनेंड फेंके जा सकें। इसके बाद ये अपनी टुकड़ी की कवरिंग फायरिंग के सहारे दूसरी मंजिल पर गए। जब उग्रवादी को यह लगा कि वह खतरे में है तो वह सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ा और सी आर पी एफ के घेरे पर अपनी ए के-56 राइफल से गोलीबारी करते हुए होटल से बाहर जाने के रास्ते से होकर बच निकलने की कोशिश करने लगा। सी आर पी एफ की पहली बटालियन के कांस्टेबल जितेन्द्र सिंह ने भाग रहे उग्रवादी को उलझाये रखा और गोली लगने के बावजूद गोलीबारी जारी रखी तथा अपने जीवन को न्यौछावर करने से पहले इन्होंने उग्रवादी को मार गिराया। चूंकि यह सूचना मिली थी कि यहां पर तीन उग्रवादी हैं इसलिए श्री एस.. सिंह, आई जी, श्री एन.भारद्दाज, डी आई जी और श्री कल्याण सिंह, ए सी ने हर कमरे की तलाशी ली। ये भारी मात्रा में गोली-बारुद के साथ तीन अन्य ए के-47 राइफलों सहित (सी आर पी एफ के मृतक कांस्टेबल और जम्मू और कश्मीर के दो कांस्टैबलों से छीनी गई) उग्रवादियों से ए के-56 की दो राइफलें बरामद करने में सफल हुए। बाद में पता चला कि वहां पर दो ही उग्रवादी थ और दोनों को ही ढेर कर दिया गया था। यह अभियान घने आबादी वाले क्षेत्र चलाया गया था इसलिए इसमें अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता थी ताकि सिविल संपत्ति को हानि न पहुंचने। यह अभियान एस.के. सिंह, आई जी और श्री एन.भारद्दाज, डी आई जी द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट योजना के कारण सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सका।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री सुबेश कुमार सिंह, महानिरीक्षक, नरेन्द्र भारद्दाज, उप महानिरीक्षक, कल्यण सिंह, सहायक कमांडेंट, सुभाष, कांस्टेबल, भीम कुमार, कांस्टेबल ओर (स्व.) जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 अक्तूबर,2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 175-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री भोला शंकर
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पगलम में ओपी रेड रोज के दौरान दिनांक 25 अगस्त, 2005 को श्री भोला शंकर, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक रोइंग और ले. कर्नल करण सिंह, सेकेंड इन कमान, 5 मद्रास के नेतृतव वाली पुलिस सेना पार्टी ने बैंगो के निकट कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। श्री भोला शंकर आगे बढ़े और इन्होंने उन लोगों को ललकारा। कांस्टेबल मंदीप मिश्रा, इनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पी एस ओ) के रूप में एस पी रोइंग के साथ थे। जब युनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के उग्रवादियों ने एस पी रोइंग पर गोलीबारी की तो कांस्टेबल मंदीप मिश्रा ने इन्हें तत्काल जमीन पर धकेल दिया और पलट कर उग्रवादियों पर गोलीबारी कर दी। तथापि, श्री भोला शंकर बाल-बाल बचे और इनके हाथों में मामूली चोटें आईं। इनके पी एस ओ कांस्टेबल मंदीप मिश्रा के पेट और हाथों पर कई गोलियां लगीं और उनसे अत्यधिक रक्त बहने लगा। कठिनाईपूर्ण भू-भाग, अंधेरे ओर अपनी चोटों के बावजूद श्री भोला शंकर खडे हुए और उग्रवादियों के समूह पर गोलीबारी करते हुए भाग कर उग्रवादियों की दिशा में आगे बढ़े। अपने पी एस ओ मंदीप मिश्रा, जो कि बुरी तरह अशक्त हो चुके थे, की जान को बचाने के प्रयास में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार गोलीबारी करते हुए उग्रवादियों को व्यस्त रखा। जब सिविलियनों की आड़ में उग्रवादी भाग खड़े हुए तो श्री भोला शंकर ने तलाशी अभियान चलाया। अगले दिन कैप्टेन वीरेन्द्र सिंह के तहत सेना के साथ एक और अभियान चलाया गया और दोइमुख क्षेत्र में उसी उग्रवादी ग्रुप के साथ फिर मुठभेड़

सं0 176-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. दिलीप कुमार डे,
   पुलिस अधीक्षक
2. प्रताप सिन्हा,
   अपर पुलिस अधीक्षक
3. सुरेन माचारी
   उप पुलिस अधीक्षक
4. सुजीत कुमार सैकिया,
   निरीक्षक
5. नरेश्वर तालुकदार
   सशस्त्र शाखा कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

प्रतिबंधित उल्फा संगठन के उग्रवादी, असम राज्य के साथ-साथ नालबाड़ी जिले में अत्यधिक सक्रिय रहे हैं और ये देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकर कृत्यों में संलिप्त रहे हैं। दिनांक 31.07.2006 को जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप कुमार डे, ए पी एस को गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना मिली कि प्रतिबंधित गुट के स्वयंभू कैप्टेन के नेतृत्व में उल्फा उग्रवादियों के भारी-मात्रा में हथियारों से लैस एक ग्रुप ने नालबाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ग्राम अरारा (जानोरपार चुपा) में आश्रय लिया हुआ है। श्री डे ने तत्काल अभियान चलाने की एक योजना बनाई और अपर पुलिस अधीक्षक श्री पी. सिन्हा और अन्य हुई जिसमें श्री रात बोरा, उल्फा का एरिया कमांडर मारा गया और 5 मद्रास के नायक खुद्र शेख मारे गए।

इस मुठभेड़ में, श्री भोला शंकर, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अगस्त, 2005 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

बंदूकचियों के साथ गांव की ओर चल पड़े। पुलिस अधीक्षक के अनुदेशों के अनुरूप श्री सुरने माचारी, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) और निरीक्षक सुजीत कुमार सैकिया भी सहायक सशस्त्र बल के रूप में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की एक प्लाटून के साथ गांव की ओर चल पड़े। पुलिस पार्टी ने आश्रयदाता मकानों पर छापे मारे और पुलिस पार्टी तथा उग्रवादियों के बीच 45 मिनट तक मुठभेड़ हुई। इस अभियान के दौरान पुलिस ने नेता सहित दो खूंखार सशस्त्र उग्रवादियों को मार गिराया और दो उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के अतिरिक्त भारी मात्रा में गोली बारुद, हथियार और विस्फोटक सामग्री आदि बरामद की जिसका उल्लेख जब्त की गई सामग्रियों की सूची में किया गया है। उक्त अभियान चलाते समय निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों और लोगों ने अनुकरणीय साहस, कर्तव्य परायणता, प्रतिबद्धता और ईमानदारी का परिचय दिया। उन्होंने यह अभियान, मारे गए और गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों द्वारा की गई लगातार गोलीबारी और विस्फोटों के बीच हर पल अपने जीवन को जोखिम में डाल कर सफल बनाया। अधिकारियों ने अपनी सामान्य ड्यूटी से परे अत्यंत कुशलता से यह कार्य किया और अपनी-अपनी स्थिति में उच्च स्तर के साहस का परिचय दिया जिसके लिए वे बहादुरी के लिए पुलिस पदक के रूप में विशेष मान्यता के पात्र हैं। इन अधिकारियों द्वारा की गई व्यक्तिगत बहादुरी का उल्लेख नीचे किया गया है:-

श्री डी.के. डे, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, नालबाड़ी, असम

श्री डे ने कांस्टेबल नरेश्वर तालुकदार के साथ मिल कर उग्रवादियों द्वारा की जा रही लगातार गोलीबारी का साहसिक रूप से मुकाबला किया और इस अभियान के दौरान हर पल अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए उनकी ओर बढ़े, इस मारकाट में आक्रामक लड़ाई लड़ी और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में खूंखार उल्फा उग्रवादी हेमंत डेका उर्फ बिकाश डेका उर्फ अबुभावे बरुआ को मार गिराने में सफल हुए और उसके शव के नीचे से दो भरे हुए मैग्जीनों के साथ एक यू एम जी (ए के-86) बरामद की। अधिकारी द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय बहादुरी की अत्यधिक प्रशंसा की गई और यह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। इसके अतिरिक्त इन्होंने अत्यंत सावधानी से योजना बनाई और इसे निष्पादित किया तथा अत्यंत समझदारी और साहस से इसका संचालन क़िया जिसके फलस्वरुप दो खूंखार उल्फा उग्रवादी मारे गए, दो अन्य गिरफ्तार किए गए, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, गोलीबारुद, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की गई। इस अभियान से कई अज्ञात लोगों की जाने बचीं, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा और पुलिस पार्टी तथा घने बसे गांव के सिविलियनों में से कोई घायल तथा हताहत भी नहीं हुआ।

श्री प्रताप सिन्हा, ए पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा)

श्री सिन्हा ने चालाकी और बहादुरी से उग्रवादियों का सामना किया, उन्हें झांसा दिया और चुपके से उस मकान में घुस गए जहां से खूंखार उल्फा उग्रवादी राबिन कुमार दास ए के-56 एसाल्ट राइफल से पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर रहा था। इन्होंने अत्यंत साहस के साथ उग्रवादियों को ललकारा और अपने जीवन तथा सुरक्षा की परवाह किए बगैर उसके साथ थोड़ी हाथापाई के बाद उस पर काबू पा लिया और उसके कब्जे से भरी हुई मैग्जीन और एसाल्ट राइफल जब्त कर ली। ये इस अभियान में पुलिस अधीक्षक की एक बहुत बड़ी सहायता के रूप में उनके साथ रहे और इनकी तत्काल तथा बहादुरीपूर्ण कार्रवाई से इनके साथियों को अत्याधिक राहत मिली। इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आह्वान पर अपने आपको एक समर्पित अधिकारी सिद्ध किया। अधिकारी द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट साहस के लिए ये उचित मान्यता दिए जाने के पात्र हैं।

श्री सुरेन माचारी, ए पी एस, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), नालबाड़ी

केवल चार वर्ष की सेवा वाले इस युवा अधिकारी ने इस अभियान के दौरान उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय दिया। दिए गए अनुदेश के अनुसार इन्होंने घटनास्थल के पूर्व से अंदर की ओर घेरा डाला और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे तभी एक उग्रवादी ने पुलिस पार्टी पर एक शक्तिशाली हथगोला फेंका। यह खाली स्थान पर फटा। इस पर अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की और कांस्टेबल गिरिन्द्र भराली के साथ उस मकान की ओर बढ़े जहां उग्रवादी ने आश्रय लिया हुआ था, उसके साथ भयंकर गोलीबारी हुई और उग्रवादियों के गैंग के नेता को मार गिराने में सफल हुए तथा उससे दो भरे हुए मैग्जीनों के साथ एक ए के-56 एसॉल्ट राइफल बरामद की। इस अधिकारी ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में अत्यधिक साहस का परिचय दिया।

निरीक्षक सुजीत कुमार सैकिया, ओ/सी नालबाड़ी, पी.एस.

श्री सैकिया ने उग्रवादियों के विरुद्ध इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने उग्रवादियों की गोलीबारी का बहादुरी से मुकालबा किया तथा उग्रवादियों जितेन तालुकदार का सामना करने के लिए जब ये अपने मोर्चे से आगे बढ़े तो इन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में विशिष्ट बहादुरी का परिचय देते हुए सौपे गए कार्य को पूरा किया। श्री सैकिया ने अत्यंत समर्पण, प्रतिबद्धता और साहस की भावना का परिचय देते हुए उग्रवादी पर काबू किया और उसे जिंदा ही गिरफ्तार कर लिया तथा उसके कब्जे से दो मार्क-स्पे. एच जी-84 आस्ट्रेयाई

ग्रेनेड और ए के-56 एसॉल्ट राइफल का एक भरा हुआ मैग्जीन बरामद किया और इस प्रकार इन्होंने आसन्न खतरे से अपना और अपने सहयोगी पुलिस कार्मिकों का जीवन बचाया।

ए बी कांस्टेबल सं. 380 नरेश्वर तालुकदार

श्री तालुकदार ने बहादुरी का विशिष्ट कार्य किया जब इन्होंने उग्रवादियों पर गोलीबारी कर दी तथा एस पी के साथ कंधे से कंधा मिला कर उग्रवादियों की लगातार गोलीबारी का डट कर मुकाबला किया। जब एस पी श्री डे उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने इन्हें कवरिंग फायरिंग दी तथा खूंखार आतंकवादी हेमंत डेका को मार गिराने की सफलता में सहयोगी बने। वह आतंकवादी उस यू एम जी से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था जिसे बाद में मृतक आतंकवादी से बरामद किया गया। इस अभियान के दौरान अधिकारी द्वारा प्रदर्शित बहादुरी को विशेष मान्यता दिए जाने की जरुरत है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री दिलीप कुमार डे, पुलिस अधीक्षक, प्रताप सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक, सुरेन माचारी, उप पुलिस अधीक्षक, सुजीत कुमार सैकिया, निरीक्षक और नरेश्वर तालुकदार, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं0 177-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. नितुल गोगोई
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. जितमल डोले
   पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कि प्रतिबंधित उल्फा के उग्रवादी, जो गुवाहाटी शहर में हुए हाल के बम विस्फोटों में संलिप्त थे और जिन्होंने नरकासुर पहाड़ियों के भबेन राभा के निवास स्थान पर आश्रय लिया हुआ था, श्री नितुल गोगोई, ए पी एस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुवाहाटी शहर और श्री जितमल डोले, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक (आप.) के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी ने 12.06.2006 और 13.06.2006 के बीच की रात एक अभियान चलाया। प्रातः लगभग 1.30 बजे जब पुलिस पार्टी भबेन राभा के मकान की ओर बढ़ रही थी और घेराव किया जा रहा था तो मकान के अंदर से गोलीबारी शुरु हो गई। श्री गोगोई और श्री डोले ने पुलिस पार्टी को तत्काल आड़ लेने का आदेश दिया। उस समय कुछ सशसत्र लड़के मकान से बाहर आए तथा उन्होंने जंगल की तरफ भागना शुरु कर दिया और इसी बीच पुलिस पार्टी पर गोलीबारी भी करते रहे। श्री गोगोई और श्री डोले के नेतृत्व वाली उस पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया और उन्हें रुकने का आदेश दिया। लेकिन आदेश का पालन करने के बजाए उन उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर एक ग्रेनेड फेंका। यद्यपि यह ग्रेनेड फट गया था लेकिन आगे बढ़ कर पुलिस पार्टी का नेतृत्व करने वाले श्री गोगोई और श्री डोले ने समय पर आड़ ले ली जिससे सौभाग्य से ये बच गए। इसके बाद उग्रवादियों ने एक

बार फिर पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की और पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में जबाबी गोलीबारी कर दी। इस मुठभेड़ में एक बार फिर उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंका लेकिन यह नहीं फटा। इस मुठभेड़ में श्री गौगाई और श्री डोले ने खुले क्षेत्र में मोर्चा संभाला हुआ था जहां पर कोई कवर फायरिंग भी नहीं मिल रही थी। इस मुठभेड़ के दौरान एक उग्रवादी घटना स्थल पर ही मारा गया और 3/4 उग्रवादी भागने में सफल हो गए। जब गोलबारी रुकी और उस स्थान की तलाशी ली गई तो उस स्थान से एक अज्ञात उग्रवादी का शव बरामद हुआ। मृतक उग्रवादियों के कब्जे से i) एक 7.62 पिस्तौल ii) जीवित 7.62 गोलीबारुद के 4 राउंद iii) फ्यूज वायर के साथ फिट डिटोनेटरों के 21 नग iv) एक हैंड ग्रेनेड कैप और v) चीनी ग्रेनेड का एक पिन बरामद हुआ। बाद में मृतक की पहचान पुलेन नाथ (25 वर्ष) पुत्र श्री दुखोराम नाथ, ग्राम - फार्म गेट, धोतोला, पी एस - नालबाड़ी, जला नालबाड़ी, असम के रूप में हुई जो एक दुर्दातं उग्रवादी था। यह मृतक आतंकवादी, गुवाहाटी और नालबाड़ी जिलों में कई आंतकवादी क्रियाकलापों में संलिप्त था। उक्त मुठभेड़ में श्री नितुल गोगोई और श्री डोले ने ऐसी परिस्थिति में अपने जीवनों को जोखिम में डालते हुए अपने कर्तव्य से परे बहादुरी का परिचय दिया जब परिस्थितियां उनके बिल्कुल विपरीत थीं। तथापि, अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए और अपनी सुरक्षा और रक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए इन्होंने इस अभियान में उग्रवादियों द्वारा प्रयुक्त एक पिस्तौल, गोलीबारुद और डिटोनेटरों को बरामद करने के अतिरिक्त दुर्दांत उल्फा उग्रवादियों को मार गिराने में भी सफलता पाई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री नितुल गोगोई, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जितमल डोले, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 जून, 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं0 178-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विपिन चन्द्र मेधी
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 22.10.2005 को भारत अग्रवाल नामक व्यक्ति, मचरवोना, गुवाहाटी से इस आशय की सूचना मिली कि कुछ अज्ञात उल्फा उग्रवादियों ने टेलीफोन पर उनसे 1,00,000 रुपए की मांग की है। इस मामले की जांच-पड़ताल करने लिए ओ/सी भरलुमुख पी.एस., गुवाहाटी शहर द्वारा उप-निरीक्षक (एस.आई.) विपिन चन्द्र मेधी को यह कात सौपे जाने पर इन्होंने अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक जाल बिठाया और उसी दिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो श्री अग्रवाल से उनके निवास स्थान से धनराशि प्राप्त करने के लिए आया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताद करने पर जबरन धन ऐंठने के इस मामले में दो और व्यक्ति संल्पित पाए गए और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा इन्होंने बताया कि उल्फा उग्रवादी, दारंग जिले के मंगलडोई में मौजूद हैं। दिनांक 25.10.2005 को एस.आई. बिपिन चन्द्र मेधी मंगलडोई की ओर रवाना हुए और उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), दारंग की कमान में एक पी आर सी ग्रुप के साथ मंगलडोई थानातंर्गत मुआमारी चपोरी नामक स्थान पर छद्म रूप से जाल बिछाया। प्रात: लगभग 10.15 बजे अधुनातन हथियारों से लैस 4 (चार) उल्फा उग्रवादी उस स्थान की ओर आते दिखाई दिए जहां पर घात लगाई गई थी और जब उग्रवादी उस स्थान पर पहुंचे तो एस.आई. बिपिन चन्द्र मेधी ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अपने छिपे हुए स्थान से बाहर छलांग लगाई और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पी आर सी कार्मिकों ने भी एस.आई. बिपिन चन्द्र मेधी का अनुसरण किया। लेकन आत्मसमर्पण करने

के बजाय उग्रवादियों ने पुलिस पर गोलीबारी कर दी। एक उग्रवादी ने पुलसि पर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने भी जबावी कार्रवाई की और इस तरह दोनों ओर से गोलीबारी शुरु हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 2 (दो) उल्फा उग्रवादी मारे गए और 2 (दो)अन्य भागने में सफल हो गए। उनसे बड़ी मात्रा में हथियार, गोलीबारुद और प्रतिबंधित उल्फा से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में सुरेश डेका उर्फ रुपज्योत्ति हजारिका, मंगलदोई और कृष्ण कांत खतोनियर उर्फ तोलन साउद, पटचरकुची, बक्स जिले के रूप में हुई। अत्यंत सूझबूझ और अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए एस.आई. बिपिन चन्द्र मेधी ने अपनी निजी सुरक्षा को अत्याधिक जोखिम में डालते हुए शरु से ही पुलिस पार्टी का नेतृत्व किया और ये निम्नलिखित हथियार और गोलीबारुद बरामद करने के साथ-साथ दो दुर्दांत उल्फा उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में भी सफल हुए:-

(i) सं. 4601032 वाली फैक्ट्री निर्मित पिस्तौल
(ii) मैग्जीनों के दो (2) नग
(iii) 9 एम एम गोलीबारुद के 9 (नौ) नग जीवित राउंद
(iv) 9 एम एम का 1 (एक) खाली कारतूस
(v) चीनी हथगोले के 3 (तीन) नंग
(vi) एक सक्रिय मोबाइल फोन
(vii) एक सिम कार्ड
(viii) प्रतिबंधित उल्फा संगठन से संबंधित कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज

इस मुठभेड़ में, श्री बिपिन चन्द्र मेधी, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25 अक्तूबर, 2005 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं0 179-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. प्रफुल्ल बोरा
   उप-निरीक्षक
2. नृपेन चमुआ
   शस्त्रहीन शाखा कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 02.10.2006 को लगभग 10.30 बजे, मालपानी चरियालाइ उत्तरी लखीमपुर कस्बे में लखीमपुर पुलिस द्वारा उग्रवाद विरोधी उपाय करने के अनुसरण में जांच की गई थी। नाका ड्यूटी पर तैनात टी एच सी अरबिंद वैश्य ने दो मोटरसाइकल सवार युवा ओं को जांच करने के लिए रोका। इसी समय उनमें से एक व्यक्ति ने टी एच सी पर गोली मारने के लिए पिस्तौल निकाला। इस पर टी एच सी ने बहादुरी से काम लिया और उग्रादी की कमीज पकड़ ली। यह उग्रवादी किसी तरह भागने में सफल हो गया जबकि उसका साथी मोटर साइकल ले कर भाग खड़ा हुआ। तथापि टी एच सी अरविंद वैश्य ने वी एच एफ पर जिल ापुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना देते हुए अपनी लाठी सहित सशस्त्र उग्रवादियों का पीछा किया। ड्यूटी पर तैनात कस्बे में एस आई प्रफुल्ल बोरा ने संदेश प्राप्त किया और निकटतम यातायात केन्द्र से कांस्टेबल नृपेन चमुआ (हथियार के बगैर) को अपने साथ लेकर तत्काल अपनी मोटर साइकल पर उनका पीछा किया। पैदल पीछा कर रहे टी एच सी को इन्होंने शीघ्र ही पीछे छोड़ दिया लेकिन जब ये पीछा कर रहे थे तब अचानक ही एक उग्रवादी पीछे मुड़ा और मोटर साइकल पर सवार पुलिस कार्मिकों पर गोलीबारी कर दी। इस पर टी एसा आई प्रफुल्ल बोरा नीचे झुक गए और चलती मोटर साइकल को नियंत्रित करते हुए इन्हांने पीछे बैठे पुलिस

कार्मिक (सी एन) से कहा कि वे अपनी पिस्तौल से जबाबी गोलीबारी करें। कांस्टेबल ने अनुदेश का पालन किया और जब श्री बोरा अपनी चलती मोटर साइकल के साथ हमलावर के निकट थे तब इससे पहले कि उग्रवादी कोई हानि पहुंचाता उसे मार गिराया गया। इन सभी कार्मिकों ने अपने जीवन को अत्यंत गंभीर जोखिम में डालते हुए अत्यधिक सूझ-बूझ का परिचय दिया और और सशस्त्र उग्रवदी को मार गिराया।

मारे गए उग्रवादी की पहचान बाद में शिशुराम सैकिया उर्फ हरुभाई एस/एस लांस कारपोरल, एक्शन ग्रुप ऽबीरु कंपनी, 28 बटालियन, उल्फा (पुत्र स्व. लोकेश्वर सैकिया), ग्राम - नं. 2, अपर तरणी मेराणानी, जिला गोलाघाट, असम के एक सदस्य के रूप में की गई। इसका उल्लेख शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) (क)/27 के साथ पठित और यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आई पी सी की धारा 120(ख)/122/353/307/34 के तहत एन एल पी एस मामला सं. 677/06 में किया गया है। श्री प्रफुल्ल बोरा,एस आई (यू बी) और टी एच सी अरबिंद बैश्य तथा यू बी सी/746 नृपेन चामुआ, लखीमपुर डी ई एफ द्वारा की गई इस बहादुरी से घटना स्थल से निम्नलिखित की बरामदगी हुई:-

(क) एक फैक्ट्री निर्मित (इटली की) 7.65 पिस्तौल जिसमें 7.65 गोलीबारुद के 5 राउंद मैग्जीन भरे हुए थे।
(ख) 7.65 जीवित गोलीबारुद 11 राउंद
(ग) एक नोकिया मोबाइल फोन
(घ) 7.65 बुलेट के 2 नग खाली केस
(ङ) उल्फा संगठन के कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री प्रफल्ल बोरा, उप-निरीक्षक और नृपेन चामुआ, शस्त्रहीन शाखा कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 अक्तूबर, 2006 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

7—361 GI/2007

सं0 180-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मो. फर्गुद्दीन,
   उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी
2. राम पुकार सिंह,
   उप-निरीक्षक
3. सुरेन्द्र कुमार सिंह,
   उप-निरीक्षक
4. नसीर हुसैन खां, (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 23.06.2005 को अधुनातन हथियारों और विस्फोटक सामग्रियों से लैस सी पी आई माओवाद के 500 उग्रवादियों के एक बहुत बड़े ग्रुप ने पूर्वी चंपारण के एक कस्बे मधुबनी पर धावा बोल कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और बैकों से नकदी तथा आंचल गार्ड, पी.एस. रिजर्व गार्ड और बैंकों के सुरक्षा गार्डों से राइफलें लूट कर तबाही मचा दी तथा पी.एस. रिजर्व के पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी। राज्य और केन्द्र सरकार के सभी संप्रतीकों को नष्ट कर दिया गया और उनको पैरों के नीचे कुचला गया तथा संचार प्रणाली अवरुद्ध की गई। ऐसी अत्यधिक संवेदनशील सूचना प्राप्त होने पर एस आई राम पुकार सिंह, ओ/सी पटही पी.एस., पटही में तैनात सी आर पी एफ की एक प्लाटून सहित एस.आई. प्रमोद पोद्दार के साथ श्री फर्गुद्दीन, एस डी पी ओ पकरीदयाल और एस आई सुरेन्द्र कुमार सिंह, ओ/सी फेनहरा के नेतृत्व में सशस्त्र बल के साथ छोटे रास्ते से होकर घटना स्थल पर पहुंचे।

यद्यपि यह रास्ता अत्यंत खतरनाक था और इसमें बारुदी सुरंग बिछी होने की आशंका थी। इस पुलिस टीम ने लम्बे समय तक तथा अत्यधिक कठिन और जोखिम भरा पीछा करने के बाद उग्रवादियों के भागते हुए ग्रुप को देखा। पुलिस टीम के सदस्यों की तुलना में उनकी संख्या काफी अधिक थी। भारी मात्रा में सशस्त्र हिंसक आतंकवादियों के इतने बड़ें ग्रुप को चुनोती देना निश्चित ही जोखिम से भरा कार्य था। सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पुलिस ने उनकी संख्या और हथियारों को देख कर भागते हुए उग्रवादियों को रुकने और आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इसका जबाव उन्होंने भारी गोलीबारी करके दिया जिससे सी आर पी एफ के एक जवान को गोली लग गई। इसके बाद मोर्चा संभाल कर उन्होंने निर्भीकता से एल एम जी और अन्य खतरनाक हथियारों से भारी और आक्रामक गोलीबारी कर दी तथा पुलिस पार्टी को घेरने और उस पर काबू करने की कोशिश की। निश्चित ही यह स्थिति अत्यंत गंभीर थी। हमलावरों को अत्यंत हिंस होते देख सी आर पी एफ के कमांडेंट बी. आर.जाखड़ ने 2रु मोर्टर दागा। एस आई राम पुकार सिंह ने सी आर पी एफ के घायल जवान के एस एल आर हथियार के सामने से गोलीबारी कर दी। इससे वांछित परिणाम प्राप्त हुआ। तीन (3) उग्रवादी मार गिराए गए और घटना स्थल से दो 7.62 एम एम रेगुलर एस एल आर, एक रेगूलर इंग्लिश बंदूक, खाली और जीवित कारतूस तथा अन्य वस्तुयें बरामद हुईं। इस उपलब्धि से पुलसि टीम में अत्यधिक आत्मविश्वास आ गया जबकि दूसरी ओर उग्रवादी उस मोर्चे को छोड़ कर भागने पर मजबूर हो गए। पुलिस टीम ने भागते उग्रवादियों को पकड़ने के लिए अचूक जाल बिछाया और उनका पीछा किया। एक बार फिर गांव नसीबा के निकट बांसवाड़ी में भागते उग्रवादियों के एक ग्रुप के साथ भयानक मुठभेड़ हुई। सी आर पी एफ के दो कांस्टेबलों पर जानलेवा गोलियां लगीं जिससे स्थिति अत्यंत गंभीर और तनावपूर्ण हो गई। पुलिस पार्टी, हमलावरों पर गोलीबारी करने के लिए मजबूर हो गई। उग्रवादियों के पास एक बार फिर मोर्चा छोड़ कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस मुठभेड़ में 3 (तीन) उग्रवादी मारे गए और घटना स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोलीबारुद बरामद हुआ। घटना स्थल पर भारी कुमुक के साथ डी आई जी सुरेश कुमार भारद्दाज और एस पी विनय कुमार के आने से यह अभियान चला रही पुलिस टीम के साहस और मनोबल में इजाफा हुआ। इसके बाद इन्होंने बिखरे हुए और निरुत्साहित उग्रवादियों का अत्यंत नजदीक से पीछा किया। तीसरी और निर्णायक मुठभेड़ ग्राम परसौनी के निकट हुई। उग्रवादियों ने आम के घने बगीचे में मोर्चा संभाला हुआ था और वे इस मंशं से गोलीबारी कर रहे थे कि सिकी तरह पुलिस पार्टी को पछाड़ कर वहां से निकल कर भाग जाएं। इसी बीच सी आर पी एफ के हवलदार को गोली लगने से पुलिस दल थोड़ा निरुत्साहित हुआ। उन्होंने अपनी बिल्कुल भी परवाह किए बगैर करो या मरो की भावना से जीन-जान से लड़ाई लड़ी। उग्रवादियों पर मोर्टार और एल एम जी से हमला किया गया जिसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले। वे पुलिस पार्टी पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। इसके बाद डी जी और एस पी के आदेश से अर्द्ध-प्रकाश करने वाले राउंदों की गोलीबारी की गई और अंतिम उपाय

के रूप में बगीचे में एच ई बम गिराये गए जिनसे उग्रवादियों का ग्रुप पूरी तरह से शांत हो गया। प्रभु सहित नामक एक उग्रवादी गिरफ्तार किया गया और घटना स्थल से .303 की रेगूलर राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोलीबारुद, विस्फोटक सामग्री, संचार उपकरण और ऽआपरेशन धमाकारु की योजना बनाने और निष्पादित करने संबंधी साहित्य बरामद किया गया। कुल मिला कर पुलिस अधिकारियों ने अपनी राइफलों, एस एल आर, कारबाइनों और पिस्तौलों से 527 राउंद की गोलीबारी की जिनमें से नामिती फर्गुद्दीन, एस डी पी ओ पकरीदयाल ने अपनी पिस्तौल से 20 राउंद, एस आई रमा पुकार सिंह ने अपी पिस्तौल से 28 राउंद, और एस आई सुरेन्द्र कुमार सिंह ने अपनी पिस्तौल और राइफल से क्रमशः 11 और 26 राउंद की गोलीबारी की। उग्रवादियों ने अंधाधुंध और बेतरतीब गोलीबारी की। इस घटनापूर्ण अभियान में पुलिस पार्टी ने अत्यंत नियंत्रित और पूर्णतः न्यायोचित गोलीबारी की। माओवाद के उग्रवादियों के एक ग्रुप द्वारा मधुबन पर सोचा-समझा और सुनियोजित ढंग से हमला किया गया था। उग्रवादियों से जब्त की गई सामग्री से उनके राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, आवाजाही, योजना, संगठनात्मक नाम और सूचना के व्यापक तंत्र का पता चलता है इसका विश्लेषण एस. नोट 05 एस पी में विस्तार से किया गया है। मामले की अद्यतन जांच-पड़ताल, गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों द्वारा दिया गया अपाध स्वीकृति का ब्यान, जब्त किए गए दस्तावेजों और साहित्य से पता चलता है कि उन्होंने अपने दस्तावेजों में से ऽआपरेशन धमाकारु का नाम दिया था जिसका अर्थ था मधुबन पर हमला करना। यह एक ऐसी रणनीति का परिणाम था जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई खुंखार आतंकवादियों को जुटाया गया था। राज्य के बाहर से बड़ी मात्रा में हथियार और गोली-बारुद मंगाया गया। उनके क्रियाकलापों, अभियान की योजनागत रणनीति और प्रतिबद्दताओं के ब्यौरे का उल्लेख, मामले के संयुक्त एस. नोट में किया गया है। फर्गुद्दीन, एस डी पी ओ पकरिदया ने अत्यंत सुनियोजित ढंग से इस अभियान का नेतृत्व किया। स्थिति के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और सही समय पर जबाबी हमला करने के निर्णय से कारगर परिणाम निकला। उनका मानव प्रबंधन अत्यंत प्रभावशाली था। इन्होंने अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और उग्रवादियों का विश्वास और साहस से मुकाबला किया। एस आई राम पुकार सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुठभेड़ों की इस लोमहर्षक श्रृंखला में, चाहे उसके परिणाम कुछ भी निकले हों, सभी पूरी तरह से सक्रिय रहे और इस अत्यंत हिंसक स्थिति का आगे बढ़ कर सामना किया। इस अभियान के दौरान मुकाबला करने की उनकी अदम्य क्षमता सराहनीय रही। उनका उत्कृष्ट और अनुकरणीय साहस, महान दिलेरी और निर्भीकता, अत्यंत विश्वास और संयम, किसी भी मानक की दृष्टि से सर्वोच्च स्तर के हैं। उनका कार्यनिष्पादन निश्चित ही अत्यधिक विश्वासोत्पादक और आश्चर्यजनक रूप से उत्कृष्ट है। छापा मारने वाली पुलिस पार्टी के एक सक्रिय सदस्य के रूप में एस आई सुरेन्द्र कुमार सिंह ने अत्यंत सकारात्मक भूमिका निभाई। इनकी ऊर्जाशीलता, क्षमता और कर्तव्यपरायणता सराहनीय हैं। सी/78 नारिस खां ने अपनी सेवायें पूर्ण ईमानदारी से प्रस्तुत की औरप्रशान के पक्ष में रुख कर दिया अन्यथा उग्रवादी और

अधिक हत्यायें करते और लूट-पाट करते। उनके जोश, व्यावहारिक बुद्धि और बहादुरी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। फर्गुद्दीन, एस डी पी ओ पकरीदयाल, एस आई राम पुकार सिंह, एस आई सुरेन्द्र कुमार सिंह कांस्टेबल 78 नासिर खां (मणोपरांत) ने अत्यंत विश्वास और समर्पण की भावना से कार्य किया। सभी विपरीत परिस्थितियों और अत्यंत जोखिम के होते हुए भीवे मोर्चे पर डटे रहे और लगातार आठ (8) घंटे तक उग्रवादियों से लड़ते रहे।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री मो. फर्गुद्दीन, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, राम पुकार सिंह, उप-निरीक्षक, सरेन्द्र कुमार सिंह, उप-निरीक्षक तैर (सव) नासिर हुसैन खां, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 जून, 2005 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं0 181-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रदीप गुप्ता,
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 16.09.2006 को प्रात: लगभग 0915 बजे पुलिस अधीक्षक, उत्तरी बस्तर कंकर जिला श्री प्रदीप गुप्ता को इस आशय की सूचना मिली कि उनके जिले के भानुप्रतापपुर पुलिस स्टेशन के एक गस्ती दल पर नक्सलियों ने पूर्वातन लगभग 0830 बजे ग्राम सोनाडाड के निकटवर्ती जंगलों में उस समय घात लगाई और गोलीबारी कर दी जब के क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे और तलाशी ले रहे थे। श्री प्रदीप गुप्ता तत्काल घटना स्थलन पर पहुंचे और मुठभेड़ वाले स्थान के निकट गश्त लगाने वाली पार्टी में शामिल हुए तथा स्थिति का जायजा लिया। उपलबध सूचना से पता चलता है कि संख्या में नक्सली लगभग 60 से 70 के बीच थे जिनमें उनकी दो मिलिट्री यूनिटें (प्लाटून दलम) शामिल थीं। प्रदीप गुप्ता ने समय गंवाये बिना सीमित संख्या में उपलब्ध कार्मिकों से उग्रवादियों का पता और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया और क्षेत्र की पूरी तलाशी लेने की योजना बनाई। उपलबध बल के दो टीमों में विभाजित किया गया और प्रदीप ने स्वयं पहली टीम का नेतृत्व किया। इन्होंने टीमों को योजना के बारे में बताया और उस क्षेत्र के निकट चालाकी और समन्वय के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। जंगला में उगी घनी झाड़ियों के सामने की तरफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आगे बढ़ना बहुत कठिना था। उग्रवादियों द्वारा लगाई गई घात से यहां की भौगोलिक स्थिति और भी खतरनाक बन गई थी लेकिन प्रदीप गुप्ता के दृढ़ नेतृत्व में पुलिस पार्टी, नक्सलियों को पकड़ने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। पुलिस पार्टी ने विश्राम किए बगैर लगभग 4 घंटे तक जंगल की तलाशी ली। लगभग 1530 बजे जब पुलिस पार्टी कोराखुर्रे गांव के निकट पहुंच रही थी तो नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर

घात लगा कर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस कार्मिकों ने जबाबी कार्रवाई करने में कुछ भी समय नहीं गंवाया और आड़ लेने के बाद अपनी रक्षा में पलट कर गोलीबारी कर दी। नक्सली संख्या में अधिक थे और वे पुलिस कार्मिकों से कह रहे थे कि वे समर्पण कर दें। वे ठठाकर हंस रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे तथा हमलों को तेज कर रहे थे। प्रदीप गुप्ता ने अपने कार्मिकों से कहा कि वे साहस और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ें तथा इन्होंने आगे बढ़ कर पार्टी का आक्रामक नेतृत्व कर लगातार उनका मनोबल ऊंचा बनाए रखा। इन्होंने दूसरी पार्टी का भी मनोबल बढ़ाया जिन्होंने वायरलेस का काम अपने हाथ में लिया हुआ था।

जब गोलीबारी चल रही थी तो दूसरी पार्टी के कमांडर ने, जा बहुत कम दूरी पर थी, वायरलेस पर एस पी को सूचित किया कि नक्सली नए फ्लैंक से दो तरफ से उन पर आक्रमण करते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं और उनकी पार्टी पर हावी होते जा रहे हैं और यदि उन्हें तत्काल नहीं बचाया जा सका तो वे उन्हें मार देंगे। यह सुन कर प्रदीप गुप्ता ने अपने कार्मिकों की रक्षा करने और उन्हें बचाने के लिए नक्सली हमला नाकाम करने की दृष्टि से तुरंत ही आक्रामक रवैया अपनाने का निर्णय लिया। यह अत्यंत विकट स्थिति थी। इस समय यदि कोई गलत निर्णय लिया जाता तो इनके अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों की जाने जातीं और आतंकवादियों की जीत होती। इन्होंने दूसरी पार्टी को आदेश दिया कि वे वहीं पर डटे रहें और कवर फायर दें ताकि उनकी पार्टी आगे बढ़ सके। अपने नेता के निर्भीक और सक्रिय समर्थन से उत्साहित हो कर दूसरी पार्टी ने कवर फायर प्रदान की। प्रदीप ने आगे से नेतृत्व किया और आगे बढ़ने लगे तथा नक्सलियों पर गोलीबारी शुरु कर दी। इन पर की गई भयंकर गोलीबारी के सामने इनकी साहसिक चाल, इनके जीवन के लिए गंभीर खतरा और जोखिम से भरी हो सकती थी। खतरे में पड़े अपने कार्मिकों को बचाने का निर्णय लेने के बाद इन्होंने अपने जीवन के खतरे को अनदेखा कर दिया। अपने नेता की बहादुरी और सहसिक कार्रवाई से उत्साहित हो कर पुलिस बल ने आगे बढ़ कर उनका साथ दिया।

जब प्रदीप, नक्सली मोर्चे के निकट पहुंचे तो इन्होंने उस नक्सली नेता को देख लिया जो नक्सलियों का नेतृत्व कर रहा था और उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था। प्रदीप ने अपनी एसॉल्ट राइफल से कमांडर पर गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से वह नीचे गर पड़ा। नक्सली नेता के नीचे गिरने से उन्हें एक बहुत बडा झटका लगा और वे पीछे हटने लगे तथा भागने लगे। तत्काल ही स्थिति पुलिस के पक्ष में हो गई और इन्होंने आगे बढना शुरु कर दिया तथा भाग रहे नक्सलियों का पीछा करने लगे। प्रदीप की निर्भीक और साहसिक पहल से नक्सली टूट गए ओर उनका मनोबल टूट गया। इन पर मंडराता गंभीर खतरा टल गया। तथापि बचे हुए नक्सलियों ने घने जंगल और कम होती रोशनी का फायदा उठाया और वहां से भागने और पुलिस कार्मिकों से पीछा छुड़ाने में सफल हुए।

मुठभेड़ स्थल की बाद में तलाशी लेने पर पुलिस ने पुलिस कमांडर का शव तथा .303 की एक राइफल और इसका जीवित गोली-बारुद बरामद किया। मृत नक्सली की बाद में पहचान विकासन्ना उर्फ विकास उर्फ शिवन्ना जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डी के एस जेड सी) का सदस्य था तथा जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में अपनी गतिविधियां चलाने वाली सी पी आई (माओवाद) की राज्य समिति है। वह सी पी आई (माओवाद) की गढ़हिरोली डिविजनल समिति का सदस्य भी था जिसे छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर, कंकर और राजनंदगांव तथा महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिोली जिले में कार्रवाई करने का काम सौंपा गया था। उस पर महाराष्ट्र सरकार ने 30,000/-रुपए (महाराष्ट्र में किसी नक्सली नेता पर सर्वाधिक) और आन्ध्र प्रदेश सरका ने 2 लाख रुपए (जो. 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव था) का पुरस्कार घोषित किया हुआ था। उसका वास्तविक नाम और पहचान उरदी श्रीनिवास निवासी निरिगुंडा, वारंगल जिला, आन्ध्र प्रदेश के रूप में की गई थी और वह महाराष्ट्र पुलिस द्वारा 72 आपराधिक मामलों में और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 07 मामलों में वांछित था। इनमें से 18 मामले हत्याओं के मामले थे जिनमें 31 सिविलियन और 25 पुलिस कार्मिक मारे गए थे। माओवादी संगठन में उसका महत्व और विशिष्टता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि जब 15 वर्ष पहले 1991 में महारारष्ट्र पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तो उसकी रिहाई के लिए नक्सलियों ने गढ़चिरोली जिले के तत्कालीन विधायक श्री धर्मराव बाबा अट्रम का अपहनण कर लिया था।

प्रदीप गुप्ता ने अपने जीवन की रक्षा और सुरक्षा की परवाह किए बगैर जिस विशिष्ट बहादुरी और वीरता का परिचय दिया वह उनकी कर्तव्यपरायणता से परे अनुकरणीय है। इससे न केवल पुलिस कार्मिकों कीजीवन बचा बल्कि उत्तरी बस्तर और महाराष्ट्र में नक्सली संगठन और उनकी क्रियाकलापों को भारी झटका भी लगा। सभी लोगों ने जिनमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी शामिल थे, उनकी कार्रवाई की प्रशंसा की।

इस मुठभेड़ में, श्री प्रदीप गुप्ता, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं०-182-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री चावड रंज़ीतसिंह जिलुभा
सहायक उप-निरीक्षक (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (ए एस आई) स्व. श्री चावड़ रंजीतसिंह जिलुभा, 1982 में कच्छ पुलिस में आए थे। वे अत्यधिक ईमानदार कार्मिक थे और वे हमेशा ही पहल करते थे। इन्होंने ग्रामीण पुलिस व्यवस्था में महारत हासिल की हुई थी और उनकी क्षमताओं को मान्यता प्रदान करते हुए इन्हें भुज तालुक पुलिस स्टेशन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिर्जापुर बीट का प्रभारी बनाया गया था। दिनांक 29-30 सितम्बर, 2006 के बीच की रात प्रातः लगभग 0300 बजे ए एस आई स्व. चावड रंजीतसिंह जिलुभा, सुखपर- मांडवी, मिर्जापुर, ट्राइजंक्शन पर एक स्टॉल में चाय पी रहे थे तथा साथ ही वहां पर आ-जा रहे वाहनों और लोगों पर तीखी नजर भी रख रहे थे। इस चौकसी के दौरान स्व. ए एस आई रंजीतसिंह को टी स्टॉल के निकट गुजरते हुए दो व्यक्ति दिखाई दिए जिनके हाथों में लाल रंग की तेल की केन थी। इस पर तुरंत ही ए एस आई ने उन लोगों से पूछा कि वे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांडवी राजमार्ग पर टी स्टॉल से लगभग 1 कि.मी. दूरी पर चूंकि उनकी कार में पैट्रोल समाप्त हो गया है इसलिए वे पैट्रोल लेने आए हैं। उनकी इस बात की पुष्टि करने के लिए ए एस आई चावड अपने दो पहियों की मोटर साइकल पर उस कार की ओर चल दिए। चूंकि उस कार के दरवाजे का शीशा खुला हुआ था इसलिए ए एस आई श्री चावड ने कार के अंदर से उसकी जांच करनी शुरु कर दी। कार की पूरी जांच करते समय इन्हें कार के अंदर दो और आदमी दिखाई दिए और ड्राइविंग सीट के निकट नीचे पड़ा एक जीवित कारतूस भी मिला। तत्काल ही स्व. ए एस आई ने यह महसूस किया कि उनका संदेह सही निकल रहा है। इन्होंने पी.एस. को सूचित किया और कुमुक मांगी । स्व. ए एस आई ने चतुराई से उन चार व्यक्तियों के नाम आदि पूछने शुरु किए और उन्हें नोट किया। आगे और पूछताछ करने पर उन चार व्यक्तियों में से एक ने अचानक रिवाल्वर निकाला और स्व. ए एस आई के माथे पर गोली मार दी। स्व. ए एस आई गोली लगने से पहले ही बुरी तरह से घायल हो गए थे फिर भी इन्होंने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की। इन दोनों के बीच हाथा-पाई हुई और क्योंकि उनसे अत्यधिक रक्त बह रहा था इसलिए उनमें से एक व्यक्ति ने इन्हें सड़क पर ही छोड़ दिया और अंधेरे में भाग गए। कुछ ही मिनटों में भुज तालुका पी.एस. से घटनास्थल पर कुमुक पहुंच गई लेकिन सरकारी अस्पताल पहुंचने के बाद घायलावस्था में इनका देहावसान हो गया। इनके अनुकरणीय साहस, चतुराई और बहादुरी से न केवल चार वांछित अपराधियों की पहचान हो सकी बल्कि इसके बाद कच्छ पुलिस इन दुर्दांत अपराधियों (जिन्होंने जिले में कई लूटपाटों की योजना बनाई थी) को पकड़ने में भी सफल हो सकी। इसके लिए इन्होंने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जब एक पुलिस निरीक्षक तलाशी ले रहे थे और अभियान चला रहे थे तो इनमें से एक अभियुक्त ने उन पर हमला भी किया था। स्व. ए एस आई श्री चावड रंजीतसिंह जिलुभा ने अकेले ही कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री चावड रंजीतसिंह जिलुभा, सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 183-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बिनोद कुमार राउत
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

यह सिफारिश, पुलिस और कुख्यात खूंखार अपराधी अनमोल कुजुर और उसके गैंग, जो न केवल झारखंड राज्य में बल्कि छत्तीसगढ़ ओर ड़ीसा राजयों में भी हत्या, जबरन धन ऐंठने और फिरौती के लिए अपहरण करने (धन वूसली) और डकैती के कई जघन्य अपराधों में संलिप्त थे, के बीच भीषण, लम्बी औरलाभकारी मुठभेड़ की दास्तां है। यह मुठभेड़ घंटों चलती रही और इसके कारण कुख्यात अनमोल कुजुर के मारे जाने से गैंग को भारी नुकसान हुआ (इस घटना में लूटी गई मोटर साइकल, यू एस ए में निर्मित पिस्तौल और विस्फोटक तैयार करने वाली सामग्री बरामद हुई)। इससे पहले अनमोल कुजुर, राजगुंगपुर पी.एस. (उड़ीसा) से न्यायिक हिरासत से भाग गया था)। इस घटना के संलिप्त तथ्य ये हैं कि दिनांक 14.06.06 को बिनोद कुमार राउत, प्रभारी अधिकारी, सिमडेगा पी.एस., एस आर्ठ अभ्य प्रसाद योदव और रिजर्व गार्ड हवलदार अजित राय, कांस्टेबल प्रकाश महतो त्रिपुस कुजुर सुरेन्द्र सिंह, एच.जी. मो. सकिमुद्दीन ओर चम्पू ओरांव के साथ थलकोवेरा गांव की और जांच-पड़ताल करने के लिए चल पड़े। जैसे ही ये एलडेगा तोंगरीतोलो के निकट पहुंचे इन्होंने देखा कि सामने से एक मोटर साइकल आ रही है जिस पर दो सवार थे और उसके पीछे-पीछे एक और मोटर साइकल आ रहीहै जिस पर एक सवार था। पुलिस जीप देख कर भय से उन्होंने भागना शुरु कर दिया। इसके बाद बिनोद कुमार राउत, प्रभारी अधिकारी ने उन्हें रुकने के लिए कहा लेकिन वे नहीं रुके ओर उन्होंने पुलिस पार्टी को चुनोती दी तथा उनमें से एक ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने एक बड़ी चट्टान के

पीछे मोर्चा संभाला और जीवन को गंभीर खतरा होने पर भी जबाबी गोलीबारी कर दी। श्री बियनोद कुमार राउत, प्रभारी अधिकारी ने अपने जीवन के लिए गंभीर और आसन्न खतरे को देखते हुए भीहिम्मत नहीं हारी ओर अपराधी अनमोल कुजुर को लक्ष्य बनाते हुए लगातार गोलीबारी जारी रखी जिससे उस खुंखार उग्रवादी को गोली लगी और बाद में घायलावस्था में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। दूसराउग्रवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भाग गया। पुलिस ने यू एस ए में निर्मित एक पिस्तौल, तीन जीवित कारतूस, विस्फोटक सामग्री, बम बनाने वाली सामग्री और लूटी गई एक मोटरसाइकल बरामद की। इस अभियान में पुलिस को सात (7) राउंद गोलीबारी करनी पड़ी (विनोद कुमार राउत, प्रभारी अधिकारी सिमडेडा पी.एस. ने पांच राउंद और कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह तथं त्रिपुरन कुजुर ने एक-एक राउंद)।

इस मुठभेड़ में, श्री बिनोद कुमार राउत, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 जून, 2003 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं०-184-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मो. असलम,
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 08.02.2005 को यह सूचना मिली कि पी पी अरनास के बस्सन थुरु क्षेत्र में आतंकवादी मौजूद हैं। यह सूचना जी ओ सी सी आई एफ (यू) बल को भी दी गई। एस एस पी रीसी द्वारा एस आई मो. असलम सं. 4450/एन जी ओ, प्रभारी पी पी अरनास की कमान में पुलिस/54 आर आर का एक संयुक्त अभियान चलाया गया। उस क्षेत्र में खराब मौसम होने के बावजूद अभियान चलाने वाली उस पार्टी ने उन छिपे हुए आतंकवादियों का घेराव किया जो निर्जन पड़ी एक बड़ी गुफा में छिपे हुए थे। नफरी ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने अभियान चलाने वाली पार्टी पर अंधाधुध गोलीबारी शुरु कर दी। अभियान पार्टी ने बहादुरी से जबावी कार्रवाई की और भारी बर्फबारी/बारीश के कारण रुकावटें आने के बावजूद अपना मनोबल ऊंचा रखा। अभियान के दौरान अधिकारी रेंगते हुए गुफा के अंदर गए और सेना की टुकड़ियों/पुलिस पार्टी को गुफा में प्रवेश कराने के लिए इनका नेतृत्व किया। इस गुफा के अंदर चार खुंखार विदेशी आतंकवादियों ने मोर्चा संभाला हुआ था। अभियान चलाने वाली पार्टी का नेतृत्व करते हुए एस आई मो. असलम सं. 4450/एन जी ओ ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अतिरिक्त साहस का परिचय दिया और खतरनाक मुठभेड़ के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी जिससे अभियान पार्टी, अलबदर और एच यू जे आई गुटों (प्रत्येक के दो-दो) के चार खूंखार विदेशी आतंकादी मार गिराने में सफल हुई। इनसे बड़ी मात्रा में हथियार/गोली-बारुद भी बरामद हुआ। यह अभियान 08.02.2005 से 11.02.2005 तक चला और पी एस माहोर में प्रभारी पी पी अरनास की मौखिक सूचना पर दिनांक 10.02.2005 को धारा 307/120-ख/121/123-आर पी सी; 7/27 ए-अधिनियम के तहत इस सिलसिले में प्राथमिकी सं. 11/2005 दर्ज की गई थी और 11.02.2005 को आतंकवादी मार गिराये गए थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान निम्नवत की गई थी :-

(i) जहीर अब्बास पुत्र एन/के निवासी-पाकिस्तान, जिला कमांडर, अल बदर
(ii) अबू बकर पुत्र एन/के निवासी पाकिस्तान, अल-बदर गुट
(iii) अबू अमीर उर्फ अबू अनीस पुत्र एन/के निवासी - पाकिस्तान, हुजी गुट
(iv) अबू तल्ला उर्फ उमर तल्ला पुत्र एन/के निवासी-पाकिस्तान, हुजी गुट

मारे गए आतंकवादियों से निम्नलिखित बरामदगी की गईं :-

(i)	ए के -47 राइफल	:	04
(ii)	ए के का मैग्जीन	:	14
(iii)	ए के राउंद	:	290
(iv)	पी आई के ए का गोली-बारुद	:	01
(v)	पाउच	:	02
(vi)	हथियार रखने का किट	:	01
(vii)	एच ई ग्रेनेड	:	01
(viii)	स्मोक ग्रेनेड	:	02
(ix)	रबड़ की मोहरें	:	02
(x)	डब्ल्यू/सेट	:	02
(xi)	डायरियां	:	03
(xii)	मैट्रिक्स शीटें	:	05
(xiii)	पेंसिल सैल	:	27
(xiv)	टॉर्च	:	01

इस मुठभेड़ में श्री मो. असलम, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

(बरूण मित्रा)

राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं०-185-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री तालिब हुसैन,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 21.02.2006 को सिलधर और बथोई के बीच सुमवाली गांव में हुजी और जे ई एम गुटों से संबंधित आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में पुलिस स्टेशन माहौर के थाना प्रभारी निरीक्षक तालिब हुसैन द्वारा उपलब्ध कराई गई विशिष्ट सूचना के आधार पर सेना 61 आर आर की सहायता से पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरु किया गया। तलाशी अभियान के दौरान अभियान दल (पुलिस/सेना) और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान सिपाही राकेश गुप्ता सं. 1561599-एम नामक सेना के एक जवान ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और नायक जतिन्द्र सिंह चौहान संख्या 4078117-के गंभीर रूप से घायल हो गए; जबकि जे ई एम गुट के दो आतंकवादी नामत: अबु कासिम निवासी पाकिस्तान, तहसील कमांडर हुजी, गुल क्षेत्र, (2) मोहम्मद जाफर कोड अबु बकर पुत्र मास्टर जमाल दीन निवासी शाहजरु तहसील माहौर गोलीबारी में घटनास्थल पर ही मारे गए। गोलीबारी के दौरान उनका एक सहयोगी मुठभेड़ स्थल से भाग खड़ा हुआ और ढोक के पास छुप गया। निरीक्षक तालिब हुसैन, थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन माहौर के नेतृत्व में एस पी ओ रतन सिंह सं. 14/एस पी ओ-आर एस आई, एस पी ओ मोहम्मद अशरफ सं. 239/एस पी ओ-आर एस आई और एस पी ओ मोहम्मद मकबूल सं. 341/एस पी ओ-आर एस आई नामक तीन एस पी ओ वाली एक छोटी टुकडी ने ढोक तक भगौड़े आतंकवादी का पीछा किया जहां लम्बी गोलीबारी के पश्चात उन्होंने उसे मार गिराया। निरीक्षक ने अनूठी युक्तियुक्त बुद्धिमानी और उच्चकोटि के रणकौशल का परिचय दिया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने भारी गोलीबारी के बीच घेराबंदी को कडा करते हुए आतंकवादी से छुपते हुए सम्पर्क किया और उसको मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान कोरी हमम कोड अब्दु सलीम निवासी पाकिस्तान तहसील कमांडर हुजी माहौर क्षेत्र के रूप में की गई। मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

*	राइफल ए के सीरीज	:	03
*	ए के सीरीज की मैग्जीन	:	08
*	ए के सीरीज का गोलाबारुद	:	141
*	ग्रेनेड	:	04
*	वायरलैस सेट	:	02
*	भारतीय मुद्रा	:	4415 रुपए
*	छोटी डायरी	:	03

इस मुठभेड़ में, श्री तालिब हुसैन, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 186-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. चंचल सिंह, उप निरीक्षक
2. टेक चंद, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस स्टेशन और तहसील गंडौह, जिला डौडा के अंतर्गत नली डोलू जंगल स्थित देवदार पैड़ों में छुपी पत्थर की बड़ी चट्टानों और झाड़ियों में छुपे एच यू एम गुट के दो खुंखार आतंकवादी कमांडरों की उपस्थिति के संबंध में 20.01.2007 को तड़के विशिष्ट सूचना की प्राप्ति पर उप निरीक्षक चंचल सिंह सं. 7222/एन जी ओ द्वारा एक अभियान की योजना बनाई गई। उप निरीक्षक चंचल सिंह ने पुलसि और सी आर पी एपु की टुकड़ी के साथ 02 घंटे तक दुर्गम भूभाग और बर्फ आर्चदित जंगल में चलने के पश्चात, तत्काल काफी युक्तिपूर्वक बनाए गए छुपने के स्थान के आस पास बाहरी घेराबंदी की। उप निरीक्षक चंचल सिंह ने कांस्टेबल टेक चंद सं. 1109/डी के साथ आतंकवादी को आत्मसमर्पण का अवसर प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से छुपने के स्थान तक सम्पर्क किया। चंचल सिंह और उनके साथियों की गतिविधि को देखने के पश्चात आतंकवादियों ने पुलिस कार्मिकों को लक्ष्य बनाने और घेराबंदी से भागने के लिए उनकी तरफ अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया, परन्तु उप निरीक्षक और कांस्टेबल ने उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता का परिचय दे हुए मोर्चा संभाला तथा आत्मरक्षा में गोली चलाकर जवाबी कार्रवाई शुरु कर दी। यह गोलीबारी आधे घंटे तक चली। उप निरीक्षक चंचल सिंह ने घेराबंदी को संकीर्ण करने और कवरिंग गोलीबारी प्रदान करने हेतु अन्य घेराबंदी कार्मिकों को छुपने के स्थान के निकट आने का

निर्देश दिया। उप निरीक्षक चंचल सिंह और कांस्टेबल टेक चंद ने घेराबंदी पार्टी की कवरिंग गोलीबारी के अन्तर्गत अपनी जान की परवाह किए बिना छुपने के स्थान के निकट युक्तिपूर्वक रेंगना शुरु किया, आतंकवादियों को पुनः हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा परन्तु छुपे हुए आतंकवादियों ने हथगौले फैंके और अंधाधुंध गोलीबारी करना चालू रखा। हथगौलों और गोलीबारी के प्रभाव के अंतर्गत छुपने के स्थान से आतंकवादियों की युक्ति को भांपते हुए उप निरीक्षक चंचल सिंह और कांस्टेबल टेक चंद ने छुपने के स्थान पर हमला बोल दिया जिससे ऽएरु ग्रेड श्रेणी के दोनों खूंखार आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारे गए। उनकी पहचान (1) नूर मोहम्मद कोड अंसारी पुत्र दिलमीर निवासी नली डोलू गंडौह, डिवीजनल कमांडर, एच यू ए गुट और (2) मोहम्मद अशरफ कोड गोरी पुत्र गुलाम नबी निवासी संवारा गंडौह, एच यू एम गुट के क्षेत्री कमांडर के रूप में की गई। घटनास्थल से 02ए के राइफलों सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री चंचल सिंह, उप निरीक्षक और टेकचंद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 जनवरी, 2007 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 187-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद फरीद,
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

2 और 3 जुलाई, 2006 की मध्य रात्रि को पुलिस स्टेशन दरहाल से लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित हिल टाक क्षेत्र में टम्बर नारी जंगल में दरहाल से एक अभियान शुरु किया गया। श्री मोहम्मद फरीद पुलिस उपाधीक्षक की कमान के अन्तर्गत एस ओ जी/एस एस आर के एक ग्रुप ने समग्र रात्रि दुर्गम भूभाग में यात्रा करने के पश्चात घने जंगल में छुपने के स्थान पर तीन आतंकवादियों को घेर लिया ओर वहां एक मुठभेड़ शुरु हो गई। छुपने के स्थान पर छुपे आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया परन्तु आतंकवादियों ने टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसके फलस्वरुप जवाबी कार्रवाई शुरु की गई, जिसके परिणामस्वरुप एक ऽकरु श्रेणी का आतंकवादी नामतः अंसर पठान उर्फ शिकारी-2 जिला कमांडर, ज्बि-ए-इस्लामी गुट निवासी पाकिस्तान और एक स्थानीय आतंकवादी नामतः मोहम्मद इखलाक पुत्र चांदी उर्फ स्काई फाइटर मारे गए जबकि अन्य विदेशी आतंकवादी नामतः उमर (ऽकरु श्रेणी) घायल हो गया परन्तु घने जंगल और भारी वर्षा तथा कोहरे की आड़ लेते हुए भागने में सफल रहा। पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फरीद ने विपरीत परिस्थितियों और अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादी से संघर्ष किया। उक्त अधिकारी ने मुठभेड़ में अमरु साहस का परिचय दिया जिसके परिणामस्वरुप किसी सिविलियन के हताहत हुए बिना अथवा हमारे कार्मिकों को किसी प्रकार की हानि हुए बिना उपर्युक्त दोनों खूँखार आतंकवादी मारे गए। घटनास्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं :-

01	राइफल ए के - 47	:	01 संख्या
02	मैग्जीन ए के - 47	:	02 संख्या
03	गोला बारुद ए के - 47	:	40 राउन्ड
04	हैड ग्रेनेड	:	01 संख्या
05	रेडियो सैट	:	01 संख्या

इस मुठभेड़ में, श्री मोहम्मद फरी, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 जुलाई, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 188-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. मोहम्मद रशीद, पुलिस उपाधीक्षक
2. स्वर्ण सिंह, कांस्टैबल
3. शबिर अहमद, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस द्वारा विकटसित विशिष्ट सूचना के आधार पर दिनांक 29.5.06 की शाम को गांव अमीराबाद (दरुम्बल) त्राल में एक संयुक्त अभियान शुरु किया गया। घेराबंदी करने के पश्चात, तलाशी लेने के लिए पार्टियां बनाई गईं। इन पार्टियों का नेतृत्व सर्व/श्री एच.के. लोहिया, आई पी एस, उप महानिरीक्षक, एस के आर, अनन्तनाग, सरदार खान, पुलिस अधीक्षक, अवन्तीपुरा सी.डी. अग्रवाल, 2 आई सी 53 बटालियन बी एस एफ और एस.जी. गोयल, 2 आई सी 173 बटालियन बी एस एफ और उनके अधिकारियों ने किया। घेराबंदी में फंसे आंकवादियों ने रात्रि के दौरान घेराबंदी को तोड़ने की आशं से गोलीबारी नहीं की। चूंकि तब तक रात्रि हो चुकी थी इसलिए जैसे: राष्ट्र विरोधी तत्वों के भागने के प्रयासों को असफल करने और सिविलियन हताहतों, सम्पत्ति की हानि को कम करने के लिए कनसर्टिना वायर, सड़ वरोधक, क्षेत्र और परिसर को प्रकाशित करने आदि जैसे भौतिक अवरोधक लगाकर घेराबंदी को ओर सुदृढ़ किया गया। दिनांक 30.05.2006 को पौ फटते ही पुन: तलाशी शुरु की गई और लगभग 0900 बजे तलाशी पार्टियों परगोली चलाई गई परनतु युक्तिपूर्वक आगे बढते हुए इन अधिकारियों ने राष्ट्र विरोधी तत्वों के कुत्सित इरादों को विफल कर दिया और प्रभावपूर्ण तरीके से जवाबी कार्रवाई की। इसी बीच, आतंकवादियों के

दूसरे ग्रुप ने सर्व श्री सरकार खान, पुलिस अधीक्षक अवन्तीपुरा, मनोज कुमार, ए सी, 53 बटालियन, बी एस एफ, मोहम्मद रशीद, डी वाई एस पी पुलिस घटक, त्राल के नेतृत्व वाली पार्टियों पर लगातार तीन हथगोले फैंके परन्तु चूंकि तलाशी पार्टियों को ऐसी कार्रवाई का पूर्वानुमान था, अत: कोई हानि नहीं हुई और प्रभावपूर्ण और नियंत्रित गोलीबारी में आंतकवादियों को मार गिराया गया। अन्तत: लगभग 1100 बजे सर्वश्री एच.के. लोहिया, सरदार खान, बी.डी शाह, ए सी 53 बटालियन बी एस एफ, मोहम्मद रशीद, पुलिस उप अधीक्षक पुलिस घटक, त्राल के नेतृत्व वाली पार्टियों ने घेराबंदी को संकुचित करते हुए छुपे हुए आतंकवादियों पर लक्षित गोलीबारी की और ऐसे समन्वित अभियान के परिणामस्वरुप 02 आतंकवादी मारे गए। भारी गोलीबारी और लगातार हथगौले फैंके जाने के कारण लकडी के पुराने घर में, जहां ये राष्ट्र विरोधी तत्व छुपे हुए थे, आग लग गई। तथापि, अनुकरणीय साहस दिखाते हुए इन अधिकारियों ने (फायर ब्रिगेड की सहायता से) आग को समीपवर्ती घरों तक फैलने से रोक लिया।

इसी बीच अन्य आतंकवादियों ने विभिन्न उन्नत विस्फोटक उपकरणों से विस्फोट किया और पुलिस पार्टी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हथगोले फैंके और भागने उद्देश्य से विभिन्न घरो। पूजा स्थल में आग लगाने का प्रयास किया। जम्मू और कश्मीर पुलिस तथा बी एस एफ के कार्मिकों और अधिकारियों के वीरतापूण और पराक्रमी प्रयासों के कारण क्षति टल गई और सिविलियनों के मारे जाने को रोकने के उद्देश्य से अधिकारियों ने भारी जोखिम उठाते हुए सभी सिविलियनों (लगभग 80-100) को निकटवर्ती विद्यालय भवन तक पहुंचाया। तब तक अंधेरा हो चुका था अत: घेराबंदी की पुन: किलेबंदी कर दी गई। लगभग 2130 बजे एक आतंकवादी ने 02 हथगोले फैंके और नाले की तरफ सुरक्षा करने वाली पार्टियों पर भारी मात्रा में गोलीबारी की जिससे वे बच कर भाग सकें परनतु आर.एस. बिष्ट, ए सी 173 बटालियन, बी एस एफ, मुमताज अहमद, एस डी पी ओ अवन्तीपुरा के नेतृत्व में पार्टियों ने ऐसे प्रयासों को सिफल कर दिया और जवाबी कार्रवाई की जिससे आंतकवादी अपने छुपने के स्थान में ही बने रहने के लिए विवश हो गए। भागने के इस प्रयास के चलते आतंकवादी फंस गए और एच.के. लोहिया, आई पी एस, उप महानिरीक्षक, मोहम्मद रशीद, उप पुलिस अधीक्षक पुलिस घटक, त्राल, ने उस स्थान की ओर किलेबंदी की और उस पर पूरी रात निगरानी रखी।

दिनांक 31.05.2006 को प्रात: काल में सभी पार्टियों द्वारा तलाशी शुरु की गई। सभी तलाशी पार्टियों द्वारा उचित समन्वित और रणनीतिक कार्रवाई द्वारा कारगर और नियंत्रित गोलीबारी द्वारा आंतकवादियों को घरों को आग लगाने नहीं दी ओर परेशान होने के पश्चात आतंकवादी मिट्टी की दिवार तोड कर बाहर निकल आए और उनहोंने सीधे ही वरिष्ठ अधिकारियों को लक्ष्य बनाया जोकि विभिन्न दिशाओं से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे क्रूरतापूर्ण

हमले में, पुलिस अधीक्षक अवन्तीपुरा सरदार खान और एस.जी. गोयल, 2 आई/सी 173 बटालिन, बी एस एफ के नेतृत्व वाली पार्टियां गोलीबारी में फंस गई और इसमें 173 बटालियन के 03 बी एस एफ कार्मिक नामत: कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन सं. 97199256, हैड कांस्टेबल कश्मीरी लाल सं. 85254200, कांस्टेबल बलजिन्द्र सिंह सं. 01109956 घायल हो गए जिन्हें चिकित्सा उपचार के लिए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया जिसके कारण 02 बी एस एफ कार्मिकों की जान बचाई जा सकी परन्तु 173 बटालियन बी एस एफ के कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन सं. 97199256 वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी बीच सरदार खान, पुलिस अधीक्षक अवन्तीपुरा, एस.जी. गोयल, 2 आई/सी 173 बटालियन बी एस एफ, मुमताज अहमद, एस डी पी ओ अवन्तीपुरा, ने आंतकवादियों पर लक्षित गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई की, और उनको सहजता से मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकवादियों में से दो की पहचान एच एम गुट के खूंखार आंकवादियों नामत: (i) मोहम्मद अयूब नायक उर्फ वसीम पुत्र अब्दुल अहद नायक निवासी दरुमल/अमरीबाद (ii) मोहम्मद अशरफ भट्ट निवासी नौडल के रूप में की गई, जोकि विश्वास है कि सिविल/सुरक्षा बलों की हत्या के कम से कम 30 मामलों में संलिप्त थे, जिसमें गांव शहराबाद (त्राल) में आई बी कार्मिकों पर किया गया हमला महत्वपूर्ण था जिसमें एक आई बी अधिकारी विनोद कुमार मारे गए थे और दो अन्य घायल हुए थे (एफ आई आर सं. 32/2006 दिनांक 12.04.2006 पुलिस स्टेशन अवन्तीपुरा) तथा पूर्व संसद सदस्य श्री अली मोहम्मद नायक पर दिन दहाडे त्राल में किया हमला जिसमें पूर्व सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और दो पुलिस कार्मिक मारे गए (एफ आई आर सं. 34/2006 दिनांक 17.04.2006 पुलिस स्टेशन त्राल) इसके अतिरिक्त मारे गए आतंकवादी विभिन्न स्थायी हमलों, हथगौले फेंकने, आई ई डी विस्फोटों आदि में शामिल थे। मारे गए तीसरे आतंकवादी की पहचान नहीं की जा सकी क्योंकि क्षतिग्रस्त घर के मलबे में उसक शव बुरी तरह नष्ट हो गया था।

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि क्षेत्र में कोई विस्फोटक आदि नहीं पडे हैं और क्षेत्र स्थानीय जनसंख्या के लौटने के लिए सुरक्षित है सुरक्षा बलों द्वारा स्थानीय जनता को क्षेत्र को सुरक्षित बनाने, उनके निवास स्थानों को पुन: निर्मित करने (नगद और सामान दोनों के रूप में राहत) और उनके मवेशियों और सम्पत्ति को पुन: स्थापित करने में सक्रिय सहायता प्रदान की जिसके परिणामस्वरुप उनके हृदय को जीता जा सका।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री मोहम्मद रशीद, पुलिस उप अधीक्षक, स्वर्ण सिंह, कांस्टेबल तथा शबीर अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फ़लस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30.05.2006 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 189-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री परमजीत सिंह, उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 21.02.2006 को विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला कि एच एम गुट का जाफर इकबाल नामक एक स्थानीय आतंकवादी अपने एक साथी के साथ डारा सांगला क्षेत्र में उपस्थित है। इसकी सूचना तत्काल स्थानीय सेना और कमान्डो ग्रुप सूरनकोट को भी दी गई। तदनुसार उसी दिन लक्षित क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त कालम ने प्रस्थान किया। कान्डो ग्रुप का नेतृत्व उप निरीक्षक परमजीत सिंह द्वारा किया गया। अभयान शुरु करने और संदिग्ध क्षेत्र की घेराबंदी करने से पहले नफरी को पर्याप्त रूप से ब्रीफ किया गया तथा उन्हें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया क्योंकि क्षेत्र पहाड़ी था और पूरी तरह पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। उप निरीक्षक परमजीत सिंह ने नफरी को दो कालमों में बांट दिया, एक को बांयी तरफ से सम्पर्क करने के निर्देश दिए गए जिसका कोई प्राकृतिक कवर नहीं था। जबकि दूसरे कालम ने जंगल क्षेत्र से दांयी तरफ से सम्पर्क किया। 22.02.2006 को पूर्वाह्न लगभग 7 बजे घेराबंदी करने वाली नफरी आतंकवादियों की भारी गोलीबारी की चपेट में आ गई जोकि एक परित्यक्त घर से लगभग 50 गज की दूरी पर घनी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। गोलीबारी की पहली बौछार सतर्क टुकड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। नफरी ने मोर्चा संभाल लिया और क्रमशः जवाबी गोलीबारी की। उप निरीक्षक परमजीत सिंह ने कांस्टेबल गुलाम हुसैन सं. 657/पी को उनको कवरिंग गोलीबारी प्रदान करने का निर्देश दिया और स्वयं आतंकवादियां की तरफ रेंगना शुरु कर दिया। जैसे ही वे परित्यक्त घर के पास पहुंचे, वे उसके पीछे छुप गए और उन्होंने झाड़ियों के पीछे छुपे

आतंकवादियों की तरफ हथगौले पँका जिसने आतंकवादियों को भागने के लिए विवश कर दिया। भागते समय उन्होंने जवाब में अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया। तथापि भागने वाले दोनों आतंकवादियों को उप निरीक्षक परमजीत सिंह और कांस्टेबल गुलाम हुसैन ने मार गिराया। बाद में उनकी पहचान एम एम के जफर इकबाल निवासी पांथा तथा एम एम के अबु इरफान वासी पुलवामा के रूप में की गई। अभियान की योजना युक्तिपर्वूक बनाई गई थी और इसे पेशेवर तरीके से निष्पादित किया गया था जिसके परिणामस्वरुप किसी समपार्श्विक क्षति अथवा स्वंय की टुकड़ियों को जनहानि/घायल हुए बिना दोनों खुंखार आतंकवादी मारे गए। इस मुठभेड़ में उप निरीक्षक परमजीत सिंह और कांस्टेबल गुलाम हुसैन ने उत्कृष्ट साहस दिखाया ओर अपनी व्यक्ति सुरक्षा की परवाह किए बिना वे आतंकवादियों पर टूट पड़े।

इस मुठभेड़ में, श्री परमजीत सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 190-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. कुलवन्त सिंह जसरोटिया,
   पुलिस उपाधीक्षक
2. तेज राम कटोच,
   पुलिस उपाधीक्षक
3. मोहम्मद शेरिफ,
   हैड कांस्टेबल
4. पंजाब सिंह,
   चयन ग्रेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस स्टेशन राजौरी के अधिक्ज़श्र क्षेत्र में गांव जामोता कलाल कास में आतंकवादियों के ग्रुप की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 05.06.2005 को पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, राजौरी, श्री के.एस. जसरोटिया ने बिना कोई समय गंवाए पुलिस उपाधीक्षक (आपरेशन) राजौरी श्री टी. आर. कटोच, पुलिस स्टेशन राजौरी की नफरी और सेना की कमान के अंतर्गत कमान्डो ग्रुप राजौरी को तैयार किया। तलाशी अभियान को संचालित करते समय नफरी को चार कालमों में विभाजित किया गया तथा पुलिस कार्मिकों ने स्थानीय होने और क्षेत्र की स्थलाकृति से भलीभांति परिचित होने के कारण लक्षित तक टुकड़ियों का नेतृत्व किया। सर्व/श्री टी. आर. कटोच, पुलिस उपाधीक्षक (आपरेशन) तथा के.एस. जसरोटिया, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय की कमान्ड के अन्तर्गत आक्रमण दल को दो समूहों में विभाजित किया गया। तलाशी अभियान के दौरान लक्षित घरों

की घेराबंदी करने के एकदम बाद आतंकवादियों ने तलाशी पार्टी पर भारी मात्रा में गोलीबारी करना शुरु कर दिया जिसका प्रभावपूर्ण तरीके से जवाब दिया गया। आतंकवादी लक्षित घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने दो ग्रुपों में नाले/जंगल की तरफ भागना शुरु कर दिया। हैड कांस्टेबल मोहम्मद शेरिफ सं. 117/आर और एस जी कांस्टेबल पंजाब सिंह 959/आर के साथ पुलिस उपाधीक्षक (आपरेशन) श्री टी. आर. कटोच नेतृत्व में एक आक्रमण दल ने भागने वाले आतंकवादियों का पीछा किया तथा अपनी जान की परवाह किए बिना उनके साथ संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरुप तीन आतंकवादी मारे गए। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय श्री के.एस. जसरोटिया के नेतृत्व में दूसरी पार्टी ने जंगल की तरफ भागने वाले आतंकवादियों का पीछा करते समय अपनी टुकड़ियों को एक तरफ से आतंकवादियों को गोलीबारी में व्यस्त रखने का निर्देश दिया और उन्होंने दूसरी तरफ से पार्टी के साथ जंगल में प्रवेश किया। जहां से आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे, उस स्थान के निकट पहुंचने समय पार्टी पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गई तथा पार्टी ने मुठभेड़ में अन्य दो आतंकवादियों को मार गिराया। इस साहसपूर्ण कार्रवाई में कुल 05 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की पहचान (i) सय्यैद निसार अली उर्फ शाह जी, डिवीजनल कमान्डर जे ई एम गुट (ii) बिलाल और (iii) मनाज अली पुत्र शाह तुला निवासी टोपा दरहल राजौरी के रूप में की गई, अन्य दो आतंकवादियों की पहचान स्थापित नहीं की जा सकी। मारे गए आतंकवादियों के पास से निम्नलिखित शस्त्र और गोला बारुद बरामद किए गए:-

(i)	राइफल ए के 47	05 संख्या
(ii)	मैग्जीन ए के	03 संख्या
(iii)	ए के गोलाबारुद	30 राउनड
(iv)	रेडियो सेट	02 संख्या (क्षतिग्रस्त)

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री कुलवन्त सिंह जसरोटिया, पुलिस उपाधीक्षक, तेज राम कटोच, पुलिस उपाधीक्षक, मोहम्मद शेरिफ, हैड कांस्टेबल और पंजाब सिंह, चयन ग्रेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 जून, 2005 से दिया जाएगा ।

13—361 GI/2007

(बरूण मित्रा)

सं0 191-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. उधेय कुमार एयमा,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. मोहम्मद हफीज मलिक,
   उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी
3. एस हरदीप सिंह, निरीक्षक
4. कमल मेहरा, चयन ग्रेड कांस्टेबल
5. शोभा चांद, चयन ग्रेड कांस्टेबल
6. राज कुमार, कांस्टेबल (मरणोपरान्त)
7. बल कुमार, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

02.01.2004 को 1850 बजे एस जी कांस्टेबल कमल मेहरा सं. 16/जी आर पी ने जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 2/3 पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को सेना की वेशभूषा पहने हुए देखा और उनकी हरकतों और जूतों की हालत से उन्हें संदेह हुआ था उन्होंने अपने नजदीक के एस पी ओ मोहिन्द्र कुमार सं. 233/एस पी ओ को सतर्क कर दिया। एस जी कांस्टेबल और जी आर पी के एस पी ओ ने उत्कृष्ट साहस और बुद्दिमता का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को अपनी पहचान बताने की चुनौती दी तथा जवाब में उन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिससे उनको गोली से गंभीर चोटें आईं जिसके परिणामस्वरुप वे गिर पड़े। उन दोनों फिदायीनों ने अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करना जारी रखा तथा उन्होंने

हथगोले भी फैंके जिससे प्लेटफार्म पर उपस्थित लोगों के बीच आतंक फैल गया, कांस्टेबल दिनेश चन्द्र सं. 89003625 129 बटालियन बी एस एफ ओर गोवर्धन राम सं. 8200257 सी 145 बटालियन नामक बी एस एफ के दो कार्मिक मारे गए जो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। निरीक्षक हरदीप सिंह एस एच ओ रेलवे पुलिस स्टेशन और उनके कार्मिकों ने आतंकवादियों को परस्पर गोलीबारी में तब तक व्यस्त रखा जब तक कुमुक घटनास्थल पर पहुंची। श्री ए.आर. खान, आई जी पी, अपराध और रेलवे, जम्मू तथा कश्मीर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तथा वे प्रथम वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने मुठभेड़ में हिस्सा लिया। जब तक आई जी पी, जम्मू (डी आई जी जम्मू और एस एस पी जम्मू की सहायता से) ओर जी ओ सी टाइगर डिवीजन द्वारा अभियान को संचालित किया गया जिसमें मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकवादी (फिदायीन) मारे गए तब तक आई जी पी, अपराध और रेलवे, श्री ए.आर. खान, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध और रेलवे, श्री उधेय कुमार एयमा, एस डी पी ओ रेलवे श्री मोहम्मद हफीज मलिक और एस एच ओ पुलिस स्टेशन रेलवे निरीक्षक हरदीप सिंह 1525/एन जी ओ की कमान के अन्तर्गत जी आर पी कार्मिक द्वारा फिदायीन हमले की प्रथम आंच का सामना करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की गई। अधिकारियों की बुद्धिमता और चतुराई से जवाबी कार्रवाई को इस तरह अंजाम दिया गया कि दोनों फिदायीन रेलवे पुल पर बने रहने को विवश हो गए। यात्रियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में आई जी पी, अपराध और रेलवे के अधीन जी आर पी कार्मिक द्वारा कार्यान्वित की गई रिहाई योजना उत्कृष्ट थी और इन्होंने यात्रियों की बेशकीमती जान की रक्षा की। अधिकारियों की पराक्रमी कार्रवाई ने अन्य आंतकवादी को मुठभेड़ में तब तक व्यस्त रखा जब तक कि पुलिस और सेना के अतिरिक्त बल घटनास्थल पर पहुंचे तथा संयुक्त अभियान में अन्य आतंकवादी भी मारा गया। अभियान के दौरान जिसमें बाद में सेना भी शामिल हो गई, निम्नलिखित कार्मिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, शौर्य चक्रम (मरणोपरान्त) प्रदान किया गया :-

1. लेफ्टिनेंट त्रिवन्त सिंह सं. आई सी 61417 डब्ल्यू, 5 जाकली
2. कांस्टेबल राज कुमार सं. 2552/जे

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री उधेय कुमार एयमा, अपर पुलिस अधीक्षक, मोहम्मद हफीज मलिक, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, एस. हरदीप सिंह, निरीक्षक, कमल मेहरा, चयन ग्रेड कांस्टेबल, शोभा चंद, चयन ग्रेड कांस्टेबल, (स्वर्गीय) राजकुमार, कांस्टेबल तथा बल कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 जनवरी, 2004 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं०-192-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एन. गुरुप्रसाद,
   रिजर्व उप निरीक्षक
2. एम.सी. जोस, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 23.06.2005 को श्री एन. गुरु प्रसाद को सूचना प्राप्त हुई कि हथियारों और हथगोलों से लैस 10-12 नक्सलवादियों के ग्रुप को हालीहोल गांव के देवराबालु खेडा, कमरापालु के निकट जंगल में घूमते हुए देखा गया है तथा वे मुकम्बीका वन जीवन अभारण्य के अवैध जंगल निवासियों को वहां से हटाए जाने के विरुद्ध प्रचार में संलिप्त हैं। आर एस आई, नक्सल विरोधी दस्ते ने श्री मुरुगन, पुलिस अधीक्षक को टेलीफोन पर यह सूचना प्रसारित कर दी तथा उनके निर्देशों के अनुसार, श्री गुरुप्रसाद ने नक्सल विरोधी दस्ते और ए एन एफ के साथ दो वाहनों में हाली होल के लिए प्रस्थान किया। टीम काटी नदी, देवराबालु से 9 से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित स्थान पर उतर गई। आर एस आई गुरु प्रसाद ने टीम को तीन ग्रुपों में विभाजित कर दिया तथा टीम को चलाए जाने वाले अभियान के बारे में ब्रीफ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि दोषियों को पकड़ने के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरी टीम का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से आर एस आई श्री एन. गुरु प्रसाद द्वारा किया गया। उन्होंने डी सी आई बी के श्री एम.सी. जोस, ए पी सी 12 के साथ जंगल का रास्ता पार किया और वे अपराह्न लगभग 2.00 बजे उडुपी जिले में काटी नदी, देवराबालु पहुंचे। टीम ने काटी नदी, देवराबालु के निकट जंगल की तलाशी की जहां नक्सलवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। नक्सलवादियों को ढूंढते समय, श्री सुरेन्द्र बोवी, ए पी सी जो नेतृत्व कर रहे थे, ने जंगल में राइफलों के साथ चलते हुए 10-12 नक्सलवादियों के ग्रुप को देखा। नक्सलवादियों द्वारा देख लिए जाने के पश्चात उन्होंने तुरन्त अपनी ए के 47 राइफल पास की झाड़ियों में गिरा दी, उसे ग्रामीण समझते हुए नक्सलवादियों ने उससे नरसिंहा नायक के घर का पता पूछा। नक्सलवादियों के उस स्थान से हटने के पश्चात श्री सुरेन्द्र बोवी ने एम.सी. जोस, ए पी सी को सतर्क कर दिया जो पास में ही थे। यह देखने के पश्चात नक्सलवादी, जो कुछ ही दूरी पर थे, को संदेह हुआ और उन्होंने आड़ लेते हुए श्री सुरेन्द्र बोवी और श्री एम.सी. जोस पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्री एम सी जोस ने तत्काल आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। श्री एन. गुरुप्रसाद जो पास में ही थे, वहां आए और अपनी टीम के साथ दोनों ए पी सी के साथ शामिल हो गए और उन्होंने नक्सलवादियों के विरुद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से गोलीबारी की। इसके परिणामस्वरुप नक्सलवादियों ने गोलीबारी बंद कर दी और वे घने जंगल में भाग गए। टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने दो नक्सलवादियों के शव बरामद किए। बाद में

उनकी पहचान किरन उर्फ उमेश बानाकल और आकाश उर्फ अजीत कुसुबी के रूप में की गई। भागे हुए नक्सलवादियों का पता नहीं चला। ग्रुप रायुपर, चिकमगलुर, शिमौगा आदि में नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त पीपल्स वार ग्रुप का ही भाग था तथा उनके विरुद्ध विभिन्न अपराधिक मामले दर्ज थे। किरन उर्फ उमेश के कुनदापुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कमान्डर होने का भी संदेह था। श्री एम.सी. जोस, ए पी सी 12, डी सी आई बी ने आगे बढ़कर नक्सलवादियों से संघर्ष करने में उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने बहादुरी से नक्सलवादियों के साथ युद्ध किया और अपनी टीम के सदस्यों के जीवन की रक्षा की। खतरनाक स्थिति के बावजूद नक्सलवादियों के साथ युद्ध करने और उन्हें निष्फल करने में उन्होंने उच्च साहस प्रदर्शित किया तथा यह सुनिश्चित किया कि टीम का कोई सदस्य और निर्दोष ग्रामीण मारे न जाए अथवा घायल न हो। श्री गुरुप्रसाद आर एस आई, डार, उडुपी ने उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता और नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने 10-12 नक्लसवादियों के विरुद्ध संघर्ष में टीम का नेतृत्व किया और अत्यधिक खतरे में होने के बावजूद, पराक्रम के साथ नक्सलवादियों के साथ संघर्ष किया। इसके अतिरिक्त इस अधिकारी की साहसपूर्ण कार्रवाई ने नक्सलवादियों को गहरी चोट पहुंचाई जो अन्यथा जिले में अपने नापाक इरादों को अंजाम देते।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एन. गुरुप्रसाद, रिजर्व उप निरीक्षक और एम.सी. जोस, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 जून, 2005 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

14—361 GI/2007

सं0 193-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राजेन्द्र शंकर काले,
पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

03.9.2006 को उत्तरी क्षेत्र नियंत्रण कक्ष के निर्देश के अनुसार पी. आई. बाबुलाल पटेल और पी सी-30889 राजेन्द्र शंकर काले, ड्राइवर एच सी/28713 रोहिदास रतन सोनावाने के साथ रात्रि गश्त के लिए निकले। जब वे अपराह्न लगभग 11.45 बजे जयवन्त सावंत मार्ग के पश्चिमी तट पर दहीसर रेलवे स्टेशन के निकट रास्ते पर थे, कुछ लोग दौड़ते हुए गश्त वैन की तरफ आए तथा उन्होंने पुलिस पार्टी को बताया कि एक उपद्रवी चाकू के साथ महाजेवाडी, दहीसर में आतंक फैला रहा है। उन्होंने केवल पेन्ट पहने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया जोकि बाई लेन के कोने पर खड़ा था तथा वहां एकत्रित लोगों की तरफ रामपुरी चाकू लहरा रहा था। पी.सी. संख्या 30889 राजेन्द्र शंकर काले पुलिस वाहन से उतर गए तथा उन्होंने उपद्रवी की पहचान दिवाकर उर्फ रॉकी यादव, एक खुंखार आततायी के रूप में की। पुलिस कार्मिक को देखने के पश्चात दिवाकर यादव ने बाई लेन की तरफ भागना शुरु कर दिया, चूंकि पुलिस जीप तंग गली में उसका पीछा नहीं कर सकती थी इसलिए पी.सी. सं. 30889/राजेन्द्र एस. काले ने पैदल ही अपराधी का पीछा करना शुरु कर दिया। पीछा करने के दौरान, दिवाकर यादव ने आवासी सोसायटी के एक चौकीदार को चाकू मार दिया जो उसके रास्ते में आ गया और उसने स्थानीय गणपति पंडाल की तरफ बढ़ना शुरु कर दिया। पी सी सं. 30889/राजेन्द्र एस. काले ने चिल्लाकर दिवाकर यादव से पुलिस के सम्मुख आत्मसमर्पण करने के लिए कहा परन्तु उसकी चेतावनी को सुनने के बावजूद दिवाकर यादव ने पी.सी.सं. 30889/राजेन्द्र काले को हिन्दी में धमकी दी ऽआगे आयेगा तो घुसैड कर

काट डालूँगा, पी.सी.सं. 30889/राजेन्द्र एस. काले तब खूंखार अपराधी पर टूट पड़े परन्तु दिवाकर यादव ने पी.सी. सं. 30889/राजेन्द्र एस. काले के पेट में चाकू घुसेड दिया। जब दिवाकर यादव दुबारा उसके पेट में चाकू मारने वाला था पी.सी.सं. 30889/राजेन्द्र एस. काले ने होल्सटर से अपनी सर्विस पिस्तौल निकाल ली तथा दिवाकर यादव की जांघ में गोली मारी जिससे उसका सन्तुलन बिगड़ गया और वह फिसल गया, तब पी.सी. सं. 30889/राजेन्द्र एस. काले ने दिवाकर यादव को निहत्था कर दिया तथा चाकू अपने कब्जे में ले लिया और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पी. आई बाबूलाल पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। पी.सी. सं. 30889/राजेन्द्र एस. काले द्वारा मोबाइल फोन पर घटना के बारे में सूचित करने पर पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुंची। बाद में दोनों घायलों पी.सी.सं. 30889/राजेन्द्र एस. काले और उपद्रवी दिवाकर यादव को भगवती अस्पताल, बोरीवल्ली मुम्बई पहुंचाया गया। इस संदर्भ में दिवाकर उर्फ राकी भैरावत यादव के विरुद्ध सी. आर.सं. 178/06, आई पी सी की धारा 353, 307, 324, 506(ii) के तहत एम.एच.बी. कालोनी पुलिस स्टेशन बोरीवल्ली, मुम्बई में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया और यह जांचाधीन है। अभियुक्त की जांच से पता चला है कि उसे एम एच बी, दहीसर, काशीमीरा और मीरा रोड़ क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में हत्या, डकैती, लूटपाट, चोरी आदि जैसे विभिन्न संवदेनशील मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

इस मुठभेड़ में, श्री राजेन्द्र शंकर काले, पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 194-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिवंगत श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर, पुलिस कांस्टेबल बकल संख्या 01-584, जयु 28 वर्ष निवासी 92/322/नेहरु नगर, कुर्ला (पूर्व) मुम्बई 400024 ने पुलिस कांस्टेबल के रुप में 17.10.2001 को मुम्बई शहर पुलिस सेवा में कार्य भार ग्रहण किया था। पुलिस प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात उनको सशस्त्र पुलिस मुख्यालय, नयागांव मुम्बई में तैनात किया गया। वे उत्साही और अनुशासन प्रिय पुलिस कार्मिक थे जो रुचि जैर समर्पण से ज्पने दैनिक कर्तव्य का पालन करते थे। 26.07.2005 अपराह्न से 27.07.2005 तक मुम्बई शहर जैर शहर के जस पास बाहरी क्षेत्र में भारी वर्षा हुई। अप्रत्याशित वर्षा से शहर के निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। यातायात अनिश्चित काल के लिए ठप पड गया जैर विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। 26.7.2005 को मुम्बई शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पुलिस कांस्टेबल स्वर्गीय श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर ने ज्पने दैनिक कार्यो का निपटाने के पश्चात 20.00 बजे नेहरु नगर, कुर्ला (पूर्व) स्थित अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान किया। जल भराव के कारण लगभग 08.15 बजे तक वे केवल सुभाष शाह चौक तक ही पहुंचे। वहां पर लगभग 6 से 10 फुट पानी एकत्रित था तथा नेहरु नगर, कुर्ला (पूर्व) का समग्र क्षेत्र वास्तव में पानी में डूब गया था। पुलिस कांस्टेबल दिवंगत श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर ने एक व्यक्ति को बाढ़ के पानी में बहते और डूबते हुए देखा जिसकी बाद में पहचानविजय अर्जुन ज्म्बहोरे आयु 33 वर्ष के रुप में की गई। वह बेताहाशा सहायता के लिए चिकला रहा था। पुलिस कांस्टेबल, दिवंगत श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर तुरंत पानी में कूद पड़े, काफी

दूरी तक पानी के प्रवाह के विपरीत तैर ज्यनी स्वयं की जान जोखिम में डाली और विजय अर्जुन अम्बहोरे को उसकी कमीज से पकड़ लिया जैर सुरक्षित पानी से बाहर निकाला।

कुछ मिनट के बाद, पुलिस कांस्टेबल दिवंगत श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर ने पुनः एक अन्य व्यक्ति को पानी में बहते और डूबते हुए देखा जिसकी बाद में पहचान हेमन्त रमेश सतम के रुप में की गई। ज्त: वे दुबारा बाढ़ पानी के कूद पड़े तेरे और हेमन्त रमेश सतम को जल भराव क्षेत्र से सुरक्षित क्षेत्र में बाहर निकाला। पुलिस कांस्टेबल, दिवंगत श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर ने उन लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभायी जो सुभाष शाह चौक पर बाढ़ के पानी में डूब रहे थे। उन्होंने बाढ़ के पीड़ितों की जान बचाने के उद्देश्य से बचाव कार्य में स्वयं को पूरी ज्त्मीयता से लगा दिया। लगभग 09.45 बजे पुलिस कांस्टेबल दिवंगत श्री प्रदीप निम्बालकर ने दुबारा एक अन्य व्यक्ति को डूबते हुए देखा। वो पानी के तीव्र प्रवाह में बह रहा था । यह देखने के पश्चात पुलिस कांस्टेबल दिवंगत श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर ने उसकी तरफ तैरना शुरु कर दिया तथा कमीज से उसको पकड लिया। उसी समय, डरे हुए उस व्यक्ति ने निम्बलकर को कसकर पकड़ लिया। निम्बालकर ने दोनों को बचाने के उद्देश्य से उसकी पकड़ लिया। निम्बालकर ने दोनों को बचाने के उद्देश्य से उसकी पकड़ से बाहर निकलने का प्रयास किया परन्तु वे सफल नहीं हो सके जैर पानी के भारी प्रवाह में दोनों डूब गए। दुर्भाग्य से प्रदीप निम्बालकर का शव दूसरे दिन अर्थात 28.07.2005 को लगभग 08.15 बजे विल्डिंग नं92 नेहरु नगर, कुर्ला (पूर्व) के पास प्राप्त हुआ। नेहरु नगर पुलिस स्टेशन में दिनांक 28.07.2005 को ए डी आर संख्या99/2005 के तहत एक दुर्घटना मृत्यु दर्ज की गई।

श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर, पुलिस कांस्टेबल ने ज्यनी जान न्यौछावर करके (1) विजय अम्बोहर आयु 33 वर्ष (2) हेमन्त रमेश सतम , आयु 21 वर्ष के प्राणों की रक्षा की।

इस तरह पुलिस कांस्टेबलों दिवंगत श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर ने दो व्यक्तियों को डूबने से बचाने के लिए अपने कर्तव्य पालन में अपने स्वयं के जीवन को खतरे के बावजूद अपनी बुद्धिमता का उपयोग किया जैर दृढ़ निश्चय के साथ कार्य किया। उन्होंने विभिन्न लोगों का सुरक्षित स्थान तक मार्ग निर्देशन करके उनके जीवन की रक्षा की तथा बाद में एक अज्ञात व्यक्ति को डूबने से बचाते समय ज्पने प्राण न्यौछावर कर दिए।

इस मुठभेड़ में, श्री (दिवंगत) श्री प्रदीप सीताराम निम्बालकर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 2005 से दिया जाएगा ।

15—361 GI/2007

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 195-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पी. अचुबा मेतई,
   उप निरीक्षक
2. एच. प्रेमानन्द,
   हवलदार
3. टी. सदानन्द, कांस्टेबल
4. एच प्रेमजीत सिंह, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

टकहेल गांव में घर में कुछ 8/10 सशस्त्र आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में 11.08.2006 को पूर्वाह्न लगभग 4.00 बजे एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि सशस्त्र आतंकवादी सुरक्षा बलों पर घात लगाने, स्वतंत्रता दिवस 2006 के समारोह से पहले और उस के दौरान राज्य की राजधानी में आई.ई.डी. लगाने और उनमें विस्फोट करके राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह में तोड़फोड़ करने की योजना बना रहे हैं। सूचना की प्राप्ति पर निरीक्षक एम मुबी सिंह, ओ सी, कमान्डो इम्फाल पूर्व की कमान्ड के अन्तर्गत सी डी ओ, इम्फाल पूर्व ओर पश्चिम, अनुमानत: 5 अधिकारियों और 30 कांस्टेबलों और राइफलमैनों के संयुक्त बल ने अभियान की योजना बनाई तथा बिना कोई समय गंवाए क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। सांजेनाम गांव पहुंचने पर, जोकि टकहेल गांव से 1 कि.मी. दूर है, बल को 3 (तीन) अलग-अलग ग्रुपों में विभाजित किया गया। प्रत्येक ग्रुप को प्रभुत्व और तलाशी अभियान के लिए एक-एक क्षेत्र सौंपा गया। निीक्षक एम. मुनी सिंह और उनके ग्रुप को प्रभुत्व और पूर्व में हीरोक गांव की तरफ भागने के रास्ते को रोकने का कार्य सौंपा गया। उप निरीक्षक पी. अचुबा मेतई और उनके ग्रुप को चिंगी मारिल स्ट्रीट के पास

उत्तर पश्चिम में भागने का रास्ता रोकने का कार्य सौंपा गया। उप निरीक्षक टी एच. जयन्त सिंह और उनके ग्रुप को खग्माचिंगजीन गांव के पूर्वोत्तर कोने का कार्य सौंपा गया। बाकी टीमें सांजेबाम और टकहेल गांव के बीच गांव सहित टकहेल गांव के दक्षिणी हिस्से पर पहाड़ी को कवर कर रही थीं। 10 मिनटों के अंदर, प्रत्येक ग्रुप ने अपने संबंधित क्षेत्र का कार्य संभाल लिया। तलाशी अभियान के लगभग 15 मिनटों के पश्चात निरीक्षक मुबीसिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी पर टकहेल गांव के टकहेलाभनम मियामी सिंह के घर के पास से भारी गोलीबारी की जाने लगी। निरीक्षक एम. मुबीसिंह, सी/सं. 9801149 टी. सदानन्द और सी/सं. 0101128 एच प्रेमजीत और अन्य ने पास के नालों में छलांग लगा दी, कुछ ने जमीन पर लेटकर कवर लिया। उन्होंने भी तत्काल जवाब में गोलीबारी की। लगभग 3-4 मिनट के पश्चात, आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी में कुछ ठहराव आ गया, अवसर का लाभ उठाते हुए, कांस्टेबल सदानन्द और प्रेमजीत, दोनों सने ए के राइफल पकड़े हुए, गोली के स्रोत का पता लगाने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़े। अचानक उनकी तरफ आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी की बौछार कर दी गई। दोनों कांस्टेबल झुक गए और उन्होंने ऊंचे छोटे टीले के पीछे कवर लिया। लगभग 10 सेंकन्ड के पश्चात अन्य स्थान से गोलीबारी की जाने लगी और दोनों कांस्टेबलों ने बिना सिकी देरी के गोलीबारी के दोनों उदगम स्थलों की तरफ अपनी गोलीबारी में वृद्धि करके जवाबी कार्रवाई शुरु कर दी। तभी कांस्टेबल सदानन्द ने घर के पीछे तालाब में अंशत: एक आतंकवादी को ए के राइफल के साथ देखा जोकि लगातार उन दोनों पर गोलीबारी कर रहा था; उन्होंने तत्काल सशस्त्र आतंकवादी पर गोलीबारी की ओर आतंकवादी घटनास्थल पर ही ढेर हो गया। दोनों कांस्टेबलों सदानन्द और प्रेमजीत ने आगे रेंगना शुरु किया और अन्य आतंकवादी का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने लगे। घटनास्थ्ल से एक मैग्जीन से लैस एक ए के राइफल बरामद की गई, जहां एक आतंकवादी मृत पाया गया। तब कांस्टेबल प्रेमजीत ने सशस्त्र व्यक्तियों को घर से भागते और चिंगनीभारिल की तरफ दौड़ते हुए देखा और उन्होंने वायरलैस सैट के जरिए उप निरीक्षक अचुबा मेतई के नेतृत्व वाले ग्रुप द्वारा उनको रोका गया। भागते हुए आतंकवादियों ने भागने का कोई रास्ता न देख पुलिस पार्टी की तरफ गोली चलाई और भागने का प्रयास किया परन्तु पुलिस पार्टी ने भी तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरु कर दी। तब, उप निरीक्षक अचुबा ने एक आतंकवादी को ए के राइफ्फल के साथ उनकी तरफ लगातार गोलीबारी करे हुए देखा। उप निरीक्षक अचुबा ने ए के राइफल पकड़ रखी थी, आतंकवादी की तरफ गोलीबारी की और उसे घटनास्थली पर तत्काल मार गिराया। हवलदार प्रेमानन्द ने, जोकि उप निरीक्षक अचुबा के एकदम पीछे थे, अन्य आतंकवादी को ए के राइफल के साथ रेंगते हुए और पुलिस पार्टी की तरफ गोलीबारी करते हुए देखा। हवलदार प्रेमानन्द ने भी ए के राइफल पकड़ रखी थी, आतंकवादी की तरफ गोलीबारी की, तथापि आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हो कर भाग या और एक मैग्जीन से लैस एक ए के राइफल तथा 12 (बारह) सी टी जी 40 एम एम लिथोड बम के साथ एक रॉकेट लांचर पीछे छोड़ गया। खून के धब्बों का पीछा किया गया परन्तु वे घनी पहाड़ी में गुम हो गए।

बाद में, दोनों आतंकवादियों की पहचान पी एल ए (लडाकू दस्ते) के खुंखार सदस्यों के रूप में की गई, वे थे

(i) सर्व/श्री सी पी एल मंगसताबम सोमोरजीत मेतई (30 पुत्र इबोरामा, लयूवान संगबाम अवांग लेकई
(ii) सव्र/श्री एल/सी पी एल लोईटांगबाम सुनील सिंह (26) पुत्र एल नारान बाबू, सोरबोन थिंगल, उरीपॉक

बरामद मदों के विवरण का ब्यौरा;

(i) 3 (तीन) संख्या ए के -56 राइफल जिनकी संख्या 23306, 12081856 तथा 03001
(ii) ए के -56 राइफल मैग्जीन की 4(चार) संख्या
(iii) एक लिपोड बम लांचर
(iv) एक चीनी निर्मित हथगौला
(v) सी टी जी 40 एम एम लिथोड बम की 12 (बारह) सांख्या
(vi) ए के राइफल गोला बारुद के 28 (अठाइस) जैव राउन्ड
(vii) ए के राइफल गोला बारुद के 22 (बाइस) खाली खोल

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पी अचुबा मेतई, उप निरीक्षक, एच. प्रेमानन्द, हवलदार, टी. सदानन्द, कांस्टेबल तथा एच. प्रेमजीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11 अगस्त, 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 196-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एम डी. हबीनुर रहमान,
   राइफलमैन
2. एम डी. याहिया खान, राइफल मैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 08.05.2006 को लगभग अपराह्न 5.50 बजे एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि पीपल यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रन्ट (पी यू एल एफ) के कुछ सशस्त्र केडरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर स्थित सोरा ममांग लेकई गांव के एक घर में शरण ली हुई है। वे विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने और राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर चलने वाले वाहनों का फिरोती के लिए अपहरण करने सहित लोगों से लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। सूचना की प्राप्ति पर, कमान्डर जेसी सं. 517 जेम ए. सुभाष सिंह, सी डी ओ से सम्बद्ध 3 आई आर बी, थैऊबल यूनिट के नेतृत्व में सी डी ओ/थोऊबल यूनिट की 3 टीमों, सी डी ओ के साथ सम्बद्ध 3 आई आर बी, थैऊ बल यूनिट के ए एस आई टिकेन्द्र मेतई और हवलदार 1320001017 सी एच. पुठपेन्द्र कुमार की सहायता से 3 अधिकारियों और 12 कार्मिकों के तीन हल्के वाहनों में सोरा ममांग लेंकई गांव के लिए प्रस्थान किया। टीम ने हैमंगलॉक गांव पहुंचने पर, जोकि सोरा ममांग लेकई गांव से 1 कि.मी. की दूरी पर है, जेम. सुभाष ने तीनों टीमों को एक-एक कमांडर के अनतर्गत आतंकवादियों के छुपने के स्थान से उनके भागने के भागने के 3 संभावित मार्गों पर युक्तिपूर्वक तैनात किया, जेम. सुभाष सिंह और उनकी पार्टी ने पहाड़ी गांव के पूर्वी हिस्से पर मोर्चा संभाल लिया। ए एस आई टिकेन्द्र और

उनकी पार्टी को मारिंग गांव की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित सोरा ममांग लेकई गांव के दक्षिणी पूर्व कोने पर तैनात किया गया और हवलदार पुष्पेन्द्र और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर स्थित गांव के पश्चिमी कोने पर तैनात किया गया। तीनों ग्रुपों ने एक-एक करके प्रत्येक घर में युक्तिपूर्वक तलाशी अभियान चलाया। अचानक जेम. सुभाष सिंह के नेतृत्व के अंतर्गत पुलिस पार्टी पर उनके मोर्चे से लगभग 30-35 मीटर की दूरी पर ढके हुए शेड से स्वचालित हथियारों के साथ भारी गोलीबारी की गई। पुलिस पार्टी ने छलांग लगाई और उन्होंने पास के घर में मोर्चा संभाल लिया और लगभग 5/6 मिनट की लगातार गोलीबरी के पश्चात तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरु की। जब एक मिनट गोलीबारी शांति हुई तब, जेम.ए. सुभाष सिंह और राइफलमैन सं. 1194488 एम डी हबीबुर रहमान ए के असाल्ट राफल पकड़े हुए, रेंगते हुए आगे बढ़े और अपनी जान को भारी जोखिम में डालते हुए एक ईंच आगे बढ़े, अन्यथा संभावना थी कि सशस्त्र आतंकवादी उन पर नियंत्रण कर लेते। इसके पश्चात लगभग 10-15 मीटर पास आने के बाद जेम.ए. सुभाष द्वारा कवर किए जाने पर राइफल मैन हबीबुर रहमान आगे बढ़े, दौड़े और अपने को मामूली रूप से कवर करने हेतु एक पेड़ के पीदे छुप गए। जेम.ए. सुभाष ने थेड़ा सा अपना सिर ऊपर उठाया तथं एक व्यक्ति को ए के सीरीज राइफल पकड़े हुए देखा, जो राइफलमैन बीबुर रहमान पर गोलीबारी कर रहा था, जेम.सुभाष ने तत्काल अपी राइफल से गोलीबारी की और उसको मार गिराया। तब राइफलमैन हबीबुर रहमान ने सब्जी के बाग के बीच से घटनास्थल से एक व्यक्ति को बड़ी तेजी से रेंगते हुए देखा, उन्होंने वायरलेस सेट पर ए एस आई टिकेन्द्र को तत्काल सूसचित किया। सूचना प्रापत होने पर ए एस आई टिकेन्द्र मेतई और उनकी पार्टी युक्तिपूर्वक आगे बढ़ी। लगभग 2 मिनट के पश्चात राइफलमैन संख्या 0197011 एम डी. याहिया खान ने गाय के शेड के बीच एक एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में जाते हुए देखा, उन्होंने ए एस आई टिकेन्द्र को एक संकेत से तत्काल इशारा किया और जांच करने लिए आगे बढ़े, तभी अचानक वह व्यक्ति खड़ा हो गया तथा उसे पुलिस पार्टी की तरफ हथगोला फेंका और ए एस आई टिकेन्द्र और राइफलमैन याहिया खान के बीच हथगोला गिरा, जिसमें भाग्य से विस्फोट नहीं हुआ। तभी, एस एस आई टिकेन्द्र और राइफलमैन याहिया खान दोनों ने ए के राइफल पकड़े हुए उस व्यक्ति पर गोली चलाई ओर उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। गोलीबारी रुकने के पश्चात, घटनास्थल की भलीभांति जांच की गई तथा गोली से छलनी दो शव बरामद किए गए, उनकी बाद में निम्नलिखित रूप में पहचान की गई:

(i) एम डी. मुशम (22) पुत्र एम डी. इनामुद्दीन, शिकांग मुस्लिम गांव, पी यू एल एफ का खूंखार सदस्य

(ii) ए डी याकूब अली (23) पुत्र एम डी. अबकर, यारीपॉक बामोनलेकई, पी यू एल एफ का सक्रिय सदस्य

बरामद किए गए गोला बारुद के ब्योरे:-

(i) एक ए के-56 राइफल, पंजीकरण संख्या 56-18098864,
(ii) दो मैग्जीन, ए के गोलाबारुद के दो जैव राउनड
(iii) ए के गोला बारुद के तेरह खाली खोल
(iv) एक हथगोला (चीन निर्मित)

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एम डी हबीबुर रहमान, राइफलमैन और एम डी याहिया खान, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मई, 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 197-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, मेघालय पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ईसाक एस मारक,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 19.09.2006 को स्मीति सी.ए. लेंगवा, एम पी एस द्वारा सूचना प्रापत की गई कि कुछ एच एल एल सी आतंकवादी उमक्रेम गांव में कुछ समर्थकों के घरों में छुपे हुए हैं। उसी शाम स्मीति सी.ए. लेंगवा, एम पी एस क नेतृत्च में एक टीम तथा उप-निरीक्षक ईसाक एस. मारक के नेतृतव में दूसरी टीम अर्थात् दो टीमों ने गांव की तरफ प्रस्थान किया जोकि शिलांग से लगभग 90 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। 20.09.2006 को 0430 बजे गांव पहुंचने पर स्मीति सी.ए. लेंगवा, एम पी एस तथा उप निरीक्षक ईसाक एस. मारका के नेतृत्व में टीमों ने क्रमशः अपने-अपने लक्षित घरों की तरफ प्रस्थान किया जोकि उसी गांव में स्थित हैं। लक्षित घर पहुंचने पर उप निरीक्षक ईसाक एस. मारक के नेतृत्व वाली टीम ने तुरन्त घर की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी के दौरान आंतकवादी सतर्क हो गए और उन्होंने पुलिस टीम परगोलीबारी करना शुरु कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई शुरु कर दी। परस्पर गोलीबारी के दौरान एक आतंकवादी पिछली खिड़की से कूदा और जंगल की तरफ भागने लगा। यह देखने पर बी एन सी/321 विष्णु मारक और बी एन सी/363 सुंदयवर संगमा नामक दो पुलिस कार्मिकों ने जंगल में भागते हुए आतंकवादी का पीछा किया। अन्य की आतंकवादी को भागने से रोकने के लिए, उप निरीक्षक ईसाक एस. मारक, ने बी एन सी/576 संजीव शर्मा और बी एन सी/319 क्रोनेन मारक के साथ उग्र हमला शुरु कर दिया तथा घर पर धावा बोल दिया। घर के अंदर से लगातार भारी और निरन्तर गोलीबारी के बावजूद, उप निरीक्षक ईसाक एस. मारक ने बी एन सी/576 संजीव शर्मा और बी एन

सी/319 क्रोनेन मारक के साथ उत्कृष्ट साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया तथ अपनी स्वंय की सुरक्षा की परवाह किए बिना घर में घुए गए जहां आतंकवादी अपने हथियारों के साथ छुपे हुए थे। उप निरीक्षक ईसाक एस. मारक, अपने जीवन को अत्यधिक खतरे के बावजूद, अकेले एक आतंकवादी को मार गिराने में सफल रहे जो हथियार से लैस था। जब अधिकारी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में व्यस्त था, अन्य आतंकवादी द्वारा चलाई गई कुछ गोलियाँ अधिकारी को लग सकती थी जिससे उनकी जान जा सकती थी, यदि वे त्वरित प्रतिक्रिया नहीं करते। इसके बावजूद अधिकारी अडिग रहे। उसी समय वी एन सी/576 संजीव शर्मा और बी एन सी/319 क्रोनेन मार्क दूसरे आतंकवादी पर टूट पडे जोकि खिड़की से कूदने का प्रयास कर रहा था, उन्होंने उसे पकड़ा और उसका हथियार छीन लिया। उप निरीक्षक ईसाक एस. मारक द्वारा मारे गए आतंकवादी के शव के पास से मैग्जीन में 19 जैव राउन्ड के साथ एक नवीन 9 एम एम स्टेनगन और 1 चैम्बर में से साथ बरामद की गई तथ अन्य आतंकवादी के कब्जे से मैग्जीन में 20 जेव राउन्ड के साथ एक 9 एम एम कारबाइन कब्जे में ली गई जिसे बी एन सी/576 संजीव शर्मा और बी एम सी/319 क्रोनेन मारक द्वारा पकड़ा गया था।

इस मुठभेड़ में, श्री ईसाक एस. मारक, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

17—361 GI/2007

सं0 198-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	आलोक कुमार, पुलिस उपायुक्त	(पी एम जी)
2.	संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त	(पी एम जी का प्रथम बार)
3.	मोहन चंद शर्मा निरीक्षक	(पी एम जी का चौथा बार)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 04.02.2007 को विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि बशीर निवासी सौपोर, जम्मू और कश्मीर, अन्य दो कश्मीरी आतंकवादियों सहित विस्फोटक सामग्री के भारी जखीरे के साथ दिल्ली आ रहे हैं जिसे पाकिस्तानी फिदायीन को सौंपा जाना है। यह भी पता चला कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जे ई एम के सदस्य हैं और वे मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली आ रहे हैं। इस पर, जम्मू से दिल्ली आने वाली मालवा एकसप्रेस के आगमन के बारे में रेलवे से पूछताछ की गई और इसके पश्चात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक टीम तैनात की गई। रात्रि लगभग 9 बजे मालवा एकसप्रेस ने आगमन किया। पुलिस टीम ने एक व्यक्ति की बशीर के रूप में पहचान की जिसके साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे। यह पता करने कि क्या उनके साथ और कोई व्यक्ति भी है और उस पाकिस्तानी फिदायीन कपे पकड़ने के उद्देश्य से जिसकी, उन्होंने विस्फोटक सामग्री की खेप सौंपनी थी, पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। तीनों व्यक्तियों ने बैग पकड़े हुए थे और वे रंजीत सिंह फ्लाई ओवर के नीचे दीनदयाल उपाध्याय

मार्ग तक पैदल ही चलते रहे। उन्होंने वहां प्रतीक्षा करना शुरु कर दिया। कुछ समय पश्चात कंधे पर बैग लटकाए एक व्यक्ति उन व्यक्तियों के पास आया। इस व्यक्ति ने बशीर द्वारा दिए गए डिब्बे के सामान की सावधानीपूर्वक जांच की। इस सोदेबाजी के तत्काल पश्चात आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक संकेत सकिया गया। उसी समय श्री आलोक कुमार डी सी पी/विशेष प्रकोष्ठ और श्री संजीव यादव, ए सी पी/विशेष प्रकोष्ठ/एन डी आर ने आतंकवादी के पास जाते समय तेज आसाज में उनको अपनी पहचान बता दी और उन्हें पुलिस पार्टी के सम्मुख आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इस पर पाकिस्तानी आतंकवादी ने तत्काल अग्नेयस्त्र निकाल लिया और आई टी ओ की तरफ भागना शुरु कर दिया तथा आगे बढ़ती हूई पुलिस पार्टी की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आर्य समाज मंदिर की तरफ वाली सर्विस लेन की तरफ बाएं मुड़ गया। उक्त आतंकवादी अपने बैग और बशीर द्वारा उसको दिए जूतों के डिब्बे को फेंक कर भाग रहा था। पुलिस पार्टी बाल-बाल बची और वे आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोलियों से बच गए क्योंकि उन्होंने बुलैट प्रुफ जैकेटें पहन रखी थीं। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई शुरु की और मोर्चा संभाला और तत्काल गोलीबारी का जवाब दिया। क्षेत्र संवदेनशील न बने इसके लिए हर सम्भव सावधानी बरती गई जिससे कि जीवन और सम्पत्ति की हानि की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। आतंकवादी ने पेड़ के पीछे मोर्चा संभाल लिया और वह पुलिस टीम पर लगातार अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। इसी बीच आतंकवादी के बाकी तीनों साथियों और उनके सामान पर पुलिस पार्टी द्वारा कब्जा कर लिया गया। दोनों तरफ से गोलीबारी लगभग 15 मिनट तक चलती रही। गोलीबारी के दौरान पुलिस टीम ने दुबारा आतंकवादी को पुलिस पार्टी के सम्मुख आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात उक्त आतंकवादी ने अपना अग्नेयास्त्र गिरा दिया और हवा में अपनी बाँहे उठाते हुए पेड़ की आड़ से बाहर आने के पश्चात पुलिस पार्टी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। डी सी पी विशेष प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल गोलीबारी रोकने के निर्देश दिए गए, तत्पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा उक्त आतंकवादी पर कब्जा कर लिया गया।

पकड़े गए व्यक्तियों के नाम और पते निम्न हैं:-

1. शाहिद गफूर पुत्र अब्दुल गफूर निवासी बी पी ओ डालाकी, तहसील डस्का, जिला सियालकोट, पाकिस्तान
2. बशीर अहमद पोन्नू उर्फ मौलवी पुत्र अब्दुल गनी पोन्नू निवासी महाराजपुरा, सौपोर, जिला बारामुल्ला, जम्मू और कश्मीर
3. फय्याज अहमद लोन पुत्र अली मोहम्मद लोन निवासी गांव मरहामा, पोस्ट अफिस जिरहामा, कुपवाडा, जम्मू और कश्मीर

4. अब्दुल मजीद बाबा पुत्र अब्दुल अहद बाबा निवासी गांव मागरेपुरा, पुलिस स्टेशन सौपोर, जिला बारामुल्ला, जम्मू और कश्मीर

उक्त कथित आतंकवादियों द्वारा ले जाए रहे बैगों की तलाशी ली गई, बैगों से 3 कि.ग्रा. विस्फोटक सामग्री, एक .30 कैलिबर पिस्तौल सहित एक अतिरिक्त मैग्जीन, 4 गेर विद्युतीय डेटोनेटर, एक टाइमर, छः हथगौले, भारतीय मुद्रा के 50,000रुपए और 10,000 अमेरिकी डालर बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन विशेष प्रकोष्ठ में भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121क/122/123/186/353/307/120ख, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5, गैर कानूनी गतिविधि (निवारण)अधिनियम, 2004 की धारा 17/18/20/23 तथा विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दिनांक 05.02.2007 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 07/2007 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। उक्त कथित आतंकवादियों से सरसरी पूछताछ करने के दौरान उन्होंने बताया कि वे सभी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने यह कार्य पाकिस्तान में उनके आकाओं अर्थात जिला कमांडर, सौपोर नामतः हैदर निवासी पाकिस्तान और अल्ताफ निवासी सोपोर जोकि जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय सदस्य है के निर्देश पर किया। बरमाद की गई विस्फोटक सामग्री शाहिद गफूर निवासी पाकिस्तान को सौंपी जानी थी जिसे भारत में विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

आतंकवादियों से की गई बरामदगियां

1. एक .30 कैबिबर पिस्तौल के साथ दो मैग्जीन और दो जैव राउन्ड
2. 3 कि.ग्रा. विस्फोटक सामग्री
3. 4 डेटोनेटर
4. एक टाइमर
5. 6 हथगोले
6. 50,000/-रुपए
7. 10,000/-अमेरिकी डालर

अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका

श्री आलोक कुमार, डी सी पीः कार्रवाई के दिन अर्थात् 04.02.2007 को श्री आलोक कुमार डी सी पी ने आगे बढ़का पुलिस पार्टी का नेतृत्व किया। विस्फोटक सामग्री के आदान प्रदान के तत्काल बाद, डी सीपी आलोक कुमारने, जिन्होंने इस आदान-प्रदान के आस-पास

मोर्चा संभाल रखा थ, तेज आसाज में अपनी पहचान बताई और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस पर पाकिस्तानी आतंकवादी ने तत्काल अपना अग्नेयास्त्र निकाल लिया और आगे बढ़ते हुए डी सी पी आलोक कुमार पर अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया और आई टी ओ की तरफ भागने के पश्चात वह आर्य समाज मंदिर की तरफ वाली सर्विस लेन की तरफ बाएं मुड़ गया। प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली डी सी पी आलोक कुमार की छाती पर लगी परन्तु उनके द्वारा पहनी गई बुलेट प्रुफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। तथापि उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और गोली लगने के बावजूद उन्होंने पीछा करना नहीं छोड़ा और आतंकवादी को पकड़ने और टीम के अपने साथी सदस्यों की जान बचाने के लिए उन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाई। पाक प्रशिक्षित आतंकवादी ने सर्विस लेन में एक पेड़ की आड़ ले ली ओर पुलिस पार्टी पर गोली चलाना जारी रखा। यह युद्ध जैसी स्थिति थी, जैसे कि दुश्मन द्वारा गोली चलाई जा रही हो और आतंकवादी पर काबू पाना लगभग असम्भव सा था जो घटनास्थल से भागने के उद्देश्य से लगातार गोलीबारी कर रहा था। अत्याधुनिक हथियार के साथ आतंकवादी द्वारा ली गई पेड़ की आड़ एक सुरक्षित मोर्चा था। डी सी पी आलोक कुमार पूरी तरह जानते थे कि ऐसी सुरक्षित स्थिति से और अत्याधुनिक हथियारों से लैस पाक प्रशिक्षित आतंकवादी पुलिस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। दृढ़ निश्चय के साथ और अडिग होकर डी सी पी आलोक कुमार ने, जोकि बिना किसी आड़ के खुले क्षेत्र में थे, आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करना जारी रखा। दोनों तरफ से लगभग 15 मिनटों तक लगातारा गोलीबारी होती रही। डी सी पी आलोक कुमार के पराक्रमी ओर साहसी प्रयास के कारण ही पाक प्रशिक्षित आतंकवादी को पुलिस पार्टी के सम्मुख आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया गया। डी सी पी आलोक कुमार ने खुंखार आतंकवादी की पिस्तौल से चलाई जा रही गोलियों की बौछार का बड़ी नजदीकी से सामना किया। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और बहादुरी से अपराधी का सामना किया और अपनी पिस्तौल से 3 राउन्ड गोली चलाई। डी सी पी आलोक कुमार ने अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए असाधारण साहस प्रदर्शित किया और आतंकवादी का सामना करते समय उच्चकोटि के व्यक्तिगत साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया।

श्री संजीव कुमार यादव, ए सी पी: कार्रवाई के दिन अर्थात् 04.02.2007 को ए सी पी संजीव कुमार यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया। विस्फोटक सामग्री के विनिमय के तत्काल बाद ए सी पी संजीव कुमार यादव ने, जिन्होंने डी सी पी आलोक कुमार के साथ इस आदान-प्रदान के आस-पास मोर्चा संभाल रखा था, तेज आवाज में अपी पहचान बताई और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस पर पाकिस्तानी आतंकवादी ने तत्काल अपना अग्नेयास्त्र निकाल लिया और आगे बढ़ते हुए ए सी पी संसजीव कुमार पर अंधाधुंध गोलीबारी करना शरु कर दिया और आई टी ओ की

तरफ भागने के पश्चात वह आर्य समाज मंदिर की तरफ वाली सर्विस लेन की तरफ बाएं मुड़ गया। प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली से ए सी पी संजीव कुमार यादव बाल-बाल बचे। तथापि उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और सामने से गोली चलने के बावजूद उन्होंने उसका पीछा करना नहीं छोडा और आतंकवादी को पकड़ने और टीम के अपने साथी सदस्यों की जान बचाने के लिए उन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाई। पाक प्रशिक्षित आतंकवादी ने सिर्वस लेन में एक पेड़ की आड़ ले ली और पुलिस पार्टी पर गोली चलाना जारी रखा। यह युद्ध जैसी स्थिति थी, जैसे कि दुश्मन द्वारा गोली चलाई जा रही हो और आतंकवादी परकाबू पाना लगभग असम्भव सा था जो घटनास्थल से भागने के उद्देश्य से लगातार गोलीबारी कर रहा था। अत्याधुनिक हथियार के साथ आतंकवादी द्वारा ली गई पेड़ की आड़ एक सुरक्षित मोर्चा था। ए सी पी संजीव कुमार पूरी तरह जानते थे कि ऐसी सुरक्षित स्थिति से और अत्याधुनिक हथियारों से लैस पाक प्रशिक्षित आतंकवादी पुलिस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। दृढ़ निश्चय के साथ ओर अडिग होकर ए सी पी संजीव कुमार ने, जोकि बिना किसी आड़ के खुले क्षेत्र में थे। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करना जारी रखा। दोनों तरफ से लगभग 15 मिनटों तक लगातार गोलीबारी होती रही। ए सी पी संजीव कुमार के पराक्रमी और साहसी प्रयास के कारण पाक प्रशिक्षित आतंकवादी को पुलिस पार्टी के सम्मुख आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया गया। ए सी पी संजीव कुमार ने खुंखार आतंकवादी की पिस्तौल से सचलाई जा रही गोलियों की बौछार का बड़ी नजदीकी से सामना किया। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और बहादुरी से अपराधी का सामना किया और अपनी पिस्तौल से 3 राउन्ड गोली चलाई। उनके उत्कृष्ट अच्छे कार्य, असाधरण साहस और पराक्रम, कर्त्तव्य के प्रति उनके निस्वाथ समर्पण और बुद्धिमानी के कारण वे आतंकवादियों को पकड़ने और जान और माल की भारी हानि की रोकथाम करने में सफल रहे।

श्री मोहन चंद शर्मा, निरीक्षक: कार्रवाई के दिन अर्थात् 04.02.2007 को निरीक्षक मोहन चंद शर्मा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया। विस्फोटक सामग्री के विनिमय के तत्काल बाद, चुनौती दिए जाने पर पाकिसतनी आतंकवादी ने तत्काल अपना अग्नेयास्त्र निकाल लिया और आगे बढ़ती हुई पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया तथा आई टी ओ की तरफ भागने के पश्चात वह आर्य समाज मंदिर की तरफ वालीी सर्विस लेन की तरफ बाएं मुड़ गया। निरीक्षक मोहन चंद शर्मा, आतंकवादी के काफी नजदीक थे और जब उनहोंने भागते हुए आतंकवादी को रोकने का प्रयास किया, उसने लक्ष्य के साथ निरीक्षक मोहन चंद शर्मा पर गोलीबारी की। प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की छाती पर लगी परन्तु उनके द्वारा पहनी गई बुलेट प्रुफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। तथापि उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और गोली लगने के बावजूद उन्होंने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और आतंकवादी

को पकड़ने और टीम के अपने साथी सदस्यों की जान बचाने के लिए उन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाई। पाक प्रशिक्षित आतंकवादी ने सर्विस लेन में एक पेड़ की आड़ ले ली और पुलिस पार्टी पर गोली चलाना जारी रखा। यह युद्ध जैसी स्थिति थी, जैस कि दुश्मन द्वारा गोली चलाई जा रही हो और आतंकवादी पर काबू पाना लगभग असम्भव सा था जो घटनास्थल से भागने के उद्देश्य से लगातारगोलीबारी कर रहा थं। अत्याधुनिक हथियार के साथ आतंकवादी द्वारा ली कई पेड़ की आड़ एक सुरक्षित मोर्चा था। निरीक्षक मोहन चंद शर्मा पूरी तरह जानते थे कि ऐसी सुरक्षित स्थिति से और अत्याधुनिक हथ्यिारों से लैस पाक प्रशिक्षित आतंकवादी पुलिस पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। दृढ़ निश्चय के साथ और अड़िग होकर निरीक्षक मोहन चंद शर्मा ने जोकि बिना सिकी आड़ के खुले क्षेत्र में थे, आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाइश्ं करना जारी रखा। दोनों तरफ से लगभग 15 मिनटों तक लगातारगोलीबारी होती रही। निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के पराक्रमी और साहसी प्रयस के कारण पाक प्रशिक्षित आतंकवादी को पुलिस पार्टी के सम्मुख आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया गया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना उन्होंने आतंकवादी के हमले का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना किया। उनके सामने से गोलीबारी हो रही थी परन्तु अपनी बुद्धिमानी और साहस के कारण ही निरीक्षक मोहन चंद शर्मा आतंकवादी के हमले का सामना करने में सफल हो सके। उन्होंने आतंकवादी की गोलीबारी की बौछार का साहस के साथ सामना किया। बिना भय के उनहोंने आतंकवादी के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखं और अपनी सर्विस पिस्तौल से 3 राउन्ड गोली चलाई।

इस अभियान में डी सी पी आलोक कुमार, ए सी पी संजीव कुमार यादव, निरीक्षक मोहन चंद शर्मा और निरीक्षक संजय दत्त ने अपनी जान जोखिम में डाली और उत्कृष्ट साहस, पराक्रम और उत्साह का निरन्तर प्रदर्शन किया। पाक प्रशिक्षित आतंकवादी द्वारा इन सभी अधिकारियों परगोलीबारी की गई और मुठभेड़ के दौरान उनको उनके द्वारा पहनी गई बुलेट प्रुफ जैकेटों पर गोली लगी। दिल्ली में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के इतिहास का यह एक अनूठा मामा था कि एक पाकिस्तानी फिदायीन को ऐसी भीषण मुठभेड़ के पश्चात जीवित पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की इस साहसपूर्ण कार्रवाई की न केवल विभिन्न राज्यों की पुलिस के उच्चतम अधिकारियों और मीडिया द्वारा प्रशंसा की गई बल्कि जनता द्वारा भी इसकी सराहना की गई। अपने कर्त्तव्य के प्रति पराक्रम और समर्पण का उन्होंने उदाहरण पेश किया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री आलोक कुमार, पुलिस उपायुक्त, संजीव कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त और मोहन चंद शर्माद्व निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4 फरवरी, 2007 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 199-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1.	संजय दत्त, निरीक्षक	(पी एम जी का प्रथम बार)
2.	सतेन्द्र, हैड कांस्टेबल	(पी एम जी)
3.	हंसराज, कांस्टेबल	(पी एम जी)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 5.3.2005 को विशिष्ट सूचना मिली कि हमीद विस्फोटों की खेप के साथ जम्मू और कश्मीर से आ रहा है तथा वह मुकरबा चौक, समयपुर बादली बाई पास पर उतरेगा तथा उसका साथी मोहम्मद सारिक उसको लेने मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नं. एच आर-13-एस-2639 पर आएगा। अपराह्न लगभग 4.40 बजे मोहम्मद सारिक मोटरसाइकिल पर मुकरबा चौक आया और एस टी डी बूथ के पास रुका। हमीद टाटा सुमो से नीचे उतरा। वह एक बैग लिए हुआ था। वह मोहम्मद सारिक की मोटरसाइकिल पर बैठ गया और जब वे चल रहे थे, उनको रोका गया। जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक पदार्थ आर डी एक्स था जिसे जब तौला गया तो वह 10.560 कि.ग्रा. था। भारतीय दंड संहिता की धारा 121/121-क/122/123/120-बी तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 तथा गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम-2004 की धारा 18/20 के तहत दिनांक 5.3.2005 को एफ आई आर सं. 40 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया तथा उस मोटर साइकिल को भी जब्त कर लिया गया जिस पर वे यात्रा कर रहे थे। हमीद हुसैन उर्फ अबु फैजल तथा मोहम्मद सारिक, जो दोनों ही जाफराबाद, सीलमपुर, दिल्ली के निवासी थे, से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि वे लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य हैं तथा हमीद हुसैन ने यह भी बताया कि वह इस आतंकवादी

गुट के लिए 2002 से कार्य कर रहा है। उसने बताया कि विगत में भी उसने तीन ए के राइफल, 6 मैग्जीन बड़ी संख्या में राउन्ड, ग्रैनेड, डायनामाइट, डेटोनेटर की खेप एकत्रित कर रखी है तथा इसे सूरज विहार, उत्तम नगर, दिल्ली स्थित सुरक्षित स्थान पर रख रखा है। उसने आगे उल्लेख किया कि तीन लश्कर-ए-तैय्यबा के आतंकवादी सुरक्षित स्थान पर छुपे हुए हैं और जिसमें दो पाकिस्तानी मूल के हैं और उनके नाम बिलावल और शाहनवाज हैं तथा भारतीय मूल का अन्य लश्कर-ए-तैय्यबा आतंकवादी शमस वहां उपस्थित है तथा उनकी योजना भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, उत्तरांचल पर फिदायीन हमला करने की है। इस सूचना पर श्री राजबीर, ए सी पी के नेतृत्व में टीम, बुलेट प्रुफ वेस्ट, बुलेट प्रुफ हैलमेट से अच्छी तरह सुरक्षित होकर और अत्याधुनिक हथियारों और गोला बारुद से उचित रूप से सुसज्जित होकर सूरज विहार, उत्तम नगर, दिल्ली पहुंची। छुपने के स्थान की पहचान कर ली गई तथा क्षेत्र को घेर लिया गया। क्षेत्र को खाली करवा लिया गया तथा पुलिस टीम ने घर को घेर लिया। पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी करना शुरु कर दिया और इस गोलीबारी में जोकि लगभग एक घंटे तक चली, तीन आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों ने अपनी ए के -56 एसाल्ट राइफलों से लगभग 160 राउन्ड गोलीबारी की जबकि पुलिस टीम ने 270 राउन्ड गोलीबारी की। मृतक आतंकवादियो की पहचान बिलावल उर्फ मोहम्मद सारिक निवासी रावलपिंडी, पाकिस्तान, शाहनवाज निवासी सिंध, पाकिस्तान और शमस उर्फ परवेज अहमद निवासी पटना, बिहार के रूप में की गई। बिलावल उर्फ अबु नमन का पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिया गया है पाकिस्तान से जारी उसका पहचान पत्र भी बरामद कर लिया गया है। उक्त अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा जैसे कोडों वाली डायरी भी बरामद कर ली गई है। अन्य बरामद सामान है (क) तीन ए के-56 राइफलें, 6 मैग्जीन और 14 जैव राउन्ड, (ख) अनुमानत 100 कि.ग्रा. डायनामाइट (गिलेटिन छडें) (ग) 450 डेटोनेटर, (घ) चार हथगोले, (ड) "थुरइया" उपग्रह फोन (च) एक मोबाइल फोन (छ) एक मारुति जेन।

पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका

उप निरीक्षक संजय दत्त (अब निरीक्षक) की भूमिका

मुठभेड़ के दौरान उप निरीक्षक संजय दत्त ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ, उनकी सहायता से परिसर को चारों तरफ से घेर लिया तथा वह स्वंय निरीक्षक मोहन चंद शर्मा और टीम के अन्य सदस्यों के साथ शौचालय के पास चारदिवारी के अन्दर कूद गए और उन्होंने कमरों की तरफ बढ़ना शुरु कर दिया। अचानक एक आतंकवादी कमरे से बाहर निकला और पुलिस की हरकत को भांपते हुए वह कमरे में वापस चला गया। तत्काल आतंकवादी कमरे से बाहर निकल आए और उन्होंने आगे बढ़ते हुए उप निरीक्षक संजय दत्त की तरफ अपनी ए के-47 एसाल्ट राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया। आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों उन्हें लगीं परन्तु वे बुलेटप्रुफ

जैकेट के कारण बच गए। बिना डरे और अडिग होकर वे भूमि पर लेट गए क्योंकि वहां कोई कवर नहीं था और अपनी ए के-47 एसाल्ट राइफल से उन्होंने जवाब में गोलीबारी की। आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों से चारदिवारी पर आवाज हो रही थी और चिंगारी निकल रही थी जहां उप निरीक्षक संजय दत्त लेटे हुए थे। उन पर भारी गोलीबारी हो रही थी परन्तु उन्होंने साहस नहीं छोडा और उन्होंने उपलब्ध संसाधनों से काम चलाया। इसी बीच एक आतंकवादी ने हथगोला फैंका जोकि शौचालय के पास फटा जहां उप निरीक्षक संजय दत्त लेटे हुए थे, वे दुबारा बाल-बाल बचे। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित किया और आतंकवादियों के हमले के प्रभाव को कारगर ढंग से कम किया। उनके सामने ही गोलीबारी हो रही थी और हथगोले फैंके जा रहे थे परन्तु अपनी बुद्धिमानी और साहस के जरिए उप निरीक्षक संजय दत्त आतंकवादियों के हमले का मुकाबला करने में सफल रहे। उन्होंने आतंकवादियों की लगातार की जा रही गोलीबारी का साहस से सामना किया। अडिग होकर आतंकवादियों के विरुद्ध उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी तथा ए के-47 राइफल से 21 राउन्ड गोलीबारी की। उनकी सटीक गोलीबारी के कारण आखिरकार एल ई टी के खूंखार आतंकवादी शाहनवाज और शाकिब अली उर्फ बिलावल जो दोनों पाकिस्तान के निवासी थे और शमस उर्फ परवेज अहमद निवासी बिहार मारे गए।

हैड कांस्टेबल सतेन्द्र की भूमिका

अभियान के दौरान हैड कांस्टेबल सत्येन्द्र ने अन्य टीम सदस्यों के साथ चारदिवारी के अन्दर छलांग लगा दी। हैड कांस्टैबल सतेन्द्र ने उस कमरे की विपरीत दिशा में मोर्चा संभाला जहां तीन एल ई टी फिदायीन आतंकवादी उपस्थित थे। पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए आतंकवादियों ने पुलिस टीम की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। हैड कांस्टेबल सतेन्द्र ने भी टीम के अन्य सदस्यों के साथ जवाबी कार्रवाई की और आतंकवादियों पर गोलीबारी की। आतंकवादियो ने पुलिस पार्टी की तरफ 2 हथगौले फेंके, जिनमें से एक उनके काफी पास फटा। हैड कांस्टेबल सतेन्द्र खुले में थे और उन पर बिना किसी कवर के गोलीबारी की जा रही थी। गोलीबारी के पश्चात तीन आतंकवादियों की पहचान मोहम्मद रफीक उर्फ अबुथाला उर्फ शाहनवास, साकिब के रूप में की गई। गोलीबारी के दौरान हैड कांस्टेबल सतेन्द्र कुमार ने आतंकवादियों का बहादुरी से सामना किया। निडर होकर उन्होंने आतंकवादियों के विरुद्ध अपनी कार्रवाई चालू रखी तथा ए के-47 राइफल से 20 राउन्ड गोलीबारी की।

कांस्टेबल हंसराज की भूमिका (अब हैड कांस्टेबल)

अभियान के दौरान हैड कांस्टेबल हंसराज ने अन्य टीम सदस्यों के साथ चार दिवारी के अन्दर छलांग लगा दी। हैड कांस्टेबल हंसराज ने लौहे के गेट के पास मोर्चा संभाल लिया जोकि अन्दर से बंद था। पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए आतंकवादियों

ने पुलिस टीम की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। हैड कांस्टेबल हंसराज ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ आत्मरक्षा में और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए गोलीबारी का जवाब दिया। उन्होंने बड़ी नजदीकी से प्रशिक्षित आतंकवादियों की गोलीबारी का बिना किसी कवर के खुले में सामना किया तथा अपनी जान जोखिम में डाली। उनके अत्यधिक उत्कृष्ट साहस के परिणामस्वरुप आतंकवादियों को निष्क्रिय किया जा सका। अडिग और निडर होकर उन्होंने बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया और अपनी ए के-47 एसाल्ट राइफल से 23 राउन्ड गोलीबारी की। गोलीबारी के पश्चात तीन आतंकवादियों की पहचान मोहम्मद रफीक उर्फ अबु थाला उर्फ शाहनवास, साकिब के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री संजय दत्त, निरीक्षक, सतेन्द्र, हैड कांस्टेबल तथा हंसराज, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 मार्च, 2005 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 200-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1)सुभाष चंद वत्स
उप निरीक्षक

(2)हरेन्द्र सिंह,
उप निरीक्षक

(3)संजीव लोचन,
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

7.3.2006 को अपराह्न 7 बजे, विशेष प्रकोष्ठ के कार्यालय में एक मुखबिर के माध्यम से एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि लश्कर -ए-तैयबा के उग्रवादी घुलन याजदानी उर्फ नावेद उर्फ याहया निवासी हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), बांग्लादेश में एल ई टी का मुखिया, जिसकी आतंकवादी गतिविधियों के कई मामलों में तलाश है और अहसान उल्लाह हसन उर्फ कबाब मोहम्मद उर्फ शहबाज मोहम्मद उर्फ साजिद महमूद उर्फ शुमोन उर्फ जमील उर्फ अहमद उर्फ काजोल निवासी चोरंगी मोर, झीलचुली, फरीदपुर, बांग्लादेश, अपराह्न 5-6 बजे के बीच होलंबी कलां, मेट्रो विहार, नरेला अलीपुर रोड टी-पाइंट पर कार नं. यूपी-21-3851 से दिल्ली में आएंगे। यह भी सूचित किया गया कि वे शस्त्र गोलाबारुद और विस्फोटकों जैसे भारी शस्त्रों से लैस हैं। इस सूचना को दैनिकी में दर्ज किया गया और इस पर वरिष्ठ आधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस सूचना पर कार्रवाई करने के लिए, सहायक पुलिस आयुक्त संजीव यादव, निरीक्षक मोहन चंद शर्मा, निरीक्षक, बद्रीश दत्त, निरीक्षक, संजय दत्त, उप निरीक्षक, राहुल कुमार, धर्मेन्द्र, सुभाष वत्स, राजेन्द्र सहरावत, दलीप, कैलाश, रविन्द्र त्यागी, भूप सिंह, विनय त्यागी, हरिन्द्र, सहायक उप निरीक्षक, विक्रम सिंह, देवेन्द्र, अनिल त्यागी, संजीव लोचन, शाहजहां, सतीश, हैड कांस्टेबल, सतेन्द्र, हैड कांस्टेबल , सतेन्द्र कुमार, हैड कांस्टेबल, राजबीर, कृष्णा राम, रुस्तम, कांस्टेबल, गुरमीत, बलवंत, राजेन्द्र, परवेज, हरी राम, विनोद गौतम

और कांस्टेबल गुलबीर की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया और टीम को इस सूचना के संबंध में ब्रीफ किया गया। पुलिस स्टेशन, स्पेशल सैल के मलखाना रजिस्टर में दर्ज करके टीम को शस्त्र गोलाबारुद,बी पी जैकेट, टार्च और बुलैट प्रूफ वाहनों इत्यादि से विधिवत रुप से शस्त्रों से सुसज्जित करके उन्होंने पी एस विशेष प्रकोष्ठ लोधी कालोनी के कार्यालय से अपराह्न 3 बजे तीन सरकारी वाहनों, 3 निजी कारों, 2 दुपहिया वाहनों में प्रस्थान किया। इस टीम में उप निरीक्षक, राजेन्द्र सहरावत,उपनिरीक्षक, दलीप, उप निरीक्षक हरिन्दर, हैड कांस्टेबल, सतेन्द्र, हैड कांस्टेबल, सतेन्द्र कुमार, कांस्टेबल, राजेन्द्र और कांस्टेबल, बलवंत वर्दी में थे जबकि अन्य सादे कपड़ों में थे। टीम अपराह्न 3.45 बजे मुकरबा चौक के नजदीक जी टी करनाल रोड बाइपास पहुँची जहां निरीक्षक मोहन चंद शर्मा ने 5-6 राहगीरों को इस सूचना के तथ्यों को प्रकट कर दिया और उनसे धावा पार्टी में शामिल होने के लिए अनुरोध किया तथापि सभी अपने कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपने नामों और पतों को बगैर बताए उस स्थान से चले गए। आगे और कोई समय गंवाए धावा पार्टी मुकरबा चौक से चल पड़ी और अपराह्न 3.45 बजे अलीपुर नरेला रोड, होलंबी कलां, मेट्रो विहार "टी" पाइंट पर पहुंची। उसके पश्चात संपूर्ण धावा पार्टी को 9 टीमों में विभाजित किया गया और सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं को बंद करने के उद्देश्य से प्रत्येक टीम को एक वाहन दिया गया। सभी टीमों को रणनीतिक स्थानों पर अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए ब्रीफ किया गया। सहायक उप निरीक्षक श्री संजीव यादव के साथ निरीक्षक मोहन चंद शर्मा और उप निरीक्षक रविन्द्र त्यागी ने नरेला अलीपुर रोड, होलंबी कलां मेट्रो विहार टी -पाइंट पर टी स्टाल पर पोजीशन ले ली। लगभग 4.30 बजे यू-पी-21-3851 नंबर वाली एक नीले रंग की मारुति कार को नरेला अलीपुर रोड पर खड़ी उप निरीक्षक सुभाष वत्स वाली एक टीम द्वारा अलीपुर की तरफ से आते देखा गया। वह कार नरेला अलीपुर रोड होलंबी कलां मेट्रो विहार टी पाइंट पर आई और मेट्रो विहार की ओर मुड़ गई और सड़क किनारे खड़ी कर दी गई थी। तत्काल सभी टीमों को सतर्क कर दिया गया। उसके पश्चात कार में बैठे लोग किसी का इंतजार करने लगे। निरीक्षक मोहन चंद शर्मा ने उस कार के चालक की तरफ से उतरे व्यक्ति को गुलाम येजदानी उर्फ याहिया के रुप में पहचान लिया। तत्काल सभी टीमों को उग्रवादियों को पकड़ने के उद्देश्य से उग्रवादियों के नजदीक पहुंचने का आदेश दिया गया। निरीक्षक मोहन चंद शर्मा ने सहायक पुलिस आयुक्त श्री संजीव यादव के साथ मिलकर जोर से चिल्लाकर अपनी पहचान प्रकट की और उन दोनों को समर्पण करने का निदेश दिया। तथापि दोनों ने अपने आग्नेयास्त्र निकाल लिए और अपनी ओर आती पुलिस पार्टी (टीम) की तरफ गोलीबारी शुरु कर दी तथा साथ ही साथ दीवार की आड़ लेने के लिए सड़क के तरफ वाली चारदिवारी के ऊपर से छलांग लगा दी। पुलिस टीम ने भी आड़ ले ली और उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी की । राहगीरों की जान-माल की सुरक्षा हेतु हर संभव प्रयास किए गए। उग्रवादियों को पुलिस टीम द्वारा घेर लिया गया और उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। तथापि उन्होंने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी और चारदिवारी के पीछे के खुले मैदान की तरफ भागना शुरु कर दिया। परस्पर गोलीबारी लगभग 30 मिनट तक जारी रही और जब उग्रवादियों की ओर से हो रही गोलीबारी रुक गई। तब तत्काल निरीक्षक मोहन चंद शर्मा और सहायक पुलिस आयुक्त

श्री संजीव यादव ने टीम के सदस्यों को गोलीबारी रोकने का निदेश दिया। दोनों उग्रवादियों को मैदान में घायलावस्था में पड़ा हुआ पाया गया, इसके अलावा प्रत्येक के पास एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल पाई गई जिससे उन्होंने अपनी ओर बढ़ती पुलिस टीम पर गोलीबारी की थी। पुलिस नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचित किया गया और उस घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया। पी सी आर घटनास्थल पर पहुंच गई और घायल उग्रवादियों को अस्पताल ले जाया गया। घातक शस्त्र और गोलाबारुद से लैस लश्कर-ए-तैयबा के दोनों उग्रवादियों ने पुलिस टीम पर हिंसात्मक हमला करके उस पुलिस टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की जो अपनी विधिसम्मत ड्यूटी का निर्वाह कर रही थी। पुलिस स्टेशन नरेला, दिल्ली में इस संबंध में कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया ।

मारे गए आतंकवादियों से की गई बरामदगियां निम्नलिखित हैं:-

(1)2 मैगजीन युक्त एक ए के-56 राइफल
(2)ए के -56 के 51 राऊंड कारतूस
(3)चार हैंड ग्रेनेड
(4)100 ग्राम पी ई टी एन के 40 पैकेट (कुल 4 कि.ग्रा.)
(5)500/- रुपए के नोटों के एफ आई सी एन 47,000/- रुपए
(6)2 मैगजीन युक्त 9 एमएम कैलिबर की चैक गणराज्य की लूगर निर्मित दो पिस्तौल
(7)9 एमएम कैलिबर के तीन जिंदा राऊंड, 125चले हुए राऊंड
(8)एक मारुति 800 कार नं. यू पी -2-3851
(9)अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज

पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका

उपनिरीक्षक सुभाष चंद वत्स: सहायक पुलिस आयुक्त श्री संजीव कुमार यादव और निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के पर्यवेक्षण के अंतर्गत श्री वत्स टीम के एक सदस्य थे। 8.3.2006 को तड़के वे टीम के साथ अलीपुर नरेला रोड पहुंचे और उन्होंने रणनीतिक बिन्दुओं पर पोजीशन ले ली। उन्होंने यू पी-21-3851 नं. की एक कार को अलीपुर की तरफ से आते देखा। उन्होंने कार के आगमन के संबंध में टीम को संकेत दिया। जब आतंकवादी घटनास्थल पर पहुंचे , जिनकी बाद में घुलन याजदानी उर्फ नावेद उर्फ याहया निवासी हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) , बांग्लादेश में एल ई टी का मुखिया, जिसकी आतंकवादी गतिविधियों के कई मामलों में तलाश थी और अहसान उल्लाह हसन उर्फ कबाब मोहम्मद उर्फ शाहबाज मोहम्मद उर्फ साजिद महमूद उर्फ शुमोन उर्फ जमील उर्फ अहमद उर्फ काजोल निवासी चोरंगी मोर, झीलचुली, फरीदपुर , बांग्लादेश के रुप में शिनाख्त की गई, तब सहायक पुलिस आयुक्त श्री संजीव कुमार यादव के साथ निरीक्षक मोहन चंद शर्मा ने पुलिस टीम की पहचान बताई और गोलीबारी शुरु कर दी। उप निरीक्षक सुभाष वत्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, आतंकवादी गुलाम येजदानी द्वारा की गई गोलीबारी

की बौछार का सामना किया। जब उग्रवादियों ने उपनिरीक्षक सुभाष वत्स को लक्ष्य बनाकर गोलीबारी की तब उन्होंने एक मैदान की दीवार के पीछे कूदकर स्वयं को बचाया और वे उग्रवादी गुलाम येजदानी द्वारा की जा रही गोलीबारी के सीधे जद में आ गए। उन्होंने उग्रवादी गुलाम येजदानी की गोलीबारी का उचित जवाब दिया जिससे उस उग्रवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी को निष्क्रिय किया जा सका। उन्होंने वीरतापूर्वक उस उग्रवादी का सामना किया और अपनी जान की परवाह किए बिना उस उग्रवादी गुलाम येजदानी का पीछा किया जो उन पर और निरीक्षक मोहन चंद शर्मा पर निरंतर और अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। निडर और निर्भीक उप निरीक्षक सुभाष चंद वत्स ने आत्मरक्षा में और उस उग्रवादी को पकड़ने के उद्देश्य से वहां से गुजर रहे निर्दोष लोगों और अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जवाबी गोलीबारी की। उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और उस मुठभेड़ में उग्रवादी गुलाम येजदानी को निष्क्रिय कर दिया। साहसी अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 4 राऊंड चलाए।

उप निरीक्षक हरेन्द्र सिंह:

सहायक पुलिस आयुक्त श्री संजीव कुमार यादव और निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के पर्यवेक्षण के तहत श्री हरेन्द्र सिंह टीम के एक सदस्य थे। 8.3.2006 को तड़के वे टीम के साथ अलीपुर नरेला रोड पहँचे और उन्होंने रणनीतिक बिन्दुओं पर पोजीशन ले ली। जब आतंकवादी घटनास्थल पर पहुंचे और तब उन्होंने उग्रवादी को आत्मसमर्पण करने का निदेश दिया जिसकी बाद में अहसान उल्लाह हसन उर्फ काजोल के के रुप में शिनाख्त की गई। वह उप निरीक्षक हरेन्द्र सिंह और सहायक उप निरीक्षक संजीव लोचन पर सीधे गोलीबारी कर रहा था। उप निरीक्षक हरेन्द्र सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादी काजोल द्वारा की जा रही गोलियों की बौछार का सामना किया और सड़क पर लेटते हुए एक उपयुक्त पोजीशन ले ली तथा आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। उन्होंने वीरतापूर्वक उग्रवादी काजोल का सामना किया और अपनी जान की परवाह किए बिना उस उग्रवादी का पीछा किया जो उन पर निरंतर और अंधाधुध गोलीबारी कर रहा था। निडर और निर्भीक उप निरीक्षक हरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में और उग्रवादियों को पकड़ने के उद्देश्य से एवं वहां मौजूद निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी जवाबी गोलीबारी की और अपनी जान जोखिम में डाली एवं उस मुठभेड़ में उग्रवादियों को मार गिराया । उस साहसी अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 5 राऊंड चलाए।

सहायक उप निरीक्षक संजीव लोचन

सहायक उप निरीक्षक श्री संजीव कुमार यादव और निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के पर्यवेक्षण के अंतर्गत श्री संजीव लोचन टीम के एक सदस्य थे। 8.3.2006 को तड़के वे टीम के साथ अलीपुर नरेला रोड पहुँचे और उन्होंने रणनीतिक बिन्दुओं पर पोजीशन ले ली। जब आतंकवादी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें समर्पण करने का निदेश दिया लेकिन उन्होंने अपनी ओर बढ़ती पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी । उन्होंने अपनी

जान की परवाह न करते हुए , आतंकवादी अहसान उल्लाह हसन उर्फ काजोल द्वारा की गई गोलियों का सामना किया। उन्होंने वीरतापूर्वक उस उग्रवादी का सामना किया और अपनी जान की परवाह किए बिना उस उग्रवादी का पीछा किया जो उन पर निरंतर और अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। वे मैदान में लेट गए और उन्होंने चारदिवारी की आड़ से बाहर निकलने के लिए उग्रवादी को मजबूर किया। निडर और निर्भीक सहायक उप निरीक्षक संजीव लोचन ने आत्मरक्षा में और उग्रवादी को पकड़ने के उद्देश्य से और वहां मौजूद निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी जवाबी गोलीबारी की और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली एवं उस मुठभेड़ में उग्रवादियों को मार गिराया । उस साहसी अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 4 राऊंड चलाए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री सुभाष चंद वत्स, उप निरीक्षक, हरेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक और संजीव लोचन, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मार्च, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 201-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) ललित मोहन नेगी, निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

(2) हृदय भूषण, निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

(3) गिरीश कुमार, उप निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6.3.06 को, हेमंत उर्फ सोनू के संबंध में एक गुप्त सूचना मिलने के आधार पर विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने लगभग 1.30 बजे फ्लैट संख्या 505, 5 वीं मंजिल, सागर अपार्टमेंट, सुशांत लोक-II , गुड़गांव, हरियाणा में एक छापा मारा। जब उस घर के संवासियों ने दरवाजा नहीं खोला तब पुलिस टीम ने दरवाजे को बलपूर्वक तोड़ते हुए उस घर में प्रवेश किया। संजय सिंह पुत्र भोपाल सिंह को काबू में कर लिया गया, उसने बताया कि एक गैंगस्टर (जिसकी बाद में जय प्रकाश उर्फ जे पी निवासी नजफगढ़ दिल्ली के रुप में पहचान की गई) फ्लैट के पीछे की बालकॉनी से शाफ्ट से निकल कर कूद गया है। तलाशी करने पर, हेमंत उर्फ सोनू के निकट साथी जय प्रकाश को पीछे की तरफ के शाफ्ट के पास देखा गया, उसे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। आत्मसमर्पण करने की बजाय, उसने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी और ग्रेनेड निकाल लिया और धमकी दी कि वह ग्रेनेड का विस्फोट करके पुलिस पार्टी के सदस्यों और निवासियों को मार देगा। अपराधी को पकड़ने के उद्देश्य से और आत्मरक्षा में, पुलिस पार्टी ने भी जवाबी गोलीबारी की। गैंगस्टर अंधेरे की आड़ में स्वयं को छिपाने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, गोलीबारी रोक दी। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकोष्ठ और हरियाणा पुलिस से अतिरिक्त बल की

मांग की गई। इसी बीच, जांच करने पर उक्त संजय सिंह ने खुलासा किया कि हेमंत उर्फ सोनू अपने साथी जसवंत उर्फ सोनू के साथ फरीदाबाद रोड पर एक फ्लैट संख्या 9-1101, वैली व्यू एस्टेट, ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव में छिपा हुआ है। तदनुसार, श्री संजीव यादव, सहायक पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक टीम, जिसमें निरीक्षक ललित मोहन, निरीक्षक हृदय भूषण, उप निरीक्षक, गिरीश कुमार और अन्य थे, वैली व्यू अपार्टमेंट के लिए चल पड़े, जबकि टीम के अन्य सदस्य, जय प्रकाश उर्फ जे पी को पकड़ने के लिए स्थिति का आकलन करने हेतु घटनास्थल की ओर चल पड़े। प्रात: लगभग 5.30 बजे, टीम फ्लैट नं. 9-1101, वैली व्यू एस्टेट, गुड़गांव पहुंची और छापा मारा। उसमें मौजूद संवासियों को दरवाजा खोलने और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निदेश दिए गए। जब चेतावनी देने के बावजूद संवासियों ने दरवाजा नहीं खोला तब पुलिस ने बलपूर्वक द्वार तोड़कर उसमें प्रवेश किया। हेमंत उर्फ सोनू ने तत्काल पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की। जसवंत उर्फ सोनू को पिछली तरफ से दसवीं मंजिल की बॉलकानी से नीचे उतरते देखा गया। दसवीं मंजिल के दरवाजे को भी बलपूर्वक तोड़कर खोला गया। गैंगस्टर की बाद में जसवंत उर्फ सोनू पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी आर जेड-421, गोपाल नगर, नजफगढ़ , दिल्ली के रुप में शिनाख्त की गई । उसने भी पुलिस पार्टी पर गोलियां चला दी। इस मुठभेड़ में हेमंत उर्फ सोनू और जसवंत उर्फ सोनू मारे गए। हेमंत उर्फ सोनू द्वारा इस्तेमाल की गई एक 9 एम एम पिस्तौल और 455 बोर की रिवाल्वर और जसवंत उर्फ सोनू द्वारा इस्तेमाल की गई एक .38 बोर और जिंदा क़ारतूस बरामद किए गए।

अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका.

श्री ललित मोहन नेगी, निरीक्षक: जब टीम फ्लैट नं. 9-1101, वैली व्यू अपार्टमेंट में पहुँची, जहां गैंगस्टर छिपे हुए थे, और उन्हें दरवाजा खोलने और आत्मसर्मपण करने के लिए कहा गया और जब गैंगस्टरों ने विधिपूर्ण निदेशों की अवज्ञा की तब निरीक्षक ललित मोहन ने पहल की और टीम के अन्य सदस्यों की मदद से, दरवाजे को तोड़ डाला। दरवाजा तोड़ने के दौरान , वे गैंगस्टरों द्वारा किए जाने वाले किसी भी हमले की पूर्ण जद में थे। जैसे ही उन्होंने फ्लैट में प्रवेश किया कि तभी खुंखार आतंकवादियों ने अपने हथियार निकाल लिए और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। आत्मरक्षा में और गैंगस्टरों को पकड़ने के उद्देश्य से, पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की। अंतर्राज्यीय गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ के दौरान, निरीक्षक ललित मोहन ने हेमंत उर्फ सोनू का बहादुरी से सामना किया और उसका भागने का रास्ता रोक दिया और अपनी जान की जरा सी भी परवाह न करते हुए, उस गैंगस्टर को ललकारा और अपने टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी निकट से उसे उलझाए रखा। उन्होंने अपनी जान को इतना ज्यादा जोखिम में डाल दिया कि गैंगस्टर द्वारा चलाई गई एक गोली उनकी छाती में लगी लेकिन वे उनके द्वारा पहनी गई बुलैट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गए। निडर और निर्भीक उस साहसी अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से चार राउंड चलाए और उस गैंगस्टर को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अंतरराज्यीय गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ के दौरान, जब निरीक्षक हृदय भूषण फ्लैट में घुसे , तब हेमंत उर्फ सोनू रसोई के अंदर से गोलीबारी कर रहा था, जबकि उसका साथी जसवंत उर्फ सोनू पीछे की तरफ की बॉलकानी से भाग रहा था और साथ ही पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर रहा था। आत्मरक्षा में और गैंगस्टरों को पकड़ने के उद्देश्य से, पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलीबारी की। अपनी जान की परवाह किए बिना, निरीक्षक हृदय भूषण गोलियों की बौछार के बीच में से दौड़े और जसवंत उर्फ सोनू का बहादुरी के साथ पीछा किया जो पीछे की तरफ की बॉलकानी से बच कर भागने का प्रयास कर रहा था। जसवंत उर्फ सोनू बॉलकानी के पीछे की तरफ से 11 वीं मंजिल से 10 वीं मंजिल पर उतर रहा था। उस निडर अधिकारी ने, अत्यंत साहस का परिचय देते हुए गैंगस्टर का पीछा किया और बॉलकानी के पिछले हिस्से में 10 वीं मंजिल तक उतर गए। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, उन्होंने गैंगस्टर को ललकारा और उनका उससे आमना-सामना हो गया। गैंगस्टर द्वारा चलाई गई एक गोली उनकी छाती में लगी लेकिन वे पहनी हुई बुलैट प्रूफ जैकेट के कारण बच गए। तथापि, वे बहादुर अधिकारी गोलियों से नहीं घबराए और उस खूंखार गैंगस्टर का पीछा किया। निडर और निर्भीक, साहसी अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 6 राउंड चलाए और उस गैंगस्टर को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री गिरीश कुमार, उप निरीक्षक

अंतरराज्यीय गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ के दौरान, जब उप निरीक्षक गिरीश कुमार ने दरवाजे को तोड़कर खोलने के पश्चात उस फ्लैट में प्रवेश किया तब उस खुंखार आतंकवादी ने अपने हथियार निकाल लिए और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। गोलीबारी करते समय, हेमंत उर्फ सोनू ने रसोई के अंदर आड़ ले ली, जबकि अन्य एक जसवंत उर्फ सोनू , बॉलकनी के पीछे की तरफ भागा और साथ ही पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करता रहा। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी गोलीबारी की। उप निरीक्षक गिरीश कुमार ने बहादुरी से हेमंत उर्फ सोनू का सामना किया। जब उन्होंने दूसरे गैंगस्टर को बालकनी से नीचे उतरते देखा तब वे फुर्ती से 11 वीं मंजिल से 10 वीं मंजिल पर आ गए, जहां जसवंत उर्फ सोनू फ्लैट नं. 10-1101 में बॉलकनी के पीछे की तरफ से घुसा था। उन्होंने उसका सामने का दरवाजा तोड़ कर खोला और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जिंदगी की जरा सी भी परवाह किए बिना गैंगस्टर का बहादुरी से सामना किया। जब गैंगस्टर ने पुलिस पर गोलीबारी की तब उन्होंने भी जवाबी गोलीबारी की। वह निडर अधिकारी , अनुकरणीय पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, गैंगस्टर के काफी समीप पहुंच गए और उसके बच कर भागने का रास्ता बंद कर दिया। निडरता और निर्भयता के साथ उस साहसी अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 3 राउंड चलाए और उस गैंगस्टर का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री ललित मोहन नेगी, निरीक्षक, हृदय भूषण, निरीक्षक और गिरीश कुमार, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार / पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 मार्च, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 202-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) एस के गिरि, निरीक्षक

(2) सज्जन सिंह, उप निरीक्षक

(3) कैलाश चंद्र यादव, उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

6.3.06 को लगभग अपराह्न 10 बजे निरीक्षक ललित मोहन नेगी को एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि हेमंत उर्फ सोनू अपने साथियों के साथ सागर अपार्टमेंट, सुशांत लोक-II, गुड़गांव, हरियाणा में मौजूद है और अधुनातन शस्त्र और गोलाबारुद से सुसज्जित है। तत्काल, इस सूचना पर कार्रवाई करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त संजीव यादव के पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया गया। टीम लगभग पूर्वाह्न 1.30 बजे सागर अपार्टमेंट, सुशांत लोक-II गुड़गांव, हरियाणा पहुँचे जहां मकान संख्या 505 की ओर इशारा किया गया जिसमें अपराधियों के छिपे होने के बारे में बताया गया था। इस पर इमारत की घेराबंदी की गई और रणनीतिक बिन्दुओं पर कर्मियों की तैनाती की गई। निरीक्षक ललित मोहन ने जोर से चिल्लाकर अपनी पहचान प्रकट करते हुए दरवाजे को खोलने के लिए कहा। जब उस घर के संवासियों ने दरवाजा नहीं खोला तब पुलिस टीम उस दरवाजे को तोड़कर उसमें घुस गई और एक संजय सिंह पुत्र भोपाल सिंह को काबू में कर लिया जिसने यह बताया कि एक गैंगस्टर, जिसकी बाद में जयप्रकाश उर्फ जे पी निवासी नजफगढ़, दिल्ली के रुप में की गई, उस फ्लैट के पीछे की बॉलकनी से शाफ्ट के सहारे निकल गया है। तलाशी लेने पर टीम ने पाया कि जय प्रकाश ड्रेनेज शाफ्ट में घुस गया है। उसे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी और एक ग्रेनेड निकाल लिया तथा ग्रेनेड में विस्फोट करके पुलिस पार्टी के सदस्यों और अपार्टमेंट के निवासियों को मारने की धमकी दी। अंधेरे का लाभ उठाते हुए उसने एक फ्लैट से दूसरे

फ्लैट में जाना जारी रखा और साथ ही गोलीबारी जारी रखी। अपराधी को पकड़ने के उद्देश्य से और आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी काफी संख्या में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक जवाबी गोलीबारी की। तथापि, वह स्वयं को अंधेरे की आड़ में इमारत के भीतर छिपाने में सफल हो गया।स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा से और ज्यादा कुमुक की मांग की गई और विशेष प्रकोष्ठ के अन्य अधिकारियों को भी बुलाया गया। जिसके परिणामस्वरुप उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह सी आई ए हरियाणा पुलिस, निरीक्षक एस के गिरी और निरीक्षक गोविन्द शर्मा अपने संबंधित स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुँच गए । इसी बीच, पूछताछ करने पर संजय सिंह ने ऊपर यह बताया कि जसवंत उर्फ सोनू के साथ हेमंत उर्फ सोनू फरीदाबाद रोड पर फ्लैट संख्या 9-1101 , वैली व्यू एस्टेट, ग्वालपाड़ी, गुड़गांव में छिपा हुआ है। तदनुसार, श्री संजीव यादव के पर्यवेक्षण के अंतर्गत, निरीक्षक ललित मोहन, निरीक्षक हृदय भूषण, उप निरीक्षक उमेश बर्थवाल, उप निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद, उप निरीक्षक गिरीश कुमार, हैड कांस्टेबल सुरेन्द्र, हैड कांस्टेबल देव दत्त, हैड कांस्टेबल यशपाल, कांस्टेबल सुंदर गौतम, कांस्टेबल सुनील कासना और सी आई ए स्टाफ उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह को लेकर बनी एक टीम के साथ स्टाफ वैली व्यू अपार्टमेंट के लिए चल पड़े। इसी बीच हरियाणा पुलिस से अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। तलाशी लेने पर जयप्रकाश उर्फ जे पी ने फ्लैटों के आसपास भागना शुरु कर दिया और इसी बीच यह पता चला कि वह फ्लैट सं. 404 में घुस गया है और उसने बदूंक की नोक पर उसमें रह रहे परिवार को बंधक बना लिया है। इस पर उसे उस परिवार को छोड़ने के लिए राजी करने और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। बातचीत के दौरान जे पी बॉलकनी में दिखाई दिया और केवल इसी समय बंधकों को सुरक्षित रुप से छुड़ाया गया। जे पी ने ग्रेनेड और अपनी पिस्तौल को पुलिस को सौंप दिया और वापिस फ्लैट में घुस गया, जहां जब उसने पुलिस को वहां मौजूद पाया और बंधकों को नहीं पाया, तब उसने आवेश में अपनी दूसरी पिस्तौल निकाल ली और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने भी गैंगस्टर को पकड़ने और आत्मरक्षा में गोलियां चलानी शुरु कर दीं। उस मुठभेड़ में खूंखार गैंगस्टर जय प्रकाश उर्फ जे पी मारा गया।

अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका

श्री एस के गिरी, निरीक्षक

सागर अपार्टमेंट सेक्टर 56, गुड़गांव, जहां हताश गैंगस्टर जय प्रकाश उर्फ जे पी जिसने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की थी और जिसके पास एक हैंड ग्रेनेड था, पर पहुंचने के पश्चात , निरीक्षक गिरी ने अपराधी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन का जिम्मा ले लिया। उन्होंने उस गैंगस्टर को उस फ्लैट के अंदर ढूंढने का प्रयास किया जहां गैंगस्टरों ने बंदूक की नोक पर बंधकों के रुप में संवासियों को रखा था। जब पूरी तरह से शस्त्र से लैस गैंगस्टर को बंधकों के साथ उन्हें बंदूक की नोक पर रखते हुए बॉलकनी में देखा गया। निरीक्षक गिरी ने अपराधी को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कराने के हर

संभव प्रयास किए। निरीक्षक गिरी बहादुरी के साथ फ्लैट में घुस गए और बंधकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां से महिला और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसके पश्चात, उस फ्लैट के प्रवेश द्वार पर खड़े होने के दौरान, निरीक्षक गिरी ने गैंगस्टर को पुन: शस्त्र फेंकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन उसने इसकी बजाय पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। निरीक्षक गिरी गोलियों की बौछार से बाल-बाल बच गए क्योंकि उसमें से एक गोली उस द्वारा अधिकारी द्वारा पहनी हुई बुलैटप्रूफ जैकेट पर लगी। जब वे उस गैंगस्टर के काफी नजदीक थे और गैंगस्टर द्वारा चलाई गई एक गोली भी उनके बुलैट प्रूफ जैकेट पर लगी। निडर और निर्भीक अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपराधी को पकड़ने के उद्देश्य से और आत्मरक्षा में अनुकरणीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए गैंगस्टर के काफी नजदीक पहुँच गए और उस साहसी अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 3 राउंड चलाए।

श्री कैलाश चंद्र यादव, उप निरीक्षक

जब प्रारंभ में पुलिस पार्टी फ्लैट संख्या 505 सागर अपार्टमेंट, सेक्टर 56 गुड़गांव पहुंची और बलपूर्वक उसमें प्रवेश किया तब उस फ्लैट के संवासी ने पुलिस को बताया कि गैंगस्टर जयप्रकाश उर्फ जे पी शाफ्ट में निकल गया है। इस पर उप निरीक्षक कैलाश यादव टीम के कुछ सदस्यों के साथ तत्काल गैंगस्टर के बच कर भागने के रास्ते को बंद करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर गए। जब उप निरीक्षक कैलाश यादव ने रोशनदान के पीछे शाफ्ट में जे पी को छिपे देखा तब उन्होंने उस गैंगस्टर को ललकारा और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निदेश दिया। आत्मसमर्पण करने की बजाय जे पी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी और उप निरीक्षक कैलाश यादव जो मैदान में खुले में खड़े थे, उस अचानक चलाई गई गोलियों की बौछार से बाल-बाल बच गए। इस पर पुलिस पार्टी ने भी उसे पकड़ने के उद्देश्य से और आत्मरक्षा में उस गैंगस्टर की तरफ गोलीबारी शुरु कर दी। वे साहसी अधिकारी अपनी जान की परवाह किए बिना उस गैंगस्टर के नजदीक रेंगते हुए बढ़े और उसकी टांग पकड़ ली। इस पर गैंगस्टर जिसके पास ग्रेनेड था, ने उसकी पिन निकाल दी और उसमें विस्फोट करने की धमकी दी। क्योंकि उस ग्रेनेड के फटने से आम लोगों के जान-माल को गंभीर खतरा था, तब उस अधिकारी को उस गैंगस्टर को छोड़ने का निदेश दिया गया। जब पुन: उसे फ्लैट में संवासियों के साथ, जिन्हें बंधक बनाया गया था, ढूंढा गया तब उप निरीक्षक कैलाश यादव ने उस फ्लैट के प्रवेश द्वार के सामने दायीं तरफ पोजीशन ले ली। जैसे ही महिला और बच्चों को फ्लैट से सुरक्षित हटा दिया गया तब कैलाश यादव ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस अपराधी के सामने सीधे फ्लैट में प्रवेश किया और उस गैंगस्टर द्वारा की गई गोलियों की बौछार से बच गए। उस गैंगस्टर को पकड़ने के उद्देश्य से और आत्मरक्षा में उप निरीक्षक कैलाश यादव ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 3 राऊंड चलाए।

श्री सज्जन सिंह, उप निरीक्षक

गोलीबारी के एक चरण और हुई हाथापाई के पश्चात जब उप निरीक्षक सज्जन सिंह सागर अपार्टमेंट सेक्टर 56 गुड़गांव पहुंचे जहां गैंगस्टर जय प्रकाश उर्फ जे पी उस अपार्टमेंट में कहीं छिपा हुआ था। सज्जन सिंह ने उस गैंगस्टर को ढूढने का हर संभव प्रयास किया और उसे उस फ्लैट की बॉलकनी में छिपे हुआ पाया। उन्होंने गैंगस्टर को चुनौती दी और उसे पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इसकी बजाय गैंगस्टर ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। गैंगस्टर को पकड़ने के उद्देश्य से और आत्मरक्षा में उप निरीक्षक सज्जन सिंह ने भी गैंगस्टर पर गोलीबारी शुरु कर दी और अपनी जान की परवाह किए बिना वे दूसरे फ्लैट की बॉलकनी से उसकी ओर आगे बढ़े। जब गैंगस्टर ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तब वह फुर्ती से दूसरी बॉलकनी पर कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ समय पश्चात यह पता चला कि उस गैंगस्टर ने बंदूक की नोक पर फ्लैट संख्या 404 में परिवार को बंधक बना लिया है। जब अन्य पुलिस अधिकारी गैंगस्टर को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर रहे थे कि तव वह फ्लैट की एक बॉलकनी में था तब उप निरीक्षक सज्जन सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरी तरफ से बॉलकनी के दरवाजे को तोड़कर खोलते हुए फ्लैट के भीतर घुस गए। अपनी जान को खतरे में डालते हुए, उप निरीक्षक सज्जन सिंह ने उस फ्लैट में मौजूद महिला और बच्चों को बचाया। संवासियों को बचाने के पश्चात, पुलिस पार्टी ने प्रवेश द्वार से फ्लैट में प्रवेश किया। उप निरीक्षक सज्जन सिंह भी उनके साथ शामिल हो गए, जबकि वह गैंगस्टर पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। इस पूरे अभियान में, निडर और निर्भीक अधिकारी ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 3 राउंड चलाए और उस गैंगस्टर का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री एस के गिरी, निरीक्षक, सज्जन सिंह, उप निरीक्षक और कैलाश चंद्र यादव, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 मार्च, 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 203-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1)कैलाश सिंह बिष्ट
उप निरीक्षक

(2)राजेन्द्र सिंह सहरावत
उप निरीक्षक

(3)देवेन्द्र सिंह
सहायक उप निरीक्षक

(4)बिजेन्द्र सिंह
हैड कांस्टेबल

(5)संजीव शौकीन
हैड कांस्टेबल

(6)विनोद गौतम
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पूछताछ के दौरान, जैश -ए-मोहम्मद तहसील कमांडर कमरान-उल-इस्लाम ने बताया कि उसे उगाही गई धनराशि, शस्त्र और गोलाबारुद को जैश -ए-मोहम्मद गुट के अन्य उग्रवादी नामत: इरफान उर्फ सुहेल निवासी पाकिस्तान, जो जिला पुलवामा, कश्मीर से कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहा था, को सुपुर्द करना था। तत्काल, उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक आर एस सहरावत, सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल बिजेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल संजीव शौकीन, कांस्टेबल विनोद गौतम और अन्य को लेकर गठित विशेष प्रकोष्ठ/ दिल्ली पुलिस कर्मियों की एक टीम को जम्मू और कश्मीर भेजा गया। संपूर्ण टीम ने इन पाकिस्तानी उग्रवादियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों और खराब वातावरण में दिन और रात अथक रुप

से कार्य किया। उन्हें एम एन सी के स्थानीय कर्मचारियों की पोशाक में कार्य करना था और वे स्वयं ही इरफान उर्फ सुहेल और अन्य पाकिस्तानी आतंकवादियों के संबंध में विशिष्ट और संगत सूचना प्राप्त करने में सफल हुए। 27.12.2005 को विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने जिला पुलवामा (कश्मीर) के बट मोहल्ला, खरयू में एक स्थानीय निवासी नामतः मोहम्मद अकरम बट के घर पर इन विदेशी आतंकवादियों के छिपने के अड्डे की सटीक पहचान की। इस महत्वपूर्ण सूचना को तत्काल दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया और जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी गुट के इन पाकिस्तानी उग्रवादियों को पकड़ने के लिए जम्मू और कश्मीर में मौजूद विशेष प्रकोष्ठ अधिकारी, 50 आर आर और एस ओ जी पम्पोर की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। विशेष प्रकोष्ठ/दिल्ली पुलिस की टीम बट मोहल्ला पहुँची और मोहम्मद अकरम को उसके निवास के बाहर से पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान, मोहम्मद अकरम बट ने अपने मकान में आतंकवादियों की मौजूदगी से इनकार किया और टीम को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया। उप निरीक्षक कैलाश ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर मोहम्मद अकरम से सख्ती से पूछताछ की और उसने बाद में अपने घर में घातक हथियारों से लैस तीन प्रशिक्षित उग्रवादियों की मौजूदगी को स्वीकार। 50 आर आर और एस ओ जी (पम्पोर) की टीम भी विशेष प्रकोष्ठ की पार्टी के साथ थीं। मोहम्मद अकरम बट के घर की द्विस्तरीय घेरे में घेराबंदी कर दी गई। एस ओ जी के कर्मियों की बाहरी घेरे में तैनाती की और आंतरिक घेरे में विशेष प्रकोष्ठ और 50 आर आर की टीम ने पोजीशन ले ली। इस क्षेत्र की घेराबंदी सिविलियनों को हताहत होने से बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। उसके पश्चात, आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी गई। विदेशी आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए काफी समय दिया गया लेकिन उन्होंने सशस्त्र बलों की चेतावनी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने धावा पार्टी को हताहत करने के लिए और अंधेरे की आड़ में बच कर भागने के लिए अपने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की टीम और 50 आर आर ने भी टीम के सदस्यों को हताहत होने से बचाने के लिए जवाबी गोलीबारी की। दोनों तरफ से लगभग चार घंटे तक निरंतर गोलीबारी चली और बचने के प्रयास में, विदेशी आतंकवादी गोलियां लगने से जख्मी हो गए और उन्हें घटनास्थल पर गोली से मार दिया गया। ऑपरेशन के क्षेत्र की पूरी रात घेराबंदी रखी गई और वहां की व्यापक रुप से तलाशी ली गई और काफी मात्रा में शस्त्र /गोलाबारुद, ग्रेनेड, सेल फोन और अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए। विशेष प्रकोष्ठ /दिल्ली पुलिस की टीम ने किसी को हताहत होने से बचाने और विदेशी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अपनी ए के -47 असाल्ट राइफलों से जवाबी गोलीबारी करते हुए 128 राऊंड चलाए। कानून की उचित धाराओं के अंतर्गत पुलिस स्टेशन पम्पोर, जम्मू और कश्मीर में इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया।

श्री कैलाश सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक

उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट ने घर के पिछली तरफ पोजीशन ले ली चूंकि यह उग्रवादियों के लिए भागने का सबसे ज्यादा सुभेद्य स्थान था। उग्रवादियों ने घर की ओर बढ़ने की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए घर के अंदर से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। जब क्षेत्र में अंधेरा छा गया तब उग्रवादी घर से बाहर निकलकर विभिन्न दिशाओं में भागते हुए धावा पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। उनमें से एक उग्रवादी उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट की ओर गोलीबारी करते हुए दौड़ा। उप निरीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत जिन्दगी की परवाह न करते हुए, अपनी जान के सभी खतरों की अनदेखी करते हुए और निडर एवं निर्भीक रहते हुए आत्मरक्षा में और आतंकवादी को निष्क्रिय करने के लिए अपनी सर्विस असाल्ट राइफल से 30 राऊंड चलाए। वे अपनी जान की परवाह न करते हुए मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने पूरे ऑपरेशन का निकट रुप से प्रबोधन किया। उप निरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट ने अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और आतंकवाद के समक्ष उच्च कोटि की अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी और वीरता का प्रदर्शन किया।

श्री राजेन्द्र सिंह सहरावत, उप निरीक्षक

उप निरीक्षक राजेन्द्र सहरावत ने उक्त घर के सामने पोजीशन ले ली और जब उग्रवादी ने भागने का प्रयास किया तब उप निरीक्षक राजेन्द्र सहरावत ने उस जे ई एम उग्रवादी, जो निरंतर अपनी पोजीशन बदल रहा था और उप निरीक्षक राजेन्द्र सहरावत पर निरंतर गोलीबारी कर रहा था, का हिम्मत के साथ सामना किया। आत्मरक्षा में और पुलिस टीम के सदस्यों और साथ के स्टाफ की जान बचाने के उद्देश्य से उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह सहरावत ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए और अपनी जान को आए खतरे की अनदेखी करते हुए निडर और निर्भीक होकर आत्मरक्षा में और आतंकवादी को निष्क्रिय करने के लिए अपनी सर्विस असाल्ट राइफल से 25 राऊंड चलाए। वे अपनी जिन्दगी की परवाह किए बिना मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने पूरे अभियान का भी निकट रुप से प्रबोधन किया। उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह ने अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी और आतंकवाद का सामना करते हुए उच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन किया।

श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक

अंधेरे और प्रतिकूल स्थलाकृतिक परिस्थिति के अंतर्गत, सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र ने घर के एक तरफ पोजीशन ले ली। उग्रवादी पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घर के बाहर आ गए। एक उग्रवादी उस जगह से भागने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र की ओर दौड़ा। सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। उस साहसी अधिकारी ने अपनी जान की

परवाह न करते हुए और उस जे ई एम उग्रवादी से आमना-सामना होने पर भी, जो अधुनातन असाल्ट राइफल और हैंड ग्रेनेड से लैस था, अपनी सर्विस असाल्ट राइफल से 27 राऊंड चलाए और उस आतंकवादी को मार गिराया। सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र ने अपने टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और आतंकवाद का सामना करते हुए अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी एवं उच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन किया।

श्री बिजेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल

उग्रवादियों ने जब पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी तब हैड कांस्टेबल बिजेन्द्र सिंह ने उस घर के सामने पोजीशन ले ली। जैसे ही उग्रवादी ने भागने का प्रयास किया तब हैड कांस्टेबल बिजेन्द्र सिंह ने साहस के साथ जे ई एम उग्रवादी का सामना किया। हैड कांस्टेबल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, जान को सभी प्रकार के खतरे की अनदेखी करते हुए, निडर और निर्भीक होकर आत्मरक्षा में अपनी सर्विस असाल्ट राइफल से 13 राऊंड चलाए और आतंकवादी का सफाया कर दिया। हैड कांस्टेबल बिजेन्द्र ने अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और आतंकवाद का सामना करते हुए अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी और उच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन किया।

श्री संजीव शौकीन, हैड कांस्टेबल

हैड कांस्टेबल ने उस घर के एक तरफ पोजीशन ले ली। एक उग्रवादी उस स्थान से भागने के उद्देश्य से हैड कांस्टेबल संजीव की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए दौड़ा। उस साहसी अधिकारी ने उस जे ई एम उग्रवादी, जो अधुनातन असाल्ट राइफल और हैंड ग्रेनेड से लैस था, अपनी जान की परवाह न करते हुए उसका सामना किया और अपनी सर्विस असाल्ट राइफल से 18 राऊंड चलाए और उस आतंकवादी को मार गिराया। हैंड कांस्टेबल संजीव ने अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपनी जान खतरे में डाली और आतंकवादी का सामना करते हुए अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी और उच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन किया।

श्री विनोद गौतम, कांस्टेबल

कांस्टेबल विनोद ने उस घर के पिछली तरफ पोजीशन ले ली। मुठभेड़ के दौरान, एक उग्रवादी धावा पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घर के पिछले हिस्से की ओर दौड़ा। इन गोलियों की बौछार में, कांस्टेबल विनोद ने निडर और निर्भीक होकर अपनी सर्विस असाल्ट राइफल से 15 राऊंड चलाए और उस उग्रवादी का सफाया कर दिया। कांस्टेबल विनोद ने अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में

डाला और आतंकवाद का सामना करते हुए अत्यंत व्यक्तिगत बहादुरी और उच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री कैलाश सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक, राजेन्द्र सिंह सहरावत, उप निरीक्षक, देवेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, बिजेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल, संजीव शौकीन, हैड कांस्टेबल और विनोद गौतम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 204-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, तमिलनाडु पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जे. जवाहरलाल,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 7.6.2007 को प्रदर्शन, सड़क पर धरना देने, पुतले जलाने और समाचार पत्रों को जलाने के रुप में एक आंदोलन राज्य के विभिन्न भागों में आयोजित किया गया। कानून एवं व्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव की प्रत्याशा से महत्वपूर्ण, समस्याग्रस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। वेल्लुपुरम जिले में आंदोलनकर्ता कम से कम 28 केन्द्रों में इकट्ठा हुए और वे अराजकता, गंभीर सुरक्षा जटिलताएं पैदा करने लगे। संकट महसूस होने पर, टी आर. मुरली, पुलिस उपाधीक्षक, डी सी आर बी प्रभारी कोट्टाकुप्पम उप -डिवीजन और निरीक्षक, टी आर. जे. जवाहरलाल की अध्यक्षता में एक बड़ी संख्या में पुलिस दल को अरुवल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट वेल्लुपरम जिला में थिरुचितरामबलम क्रास रोड जंक्शन पर पुंडुचेरी-बंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच -66) पर सुरक्षा ड्युटी पर तैनात किया गया। यह जंक्शन हमेशा से व्यस्त रहता है और घटना के समय वहां ज्यादा भीड़ थी। लगभग 10.15 बजे, थिरुचितरामबलम क्रास रोड पर अनेक सक्रिय आंदोलनकर्ता, आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए। आंदोलनकर्ताओं ने अचानक समाचारपत्र के लिपटे हुए बड़े बंडलों को आग लगा दी और यह आग सड़क पर फैल गई जिससे सड़क प्रयोक्ताओं, आम जनता, पुलिसकर्मियों और स्वयं आंदोलनकर्ताओं की जानों को खतरा पैदा हो गया। गंभीर संकट महसूस करते हुए, निरीक्षक टी आर. जे. जवाहरलाल ने आग बुझाने का प्रयास किया। उस समय टी आर. जवाहरलाल ने एक आंदोलनकर्ता को एक बोतल को खोलते देखा जिसमें पेट्रोल था। उन्होंने उसे आग फैलने के गंभीर परिणामों और आंदोलनकर्ताओं एवं आम जनता को होने वाले खतरे के बारे में चेताया। उस चेतावनी को अनुसुना करते हुए, उस आंदोलनकर्ता ने आंदोलनकर्ताओं के

बीच में, जहां निरीक्षक आग बुझाने में व्यस्त था, पेट्रोल की बोतल फेंक दी। आम जनता, आंदोलनकर्ताओं और पुलिसकर्मियों की जान को बचाने के उद्देश्य से और एक बड़े पेट्रोल विस्फोट को रोकने के लिए भी, टी. आर. जवाहरलाल साहस के साथ उस पेट्रोल की बोतल को पकड़ने के लिए गए लेकिन वह उन पर गिर गई। इस संघात में पेट्रोल उनकी पैंट पर फैल गया और जमीन पर लगी आग से उनकी पैंट ने आग पकड़ ली। टी आर. जवाहरलाल तत्काल जमीन पर गिर गए और आग की लपटों को बुझाने के लिए वह अपने शरीर को लुढ़काने लगे। पुलिस टीम उन पर एक भीगी हुई बोरी फेंकते हुए उन्हें बचाने के लिए तेजी से गई और आग को बुझाया तथा उन्हें जे आई पी एम ई आर (जवाहरलाल नेहरु इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रीसर्च) अस्पताल, पुंडुचेरी ले गए। डाक्टरों ने उन्हें तत्काल चिकित्सीय सहायता दी और यह घोषणा की कि उनके पैर और जांघ दोनों 20% जल चुके हैं। अपराध स्थल पर पुलिस टीम ने तेजी से फैल रही आग को बुझाया और 28 आंदोलनकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 188, 285, 427, 332, 307 के तहत अरुविले पी एस सी आर. 207/2007 के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस निरीक्षक, टी आर. जे जवाहरलाल ने अपनी बहुमूल्य जान को जोखिम में डाला एवं एक बड़ी पेट्रोल की बोतल का सामना किया और काफी बड़ा पेट्रोल विस्फोट होने से रोका एवं इस प्रकार से एक बड़े अग्निकांड को होने से रोका एवं कई जानों को बचाया। उनके द्वारा दिखाई गई वीरता और समय से की गई कार्रवाई के परिणामस्वरुप कई लोगों की जानें और जनसम्पत्ति को बचाया जा सका। अन्यों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और उन्हें गंभीर चोटें आईं जिससे उनके शरीर के काफी बड़े और दृश्य हिस्से पर स्थायी रुप से निशान पड़ गए। जब उन्होंने उस अनर्थ को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने होनेवाले शरीर के दर्द के परिणामों की परवाह नहीं की। टी आर. जे. जवाहरलाल ने कर्तव्यपराणता, प्रतिबद्धता, साहस और उच्च कोटि की वीरता का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, श्री जे.जवाहरलाल, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जून, 2007 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 205-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. बृज भूषण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
3. इकबाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक
4. विजय कुमार राणा, उप निरीक्षक
5. भूपेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस स्टेशन फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली के क्षेत्राधिकार के भीतर मानपुर गांव के नजदीक घने कतरी क्षेत्र में खुंखार डकैत कल्लू (उत्तर प्रदेश सरकार का एक लाख रुपए का इनामी) की उपस्थिति की मौजूदगी के संबंध में कार्रवाई संबंधी सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृज भूषण, बरेली ने समय रहते पूरे अभियान की योजना बनाई और अत्यंत गुप्त तरीके से 16 जनवरी, 2006 को प्रात: 3 बजे लक्षित कतरी क्षेत्र में पहुँचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की असाल्ट पार्टी में उप निरीक्षक विजय राणा, उप निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह और 4 कांस्टेबल थे। इस असाल्ट टीम को पुलिस उपाधीक्षक श्री इकबाल सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र श्री राजेन्द्र सिंह एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व वाली दो पार्टियों द्वारा बायें और दाहिनी तरफ से आड़ प्रदान की गई। प्रात: लगभग 3 बजे असाल्ट राइफल और कवर पार्टियां घने कतरी क्षेत्र में चतुराईपूर्ण ढंग से पैदल आगे बढ़ने लगीं। वह स्थान जहां कल्लू और उसके गिरोह ने शरण ले रखी थी, वह घना क्षेत्र था, वहां दिन के समय भी आगे बढ़ना और किसी भी चीज को ढूंढना आसान नहीं था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के नेतृत्व में पुलिस पार्टियां खराब दृश्यता और घने कोहरे के अंतर्गत प्रतिकूल और विषम मौसम के बावजूद लक्ष्य की ओर बढ़ रही थीं। इस चार घंटे के पुलिस अभियान के दौरान पुलिस पार्टी को प्रत्येक कदम पर जिंदगी के खतरे का सामना करना पड़ा। लेकिन इस पार्टी के नेतृत्व करने वाले के साहस

और सक्रियता की वजह से पुलिस पार्टी ने अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रखा। अथक प्रयास के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली उस स्थान पर पहुँचे जहां से कल्लू का गिरोह लगभग 25-30 गज दूर था। उस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली ने यह विचार किया कि उस स्थान से कोई कारगर कार्रवाई करना संभव नहीं था और पुलिस पार्टियों का उस खुंखार डकैत कल्लू गिरोह के नजदीक जाना बहुत खतरनाक था जिसने कई पुलिस मुठभेड़ों में डेढ़ दर्जन पुलिस अधिकारी मार दिए थे तथापि बहादुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपनी असाल्ट पार्टी के साथ उस गिरोह से लगभग 25-30 फीट दूरी पर पहुंचे। अचानक कल्लू और उसके गिरोह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उसकी पार्टी को मारने की मंशा से गोलीबारी शुरु कर दी। चूंकि कल्लू को खड़ी मुद्रा में पुलिस अधिकारी को गाली देने के पश्चात उस पर गोली चलाना उसकी आदत थी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह जानते हुए कि मौत उससे थोड़ी ही दूरी पर उसके सामने खड़ी है, फिर भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह नहीं की। उन्होंने अत्यंत साहस और कर्तव्यपरायणता के साथ, उस गिरोह को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए चुनौती दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के शब्द सुनने के पश्चात, उस गिरोह द्वारा उन्हें लक्ष्य बनाकर गोलियों की बौछार की गई जिसमें दो गोलियां बृज भूषण को लगीं और वे गोलियां सौभाग्यवश उनकी बुलैट प्रुफ जैकेट को लगीं और वे उस निश्चित मौत से दैवकृत रुप से बच गए। उस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अनुकरणीय साहस दर्शाया, और असाल्ट पार्टी में पुनः एक उत्साह पैदा कर दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और असाल्ट पार्टी ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। परस्पर गोलीबारी के दौरान पुलिस पार्टी ने दो -तीन डकैतों की चिल्लाने की आवाज सुनी। कवर पार्टी में सी ओ फरीदपुर श्री इकबाल सिंह की भी बुलैट प्रूफ जैकेट पर एक गोली लगी। भारी गोलीबारी के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , बृज भूषण के आदेशों पर और उनसे प्रेरणा पाकर, उप निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह सहित बहादुर पुलिस अधीक्षक (आर ए) राजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक विजय कुमार राणा निडर होकर अत्यंत बहादुरी और कर्तव्यपराणता के साथ अत्यधिक साहस का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और डकैतों को ढूंढने के लिए खून के धब्बे देखते हुए आगे बढ़े। 10-12 लोगों वाला गिरोह सेमी-ऑटोमटिक वाले घातक हथियारों से लैस था। गोलीबारी प्रातः 7.15 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक लगभग 45 मिनट तक चली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली और असाल्ट टीम और साथ ही कवरिंग टीम के अन्य सदस्यों ने अपने हथियारों से गोलीबारी शुरु कर दी।

चूंकि कल्लू और उसका गिरोह पीछे की तरफ से जवाबी हमला कर रहा था इसलिए वह स्थिति उनकी सुरक्षा के लिए संकटपूर्ण थी। गोलीबारी रुकने पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली ने तीव्रता से पुलिस को पुनः संगठित किया और डकैतों की तलाशी ली। खुंखार डकैत कल्लू उर्फ कलुआ का शव उस स्थान से लगभग 300 गज की दूरी पर पाया गया जहां डकैतों द्वारा भारी गोलीबारी की गई थी। बुद्धिमानी, बुलैट प्रूफ जैकेटों के उपयोग सहित फील्ड क्राफ्ट्स और रणनीतियों के इस्तेमाल किए जाने के परिणामस्वरुप

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृज भूषण और उसकी टीम जख्मी होने से बच सकी। इस घटना में निम्नलिखित बरामदगियां प्राप्त की गई:

i. 32 बोर की फैक्टरी निर्मित एक सेमी -ऑटोमेटिक पिस्तौल, 3 कारतूस, मैगजीन के अंदर 6 कारतूस और 6 खाली कारतूस

ii. 12 बोर की फैक्टरी निर्मित एक एस बी बी एल बंदूक, 9 कारतूसों सहित एक बैल्ट और 15 खाली कारतूस

iii. 10 खाली कारतूस एवं 9 एम एम के 13 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 23 खाली कारतूस और .762 बोर के 7 खाली कारतूस

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री बृज भूषण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इकबाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, विजय कुमार राणा, उप निरीक्षक और भूपेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी , 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

25—361 GI/2007

सं0 206-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक का तृतीय बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1) दलजीत सिंह चौधरी
उप महानिरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक का तृतीय बार)

(2) संतोष कुमार सिंह
निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

(3) अरुण कुमार सिंह,
निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

(4) संजय कुमार गुप्ता,
उप निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

(5) रविन्द्र बाबू
हैड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 9.8.2006 को, विश्वसनीय सूचना के आधार पर दलजीत सिंह चौधरी, उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन, जिला ओरैया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गांव कठोली की यमुना नदी के तट पर तंग घाटी के काफी अंदर पहुंचे जहां जहां सलीम उर्फ पहलवान गुज्जर, जिस पर 1,25,000/- रुपए का इनाम था, दस्यु सुंदरी गीता जाटव, जिस पर 15,000/- रु. का इनाम था और उसका काफी बड़ा गिरोह उस क्षेत्र में कुछ सनसनीखेज वारदात करने के लिए छोटी पहाड़ियों पर पड़ाव डाले हुए था। लगभग 1330 बजे, दलजीत सिंह ने एक बल की छोटी से टुकड़ी के साथ सावधानीपूर्वक उस तंगघाटी में प्रवेश किया जिसमें कंटीली झाड़ियां , काफी झाड़-झंखाड़

और फिसलन भरी /दलदल वाला ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र है और उन्होंने छोटी पहाड़ियों के ऊपर गिरोह के पहरेदार का पता लगाया। लेकिन उनके द्वारा कुछ करने से पहले ही, किसी तरह से गिरोह पहले से ही सतर्क हो गया और उन्होंने छोटी पहाड़ियों से अचानक दो शक्तिशाली ग्रेनेड पुलिस पार्टी पर उन्हें मारने के इरादे से फेंके। दोनों ग्रेनेड पुलिस पार्टी के नजदीक फटे। पूरा क्षेत्र धुंए और विस्फोटकों की दुर्गन्ध और धूल से भर गया जिससे पुलिस पार्टी भयभीत हो गई। रणनीतिक लाभ होने के कारण गिरोह ने पुलिस पार्टी को मारने के लिए स्वचालित हथियारों से उनपर अंधाधुंध गोलीबारी भी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने किसी तरह से फील्ड क्राफ्ट पद्धतियों का प्रयोग करके अपनी जानें बचाईं। गोलियां उनके पास से गुजर गईं। पूरी तंगघाटी गोलियों की आवाज से गूंज रही थी। इस अचानक हुए और अप्रत्याशित हमले पर दलजीत सिंह चौधरी ने अत्यधिक साहस और बहादुरी के साथ उन गैंगस्टरों से लड़ने के लिए अपने कर्मियों को प्रेरित किया और टीम को हमला करने वाली पार्टी, जिसमें वे स्वयं निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, उप निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता और हैड कांस्टेबल रविन्द्र बाबू थे और शेष सदस्यों को फलैंक पार्टी के रुप में उस गिरोह को रणनीतिक रुप से घेरने के लिए विभाजित किया। 20-25 डाकुओं वाला वह गिरोह रणनीतिक रुप से अच्छी पोजीशन पर था और पुलिस पार्टी को मारने की मंशा से उन पर निरंतर अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। उप महानिरीक्षक ने उस गिरोह को आत्मसमर्पण करने के लिए चुनौती दी लेकिन उन्होंने भारी गोलीबारी शुरु कर दी। एक गोली दलजीत सिंह की बुलैट प्रूफ जैकेट की छाती के दायीं तरफ लगी और वे दैवकृत रुप से बच गए। संतोष कुमार सिह और अरुण कुमार सिंह के साथ उप महानिरीक्षक तीव्र गति से अत्यधिक साहस, बहादुरी कर्तव्यपरायणता और वीरता तथा अपनी जानों की परवाह किए बिना उन पहाड़ियों पर चढ़ गए और उस गैंगस्टर की गोलीबारी की जद में घुस गए जो उन्हें लक्ष्य बनाकर लाईट मशीन गन (एल एम जी) से गोलीबारी कर रहा था। गोलियां उनके पास से सनसनाती हुई गुजर रही थीं और दलजीत सिंह चौधरी आमने-सामने, काफी निकट की लड़ाई में, एल एम जी की तेज गोलीबारी के खतरे में स्वयं आ गए और संतोष कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह की सहायता के लिए अपने साथियों के साथ उन पर गोलीबारी शुरु कर दी और उस गिरोह के सरगना को मार गिराया।

संजय गुप्ता और रविन्द्र बाबू उस दस्यु सुंदरी की ओर से की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी का सामना कर रहे थे जो गिरोह के सरगना के मारे जाने के बाद बदला ले रही थी। उन्होंने काफी साहस, कर्त्तव्यपरायणता और वीरता एवं अपनी जानों की परवाह न करते हुए गोलीबारी की जद में आते हुए उस दस्यु सुंदरी की गोलीबारी का जवाब देते हुए बहादुरी से गोलीबारी की और उस दस्यु सुंदरी को मार गिराया। इस प्रकार 1345 बजे से 1500 बजे तक दिन के प्रकाश में हुई उस मुठभेड़ में उस गिरोह के साथ आमना-सामना हुआ जो भारी शस्त्रों से लैस था। दलजीत सिंह की कमान में पुलिस पार्टी ने खतरे का सामना करते हुए अत्यंत साहस और उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और जोखिम भरी

तंगघाटियों वाले प्रतिकूल ऊबड़-खाबड़ वाले क्षेत्र में एक असाधारण मुठभेड़ में दो खूंखार गैंगस्टरों को गोलियों से मार गिराया। इस संबंध में निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

i. दो मैगजीन युक्त .303बोर की एक एल एम जी, 11 जीवित कारतूस और 18 खाली कारतूस
ii. एक .315 बोर की राइफल और एक मैगजीन, 16 जीवित और 21 खाली कारतूस
iii. एक डबल बैरल बंदूक-12 बोर, 4 जीवित और 8 खाली कारतूस
iv. ए के 47 के 12 जीवित और 19खाली कारतूस
v. .306 सेमी ऑटोमेटिक राइफल के 82 जीवित और 10 खाली कारतूस
vi. .303 बोर कारतूस के 4 चार्जर क्लिप्स
vii. .306 बोर कारतूस का 1 चार्जर क्लिप

इस मुठभेड़ में,सर्वश्री दलजीत सिंह चौधरी, उप महानिरीक्षक, संतोष कुमार सिंह, निरीक्षक, अरुण कुमार सिंह, निरीक्षक, संजय कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक और रविन्द्र बाबू, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक का तृतीय बार पुरस्कार के सबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 अगस्त, 2006 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 207-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश, पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक /पुलिस पदक का द्वितीय बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1)एम. अशोक जैन,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)

(2)अरविन्द सिंह चौहान
उप निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरांत)

(3)सहसवीर सिंह,
हैड कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

(4)राजेन्द्र सिंह नागर,
हैड कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 13.5.2006 को, एम. अशोक जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को सूचना प्राप्त हुई कि रण सिंह भदौरिया की अगुवाई में जगजीवन परिहार गिरोह गांव बधपुरा, पुलिस स्टेशन बधपुरा, जिला इटावा की तंगघाटी में मौजूद है। घेरा डालने वाली पार्टियों को तैनात करने के पश्चात, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी कमान में एक हमला पार्टी का गठन किया। लगभग 1400 बजे , चंबल की तंगघाटियों के काफी अंदर, छोटी पहाड़ियों पर चढ़ते समय गिरोह के पहरेदार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पुलिस बल के साथ देखा और उन्हें मारने के इरादे से गोलीबारी शुरु कर दी और गिरोह को सतर्क कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सर्वोच्च साहस के साथ गिरोह को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी लेकिन इसकी बजाय गिरोह ने उन्हें मारने की मंशा से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कमान में, पुलिस ने भी एक सुविचारित हमला शुरु किया। पहाड़ियों पर अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए, गिरोह हमला पार्टी पर निरंतर भारी गोलीबारी करता रहा। लेकिन

हमले के निरंतर दबाव और घेराबंदी करने वाली पार्टियों के कारण, गिरोह ने चंबल नदी पार की और अपहृत लोगों को ढाल के रुप में इस्तेमाल करते हुए घनी तंगघाटियों के माध्यम से जिला भिंड, मध्य प्रदेश में घुस गया। निरंतर पीछा किए जाने पर, लगभग 25-30 आततायियों ने जोरीपुरा, पुलिस स्टेशन हूफ, जिला भिंड (मध्य प्रदेश) की तगघाटियों में पोजीशन ले ली और गोलीबारी जारी रखी। गिरोह के सरगना रण सिंह भदौरिया ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ललकारा और आगे बढ़ रही हमलावर पार्टी को डराने के लिए एक अपहृत व्यक्ति को मार दिया। तंगघाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। अन्य अपहृत लोगों की जान बचाने के इरादे से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने असाधारण साहस दिखाया और उत्कृष्ट वीरता के साथ आततायी की गोलीबारी की जद में प्रवेश कर गए और आमने सामने चली गोलीबारी में उस गैंगस्टर को मार गिराया। निर्भीक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हमलावर पार्टी का मनोबल ऊँचा बनाए रखा और उस स्थिति का बहादुरी से मुकाबले करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। हमलावर पार्टी को निरंतर पुनः आश्वासन देते हुए उन्हें कवर देते हुए, वरिष्ठ अधीक्षक ने टीम और हमलावर पार्टी के सदस्यों में विश्वास और साहस का संचार किया। प्रभारी एस ओ जी दिवंगत अरविन्द सिंह चौहान, हैड कांस्टेबल रामकुमार, हैड कांस्टेबल सहसवीर, हैड कांस्टेबल राजेन्द्र नागर ने अत्यंत धैर्य दर्शाया और अपनी जानों को अत्याधिक खतरे में पाकर असाधारण साहस दर्शाया और उन चार गैंगस्टरों को मार गिराया जो हमलावर पार्टी पर उन्हें मारने के इरादे से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। इस प्रकार इस दिनदहाड़े हुई मुठभेड़ में, उनका खुंखार गिरोह से आमना सामना हुआ जो भारी शस्त्र से लैस था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम. अशोक जैन और उसकी हमलावर पार्टी के सदस्यों नामतः प्रभारी एस ओ जी दिवंगत अरविन्द सिंह चौहान, हैड कांस्टेबल राम कुमार, हैड कांस्टेबल सहसवीर, हैड कांस्टेबल राजेन्द्र नागर ने खतरे के समक्ष अत्यंत साहस और उत्कृष्ट बहादुरी दर्शाई और चंबल नदी की प्रतिकूल और जोखिम भरी तंगघाटियों में एक भीषण मुठभेड़ में 5 खुंखार अपराधी मार गिराए। इस संबंध में निम्नलिखित बरामदगियां की गई:

(1) .306 बोर की दो सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 500 जीवित कारतूस और 105 खाली कारतूस

(2) .303 बोर की एक राइफल, 205 जीवित कारतूस और 27 खाली कारतूस

(3) 12 बोर की एक डबल बैरेल गन, 35 जीवित कारतूस और 16 खाली कारतूस

(4) .315 की दो राइफल, 250 जीवित कारतूस और 50 खाली कारतूस

(5) .9 एम एम की एक कार्बाइन

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री एम. अशोक जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (दिवंगत), अरविन्द सिंह चौहान, उप निरीक्षक, सहसवीर सिंह, हैड कांस्टेबल और राजेन्द्र सिंह नागर, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

सं0 208-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक /पुलिस पदक का द्वितीय बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. राजेश कुमार पाण्डेय (वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार)
   अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
2. राम बदन सिंह, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   पुलिस उपाधीक्षक
3. शाहाब रशीद खान, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

एस टी एफ उत्तर प्रदेश ने राज्य में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया में और यह सूचना प्राप्त होने पर कि कुख्यात आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया, सलीम उर्फ सलार जिसका कोड "डाक्टर" है, 8.3.2006 को शहर में कुछ विशिष्ट और सामरिक महत्व के स्थानों पर विस्फोट करने के लिए वाराणसी की तरफ से लखनऊ आएगा। इस पर उन्होने तत्काल कार्रवाई करते हुए, उस कुख्यात आतंकवादी सलीम उर्फ सलाह को शहर में उसके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों द्वारा शहर में विध्वंस करने का मौका देने से पहले उसे गिरफ्तार करने हेतु जाल बिछाने के लिए एक पुलिस टीम की तैनाती की, जिसमें श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उनकी कमान में, श्री राम बदन सिंह, श्री शाहाब रशीद खान, दोनों पुलिस उपाधीक्षक, एस टी एफ और एस टी एफ के अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे। श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की कमान में श्री राम बदन सिंह और श्री शाहाब रशीद खान, उपलब्ध बल और मुखबिर के साथ 8.3.2006 को पुलिस स्टेशन गोसाईगंज, जिला लखनऊ के क्षेत्राधिकार के भीतर वाराणसी-सुल्तानपुर -लखनऊ रोड पर इंदिरा नहर कैनाल पुल पर पहुंचे । उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए भौगोलिक स्थिति के अनुसार श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस टी एफ ने एक

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/ पुलिस पदक का द्वितीय बार पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 मई, 2006 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

रणनीति तैयार की और श्री राम बदन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, श्री शाहाब राशीद खान पुलिस उपाधीक्षक, श्री बी एम पाल उप निरीक्षक एस टी एफ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस टी एफ की कमानों में उपलब्ध पुलिस बल को विभिन्न ग्रुपों में संगठित किया और सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और सतर्कता से लक्ष्य के लिए निगरानी रखी और प्रतीक्षा की। प्रातः लगभग 5.30 बजे सुल्तानपुर की तरफ से आ रहा एक ट्रक इंदिरा नहर कैनाल पुल के नजदीक रुका और एक रैक्सिन बैग कंधे पर लटकाए एक व्यक्ति उसमें से उतरा और मुखबीर से इस बात की पुष्टि हो जाने पर कि वह सलीम उर्फ सलार है, उस जगह से ट्रक के जाने के पश्चात, श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तेज आवाज में उसे आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन जवाब में, सलीम उर्फ सलार ने अकस्मात उन्हें मारने के लिए गोलीबारी शुरु कर दी जिससे वे बच गए और वे उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े लेकिन सलीम उस सड़क के साथ की कैनाल के प्रवाह की ओर चला गया जहां उसे श्री शाहाब रशीद खान, पुलिस उपाधीक्षक द्वारा चुनौती दी गई लेकिन सलीम बड़े दुस्साहस के साथ उनको मारने के लिए निरंतर गोलीबारी करता रहा जिससे वे दैवकृत रुप से बच गए। सामने लक्ष्य को देखकर, श्री शाहाब रशीद खान, पुलिस उपाधीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए, उसे गिरफ्तार करने के उद्देश्य से अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की बहादुरी का प्रदर्शन किया और अपनी आत्मरक्षा में गोलीबारी करते हुए वे आगे बढ़े। उनके आक्रामक रुख को देखकर, सलीम, हालांकि, पुलिस पार्टी पर निरंतर गोलीबारी करता रहा लेकिन वह पुलिस को चकमा देने के उद्देश्य से हबुआ पुल की तरफ कैनाल से आने वाले प्रवाह के मार्ग की ओर वापिस चला गया। श्री राम बदन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक जिन्होंने पुलिस पार्टी के साथ घात लगाकर, वहां पोजीशन ले रखी थी, आतंकवादी के आक्रामक तेवर देखकर, सलीम उर्फ सलार को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी और उसे तेज आवाज में कहा कि वह पुलिस से घिरा हुआ है लेकिन पुलिस पार्टी को अपने सामने और पीछे देखकर सलीम उर्फ सलार ने पुलिस उपाधीक्षक श्री राम बदन सिंह, जो उनके सामने थे, को निश्चित रुप से मारने की मंशा से उन पर निरंतर गोलीबारी की। चूंकि खूंखार आतंकवादी ने गोलीबारी तेज कर दी थी, तब "करो या मरो" की स्थिति में श्री राम बदन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत संरक्षा और सुरक्षा, अपनी जान की जरा सी भी परवाह न करते हुए उच्च कोटि के अनुकरणीय साहस और बहादुरी और उसे जिंदा पकड़ने के दृढ़संकल्प के साथ, आत्मरक्षा में संयम के साथ जवाबी गोलीबारी करते हुए, आतंकवादी के सामने आगे बढ़े। खुले में आमने-सामने की इस भीषण गोलीबारी में , खुंखार आतंकवादी सलीम उर्फ सलार घायल हो कर गिर पड़ा, जिसे बाद में मृत पाया गया। लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी सलीम उर्फ सलार एक खूंखार अपराधी था और उसके रिकार्ड में 18 अपराधिक मामले थे और वह दिल्ली का घोषित अपराधी था। दिल्ली पुलिस द्वारा उस पर 50 हजार रुपए का (आदेश संख्या 18-418-517/सी एंड टी/एसी-III /पी एच क्यू दिनांक 01.04.2005) और मध्य प्रदेश पुलिस से 25 हजार का पुरस्कार (आदेश संख्या ए ए वी/ ए डी/450/05 दिनांक 05/11/05) घोषित था। उसके पास से एक थैला मिला जिसमें विस्फोटक पाऊडर से भरा पेपर पॉकिट्स और फ्यूज एसेम्बली युक्त 4 डेटोनेटर थे।

इस मुठभेड़ में,सर्वश्री राजेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राम बदन सिंह, पुलिस उपधीक्षक और शाहाब रशीद खान, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/ पुलिस पदक का द्वितीय बार पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मार्च , 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 209-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के पुलिस पदक/ पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

(1)अखिल कुमार,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

(2)राजेश द्विवेदी,
पुलिस उपाधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

विगत दो दशकों के दौरान निर्भय सिंह गुज्जर चंबल की घाटियों में एक कुख्यात डकैत बन चुका था। फिरौती के लिए अपहरण करना, उगाही करना, हत्या, डकैती और निर्दोषों का उत्पीड़न करने जैसे अपराध करना दर्ज अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना उस दस्यु सम्राट के लिए आम बात थी। उसके समय में फैलाया गया आतंक पांचों राज्यों की सीमाओं में फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तदनुसार 1,50,000/- रुपए का पुरस्कार घोषित किया हुआ था। वह खूंखार डकैत 7.11.05 की रात को एक छोटी सी सात सदस्यीय, एस टी एफ की टीम द्वारा एक साहसिक मुठभेड़ में मारा गया। यह साहसिक मुठभेड़ श्री अखिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सक्रिय नेतृत्व में विचारपूर्ण ढंग से सोची गई, अतिसावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और अत्यंत साहस के साथ निष्पादित की गई जिसमें पुलिस उपाधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा सहायता प्रदान की गई। 7.11.05 को, सात सदस्यों वाली इस छोटी सी टीम को औरैया के पास चंबल की घाटियों में कुख्यात डकैत और उसके गिरोह की मौजूदगी के संबंध में एक विशिष्ट आसूचना प्राप्त हुई। एस टी एफ कमांडर को डकैतों के पास ए के 47, एस एल आर और ग्रेनेडों जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने की पूर्ण जानकारी थी। उनको इस बात की भी जानकारी थी कि वह गिरोह जोखिम भरे उस उबड़-खाबड़ वाले क्षेत्र में लड़ने में पूरी तरह पारंगत है। प्रतिकूल परिस्थितियों से न घबराते हुए और असाधारण प्रतिबद्धता और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिल कुमार ने उस मौके का फायदा उठाने का निर्णय लिया और उन्होंने अपनी छोटी सी टीम के साथ द्वितीय कमान अधिकारी के रुप में पुलिस उपाधीक्षक राजेश द्विवेदी के साथ अपना अभियान शुरु किया। उस बिल्कुल अंधेरे वाली रात में, वह टीम

नाईट वीजन डिवाईसिज की सहायता से संदिग्ध छिपने के अड्डे की ओर बढ़ी। तथापि, डकैतों के गिरोह ने किसी तरह से एस टी एफ की हलचल का पता लगा लिया और उन्हें भीषण गोलीबारी में उलझा दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिल कुमार और पुलिस उपाधीक्षक राजेश द्विवेदी को डकैतों द्वारा चलाई गई गोलियां लगी। गोली लगने के बावजूद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अनुकरणीय साहस और बुद्धिमानी का अनूठा परिचय दर्शाते हुए, अपनी टीम के सदस्यों को इस भीषण लड़ाई में प्रेरित करते रहे और उन्हें निदेश देते रहे। एस टी एफ कमांडर द्वारा की गई आत्मसमर्पण करने की सभी अपीलों को डकैतों ने अनसुना कर दिया और वे अंधाधुंध गोलीबारी करते रहे। सर्वश्रेष्ठ फील्ड क्राफ्ट्स और रणनीति का इस्तेमाल करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा सी भी परवाह न करते हुए एस टी एफ कमांडर ने पुलिस उपाधीक्षक राजेश द्विवेदी और उनके साथ के कर्मियों को सक्रिय बनाए रखा तथा डकैतों पर निरंतर दवाब बनाए रखा। एस टी एफ ने डकैतों पर पूर्ण मनोबल के साथ प्रभुत्व बनाए रखा और लगभग एक घंटे चली गोलीबारी में एस टी एफ कमांडर उस खुंखार डकैत को मारने में सफल हो गए और उन्होंने शस्त्र और गोलाबारुद का काफी बड़ा भंडार बरामद किया। 7 नवंबर की रात को औरैया के निकट चंबल घाटियों में यह एस टी एफ ऑपरेशन उत्कृष्ट साहस, धैर्य, कृतसंकल्प और कर्तव्यपरायणता का एक उत्तम आख्यान है जो भारतीय पुलिस सेवा की उच्चतम परंपराओं के अनुसरण में निष्पादित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिल कुमार ने बी पी जैकेट पर गोली लगने के बावजूद उस खुंखार डकैत का सफाया करने में असाधारण साहस, उच्च रणनीतिक कुशाग्र बुद्धि और प्रेरित करने वाले नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इस संबंध में निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

i. एक .30 बोर की सेमी ऑटोमेटिक राइफल
ii. एक .303 बोर राइफल
iii. .38 बोर की एक रिवाल्वर
iv. इस्तेमाल किए गए कारतूसों की काफी मात्रा
v. एक दूरबीन

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री अखिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और राजेश द्विवेदी, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक के प्रथम बार पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 नवंबर, 2005 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 210-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

(1)पद्म सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक

(2)हरप्रसाद सागर
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

30.09.2003/01.10.2003 की रात में, श्री पद्म सिंह, पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक हरप्रसाद सागर (तत्कालीन उप निरीक्षक) जो माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती (तत्कालीन भूतपूर्व मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश) की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें दिल्ली में उनके निवास पर छोड़ने के बाद, एक आम यात्री के रुप में सामान्य डिब्बे में कैफियत एक्सप्रैस से लखनऊ वापिस आ रहे थे। प्रात: लगभग 1.30 से 2.00 के बीच जैसे ही रेल बुलन्दशहर जिले में चोला रेलवे स्टेशन से गुजरी, तभी पांच अपराधी उस सामान्य डिब्बे में घुस गए और उन्होंने बंदूक की नोक पर यात्रियों को लूटना शुरु कर दिया। जब अपराधियों ने पुलिस उपाधीक्षक श्री पद्म सिंह के साथ बैठे यात्रियों को लूटने का प्रयास किया तब उन्होंने उन्हें चुनौती दी और अपना सर्विस हथियार निकालने का प्रयास किया। चुनौती दिए जाने पर उनमें से एक डकैत ने श्री पद्म सिंह को मारने के लिए उन पर गोली चलाई जो उनके पेट में लगी और उन्हें गंभीर रुप से जख्मी कर दिया। जब दूसरे अपराधी ने उन पर गोली चलाने का प्रयास किया तभी पद्म सिंह ने गंभीर रुप से जख्मी होने के बावजूद, अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और यात्रियों की बहुमूल्य जान और माल बचाने के लिए जवाबी गोलीबारी करते हुए एक अपराधी को घायल कर दिया। निरीक्षक हरप्रसाद सागर ने भी अपराधियों को चुनौती देने के पश्चात, अपने अधिकारी और निर्दोष यात्रियों को बचाने के लिए उन पर गोलीबारी शुरु कर दी। दोनों अधिकारियों द्वारा दिखाई गई बहादुरी के परिणामस्वरुप, अपराधी आतंकित हो गए और

हड़बड़ी में भाग लिए और चलती हुई रेल से कूद गए। गंभीर रुप से घायल श्री पद्म सिंह को उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।

इन साहसी अधिकारियों द्वारा की गई गोलीबारी से एक अभियुक्त, जो जख्मी हो गया था, को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ करने से इस अपराध में संलिप्त अन्य चार अभियुक्तों के नामों का पता चला। चलती रेल से कूदने के बाद एक अभियुक्त मर गया। शेष चार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। सेशन न्यायालय अलीगढ़ ने दिनांक 2.6.2007 के अपने आदेश में तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए, प्रत्येक को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 3000/- रुपए का जुर्माना लगाया। चौथे अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय की कार्रवाई चल रही है।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री पद्म सिंह, पुलिस उपाधीक्षक और हरप्रसाद सागर, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 अक्तूबर, 2003 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं0 211-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोजीबुल्लाह खान, हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

गोदेईबाड़ी के जंगलों में एन एल एफ टी (बी एम) आतंकवादियों के एक ग्रुप की हलचल की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, बांग्लादेश में भागने का प्रयास कर रहे उक्त आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए एक अधिकारी, एक जे सी ओ और बीस अन्य रैंकों वाले एक "प्रहार ग्रुप" क्यू यू-2223 तैयार किया गया। 9 जुलाई 2006 को 1530 बजे, घात के दौरान श्री मोजीबुल्लाह खान, हवलदार/जी डी ने आतंकवादियों के ग्रुप को उस घात स्थल को पार करने का प्रयास करने और बांग्लादेश की ओर भागते देखा । स्थिति की गंभीरता और अपनी टुकड़ियों को आसन्न खतरे में पड़ता महसूस होने पर, वे दृढ़ता के साथ भाग कर बांग्लादेश में घुसने वाले आतंकवादियों को रोकने के लिए दृढ़संकल्प रुप से आगे बढ़े, एक ग्रेनेड फेंका और उन्हें एक भीषण मुठभेड़ में उलझा दिया। पूरे दृढ़ संकल्प, साहस और व्यक्तिगत खतरे की परवाह न करते हुए उन्होंने आतंकवादियों पर धावा बोल दिया और दो आतंकवादियों को मारने में सफल हो गए। इसी बीच मेजर निशीथ थपलियाल, पार्टी कमांडर ने दूसरे छोर पर निकट आते एक और आतंकवादी को देखा और सफलतापूर्वक उस तीसरे आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया। 9 जुलाई, 2006 को "ओ पी गोदेईबाड़ी " की सफलता, हवलदार/जी डी मोजीबुल्ला खान के साहस, चतुराईभरी कुशाग्र बुद्धि और कर्तव्यपराणता का परिणाम थी। सैनिक को समय से की गई कार्रवाई अद्वितीय साहस का ऐसा बेहतरीन दृष्टांत थी जिसका लड़ाई में प्रदर्शन कभी-कभी देखने को मिलता है। इस ऑपरेशन का समापन तीन एन एल एफ टी (बी एम) आतंकवादियों के मारे जाने के साथ हुआ। इस संबंध में निम्नलिखित बरामदगियां की गई:

i. 7.62 एम एम की एस एल आर	01 नग
ii. 7.62 एम एम की एस एल आर मैगजीन	01 नग

सं0 212-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बी एस लुशई,
सूबेदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 8 मई, 2006 की रात को जे सी-37076 एक्स सूबेदार बी एस लुशई, दक्षिण मणिपुर में चूड़ाचांदपुर जिले में एस जेड ओ यू वेंग मेतई लेकई क्षेत्र में एक घात पार्टी का हिस्सा थे। लगभग 2240 बजे घात के दौरान, उन्होंने एक मारुति वैन को घात स्थल की ओर आते देखा। घात पार्टी द्वारा लगाए गए अवरोधक को देखकर, चालक ने कार को विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया और उसमें मौजूद सह चालक ने घात पार्टी पर गोलीबारी की। श्री बी एस लुशई, सूबेदार/ जी डी ने तत्काल जवाबी सटीक गोलीबारी की। इस कार्रवाई में के वाई के एल का वित्त सचिव और एक काडर मारा गया। जे सी ओ के तहत घात पार्टी की फुर्ती और कारगर रुप से की गई कार्रवाई के कारण ही यह यूनिट जनता के बीच सुरक्षा बलों की छवि में वृद्धि करने में समर्थ हुई। इससे सभी विद्रोही ग्रुपों में एक बहुत जबरदस्त संदेश पहुंचा। श्री लुशई द्वारा दर्शाया गया अनुकरणीय साहस और कर्तव्यपराणयता, प्रेरणा दायक है। इससे टुकड़ियों के बीच इस अनुकरण से उत्साह की इच्छा पैदा होती है। उनकी इस कार्रवाई ने न केवल इस क्षेत्र के विद्रोही ग्रुप के लड़ने की संभाव्यता में कमी की है बल्कि अपनी टुकड़ियों के लिए अनुकरणीय प्रशिक्षण मूल्यों की भी व्यवस्था की है।

इस मुठभेड़ में, श्री बी एस लुशई, सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

iii. 7.62 एम एम का एस एल आर गोलाबारुद 01 नग

iv. अभिशंसी दस्तावेज

इस मुठभेड़ में, श्री मोजीबुल्ला खान, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 जुलाई, 2006 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 मई, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 213-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री श्याम लाल,

हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

कांग्लेई याओ कुन्ना लुप (के वाई के एल) मणिपुर के एक प्रतिबंधित यू जी संगठन के भूमिगत (यू जी) काडरों की गतिविधि के संबंध में अपने स्रोतों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, 21 जनवरी, 2007 की रात को 34 असम राइफल्स की टुकड़ियों द्वारा एक तलाशी और विध्वंस अभियान शुरु किया गया। 22 जनवरी को लगभग 0600 बजे, यूनिट घटक प्लाटून जब खरन गांव की ओर बढ़ रही थी तब वह लाइट मशीन गन (एल एम जी) और ग्रेनेड लांचर का इस्तेमाल कर रहे उग्रवादियों की भारी गोलीबारी की जद में आ गई। प्लाटून कमांडर, प्रभारी-62834 पी मेजर बी के मेनन और उसके साथी संख्या जी/3400306 वाई हवलदार श्याम लाल ने उग्रवादियों को मार गिराने के लिए गोलीबारी की सहायता प्रदान करने हेतु अपनी लाइट मशीन गन डिटेचमेंट से तत्काल पोजीशन ले ली तथा उग्रवादियों की पोजीशन की ओर एक तरफ से बढ़ना शुरु किया। इस कार्रवाई से उग्रवादी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने पीछे हटते हुए हवलदार श्याम लाल और उस अधिकारी पर भारी गोलीबारी जारी रखी। कम संख्या में होने और उग्रवादियों की गोलीबारी की जद में होने के बावजूद, हवलदार श्याम लाल और वह अधिकारी गोलीबारी करते और रणकौशल से आगे बढ़ते रहे और भाग रहे उग्रवादियों का दृढ़ निश्चय के साथ पीछा करते रहे एवं अपनी कारगर गोलीबारी द्वारा एक उग्रवादी को, जो ग्रेनेड लांचर से गोलीबारी कर रहा था, मार गिराने में और दूसरे को घायल करने में सफल हो गए। तथापि, घायल उग्रवादी घने झाड़ -झंखाड़ का इस्तेमाल करते हुए बच कर भागने में सफल हो गया। इस अभियान में के वाई के एल ग्रुप का एक उग्रवादी मारा गया। बाद में उसकी पहचान स्वंभू प्राइवेट खागेनबाम अजाओ उर्फ इबुन्गो के रुप में की गई और इस संबंध में निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

(क) एक ग्रेनेड लांचर (लिथोड गन)

(ख) 16 जीवित राऊंड यूक्त ए के 56 राइफल की एक मैगजीन

(ग) एक रेडियोसेट (केनवुड)

(घ) उग्रवादियों से संबंधित काफी मात्रा में उनकी व्यक्तिगत मदें

इस मुठभेड़ में, श्री श्याम लाल, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 जनवरी, 2007 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 214-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री महेश्वर देमेरी,
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

संख्या 153690 एल राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी महेश्वर देमेरी त्रिपुरा में "ओ पी हिफाजत" में 15 असम राइफल्स में कार्यरत हैं। यह सैनिक मेजर एस रमेश के तहत "प्रहार टीम" का हिस्सा थे जो धूमाचारा क्यू यू-4394 के जंगल में एन एल एफ टी आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर एक चुनिंदा तलाशी अभियान चला रही थी। श्री महेश्वर देमेरी, राइफलमैन/जी डी चूंकि स्काउट का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहल की और उन्होंने एक अत्यंत दुष्कर और टेढ़े मेढ़े रास्ते से पार्टी का मार्गदर्शन किया जिससे कि उन्हें कोई ढूंढ़ न सके। 28 अक्तूबर, 2006 को लगभग 0450 बजे उस स्थान पर पहुंचने पर उस घर के चारों ओर घेरा डाला गया। मेजर रमेश के साथ वह सैनिक चुपके से उस घर के पिछली तरफ से रेंगते हुए बढ़े और भौंचक्का करने एवं स्तब्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने उस घर पर धावा बोल दिया। उस घर में चार आतंकवादी थे। हालांकि कम संख्या में होने के बावजूद राइफलमैन/ जी डी महेश्वर देमेरी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जान के जोखिम की परवाह न करते हुए और आसन्न खतरे के समक्ष असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए, दो आतंकवादियों पर झपट पड़े और उन्हें आत्म समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। यह साहसिक कार्रवाई, एक अद्वितीय साहस का बेहतरीन उदाहरण है जो लड़ाई में कभी कभार ही देखने को मिलता है और जिससे आतंकवादी स्तब्ध रह गए और वे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। इस सतर्क टीम ने चारों आतंकवादियों को पकड़ लिया ।इस अभियान में चार आतंकवादी एस एस एल/ सी पी एल सपन देबरामा उर्फ गौरी, एस एस प्राइवेट थनजॉय रिआंग उर्फ थुमजु, एस एस प्राइवेट खगेन्द्र त्रिपुरा उर्फ तजाहू और एस एस प्राइवेट संजीत देबरामा उर्फ समलोटा पकड़े गए और उनसे दो पिस्तौल, गोलाबारुद, लड़ाई में इस्तेमाल

किए जाने वाला स्टोर और अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए। 28 अक्तूबर 2006 को इस अभियान की सफलता, राइफलमैन/सामान्य ड्यूटी महेश्वर देमेरी द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय साहस, चतुराईभरी कुशाग्र बुद्धि, ड्यूटी के प्रति समर्पण का परिणाम थी।

इस मुठभेड़ में, श्री महेश्वर देमेरी, राइफलमैन अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 अक्तूबर, 2006 से दिया जाएगा ।

सं0 215-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री कैजालम,
हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

संख्या 152808 पी. हवलदार/सामान्य ड्यूटी कैजालम त्रिपुरा में ओ पी हिफाजत में 15 ए आर में कार्यरत है। यह सिपाही फलकबारी आर एम 31606 के सामान्य क्षेत्र में ए टी टी एफ आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना पर आधारित चयनित तलाशी चलाने वाले कैप्टन सौरव कुमार बावांकर के अधीन मुख्य टीम का सदस्य था। श्री कैजालम हवलदार /जीडी स्वैच्छा से मार्ग निर्देशक बना और उसने बिना पता चले आतंकवादियों को चकित करने हेतु पार्टी को मुश्किल और अनजान रास्ते दिखाए। दिनांक 12 सितम्बर, 2006 को लगभग 5.00 बजे जैसे ही पार्टी फलकबारी गांव के समीप पहुंची, उस क्षेत्र में मौजूद आतंकवादी घात से निकले और उन्होंने स्वचालित हथियारों और हथगोलों से उन पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। यद्यपि संख्या में कम होने और भारी गोलीबारी के बावजूद हवलदार/जी डी कैजालम निकट खतरे का सामना करते हुए कुशाग्र बुद्धि से जान को जोखिम में डालते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, असाधारण साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए, आतंकवादियों के स्थान पर अपने व्यक्तिगत हथियार से लगातार गोलीबारी करते रहे। इस अपूर्व साहसिक कार्रवाई से आतंकवादी चकित रह गए और उन्होंने तुरंत घात वाले स्थान को छोड़ दिया। श्री कैजालम ने कार्रवाई में अतुलनीय साहस का उदाहरण पेश किया जो कि लड़ाई में विरला ही होता है। इस अभियान में एक कट्टर एटीटीएफ आतंकवादी एस

एस एस सार्जेंट करण देव बर्मा उर्फ बीचिंग मारा गया और उसके पास से युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई। श्री कैजालम हवलदार /जी डी ने प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण स्थिति में निरंतर साहस और कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में, श्री कैजालम, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता हैं तथा इसके साथ फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

30—361 GI/2007

सं0 216-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. अथांगो लोथा
   कांस्टेबल
2. योगेस खावस
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 27 फरवरी, 2006 को लगभग 1430 बजे बी एस एफ की 42 वीं बटालियन की एक विशेष ऑपरेशन टीम ने यूनिट के एक मुखबिर द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर अब्दुल अहमद लोन पुत्र सोना लोन, गांव बन द्राबगांव, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के घर में विशेष तलाशी अभियान चलाया। पार्टी ने लक्षित घर को घेरने के बाद कांस्टेबल अथांगो लोथा और कांस्टेबल योगेश खावस तलाशी के लिए घर के अंदर घुसे। अचानक उन पर आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई और हथगोले फेंके गए। परिणामस्वरुप दोनों कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हो गए। अपने जख्मों की परवाह न करते हुए, दोनों कांस्टेबलों ने तुरंत अपनी स्थिति ले ली और अपनी ऐ के 47 राईफल्स से सामने आए एक आतंकवादी पर गोली चला दी और उसे वही मार गिराया। अत्यधिक खून बहने के बावजूद भी दोनों कांस्टेबलों ने दूसरे आतंकवादी के बच कर भागने के रास्ते को रोककर उसके बचने के प्रयास को विफल कर दिया और उसे गोलीबारी में व्यस्त रखा। बी एस एफ की 42 वीं बटालियन के कमांडेंट और चरारे -ए-शरीफ की पुलिस पार्टी के साथ मुख्यालय बटालियन का दलबल तुरंत मुठभेड़ स्थान पहुंचा और घेरे को मजबूती प्रदान की। बल के आने से कांस्टेबल अथांगो लोथा और कांस्टेबल योगेश खावस का हौसला बुलंद हो गया और दूसरे आतंकवादी को मार गिराने के संकल्प के साथ वे अपनी स्थिति से बाहर आए और दु:साहसिक कार्रवाई में दूसरे आतंकवादी को नजदीकी लड़ाई में मार गिराया। दोनों जख्मी कांस्टेबलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर इलाज के लिए 92 बी एच श्रीनगर ले जाया गया।

बाद में दोनों मृत आतंकवादियों की पहचान गुलाम मोहम्मद मल्ला कोड अय्यर पुत्र गुला मल्ला निवासी गांव थारना, जिला पुलवामा (हिजबुल मुजाहिदीन गुट का जिला कमांडर) और शौकत अली लोन पुत्र असादुल्लाह लोन निवासी गांव कारीडोर, शोपियन के रुप में हुई।

उस स्थान से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारुद और अन्य मदें बरामद किए गए:-

(i)	ऐ के राइफल्स	-	01 नग
(ii)	पिस्तौल	-	01नग
(iii)	एंटिना के साथ रेडियोसेट	-	01नग (1सी ओ एम)
(iv)	कम्पास	-	01 नग
(v)	मैग ऐ के श्रृंखला	-	03 नग
(vi)	ऐ के श्रृंखला का गोला बारुद	-	12राऊंड
(vii)	ऐ के गोलाबारुद ई एफ सी	-	27 राऊंड
(viii)	पिस्तौल मैगजीन	-	01 नग
(ix)	ई एफ सी पिस्तौल	-	01नग
(x)	गोलाबारुद पाऊच	-	01 नग
(xi)	बिना प्रयोग किए सिमकार्ड (एअरटेल)-		02 नग
(xii)	मोबाइल चार्जर	-	02 नग
(xiii)	नोकिया मोबाइल बैटरी	-	02नग
(xiv)	सांकेतिक दस्तावेज (मेट्रिक्स)-	-	20पेज
(xv)	पेंसिल सैल	-	04 नग
(xvi)	वाकमैन (क्षतिग्रस्त)	-	01नग
(xvii)	चाकू	-	01नग
(xviii)	छद्म वेशभूषा जैकेट	-	01 नग
(xix)	पहचान पत्र	-	01 नग
(xx)	वालेट	-	01 नग
(xxi)	भारतीय मुद्रा	-	3110/-रुपए
(xxii)	पाकिस्तानी मुद्रा	-	10 रुपए
(xxiii)	इयर फोन	-	01 नग
(xxiv)	ताजवीड माला	-	2 नग
(xxv)	ब्रेड	-	3 पकैट

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री अथांगो लोथा, कांस्टेबल और योगेश खावस, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा इनके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 217-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री
1. जरनैल सिंह, कांस्टेबल
2. पीटर टी., कांस्टेबल
3. रघु जी., कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 23/24 सितम्बर, 2006 को बी एस एफ की 195 वीं बटालियन के कांस्टेबल पीटर टी संख्या 90755511कांस्टेबल जरनैल सिंह और संख्या 90477001 कांस्टेबल रघु जी को राजस्थान फ्रंटियर के अधीन बी एस एफ की 195वीं बटालियन के कार्मिकों द्वारा संचालित शेरपुरा सीमा चौकी के बाऊंड्री पिलर संख्या 372 मुख्य के सामने स्थित सीमा फ्लड लाईट संख्या 1587 और 1591 के बीच नाका ड्यूटी पर तैनात किया गया था। संख्या 90755511 कांस्टेबल जरनैल सिंह 2200 बजे से 2400 बजे तक संतरी ड्यूटी पर था। लगभग 2300 बजे नाके पर तैनात कांस्टेबल जरनैल सिंह ने बार्डर फ्लड लाईट पोल संख्या 1590 के सामने एक आतंकवादी की संदेहास्पद हलचल देखी और फिर बार्डर फलड लाईट संख्या 1591 के सामने सीमा पर लगी बाड़ को काटने में व्यस्त 4 अन्य आतंकवादियों को भी उसने तुरंत कांस्टेबल पीटर टी और कांस्टेबल रघु जी को सतर्क कर दिया और आतंकवादियों को ललकारा। ललकारे जाने पर आतंकवादियों ने अपनी हमलावर राईफलों से बी एस एफ की नाका पार्टी की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। नाका पार्टी के कांस्टेबल पीटर टी और कांस्टेबल रघु जी ने भी लगातार गोलीबारी द्वारा आतंकवादियों को उलझाए रखा। तीन आतंकवादी गोलीबारी का सहारा और घने जंगल के कारण अंधेरे का फायदा उठाते हुए सीमा बाड़ को लांघ गए। तथापि, चौथा आतंकवादी पाकिस्तान की ओर भागने में सफल हो गया। सीमा बाड़ के पार से गोलीबारी की कवरिंग सहायता के तहत आतंकवादियों ने नाका पार्टी के तीनों सदस्यों को मारने का प्रयास किया क्योंकि वे लगातार गोलीबारी से उनका

रास्ता रोके हुए थे। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी इन तीनों कांस्टेबलों ने अपने को शांत रखा और उच्चकोटि की पेशेवरता और अदभुत पराक्रम का परिचय देते हुए गोलीबारी का जवाब दिया। इसी बीच आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ से संबंधित सूचना रेडियो सेट पर कम्पनी मुख्यालय को दी गई। कंपनी कमांडर ने बी ओ पी चित्रकूट से तुरंत सैन्य बल जुटाया और उसे नाका प्वाइंट पर भेजा। नाका प्वाइंट के नजदीक पहुंचने पर कुमुक ने बचने के सभी रास्तों की अवरुद्ध कर दिया। बाद में बगल वाली कंपनी और बटालियन मुख्यालय से भी कुमुक पहुंच गई। कुमुक को देखते ही आतंकवादियों ने बी एस एफ जवानों की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए पीछे खिसकने का प्रयास किया। स्थिति को समझते हुए कि आतंकवादियों को मारने में देरी करने पर वे पीछे खिसक सकते थे, इन तीनों कांस्टेबलों ने गोलीबारी के बीच आगे बढ़ने का साहसिक कदम उठाया। इन तीनों कांस्टेबलों के साहसिक प्रयास को देखते हुए आतंकवादियों ने उन पर ग्रेनेड फेंके जो नाका पार्टी से 40-60 मीटर की दूरी पर फटे। आतंकवादियों ने पीछे भागकर बचने का प्रयास किया। इस पर कांस्टेबल जरनैल सिंह, कांस्टेबल पीटर टी और कांस्टेबल रघु जी ने त्वरित जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी रेंगने की स्थिति को छोड़ा और भागते हुए तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद निम्नलिखित सशस्त्र, गोलाबारुद और विविध मदों के साथ तीन अज्ञात आतंकवादियों के शव बरामद हुए:-

(I) सशस्त्र /गोलाबारुद

(क)	आक्रमण राइफल्स	-	03नग
(ख)	जर्मन निर्मित राईफल्स एच के -270	-	01नग
(ग)	चीन निर्मित पिस्तौल	-	03नग
(घ)	जिन्दा कारतूस	-	20नग
(ङ)	ब्लाइंड ग्रेनेड	-	02नग
(च)	जिन्दा राकेट एच ई	-	04नग
(छ)	आक्रमण श्रेणी का गोलाबारुद	-	928नग
(ज)	पिस्तौल गोलाबारुद	-	95 राऊंड
(झ)	22 गोलाबारुद	-	272 राऊंड
(ञ)	ई एफ सी आक्रमण गोलाबारुद	-	120 नग
(ट)	आक्रमण मैगजीन	-	18 नग
(ठ)	पिस्तौल मैगजीन	-	06नग
(ड)	टयूब लाचिंग	-	02 नग
(ढ)	जर्मन निर्मित राइफल्स मैगजीन	-	02 नग
(ड)	टयूब लाचिंग	-	02 नग
(ण)	राइफल्स ग्रेनेड	-	04 नग

(II) विविध मदें

(क)	भारतीय मुद्रा	-	10,000रुपये
(ख)	पाकिस्तानी मुद्रा	-	60 रुपये

(ग)	राइफल कवर	-	02 नग
(घ)	बेनट म्यान के साथ	-	01 नग
(ङ)	मैगजीन पाउच	-	03नग
(च)	काला पाउच	-	3नग
(छ)	रकसैक	-	03नग
(ज)	चीन निर्मित टार्च	-	01नग
(झ)	लाईटर	-	02नग
(ञ)	दवाईयां	-	06-07टेबलेट
(ट)	कंघी	-	01नग
(ठ)	जूते	-	04जोड़े
(ढ)	पानी की बोतलें(प्लास्टिक)	-	03नग
(ण)	ट्राउजर जींस	-	03नग
(त)	टी शर्ट	-	03नग
(थ)	बैल्ट	-	03नग
(द)	मेवा	-	03पैकेट
(ध)	लाइफ जैकेट (छोटी)	-	06 नग
(न)	वैस्ट	-	03नग
(प)	चश्में	-	01नग
(फ)	पिस्तौल खोल	-	03 नग
(ब)	कम्पास	-	02 नग
(भ)	दस्ताने	-	02 जोड़े
(म)	फील्ड पट्टी	-	01 जोड़ा
(य)	वायर कटर	-	01 नग
(र)	स्टेनलैस स्टील चाकू	-	03 नग
(ल)	राइफल तेल केन	-	03 नग
(व)	शैम्पू	-	03नग

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री जरनैल सिंह, कांस्टेबल, पीटर टी, कांस्टेबल और रघु जी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा इनके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 218-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. महाराज सिंह,
   हैड कांस्टेबल
2. नरेश बिंजारे
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

स्थानीय युवकों की भर्ती करने, सर्दियों के लिए राशन के स्टॉक का प्रबंध करने और गांव रक्षा समिति को जारी किए गए .303 राईफल्स के कोंकिग बोल्ट एकत्र करने के लिए पुलिस स्टेशन, बसंतगढ़ जिला ऊधमपुर (जम्मू और कश्मीर) के पुनारा, लोधरा, रैचक और कुड़वाह के सामान्य क्षेत्र में एजाज अहमद पुत्र मोहम्मद लतीफ निवासी लोधरा और अबु बकर निवासी पाकिस्तान नामक दो आतंकवादियों की उपस्थिति से संबंधित विशिष्ट सूचना के आधार पर 13/14 सितम्बर, 2006 की मध्यरात्रि को बी एस एफ की 30 वीं बटालियन के जवानों द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। लगभग 140545बजे एस आई बच्चन सिंह ने नेतृत्व वाली एक घात पार्टी ने मक्के के खेत में से निचले पुनारा क्षेत्र के निवासी सफदर अली नामक एक स्थानीय नागरिक के घर जाते हुए दो संदिग्ध व्यक्तियों की हलचल को देखा। इन संदिग्ध व्यक्तियों ने घात पार्टी को देखते ही बी एस एफ पार्टी की तरफ अपने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। बी एस एफ पार्टी ने प्रभावी रुप से उनकी गोलीबारी का जवाब दिया, परन्तु उस समय तक वे सफदर अली के घर के तरफ दौड़ चुके थे और उन्होंने घर के अंदर स्थिति संभाल ली थी। चूंकि घर घने मक्के के खेत के बीच था, इसलिए घर को लक्षित करना मुश्किल था। घर को तुरंत घेर लिया गया और बच कर भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। तत्पश्चात जवान चतुराई पूर्वक लुकछिपकर घर के पीछे पहुंचे और महिलाओं तथा बच्चों को वहां से सफलतापूर्वक निकाल लिया। उसके बाद, आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, परन्तु आतंकवादियों ने घर के अंदर से ही बी एस एफ पार्टी पर

गोलीबारी शुरु कर दी। छोटे शस्त्रों से की गई गोलीबारी, पक्की इमारत में मौजूद आतंकवादियों को मारने हेतु प्रभावी नहीं थी। घर की चिमनी से भी हथगोला फेंककर आतंकवादियों को घर से बाहर निकालने के प्रयास किए गए लेकिन ऐसा करना बेकार रहा क्योंकि वे अच्छी रक्षात्मक स्थिति में थे। इसके बाद सांग और लोधरा में तैनात 12 आर आर के जवान मुठभेड़ के स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने हथगोले फेंके और मध्यम ग्रेनेड लांचर से 8 से 10 राउंद गोलबारी की। चूंकि आतंकवादियों को घर से निकालने के सभी प्रयास विफल रहे। इसलिए, 84 एम एम, सी जी आर एल राकेट दागे गए जिसके परिणाम स्वरुप दिवार ढह गई और दोनों आतंकवादी स्टॉप पार्टी की तरफ हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करते और हथगोले फेंकते हुए घर से बाहर आए और घर की पूर्वी दिशा में ऊजा नदी की तरफ भागे, जहां सख्या 800022080 एच सी महाराज सिंह एवं संख्या 970078557 कांस्टेबल नरेश बिजारे की स्टाप पार्टी ने स्थिति संभाल रखी थी। आतंकवादी स्टाप पार्टी के आमने सामने आ गए तथा उन्होंने संख्या 800022080 एच सी महाराज सिंह और संख्या 97008557 कांस्टेबल नरेश बिंजारे पर अपनी ऐ के 47 राइफल्स से गोलियों की बौछार कर दी। उच्च स्तरीय पेशेवरता का परिचय देते हुए त्वरित जवाबी कार्रवाई में बी एस एफ के दोनों जवानों ने छलांग लगाई और स्थिति ले ली एवं एक आतंकवादी को मौके पर मार गिराया। दूसरा आतंकवादी अंधेरे और मक्के के घने खेतों का सहारा लेते हुए बचने में कामयाब हो गया। मृत आतंकवादी की बाद में पहचान एजाज अहमद उर्फ अबु कुरकान पुत्र अब्दुल लतीफ, निवासी लोधारा के रुप में हुई । निम्नलिखित सशस्त्र और गोलाबारुद मुठभेड़ स्थान से बरामद हए:-

(क)	ऐ के 47 राईफल्स	-	01 नग
(ख)	ऐ के मैगजीन	-	02नग
(ग)	ऐ के गोलाबारुद	-	14नग
(घ)	चाईनीज ग्रेनेड	-	01नग
(ङ)	मोबाइल फोन (नोकिया1110)	-	01नग
(च)	एफ एम ट्रांस रिसीवर मोडल सं. जी एम आर एस 90102	-	01नग

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री महाराज सिंह, हैड कांस्टेबल और नरेश बिंजारे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार , पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा इनके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 219-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. नारायण दत्त सती, निरीक्षक
2. सुधीर कुमार चौहान, उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 28 मार्च, 2006 को बी एस एफ और बांग्लादेश राइफल्स के बीच गोलीबारी की घटना होने के बाद भारत बांगलादेश सीमा पर प्रभुत्व रखने के लिए कूच बिहार जिले (पश्चिम बंगाल) के कालसीपारा में एक नई बी ओ पी स्थापित की गई। बी एस एफ की 33वीं बटालियन की "ई" कम्पनी के सं. 98007853 उप निरीक्षक (एस आई) सुधीर कुमार चौहान को बी ओ पी कालसीपारा में पोस्ट-कमांडर के रुप में तैनात किया गया। 12 अप्रैल, 2006 को प्रातः लगभग 1655 बजे बी ओ पी कालसीपारा पर जब अस्थाई सड़क का मरम्मत और रखरखाव कार्य चल रहा था और प्लाटून पोस्ट के लिए अस्थाई टिन शेड खड़ी की जा रही थी तभी संतरी ने अपने ऑपरेशन दायित्व वाले क्षेत्र में सशस्त्र बांग्लादेश राईफल्स के जवानों की अजीब हलचल को देखा जिनकी आड़ में वहां के नागरिक अपने घरेलू सामान और पशुधन के साथ प्रत्यावर्तन के कर रहे थे। नागरिकों को वहां से निकालने के तुरंत बाद बी डी आर जवानों ने रक्षात्मक स्थिति ले ली और बिना किसी कारण के बी एस एफ पोस्ट पर गोलीबारी शुरु कर दी। बंग्लादेश राईफल्स के जवानों की लड़ाई की क्षमता उस समय और भी अधिक हो गई जब बंगलादेश सेना के जवान भी उनके साथ शामिल हो गए । कालसीपारा बी ओ पी पोस्ट कमांडर एस आई सुधीर कुमार चौहान उच्च कोटि की पेशेवरता का परिचय देते हुए बिना देरी के उपलबध कमान के अधीन जवानों को तैनात कर दिया और सीमापार से बांगलादेशी जवानों की गोलीबारी का कारगर रुप से जवाब दिया। उसने तुरंत कम्पनी मुख्यालय झीकाबारी पर ऑफिस कम्पनी कमांडर निरीक्षक एन डी सती को मामले के बारे में सूचना दी। निरीक्षक एन डी सती तुरंत कुमुक के साथ बी ओ पी कालसीपारा की

तरफ दौड़े और उन दोनों ने उच्च स्तर की पेशेवरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया और योजनानुसार अपने जवानों और हथियारों को पुन: तैनात किया और लगातार दुश्मन की गोलीबारी का जवाब देते रहे। इसका सारा श्रेय कनिष्ठ कमांडरों को जाता है जिनके कारण बंगलादेशी जवानों की बी ओ पी कलासीपारा पर कब्जा करने की कुत्सित योजना को सफलतापूर्वक निष्फल किया जा सका। उनके श्रेष्ठ युद्ध प्रबंधन और उत्कृष्ट रक्षा योजना के कारण अपने किसी जवान को क्षति नहीं पहुंची। जबकि आसूचना रिपोर्टों ने बताया कि दुश्मनों की भारी क्षति हुई और उनके नागरिकों की सम्पत्ति और पशुधन का भी नुकसान हुआ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री नारायण दत्त सती, निरीक्षक और सुधीर कुमार चौहान, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा इनके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 अप्रैल, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 220-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1.एस आर ओझा,
पुलिस उप महानिरीक्षक

2.अरविन्द्र सिंह,
द्वितीय कमान अधिकारी

3.पौजा लाल,
उपनिरीक्षक

4.डी एम दत्ता
लांस नायक

5.जे शिवशंकरण,
कांस्टेबल

6. मोहिन्दर सिंह (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल

7.सैय्यद शामद्दीन (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 24 फरवरी, 2005 को लगभग 1430 बजे भारी हथियारों से लैस दो फिदायिनों ने प्रभागीय आयुक्त (डी सी), श्री नगर के कार्यालय में इमारत के गेट पर सुरक्षा कर रहे सी आर पी एफ और जे के पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए बलात अंदर जाने की कोशिश की। 77वीं बटालियन के संख्या 800620061 एच सी / जी डी मोहिन्दर सिंह और संख्या 015051031 सी टी/जी डी सैयद शामुद्दीन स्थानीय पुलिस के साथ मुख्य प्रवेश द्वार पर चैकिंग / तलाशी ड्यूटी पर थे जिन्होंने आतंकवादी / फियादीनों के हमले का सामना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर

दिए। एक जे के पी और राज्य सरकार का एक कर्मचारी भी शहीद हो गया जबकि सी आर पी एफ की एक महिला, 2 जे के पी कार्मिक और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गए। फिदायीन डी सी कार्यालय के राजस्व काम्पलैक्स की तरफ दौड़े। पूरी कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के कारण परिस्थितियाँ अत्यधिक प्रतिकूल थीं और सरकार के साथ-साथ सुरक्षा बलों का पूरा ध्यान लोगों को राहत प्रदान करने पर था । आतंकवादियों ने अपनी चाल चलने के लिए सही समय चुना था परन्तु सुरक्षा बलों के संकल्प और चतुराईपूर्ण कौशल का अंदाजा लगाने में वे असफल रहे। आतंकवादियों को घुसपैठ करते देखकर सी टी/ जी डी जे शिवशंकरण, सी आर पी एफ के साथ लांसनायक डी एम दत्ता ने गेट पर संतरी ड्यूटी पर तुरंत आतंकवादियों पर गोलीबारी शुरु कर दी, जिसके कारण वे राजस्व काम्प्लैक्स की नजरुल इमारत की तरफ मुड़ने के लिए बाध्य हो गए। आक्रमण की सूचना तुरंत श्री बलराम बेहरा, डी/सी 77 वीं बटालियन सी आर पी एफ के साथ-साथ आई जी पी, सी आर पी एफ, श्रीनगर, श्रीरणजीत सिन्हा को भेज दी गई। भारी गोलीबारी होने के बावजूद वे जल्दी से मौके पर पहुंचे गए। वह भारी गोलीबारी के बीच कार्मिकों को निकालने में सहायक बने। शीघ्र ही श्री एस आर ओझा, डी आई जी पी, सी आर पी एफ, श्रीनगर, एस एस पी श्रीनगर, साथ ही एस पी सी टी साउथ, ईस्ट, एस ओ जी और श्री टी शेखर कमांडेंट 60 वीं बटालियन, सी आर पी एफ , श्री राकेश शर्मा, कमांडेंट 75 वीं बटालियन, सी आर पी एफ, श्री एम मिंज, कमांडेंट 123वीं बटालियन सी आर पी एफ और अरविन्द्र सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी 37वीं बटालियन, सी आर पी एफ भी अपनी पार्टियों सहित उनमें शामिल हो गए। श्री रणजीत सिंहा, आई जी पी, सी आर पी एफ, श्रीनगर की कमान के अधीन डी आई जी (आप्रे.) श्रीनगर, श्री एस आर ओझा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद जे के पुलिस के साथ परामर्श करके उनकी सक्रिय भागीदारी से स्थिति का जाएजा लिया और आप्रेशन की योजना बनाई। उनकी प्राथमिकता में नजरुल इमारत से सटी इमारत में फंसे स्थानीय नागरिकों को निकालना था। यह स्पष्ट नहीं था कि आतंकवादी कहां छिपे हुए है और अचानक हमले के दौरान इस कार्यालय में व्यापक अव्यवस्था हो सकती थी जहां प्रत्येक दिन हजारों नागरिक आते जाते रहते हैं। भिन्न -भिन्न सूचनाएं दी गई किन्तु आतंकवादियों की सही स्थिति का पता लगाना बड़ा मुश्किल था। श्री रणजीत सिंह, आई पी एस, आई जी पी श्रीनगर और श्री एस आर ओझा, डी आई जी पी (आप्रेशन), श्रीनगर सी आर पी एफ बंकर में प्रभागीय उपायुक्त के कार्यालय के परिसर के चारों तरफ घूमे और यह निर्णय लिया कि नजरुल इमारत की ओर बगलवाली अन्य इमारतों में इन फिदायिनों के ठिकाने होने की संभावना है। सी आर पी एफ 71 वीं बटालियन के बंकरों से 75वीं बटालियन के कमांडेंट श्री राकेश शर्मा की कमान के तहत, श्री एम मिंज की कमान , 60 वीं बटालियन के कमांडेंट श्री अरविन्द्र सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी और श्री बलराम बेहरा और एस आई/जी डी पौजा लाल की कमान के अधीन 77 वीं एवं 37 बटालियन को इन इमारतों को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया गया। उनके साथ जे के पुलिस का दस्ता भी था। श्री रणजीत सिन्हा आई जी पी, श्रीनगर श्री राकेश शर्मा के साथ सी आर पी एफ की 71 वीं बटालियन के बंकर में बैठ गए, जो नजरुल घर से अगली इमारत के गेट के सामने स्थित था। सी आर पी एफ की 37 वीं बटालियन को बंकर को आतंकवादियों के छुपने

के संभावित स्थान वाली पहली इमारत के गेट के सामने तैनात किया गया। श्री एस आर ओझा, डी आई जी पी (अभि) श्रीनगर, मोबाईल फोन और वायरलैस संचार के माध्यम से बंकरों में सभी क्यू आर टी एम की कार्रवाई को समन्वित करने के लिए सी आर पी एफ की 37 वीं बटालियन के बंकर में बैठ गए। श्री टी शेखर, कमांडेंट के अधीन 60 वीं बटालियन का बंकर ए/77 जवानों की बैरेक के नजदीक तैनात किया गया था ताकि बगल से किसी को बचकर भागने न दिया जा सके। श्री एम मिंज की कमान के अधीन 123 बटालियन की क्यू आर टी नदी के साथ इमारत के पीछे लगा दी गई ताकि आतंकवादी पीछे से बचकर भाग न सके। 37 वीं बटालियन के बंकर को चतुराई पूर्वक लगाकर, दो अधिकारी भी एस आर ओझा और द्वितीय कमान अधिकारी श्री अरविन्द्र ने बगल की इमारत से 71 वीं बटालियन के बंकर द्वारा सिविलियनों को निकालने के अभियान को रोकने वाले और नजरुल इमारत से रुक-रुक कर आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी से बचाने हेतु अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। अंदर फंस गई स्त्रियों सहित कई कर्मचारी और स्थानीय आगन्तुकों को श्री एस आर ओझा और रणजीत सिन्हा की देखरेख में बचाया गया और श्री राकेश शर्मा और उसकी टीम के सदस्यों ने अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए एवं अपनी जिन्दगी को गंभीर खतरे में डालते हुए फंसे हुए लोगों को बचाया। उस इमारत में दो कमरे थे। उन्हें खाली कराने बाद श्री एस आर ओझा, डी आई जी पी (अभि.) श्रीनगर की कमान के अधीन और सीधी देखरेख में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां एक कमरे से ए के -47 मैगजीन बरामद की गई। श्री रणजीत सिन्हा ने एक बंकर स्थल पर रहकर टीम के सभी लागों का मार्ग दर्शन किया। श्री राकेश शर्मा, श्री एस आर ओझा और श्री रणजीत सिन्हा ने शहर के बीच में स्थित विरासती इमारत और जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्य राजस्व रिकार्डों के किसी समपार्श्विक नुकसान के बिना सभी फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित निकालते हुए कर्तव्य निष्ठा और असाधारण कौशल एवं युक्तिपूर्वक तरीके से अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। नजरुल इमारत से गोलीबारी रुक-रुक कर और अंधाधुंध हो रही थी। खाली इमारत 71वीं बटालियन के कार्मिकों द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई। इसके बाद, श्री रणजीत सिन्हा और श्री एस आर ओझा 37 वीं बटालियन के बंकर में बैठ गए और उन्होंने नजरुल इमारत को खाली कराने के कार्य पर्यवेक्षण करना शुरु कर दिया। नजरुल इमारत की ओर रुकरुक कर अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी। अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए श्री रणजीत सिन्हा और श्री एस आर ओझा बंकर से बाहर से आए और उन्होंने द्वितीय कमान अधिकारी श्री अरविन्द्र और एस आई पौजा लाल की कमान के अधीन आक्रमण दल को अंतिम हमले के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। बगल की इमारत से 71 वीं बटालियन की क्यू आर टी द्वारा कवर प्रदान किया गया। श्री शेखर के अधीन 37वीं, 60वीं बटालियन तथा श्रीमान मिंज, श्री एस आर ओझा, श्री अरविन्द्र और एस आई पौजा लाल के अधीन 123 वीं बटालियन के बंकर को गोलीबारी से कवर देते हुए सुरक्षित स्थान पर नजरुल इमारत के नजदीक ले जाया गया। श्री रणजीत सिन्हा के मार्गदर्शन में मौके पर श्री एस आर ओझा, श्री अरविन्द्र और एस आई पौजा लाल अपनी टीम के साथ एक आतंकवादी को मारने में सफल हो गए जो नजरुल इमारत के बरामदे में अलमारी की पीछे था और वह पहले से ही बुरी तरह घायल था। बगल की इमारत की तरफ खुलने

वाली नजरुल इमारत की खिड़की से श्री एस आर ओझा, श्री अरविन्द्र और एस आई पौजा लाल की कमान के अधीन हमलावर दल ने टूटी हुई खिड़की से कमरे के अंदर कई हथगोले फेंके। जल्दी ही दूसरा आतंकवादी भी मारा गया और नजरुल इमारत खाली हो गई। 60 वीं बटालियन के कमांडेंट श्री शेखर और 123 वीं बटालियन के कमांडेंट श्री एम मिंज ने इसी बीच पूरी इमारत को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया और आतंकवादियों की गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई में उनको बचकर भागने नहीं दिया। उन्होंने कर्तव्य से बढ़कर अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनको भागने नहीं दिया। आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद भी उक्त पार्टी ने बाद के अभियान में बहादुरी से दोनों आतंकवादियों को मार गिराया और दो ए के -47 राइफल्स, 12 मैगजीन, 311 राउंद, 4 चाइनीज ग्रेनेड, 3 आगराज 69 टाईप ग्रेनेड और अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री एस आर ओझा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अरविन्द्र सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, पौजा लाल, उप निरीक्षक, डी एम दत्ता, लांस नायक, जे शिवशंकरण, कांस्टेबल, (स्वर्गीय) महेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल और स्वर्गीय सैयद शामुद्दीन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 फरवरी, 2005 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 221-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. त्रुपति कांत हाटी, डिप्टी कमांडेंट
2. राजेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 02.09.2005 को 2345 बजे अवानीरा गांव, पी एस जेनापोरा, उप प्रभाग शोपीयन, जिला पुलवामा में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में विशेष सूचना प्राप्त होने पर सी आर पी एफ की 69 वीं बटालियन के जवान, सी आर पी एफ की 69वीं बटालियन के कमांडेंट श्री एस. इलांगो की प्रत्यक्ष देखरेख के अधीन "घेरा और तलाशी अभियान" के लिए गए। श्री त्रुपति कांतहाटी डी सी, आई आर एल ए संख्या 3595, 69वीं बटालियन सी आर पी एफ की कमान के अधीन एक पार्टी घेरा और तलाशी के लिए तैनात की गई जिन्होंने गांव के पूर्वोत्तर में अपनी स्थिति ले ली। दिनांक 03.09.2005 को लगभग 0420 बजे सी आर पी एफ की 69 वी बटालियन के संख्या 830755739 एच सी (जी डी) राजेन्द्र सिंह ने, जो नाले के पास थे, नाले के पास में गांव की तरफ से स्टाकरों की हलचल को देखकर उनको चुनौती दी और चिल्लाए "कौन है?" स्टाकर (बाद में जिसकी पहचान कट्टर आतंकवादी के रुप में हुई) चुनौती दिए जाने पर पीछे मुड़ा और उसने उनकी तरफ गोलियों की बौछार करनी शुरु कर दी और घेरे को तोड़कर बच कर भागने का प्रयास करने लगा। यद्यापि एच सी (जी डी) राजेन्द्र सिंह, 69 वीं बटालियन सी आर पी एफ गोलियों के विस्फोट से थोड़ा विचलित हुए लेकिन उन्होंने अदभुत साहस का परिचय देते हुए अपने हथियार से कारगर जवाबी कार्रवाई की। श्री त्रुपतिकांत हाटी, डिप्टी कमांडेंट, 69वीं बटालियन सी आर पी एफ ने, जो छोटी पहाड़ी के दाहिनी बगल में एच सी (जी डी) राजेन्द्र सिंह, 69 वीं बटालियन, सी आर पी एफ से 10 फीट दूर थे आतंकवादी को भयंकर गोलीबारी से बचने के लिए भागते हुए देखा उन्होंने वहीं से उसका पीछा किया और "भाग रहा है, पीछा करो" चिल्लाते हुए आतंकवादी का

पीछा करने के लिए लगातार अपने कार्मिकों को निर्देश देते रहे। एच सी (जी डी) राजेन्द्र सिंह 69 वीं बटालियन, सी आर पी एफ आतंकवादी द्वारा की जा रही गोलियों की बौछार के प्रारंभिक झटके से और अपने कमांडर की ललकार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भाग रहे आतंकवादी का पीछा करने लगे। उन्होंने अदभुत साहस का परिचय देते हुए 100 मीटर तक पहाड़ी और उबड़खाबड़ क्षेत्र में आतंकवादी का पीछा किया और उस लड़ाई के में एक आतंकवादी को मौके पर ही मार गिराया (जिसकी बाद में अदील पठान के रुप में पहचान हुई)।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री त्रुपति कांत हाटी डिप्टी कमांडेंट और राजेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा इनके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 सितम्बर, 2005 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 222-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रंजन कुमार राय
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

07/09/05 को लगभग 1500 बजे नीलम सिनेमा, करन नगर, श्रीनगर के सामने की चारदीवारी पर स्थिति मोर्चे पर दो अज्ञात आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिस पर सी आर पी एफ की 50 वीं बटालियन के कांस्टेबल रंजन कुमार राय ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की जिसके परिणामस्वरुप एक आतंकवादी को मार गिराया गया और दूसरा पास के घरों में छिप गया। इसके बाद सुत्र शाही, करन नगर क्षेत्र का घेरा डाला गया और घर -घर की तलाशी ली गई। 08.09.2005 को मकान संख्या 18-ए की तलाशी के दौरान, 2 एस ओ जी/ जे के पी सहित सी आर पी एफ की 50 वीं बटालियन की तलाशी पार्टी पर छिपे हुए आतंकवादी ने गोलीबारी शुरु कर दी जिसके कारण सामने से आ रहे सी आर पी एफ की 50 वीं बटालियन के कांस्टेबल रंजन कुमार राय और एस ओ जी / जे के पी के कांस्टेबल अजय कुमार शर्मा को चोटें आई। एस ओ जी/जे के पी के कांस्टेबल अजय कुमार शर्मा चोट के कारण शहीद हो गए और सी आर पी एफ की 50वीं बटालियन के कांस्टेबल रंजन कुमार राय ने अपने पैर पर गंभीर चोट आने के बावजूद भी पीछे से कवर देने के लिए आतंकवादी पर जवाबी हमला किया। सी आर पी एफ की 50 वीं बटालियन के कांस्टेबल रंजन कुमार राय के अदम्य साहस, कुशाग्र बुद्धि और सही समय पर कार्रवाई करने से कई लोगों की कीमती जाने बच गई। बाद में छुपा हुआ आतंकवादी भीषण लड़ाई में मारा गया।

इस मुठभेड़ में, श्री रंजन कुमार राय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा इसके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 सितम्बर, 2005 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 223-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. कुरैशी वफादार अहमद,
   कांस्टेबल
2. मुनीष कुमार,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पटियाला धार में उग्रवादियों के प्रशिक्षण केन्द्र की मौजूदगी के संबंध में विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिलने के आधार पर, एस टी एफ और सी आर पी एफ का एक संयुक्त घेराबंदी दल 23.05.2005 को उस क्षेत्र में भेजा गया। संख्या 903062114 सीटी/जीडी कुरैशी वफादार अहमद और संख्या 035162647 सी टी/जी डी मुनीष कुमार उस घेराबंदी दल के सदस्य थे। घेराबंदी दल ने अपना कार्य पूरा करने के बाद 25.5.2005 को 2330 बजे के लगभग वायरलैस सेट से डेट मुख्यालय 147 वीं बटालियन सी आर पी एफ, गडोह से सम्पर्क किया और अभियान शुरु करने के लिए सैन्य सहायता का अनुरोध किया गया। तदनुसार एस आई/जी डी दीपक कुमार की कमान के अधीन ए /147 की एक प्लाटुन के साथ श्री एस के शर्मा डी /सी (अभि.) और श्री आर आर सिन्हा, द्वितीय कमान अधिकारी 147 वीं बटालियन, सी आर पी एफ की देखरेख में एस टी एफ की पार्टी घेराबंदी दल की सूचना पर पटियाला धार की ओर चली और 26.05.2005 को प्रात: 0800 बजे वहां पहुंची । घेराबंदी दल की साथ परामर्श करके मौके पर ही एक छापा अभियान की योजना बनाई गई और उसे तुरंत कार्यान्वित किया गया। सी टी /जी डी कुरैशी वफादार अहमद और सी टी /जी डी मुनीष कुमार, तीन एस टी एफ जवानों के साथ आक्रमण दल में शामिल थे। दल पूर्व निर्धारित स्थान पर

26.05.2005 को 0900 बजे पहुंच गए। आक्रमण दल ने शाल से अपने शरीर को ढके हुए दो आदमियों को ठिकाने से निकलते हुए और ठिकाने की तरफ वापिस जाते हुए देखा। दोनों आदमियों ने अपने चारों तरफ सुरक्षा बलों की उपस्थिति को देखकर गोलीबारी शुरु कर दी और घने जंगल में भाग जाने के लिए पूर्व की तरफ छलांग लगाई। ठिकाने में छुपे हुए उग्रवादियों ने पीका गन, आर पी जी और अन्य हथियारों से जवानों पर गोलीबारी शुरु कर दी। सी टी/जी डी मुनीष कुमार ने आर पी जी को लोड करते हुए एक उग्रवादी को देखा ओर तुरंत ए के 47 की गोलियों से प्रहार किया और उसकी छाती को भेद दिया। इसी बीच सी टी /जी डी कुरैशी वफादार अहमद जान बूझकर भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़े ओर उन्होंने पीकागन से हमारी एल एम जी पार्टी पर गोलीबारी कर रहे एक उग्रवादी के पीछे स्थिति ले ली और उसके सिर पर गोलीबारी करते हुए मौके पर ही उसे मार गिराया। सी डी/जी डी कुरैशी वफादार अहमद ने उसकी पीकागन और गोलाबारुद को अपनी हिरासत में ले लिया जबकि सी टी /जी डी मुनीष कुमार ने आर पी जी को जिन्दा कारतूसों के साथ अपनी हिरासत में लिया। कुछ उग्रवादी घने जंगल में भागने में सफल हो गए और उनमें से पांच इस अभियान में मारे गए। इन दोनों कांस्टेबलों द्वारा दिखाए गए समर्पण और साहस ने इस अभियान में भाग ले रहे अधिकारी और जवानों की जानें बचाई।

आक्रमण दल में शामिल एस टी एफ कार्मिकों ने भी उग्रवादियों पर समर्पित होकर हमला किया जिन्होंने दल शामिल कार्मिकों को क्षति/चोट पहुंचे बिना अभियान के संचालन में पार्टी की सहायता की। मृत उग्रवादियों की पहचान निम्नानुसार हुई:-

1. जमालुद्दीन पुत्र गुलाम नबी निवासी छाबा
2. फरीद अहमद पुत्र गुलाम नबी निवासी कांव
3. रैज अहमद पुत्र मोहम्मद शफी निवासी बटोगरा
4. शौकत हुसैन पुत्र गुलाम रसौल निवासी बटोगरा
5. शाहीद हुसैन पुत्र बदरुद्दीन निवासी दरमान

निम्नलिखित सशस्त्र /गोलाबारुद मुठभेड़ स्थान से बरामद किए गए।

1. पीका गन - 01 नग
2. राउंद - 39 नग
3. वायरलैस सैट - 01नग
4. आर पी जी - 01 नग
5. आर पी जी शैल - 02 नग (मौके पर नष्ट किए गए)
6. डायरियां

इस मुठभेड़ में, श्री सर्व/श्री कुरैशी वफादार अहमद, कांस्टेबल और मुनीष कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा इनके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 मई, 2005 से दिया जाएगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 224-प्रेज/2007 -राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. धूम रविन्द्र भाई,
   कांस्टेबल
2. गिरिराज गुर्जर,
   कांस्टेबल
3. दिलीप कुमार मीणा,
   कांस्टेबल
4. जीत बहादुर
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 12.02.2006 को लगभग 2200 बजे सी आर पी एफ की 162 वीं बटालियन में सहायक कमांडेंट श्री कृष्ण कुमार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, पुलिस स्टेशन यारीपुरा (अनंतनाग जिला) के तहत हमशलीबाग गांव में घेराव और तलाशी अभियान चालाया गया जहां दो सशस्त्र आतंकवादी छिपे हुए थे।श्री बच्चु सिंह, डिप्टी कमांडेंट की कमान के अधीन सी आर पी एफ की 162 वीं बटालियन के तहत जी/162 वीं बटालियन की दो प्लाटून और श्री पी ए दूबे की कमान के तहत एफ /162 वीं बटालियन की एक प्लाटून और पूरी कमान श्री एम आई मलीक, द्वितीय कमान अधिकारी, 162वीं बटालियन सी आर पी एफ के अधीन अभियान चलाया गया। घेराव का कार्य पूरा करने के बाद अंदर वाले घेरे में मौजूद सी आर पी एफ की 162 वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री कृष्ण कुमार ने श्री मंसूर वेयर के घर में छिपे आतंकवादियों को आत्म समर्पण करने की चुनौती दी। आत्म समर्पण करने के बजाय उन्होंने जवानों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी और फिर भीषण मुठभेड़ हुई। यह महसूस करते हुए कि बच कर भागना ही उचित है एक आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी के बीच घर से बाहर निकल भारी गोलीबारी करते हुए बाहरी घेरे को तोड़कर बचने का प्रयास

कर रहा था। परन्तु श्री धूम रविन्द्र भाई, सी टी/जी डी और श्री गिरिराज गुर्जर , सी टी / जी डी , 162 वीं बटालियन, सी आर पी एफ, जो बाहरी घेरे में स्थिति संभाले हुए थे, ने स्थिति का बहादुरी से सामना किया और आतंकवादियों एवं इन दोनों कांस्टेबलों की बड़ी नजदीकी मुठभेड़ हुई। श्री धूम रविन्द्र भाई सी टी / जी डी और श्री गिरिराज गुर्जर, सी टी/ जी डी अपनी डयूटी के प्रति समर्पित और सेवानिष्ठा की भावना से, अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए, आतंकवादी की गोलियों से मौत के खतरे का सामना करते रहे। शीघ्र ही वे एक आतंकवादी को मारने में सफल हो गए जो अपनी ए के 47 से लगातार गोलीबारी कर रहा था। कुछ समय बाद दूसरे आतंकवादी ने भी अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए घर से निकलकर बचने का प्रयास किया। परन्तु अंदरुनी घेरे में स्थिति लिए हुए श्री दिलीप कुमार मीणा , सी टी/जी डी और श्री जीत बहादुर, सी टी/जी डी, 162 वीं बटालियन सी आर पी एफ ने आतंकवादियों को उलझाए रखा आतंकवादियों की ऐ के - 56 से की जा रही लगातार गोलीबारी भी श्री दिलीप कुमार मीणा, सी टी/जी डी और श्री जीत बहादुरी, सी टी /जी डी के विश्वास और विवेक को नहीं हिला सकी। अपनी सुरक्षा और बचाव की परवाह न करते हुए श्री दिलीप कुमार मीणा, सी टी/जी डी और श्री जीत बहादुर, सी टी /जी डी मुठभेड़ में लगातार आतंकवादियों के नजदीक पहुंचते गए। इन कांस्टेबलों ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए दूसरे आतंकवादी को बाहर निकाल कर मौके पर ही मारने में कायमाबी हासिल की। सभी चारों कांस्टेबलों, श्री धूम रविन्द्र भाई, सी टी/ जी डी, श्री गिरिराज गुर्जर, सी टी/जी डी, श्री दिलीप कुमार मीणा , सी टी /जी डी, 162 वीं बटालियन सी आर पी एफ ने अभियान के दौरान साहस, सूझबूझ और बहादुरी का प्रदर्शन किया जिसके कारण दो खुंखार आतंकवादियों को मारा जा सका और उनके पास एक ऐ के-47 , एक ऐ के -56 , ए के मैगजीन-08, ऐ के -47 राऊंद-217, वायरलैस सैट 01 और 02 चीन निर्मित ग्रेनेड (मौके पर नष्ट किए गए) बरामद किए। उक्त चारों की बहादुरी पूर्वक कार्रवाई ने किसी जवान और सिविलियन को कोई हानि या नुकसान नहीं होने दिया। मृत आतंकवादियों की बाद में मोहम्मद युसुफ बट (कोड नाम अबु दिलावर), पुत्र अली मोहम्मद बट निवासी नंदी मार्ग, डी एच पुरा और अबु असदूल्ला, एक पाकिस्तानी आतंकवादी के रुप में पहचान हुई।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री धूम रविन्द्र भाई, कांस्टेबल, गिरीराज गुर्जर, कांस्टेबल, दिलीप कुमार मीणा, कांस्टेबल और जीत बहादुर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा इनके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 फरवरी, 2006 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं0 225-प्रेज/2006-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. राकेश कुमार,
   सहायक कमांडेंट
2. टी आर सेनापति
   हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 07.01.2005 को आई टी ओ इमारत पर एक फियादीन हमला हुआ जिसमें जे के ए पी और सी आर पी एफ का एक -एक कार्मिक मारा गया। आई टी ओ इमारत को सी आर पी एफ और जे के पी द्वारा तुरंत घेर लिया गया। जब सुरक्षा कार्मिकों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, तभी श्री राकेश कुमार, सहायक कमांडेंट, 84 वीं बटालियन, सी आर पी एफ और हैड कांस्टेबल/जी डी टी आर सेनापति, 37 वीं बटालियन सी आर पी एफ अन्य सुरक्षा कार्मिकों के साथ आई टी ओ इमारत में घुसे। जब एक आतंकवादी सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी एच सी/जी डी टी आर सेनापति ने उस पर निशाना साधा और अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए साहसिक कारवाई में बड़ी नजदीक से उसे मार गिराया। जब दूसरे आतंकवादी ने कमरे से निकलने की कोशिश की तो श्री राकेश कुमार, सहायक कमांडेंट और निरीक्षक राकेश अकरम, एस ओ जी ने गोलीबारी करके उसे वापिस मोड़ दिया। एस ओ जी और बी एस एफ कार्मिकों की पार्टी ने छिपे हुए अन्य आतंकवादियों के कमरे की छत में छेद बना दिया और छेद से कमरे में हथगोला फैंका। अन्य आतंकवादी अपने को बचाने के उद्देश्य से हमारे जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए कमरे से बाहर आए, और अंततः श्री राकेश कुमार, सहायक कमांडेंट, 84 वीं बटालियन, सी आर पी एफ और एस ओ जी, जे के पी के कार्मिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आमने सामने की गोलीबारी में उन्हें मार गिराया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री राकेश कुमार, सहायक कमांडेंट और टी आर सेनापति, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जाते हैं तथा फलस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 2005 से दिया जाएगा।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं0 226-प्रेज/2007-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अजमेर सिंह
कांस्टेबल/ड्राइवर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 20.5.2005 को प्रात: 0500 बजे, एक राजपत्रित अधिकारी और "बी" कम्पनी के 10 अन्य अधिकारियों की एक पार्टी स्वराज माजदा ट्रक में चांगलैंड से कानुबाड़ी में टी ई डब्ल्यू टी में उस स्थान पर उपस्थित होने के लिए गई, जहां 13 वीं बटालियन की "ए" कम्पनी स्थित थी। पार्टी मार्घेरिटा, तिनसुकिया, नहरकाटिया, नामरुप, दिल्लीघाट, भारत के रास्ते से कानुबाड़ी पहुंची। संख्या 47020789 कांस्टेबल/ड्राइवर अजमेर सिंह वाहन का ड्राइवर था। लगभग 1030 बजे पार्टी जब भारत से लगभग 12 किलोमीटर दूर दिल्लीघाट के नजदीक थी वह उल्फा गुट के संदिग्ध घुसपैठियों द्वारा लगाई घात में फंस गई। उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरु कर दी। गोलियों की पहली बौछार वाहन के ड्राइवर को असमर्थ बनाने और बाद में वाहन में बैठे हुए पार्टी के सभी सदस्यों को मारने के लिए की गई थी एक गोली ड्राइवर के दाएं हाथ में लगी और चोट के दर्द से वाहन कुछ देर के लिए रुक गया। इसी बीच प्रभारी अधिकारी ने स्थिति पर नियंत्रण किया। उन्होंने ड्राइवर को गोलीबारी रेंज से वाहन को दूर ले जाने का निर्देश दिया। गोली की चोट लगने के बावजूद और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए कांस्टेबल/ड्राइवर अजमेर सिंह कई कार्मिकों की जिन्दगी को बचाने के लिए वाहन को घात के क्षेत्र से दूर ले गया।

इस मुठभेड़ में, श्री अजमेर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक पुरस्कार के संबंध में लागू नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जाता हैं तथा इसके साथ फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 मई, 2005 से दिया जाएगा ।

(बरूण मित्रा)
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th November 2007

No.170–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Surinder Singh,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14.9.2006 a specific information was received at PP Punara that two terrorists were hiding in the house of a VDC member namely Manzoor Hussain S/o Gh. Qadir R/o Lower Punara, Tehsil Ramnagar, District Udhampur. A cordon/search operation was immediately launched by the Police party led by HC Surinder Singh No. 181/U Incharge PP Punara. When the terrorists were asked to surrender they stated indiscriminate firing upon the Police party. The Police party also retaliated. In the ensuing gun battle both the terrorists tried to escape from the house. HC Surinder Singh without caring for his life, chased the terrorists and eliminated one of the terrorist on spot. However when he was chasing the other terrorist, the said terrorist took position behind a big boulder in the nearby Nallah. HC Surinder Singh alongwith other Police personnel tried very hard to eliminate the hiding terrorist but due to dominating position of the terrorist he could not succeed. The terrorist targeted the advancing Police Party led by HC Surinder Singh and in the gun battle HC Surinder Singh alongwith other two Police personnel, received serious bullet injuries. HC Surinder Singh kept the cordon till he was evacuated in the evening and admitted in Command Hospital, Udhampur. Later on the eliminated terrorist was identified as Aijaz Ahmed @ Abdullah @ Abu Furkan S/o Mohd. Latief R/o Loudhra, a dreaded terrorist of LeT and an Area Commander of Dudu-Basantgarh area. Huge quantity of arms and ammunition was recovered from the possession of slain terrorist. Aijaz Ahmed @ Abdullah @ Abu Furkan S/o Mohd. Latief R/o Loudhra was the mastermind in killing the 13 members of minority community in Basantgarh area on 30.4.2006 besides the terrorist activities. The following arms/ammunitions were recovered on spot: -

i)	AK-47 Rifles	01 No.
ii)	AK-Magazine (Empty)	02Nos.

iii) AK-live rounds 13Nos.
iv) HE Chinese Hand Grenade 01No.

In this encounter Shri Surinder Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th September, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.171–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Prem Vishwas,**
   Assistant Commandant
2. **P. Swamy,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 30th June 2006, based on specific "G" information regarding presence of militants in a Shopping Complex in Bandipur market, Jammu & Kashmir, a joint Cordon and Search Operation was carried out by the troops of 90 Bn BSF and 15 RR. On reaching the targeted market place, the party laid cordon by 300830 hrs and search operations started at 300915 hrs. The party comprising of Shri Prem Vishwas, Assistant Commandant, No. 02009949 Constable P Swamy of 90 Bn BSF together with Lt. Col Vinay Rao Chauhan and 01 Sepoy of 15 RR was constituted for search of the shopping complex. The search started from ground floor to the top. While searching the cupboards of the second floor, three militants who were hiding behind a false roof ceiling, broke open and came out by firing indiscriminately on the search party. Lt Col Vinay Rao Chauhan was hit by volley of bullets and fell down. Constable P Swamy was also hit in the right leg. Despite being injured, Ct P Swamy by displaying exemplary courage and high degree of professional competency reacted quickly and fired on one of the militant in a close combat from his personnel weapon and incapacitated him. Since the second militant was in defensive position and continuing firing, Shri Prem Vishwas, Assistant Commandant and one Sepoy of 15 RR gave covering firing to Constable P Swamy and he in a quick reflex jumped towards the stair case and took position. All these three personnel had a narrow escape from the grenade lobbed by one militant. Since there was no

movement of Lt Col. Vinay Rao Chauhan from the upstairs of the house and seeing no movement of militants, Shri Prem Vishwas, Assistant Commandant with utter disregards to his personal safety and life went up again to the staircase to check upon fallen officer, Lt Col Vinay Rao Chauhan and the militant holed up. On reaching the top of the staircase, suddenly one militant with weapon came in face-to-face contact with Shri Prem Vishwas, Assistant Commandant. The officer displaying nerve of steel, shot down the militant on the spot in a face-to-face battle. Meanwhile, the house got fire due to grenade blast and all the three personnel except Lt Col Vinay Rao Chauhan came out of the house. After the fire was extinguished, the charred dead bodies of three militants with Lt Col Vinay Rao Chauhan were recovered from the spot. Out of the three militants killed, 02 were identified as Mandoor Ah. Dar resident of Ward No. 02, Bandipore and Abib Hussain Shah S/O Saifuddin Shah resident of Popchan, Bandipore. One unidentified slain militant was foreign militant. Following arms and amns were recovered from the spot: -

a)	AK 47 Rifle	-	02 Nos(Burnt)
b)	AK Mag	-	07 Nos (Burnt)
c)	Ammunition AK	-	14 Nos
d)	Chinese Pistol	-	01 No.
e)	Pistol Magazine	-	01 No.
f)	Pistol Amn	-	02 Nos.
g)	Radio set Kenwood	-	01 No.

In this encounter S/Shri Prem Vishwas, Assistant Commandant and P. Swamy, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th June, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.172–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Kashmiri Lal, Head Constable**
2. **Altaf Hussain, Constable** **(Posthumous)**
3. **Baljinder Singh, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 29th May 2006 at about 1400 hrs to 01st Jun 2006 at 1000 hrs on specific information, a joint special cordon and search operation was launched by the troops of 53 and 173 Bns BSF along with SOG and SSR, Tral in the area of Village-Amirabad (GR-MY-9992) District-Pulwama, Jammu & Kashmir. At about 300915 hrs, when the party was searching the house of Shaban Sheikh S/O Nabir Sheikh, the militants hiding in the dry fodder grass stored at the top of the house fired indiscriminately. Ct Baljinder Singh was covering the main entrance pitched in gallantly in front of militant fire and blocked the escape route. Militants continued firing from the top of the house towards Ct Baljinder Singh and also lobbed grenade in a bid to create escape route from the house. All the attempts made by the militants to escape from the house was very effectively checked by the gallant action of Ct Baljinder Singh as he stood as barrier at the entrance of the house by sustained firing. Due to exchange of firing and grenade blast, the dry fodder grass caught fire. On extinguishing the fire, the debris was removed and 02 dead bodies of militants recovered along with arms & amn who were later identified as: -

(i) Mohd Ashraf Bhat @ Sahil S/O Sanallah Bhat R/O Naudal (HM outfit).
(ii) Hafiz Mohd Athar @ Hafiz Janbaz R/O Maharashtra (HM outfit).

On 31st May 2006 at about 0600 hrs, search operation was resumed near the house of Gulam Mohd Lone and Gulam Quadir Lone. On seeing the BSF search party, militants hiding in two different houses fired indiscriminately and lobbed hand grenade on one of the search party. In a daring move Sh R S Bisht, Assistant Commandant, and Sh D S Brar, Deputy Commandant of 173 Bn BSF

in two different bunker vehicles took their teams closer to the target house. Ct Altaf Hussain and Ct Balijinder Singh of 173 Bn BSF were tasked to move towards the house. Amidst heavy exchange of fire, both these constables bravely and without caring for their personal safety crawled up to target house and lobbed one hand grenade each. Due to the blast of grenade and firing, the house caught fire. On this, a militant suddenly jumped out of the house by firing indiscriminately towards Ct Altaf Hussain who was blocking the entrance of the house and he sustained bullet injuries on chest. Despite being seriously injured, Ct Altaf Hussain by displaying extra ordinary courage injured the militant in a close quarter battle. HC Kashmiri Lal and Ct Balijinder Singh made a gallant effort to evacuate Ct Altaf Hussain who was injured and motionless. While doing so, HC Kashmiri Lal was hit by militants fire on his right forearm & right thigh. Seeing this, the militant made a suicidal bid and dashed towards HC Kashmiri Lal. Displaying great sense of duty and exceptional courage, HC Kashmiri Lal and Ct Balijinder Singh blocked the militants escape route and killed him on the spot by accurate fire. The killed militant was later identified as Mohd Ayub Naik S/O Sh Abdul Ahad Naik R/O Amirabad (HM Outfit). The fourth militant while trying to sneak out of the cordon was apprehended on 01 June at about 0400 hrs along with 05 UBGL grenades. He was later identified as Jassar Ahmed Khan S/O Mukhtiyar Ahmed Khan resident of Lazibal Mohalla of Anantnag. Ct Altaf Hussain made supreme scarifice for the nation during this operation. Following arms and amns were recovered from the spot: -

a)AK 47 Rifle	-	04 Nos
b)AK Mag	-	06 Nos
c)Ammunition AK 47	-	48 Nos
d)EFC AK-47	-	24 Nos
e)Pistol	-	01 No
f)Pistol Mags	-	02 Nos
g)UBGL Grenades	-	05 Nos
h)Burnt LPG Cylinder	-	01 No.
i)Mobile Nokia-1100	-	01 No

In this encounter S/Shri Kashmiri Lal, Head Constable, (Late) Altaf Hussain, Constable and Baljinder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th May, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

37—361 GI/2007

No.173–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Mohammad Madin, Lance Naik**
2. **Chandar Kant Boro, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23/11/2005 at about 1430 hrs, two Fidayeens suddenly appeared from the opposite of the main gate of D/96 Bn. One of the militants was firing constantly towards sentries of main gate giving cover fire to other. They lobbed two grenades targeting morcha of Guard Commander and fired heavily causing assassination of HC Rugha Ram. One militant was killed on the spot by the firing of Ct Ajay Kumar, sentry of Morcha No.3. Appreciating the situation of heavy cross firing, CT/GD Chandar Kant Boro taken tactical position by the side of door, when militants entered into the room, CT Chandar Kant Boro risking his life jumped out barehanded from his tactical position and caught hold of the barrel of the rifle of militant lifting it upside, pounced upon him and shouted loudly to kill the militant. CT Chandar Kant Boro indulged in close quarter battle with militant and had taken hold of barrel of rifle with both the hands and lifted it upwards. Militant was trying his best to release his rifle from the grip of CT Chandar Kant Boro to kill him. There was no scope of using weapon to kill militant as it could hit CT. Chandar Kant Boro also. L/Nk Mohd. Madin despite grave risk of his life, ventured to jump out from his tactical position to help CT Chandar Kant Boro and to eliminate the militant, showing professional competence, outstanding courage and alertness of his mind he changed the position of his rifle and hit the head and face of militant with his rifle butt till it was broken into pieces. By the time CT Chandar Kant Boro succeeded in snatching the rifle from the militant. Seeing that the militant was trying to pull out grenade from his pouch, CT Chandar Kant Boro immediately fired upon the militant from the snatched weapon of the militant itself. During this attack, two Fidayeen militants were killed and two AK-56 Rifles with 08 Magazines, 07 Chinese Grenades, 159 rounds of AK ammunition, two fake cards /two jackets and I type pouches were recovered from their possession. While countering this deadly mission of the militants, three gallant CRPF personnel also scarificed their lives and five other sustained injuries including serious injuries to one of them.

In this encounter S/Shri Mohammad Madin, Lance Naik and Chandar Kant Boro, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd November, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.174–Pres/2007- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Subesh Kumar Singh, Inspector General**	**(PMG)**
2.	**Narendra Bhardwaja, Deputy Inspector General**	**(PMG)**
3.	**Kalyan Singh, Assistant Commandant**	**(PPMG)**
4.	**Subash, Constable**	**(PMG)**
5.	**Bhim Kumar, Constable**	**(PPMG)**
6.	**Jeetendra Singh, Constable**	**(PPMG)(Posthumous)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 4/10/2006, around 1130 hours two heavily armed militants lobbed grenades and fired indiscriminately at access control point of New Standard Hotel in Budhshaw Chowk area, Srinagar. Ct/Bug. Jaswant Singh of 131 Bn on duty at the access point was killed on the spot as a result of the militant's fire. The Hotel located in the business hub near Lal Chowk witnessed utter confusion and chaos due to the militant's fire. The militants also managed to kill two JKP personnel at the crowded entry of the Hotel. The militants thereafter took up vantage position in the hotel and lobbed grenades and opened fire at the Dashnami Akhara building which was opposite to the hotel where 2 Coys of CRPF are located. Shri Subesh Kumar Singh, IG, Srinagar along with Shri Narendra Bhardwaja, DIG, Srinagar immediately rushed to the spot and deployed QRTs of the local Units around the hotel after taking stock of the position. Once the QRTs were in position, Shri SK Singh, IG first facilitated evacuation of the civilians who were caught in the cross-fire by using CRPF BP vehicles. Despite heavy fire from the militants, the CRPF troops succeeded in safely evacuating the civilians in the area. Shri S.K. Singh, IG, thereafter, in the face of heavy fire from the militants, repositioned the QRTs and planned the cordon to prevent the militants from escape. Shri S.K. Singh, took position in a

house behind the Standard Hotel and planned for the entry into the hotel complex. Shri Bhardwaja, took round of the entire area to ensure foolproof cordon amidst intermittent fire from militants. It was at this juncture, he observed one militant attempting to escape by jumping out towards a by-lane. He immediately moved his bunker in the area to thwart the militant's escape. The militant directed heavy fire at Shri Bhardwaja, shattering the wind screen of his BP vehicle. The escort of Shri Bhardwaja effectively retaliated forcing the militant to retreat back towards the Hotel. He, thereafter, joined Shri S.K. Singh for planning the assault in the hotel. It was, thereafter, decided to attempt entry through the attic which also subsequently attracted heavy fire from the militants. Shri S.K. Singh, IG, in the face of heavy militants fire and without caring for his personal safety, led one party to the attic from where he launched the operation into the Hotel by a group led by Shri Kalyan Singh, AC, 131 Bn. He simultaneously directed Shri Bhardwaja, DIG, to drill a hole in the side of the building so that the CRPF troops could have clear view of the staircase for providing covering fire to Shri Kalyan Singh's party. The CRPF party was thus facilitated in moving ahead from the attic to the 3rd floor. At this point, cries for help were heard from the 3rd floor. Shri SK Singh, in utter disregard for his personal safety, forged ahead and rescued three students from Himachal Pradesh who were crying for help. The Seize of the Hotel continued through out the night and the area was got illuminated using generators to prevent the militants from escape. The militants kept on firing intermittently through out the night, while Shri S.K. Singh, IG, Shri N. Bhardwaja, DIG and the CRPF troops continued to hold their positions through out the night. The room intervention operation commenced at 0530 hrs on 5/10/06. Sh. Kalyan Singh, AC, Ct Subash of 131 Bn along with other members of his party bravely cleared the 3rd floor of the complex. Due to pressure from this team, one of the militant hurled a grenade and jumped out from the first floor window to escape through Lohar Gali (by-lane connecting the Hotel). Ct Bhim Kumar of 123 Bn alongwith other CRPF troops who had been positioned there to plug the militant's escape, saw the militant and inspite of the grenade attack, promptly fired at the militant and shot him dead. Shri Bhardwaja, DIG, thereafter, took charge of the room intervention party and at grave personal risk drilled holes in 8 rooms of the 3rd floor to facilitate dropping of grenades in the 2nd floor. He, thereafter, proceeded to the 2nd floor under covering fire of own troops. The militant who felt cornered ran down the staircase and attempted to escape through the exit of the Hotel, opening fire from his AK-56 Rifle towards the CRPF cordon. Ct. Jitender Singh of 1st Bn, CRPF, engaged the escaping militant and inspite of receiving bullet injuries continued to fire and killed the militant before he laid down his life. Since the inputs indicated that there were 3 militants, Shri S.K. Singh, IG, Shri N. Bhardwaja, DIG and Shri Kalyan Singh, AC undertook mopping up operation room by room. They were able to recover 2 AK-56 Rifles of the militants alongwith 3 other AK-47 Rifles (snatched from the slain CRPF Ct and two JKP Cts) alongwith huge quantity of Arms/Amns. It turned out that only two militants were actually present and both were neutralized. The operation, undertaken in a densely populated and congested area, involved care for avoiding collateral damage to civilian property was successfully accomplished

due to the meticulous planning and execution undertaken by Shri S.K. Singh, IG, and Shri N. Bhardwaja, DIG.

In this encounter S/Shri Subesh Kumar Singh, Inspector General, Narendra Bhardwaja, Deputy Inspector General, Kalyan Singh, Assistant Commandant, Subash, Constable, Bhim Kumar, Constable and (Late) Jeetendra Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th October, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.175–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Arunachal Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bhola Shankar,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 25th August'2005 during **OP RED ROSE** in Paglam the Police-Army party led by Shri Bhola Shanker, IPS, SP Roing & LT. CoL. Karan Singh, 2 I/C, 5 Madras spotted some suspects near Bango. Shri Bhola Shanker moved forward and challenged them. Constable Mandeep Mishra was accompanying SP Roing in capacity of his Personal Security Officer (PSO). When SP Roing was fired upon by ULFA (United Liberation Front of Asom) militants, Const. Mandeep Mishra promptly pushed him on ground and fired back on militants. However Shri Bhola Shanker escaped narrowly with grazing injuries in Arms. His PSO Const. Mandeep Mishra received multiple bullet injuries in stomach and arms and started bleeding profusely. Inspite of difficult terrain, darkness and his injuries Shri Bhola Shankar got up and advanced in direction of fleeing militant by firing on the flank of the militant. He continued to engage the militant by constantly firing without caring for his own life in an attempt to save the life of his PSO Mandeep Mishra who had been incapacitated badly. When militants escaped under the cover of civilians, Shri Bhola Shanker launched a search operation. Next day another operation along with Army under Captain Virendra Singh had an encounter with same militants group in Doimukh area, where Shri Ritu Borah, area Commander of ULFA was killed and Naik Chandra Shekhar of 5 Madras was killed.

In this encounter Shri Bhola Shankar, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th August, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.176–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Dilip Kumar Dey,**
   Superintendent of Police
2. **Pratap Sinha,**
   Additional Superintendent of Police
3. **Suren Machary,**
   Deputy Superintendent of Police
4. **Sujit Kumar Saikia,**
   Inspector
5. **Nareswar Talukdar,**
   Armed Branch Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The militants of the banned ULFA organization have been very active in Nalbari district vis-avis the State of Assam, and have been engaged in actions detrimental to the security and integrity of the Nation. On 31.07.2006, Shri Dilip Kumar Dey, APS, Supdt. of Police of the District received a secret and reliable information that a heavily armed group of ULFA militants under the leadership of a self styled Captain of the banned outfit was taking shelter in village Arara(Janorpar Chupa) under Nalbari Police Station. Immediately Shri Dey planned an operation and moved towards the village with Addl.S.P. Shri P. Sinha and their gunmen. Sri Suren Machary, Deputy S.P.(HQ) and Inspector Sujit Kumar Saikia also proceeded towards the village, as per instructions of the S.P., alongwith a platoon of CRPF personnel as supplementary armed force. The police party raided the sheltering houses and a 45 minute long encounter took place between the police party and the militants. During the operation, the police killed two dreaded armed militants including the leader and apprehended two more alive besides recovering a huge cache of arms, ammunitions and explosives etc, as mentioned in the seizure lists. While performing the above tasks, the following police officers and men exhibited exemplary courage, devotion to duty, dedication and sincerity for the cause risking their lives at every moment under the volley of fire and explosion from the slain and apprehended militants. The officers executed the job very efficiently going

beyond their normal call of duty and exhibited a high degree of valour in their respective positions for which they deserve special recognition in the form of police medals for Gallantry. Individual gallant actions on the part of these officers are as below: -

Shri D.K. Dey, APS, S.P., Nalbari, Assam.

Shri Dey alogwith Constable Nareswar Talukdar, dared to challenge the Volley of fire from the militants and advanced towards them risking his life at every moment during the execution, aggressively fought against the onslaught and finally succeeded against heavy odds, in gunning down the dreaded ULFA militant Hemanta Deka @ Bikash Deka @ Abubhave Baruah and recovered from under his slain body an UMG(AK-86) with two loaded magazines. The exemplary individual act of gallantry exhibited by the officer is very highly appreciated and will be a source of inspiration for others. Further, he planned and executed the whole operation very meticulously and commanded it in a very intelligent and valiant manner which culminated in the elimination of two dreaded ULFA militants and the apprehension of two others, besides a huge recovery of illegal arms, ammunition, explosives and other materials which saved many unknown human lives and public properties, without sustaining any injury or casualty on the Police side, and the civilian population in the thickly inhabited village.

Shri Pratap Sinha, APS, Addl.S.P. (Security).

Shri Sinha tactfully and valiantly faced and deceived the militants and stealthily sneaked into the house from which the dreaded ULFA militant Rabin Kr. Das was firing at the Police party from an AK-56 assault rifle. He courageously challenged the militants and overpowered him after a scuffle and seized the assault rifle alongwith the loaded magazine from his possession without caring for his life and security. He stood as a great support for the S.P. in the operation and his prompt and gallant action provided great relief for his colleagues. He proved himself to be a dedicated Officer at the call of his seniors. The outstanding courage exhibited by the officer deserves appropriate recognition.

Shri Suren Machary, APS, Dy.S.P (Hqrs), Nalbari.

The young officer, with only four years of service performed conspicuous act of gallantry during the operation. As instructed, he laid down the inner cordon on the eastern side of the place of occurrence and waited for the opportunity to strike when a powerful grenade was hurled by a militant aiming at the police party. It exploded in a blank space, and the officer immediately jumped into action and advanced, alongwith Constable Girindra Bharali, towards the house sheltering the militant, fought a fierce gun battle and succeeded in eliminating the leader of the gang of militants and recovered from

him an AK-56 assault rifle alongwith two loaded magazines. The officer exhibited a high degree of valour in the execution of his task.

Inspector Sujit Kumar Saikia, O/C Nalbari, P.S.

Shri Saikia, took an active part in the operation against the militants, and as assigned, performed an act of conspicuous gallantry in his individual capacity when he braved the challenges of militants fire and advanced in his position to face the militants Jiten Talukdar. Shri Saikia with a sense of utmost dedicated, commitment and valour, overpowered and apprehended the militant alive and recovered from his possession two Mark-Spl. HG-84 Austrain grenades and a loaded magazine of AK-56 assault rifle, and thus saved himself and his fellow policemen from the instant threat of their lives.

AB Constable No.380 Nareswar Talukdar

Shri Talukdar performed a conspicuous act of gallantry when he opened fire at the extremists and fought shoulder to shoulder with the S.P against the volley of fire from the militants. He extended covering fire to the S.P. Shri Dey while advancing in action against the militants, and was able to share in the success of killing the dreaded militant Hemanta Deka who was relentlessly firing from the UMG which was recovered from his slain body. This act of gallantry exhibited by the recommendee during the operation requires a special recognition.

In this encounter S/Shri Dilip Kumar Dey, Superintendent of Police, Pratap Sinha, Additional Superintendent of Police, Suren Machary, Deputy Superintendent of Police, Sujit Kumar Saikia, Inspector and Nareswar Talukdar, Armed Branch Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st July, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.177–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Nitul Gogoi,**
   Senior Superintendent of Police
2. **Jitmal Doley,**
   Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Acting on a secret information that members of the banned ULFA who were involved in recent bomb explosions in Guwahati city were taking shelter in the residence of one Bhaben Rabha of Kamalnagar of Narakasur Hills, a police party under the leadership of Shri Nitul Gogoi, APS, Sr. S.P. City, Guwahati and Shri Jitmal Doley, APS, S.P.(Ops) led an operation on the intervening night of 12.06.2006 and 13.06.2006. At about 1.30 am when the police party was approaching the house of Bhaben Rabha and cordon was being put in place firing started from inside the house. Shri Gogoi and Shri Doley immediately commanded the police party to take cover. At that moment some armed boys came out of the house and started running towards the jungle and at the same time fired upon the police party. That police party led by Shri Gogoi and Doley chased them and ordered them to stop. But instead of responding to the Command, the extremists hurled a grenade towards the police party which exploded but fortunately Shri Gogoi and Doley who were leading from the front escaped due to timely cover taken by them. After this, the extremists fired on the police party again and in self-defence the police party also returned the fire. During the encounter, the extremists again hurled a grenade on the Police party which however did not explode. In the encounter, Shri Gogoi and Shri Doley held their ground in the open field which did not afford any cover from fire. During the encounter one of the extremists died on the spot while ¾ extremists managed to escape. When the firing stopped the place was searched and the dead body of an unidentified militants was recovered from the place of occurrence i) one 7.62 Pistol ii) 4 rounds of live 7.62 ammunitions. iii) 21 NO. of detonators fitted with fuse wire iv) one hand grenade cap and v) a pin of a Chinese grenade were recovered from the possession of the deceased militants. Later, the deceased was identified as Pulen Nath (25 years) S/O Shri Dukhoram Nath of village- Farm Gate, Dhotola, PS- Nalbari, Dist- Nalbari, Assam a hardcore ULFA militant. The deceased militant was involved in many terrorist activities in Guwahati and Nalbari Districts of Assam. In the above encounter,

Shri Nitul Gogoi and Shri Jitmal Doley displayed gallantry beyond the call of their duty by risking their lives in a situation when the odds were heavily against them. However, displaying exemplary courage and without caring for their personal security and safety, they were successful in neutralizing a hardcore ULFA militant besides recovering a pistol, ammunition and detonators used by the militants in the operation.

In this encounter S/Shri Nitul Gogoi, Senior Superintendent of Police and Jitmal Doley, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th June, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.178–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Bipin Chandra Medhi,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22.10.2005 information was received from one Bharat Agarwal of Machkhowa, Guwahati to the effect that some unknown ULFA militants demanded an amount of Rs. 1,00,000/- from him over telephone. On being entrusted by the O/C, Bharalumukh P.S. Guwahati City to investigate the case, S.I. Bipin Chandra Medhi laid a trap to apprehend the culprits and that same day arrested one person who had come for collection of the money form Shri Agarwal from his residence. On interrogation of the apprehended person another two persons involved in the extortion were also apprehended and who revealed the location of ULFA militants in Mangaldoi of Darrang District. On 25.10.2005 S.I. Bipin Chandra Medhi proceeded to Mangaldoi and with a PRC group under the command of Addl. S.P. (HQ), Darrang laid an ambush in disguise at a place called Muamari Chapori under Mangaldoi P.S. to apprehended the militants. At about 10.15 A.M. 4(four) ULFA militants armed with sophisticated weapons were noticed coming towards the ambush site and when the militants reached the site, S.I. Bipin Chandra Medhi disregarding his personnel safety jumped out of his hiding place and commanded the militants to surrender. The PRC personnel also followed S.I. Bipin Chandra Medhi. But instead of surrendering, the militants started firing at the police, One of the militants tried to hurl a grenade at the police. At this the police also retaliated and an encounter took place. During the encounter two (2) ULFA militants were killed while the remaining two (2) managed to escape. A number of arms, ammunition and incriminating documents relating to the banned ULFA were also recovered. The militants killed were later identified as Suresh Deka @ Rupjyolti Hazarika of Mangaldoi and Krishna Kanta Khatoniar @ Tolen Soud of Patacharkuchi, Baksa District. Exhibiting considerable presence of mind and exemplary courage, S.I. Bipin Chandra Medhi at great risk to his personal safety led the police party from the beginning and was successful in nabbing two hard core ULFA militants with recovery of following arms and ammunition:

(i) One Factory made pistol bearing No. 4601032
(ii) 2(two) Nos. of Magazines.
(iii) 9 (nine) Nos. live rounds of 9mm ammunition.
(iv) 1(one) empty cartridge of 9mm
(v) 3(three) Nos. of Chinese hand grenade
(vi) One active Mobile phone
(vii) One Sim Card
(viii) Some incriminating documents relating to the banned ULFA organization.

In this encounter Shri Bipin Chandra Medhi, Sub Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25th October, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.179–Pres/2007- .The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Prafulla Borah,**
   Sub Inspector
2. **Nripen Chamua,**
   Unarmed Branch Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On dated 02.10.2006 at about 10.30 hrs, in pursuance of counter Insurgency measures checking was conducted by Lakhimpur Police at Malpani Charialai North Lakhimpur Town. THC Arabinda Baishya on Naka duty stopped two Motorcycle borne youths for checking when one of them had whipped out a pistol to shoot at the THC. The THC reacted bravely by clutching the shirt of the extremist who managed to some how run away, while his accomplice fled with the Motorcycle. THC Arabinda Baishya how ever, chased the armed militant with his lathi while communicating the information over VHF, to District Police Control. The Town SI Prafulla Bora on duty intercepted the message and swiftly followed the chase with his Motor Bike by pulling out a traffic constable Nripen Chamua (Unarmed) from the nearest traffic point to accompany him. The duo thus overtook the THC who was chasing the militant on foot and while following the trail, the militant suddenly turned back and opened fire at the motorcyclist policemen. TSI Prafulla Bora ducked and controlled the running Motor Cycle and while negotiating, he asked the pillion rider (CN) Nripen Chamua to use his pistol and retaliate. The Constable executed the instruction while Shri Bora was close to the attacker with the running motorcycle and the militant was shot dead before he could cause any harm.

The dead militant was subsequently identified as one Shisuram Saikia @ Harubhai S/S Lance Corporal member of Action Group "B" Coy 28 Bn ULFA, (S/O-Late Lokeshwar Saikia) of village- No.2 upar Tarani Merapani, Dist Golaghat, Assam. The following have been recovered from the place of incident:-

(a) One Factory made (Italian) 7.65 pistol with 5 rds magazine loaded 7.65 ammunition.
(b) 11 rounds 7.65 live ammunition.
(c) One Nokia Mobile phone
(d) 2 Nos empty cases of 7.65 bullet.
(e) Some incriminating documents of ULFA organization

In this encounter S/Shri Prafulla Borah, Sub Inspector and Nripen Chamua, Unarmed Branch Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd October, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.180–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Bihar Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **MD. Farghuddin,**
   Sub Divisional Police Officer
2. **Ram Pukar Singh,**
   Sub Inspector
3. **Surendra Kumar Singh,**
   Sub Inspector
4. **Nasir Hussain Khan,** **(Posthumous)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23.06.2005 a large group of 500 CPI Maoism activists armed with sophisticated weapons and explosives, raided over Madhubani a town of East Champaran and seized the town, caused havoc through plundering cash from banks, rifles from anchal guard, P.S. Reserve guard and security guards of banks and killing a police constable of P.S. Reserve. All the symbols of state and central government were paralyzed and over run and communication systems were disrupted. On receipt of that highly sensitive information, SI Ram Pukar Singh, o/c Patahi P.S.with SI Pramod Poddar including one platoon of CRPF stationed at patahi, rushed to the place of occurrence under leadership of Mr. Farguddin, SDPO Pakridayal and SI Surendra Kumar Singh, O/c Fenhara with armed force also rushed to the place of occurrence via the shortest route, although extremely dangerious, full of apprehension of landmine in the way. The Police team, after a long and terribly difficult and risky chase, caught sight of the fleeing group of extremists. Their number was comparatively very large. It was substantially risky to challenge such a large group of heavily armed violent extremists. Despite of all adversaries, the Police team, irrespective of their numbers and armament, called out the fleeing desperadoes to stop and to

surrender, which was replied defiantly with heavy discharge of firings, resulting in bullet injury to one CRPF Jawan. They after taking front boldly fired heavily and aggressively with LMG and other deadly weapons and tried to encircle and overpower the Police Party. The situation was indeed, very critical. Finding the attackers extremely violent the Commandant CRPF B. R. Jakhar, fired 2" mortar. SI Ram Pukar Singh fired from the front, with SLR weapon of the injured CRPF jawan. That produced desired result. 3 (three) extremists were shot dead and two 7.62mm regular SLRs, one regular English gun, empty and live cartridges and other articles were seized from the spot. This achievement instilled highest order of confidence in the Police Team, on the other hand, the extremists were forced to leave the front. The police team, dead set on to trap the fleeing extremists, chased them in hot pursuit. Again, a very frightening encounter took place with one group of fleeing extremists in a Banswari near village Nasiba. Two CRPF constables received fatal bullet injuries that made the situation very grave and tense. The police party was forced to fire on attackers. The offenders had no option except to leave the front again. 3 (three) extremists were shot dead and arms and ammunitions were recovered from the PO. Arrival of DIG Suresh Kumar Bhardwaj and SP Vinay Kumar on the scene with heavy reinforcement enthused courage and exalted the morale of the combating police team. They further chased the diffused and disheartened group of extremists very closely. The third and decisive battle of bullets took place near village Parsauni. The extremists stationed in a dense mango orchard, were fighting hard with intention to beat off the police party and escape safely. In the meantime bullet injury to CRPF Havildar infuriated the Police party. They rose to the occasion with extreme conviction and spirit to do or die, in utter disregard of self. The offenders were charged with mortars and LMG, which did not produce desired result. They were firing incessantly on police party. Then, by the order of DG and SP, Para illuminating rounds were fired and as a last resort, HE bombs were lobbed into the orchard, which completely diffused the group of extremists. One extremist, Prabhu Sahin was arrested and huge quantity of arms, ammunitions, explosives, communication equipments and literature related to planning and execution of "Operation Dhamaka" including a regular .303 police rifle were recovered from the PO. In all, the police officers fired 527 rounds from their rifles, SLRs, carbines and pistols out of which the nominees, Farguddin, SDPO Pakridayal fired 20 rounds from his pistol, SI Ram Pukar Singh 28 rounds from his pistol and SI Surendra Kumar Singh fired 11 and 26 rounds from the pistol and rifle respectively. Firings by extremists were made profusely and so unassessed. Firings by the police party in this eventful operation was most controlled and fully justified. Attack on Madhuban by a militant group of Maoist extremists was well thought out and well planned. Seizures divulged the nationwide network of extremists their movements, planning, organizational names and wide gamut of information, which have been analyzed in the detailed S. note 05 SP. Updated investigation

of the case, confessional statement of arrested extremists, received documents and literature reveal that "Operation Dhamaka" as they had named it in their documents, i.e. attack on Madhuban town was the outcome of a strategic plan for which a number of hardcore extremists at the national level were mobilized. A big quantity of arms and ammunitions were requisitioned from outside States.

In this encounter S/Shri Md. Farghuddin, Sub Divisional Police Officer, Ram Pukar Singh, Sub Inspector, Surendra Kumar Singh, Sub Inspector and (Late) Nasir Hussain Khan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd June, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.181–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Chhatisgarh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pradeep Gupta,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 16.09.2006 at about 0915 am, Superintendent of Police, North Bastar Kanker District, Shri Pradeep Gupta received information at about 0830 hrs a patrol party of Police Station Bhanupratappur of his Distt was ambushed and fired upon by Naxalites in the jungles near village Sonadai while it was patrolling and searching the area. Pradeep Gupta immediately rushed to the spot and joined the patrol party near the encounter site and took stock of the situation. The available information revealed that the Naxalites were around 60 to 70 in number, which included two of their military units ("Platoon dalam"). Without any further delay Pradeep Gupta decided to seek out and get at the extremists even with the limited number of men available with him in a determined fashion, and worked out a plan for a thorough search of the area. The available force was divided into two teams and Pradeep himself led the first team. He briefed the teams about the plan, and to move tactically in close proximity and coordination. The thick undergrowth and foliage of jungles offered limited visibility and coupled with the mountainous terrain made their movement very difficult. The topography compounded the danger of being ambushed by the extremists, but the police party under the determined leadership of Pradeep Gupta set out to fulfill its duty to nab the Naxalites. The teams kept searching the jungles without respite for nearly 4 hours. At about 1530 hrs, when the teams were nearing village Korakhurre, it was ambushed by Naxalites who started firing on police. The fire was very heavy and intense from automatic weapons. The policemen took no time in reacting and fired back in self-defence after diving for cover. The Naxalites were in a big number and were yelling and hurling threats at the policemen to surrender to survive their attack. Pradeep Gupta urged his men to fight back with courage and strength, and kept the morale of his men high by constant goading and leading the offensive from the front. He kept boosting the morale of the Second Party took over the wireless. While the exchange of fire was going on, the

Commander of the Second Party, which was at a little distance informed the SP over wireless that the Naxalites were closing on them from two sides by attacking from a new flank, tactically dominating over his party by pinning them down and that they may succeed in killing them if not rescued immediately. On hearing this, Pradeep Gupta quickly decided to go for aggressive offensive to defeat the naxal assault to protect and rescue his men. It was an extremely critical juncture when a wrong decision or even a hesitation could have meant loss of lives of his subordinate policemen and victory for the terrorists. He instructed the Second Party to hold their ground firmly and provide cover fire to facilitate advance of his party. Encouraged with the bold and active support of their leader, the Second party compiled and provided cover fire. Pradeep, leading from front, started advancing and firing towards the naxalites. His courageous move in the face of heavy volley of intense firing directed towards him was fraught with grave danger and risk to his life. Having decided to protect his endangered fellowmen, he ignored the danger to his own life. Encouraged with the brave and courageous action of their leader, the police force responded by advancing and following him. When Pradeep reached close to the naxal position he spotted the naxal leader who was commanding and exhorting the naxal cadres. Pradeep fired bursts at the commander with his assault rifle, which hit him, and he fell down. The fall of naxal leader proved to be a big blow to the Naxalites who then started retreating and fleeing. The tide immediately turned in favour of police who started advancing and giving chase to the retreating Naxalites. The bold and courageous initiative of Pradeep broke the naxal seize and their morale. The grave danger to his policemen was successfully averted. However the remaining Naxalites used the cover of dense jungle and receding daylight to escape from the site and the pursuing policemen. On the subsequent search of the encounter site, Police recovered the dead body of the naxal commander with a .303" rifle and its live ammunition. The dead Naxalite was later identified as Vikasanna @ Vikas @ Shivanna, a Member of Danadakaranya Special Zonal Committee (DKSZC), which is a State Committee of the CPI (Maoist) covering their activities over the States of Chhattisgarh and part of Maharashtra. He was also the Secretary of Garhehiroli Divisional Committee of CPI(Maoist) which was entrusted with party activities of North Bastar, Kanker and Rajdnandgaon Dists. Of Chhattisgarh and the Gadchiroli Distt of Maharastra state. He was carrying a reward of Rs.30,000/- by Maharashtra Government (highest for any naxal leader in Maharashtra) and Rs.2 lakh by Andhra Pradesh government (proposed for enhancement to Rs.10 lakh). His real name and identity was established to be one Uradi Srinivas R/O Nidigunda, of Warrangal Distt of Andhra Pradesh, and was wanted in 72 criminal cases by Maharashtra police and in 07 cases by Chhattisgarh police. Of these 18 were cases of murders in which 31 civilians and 35 policemen were killed. His importance and significance in the Maoist organization may be gauged by the fact that 15 years ago in 1991 when Maharashtra police apprehended him, naxalites kidnapped the then MLA Mr. Dharmarao Baba Atram of Gadchiroli Distt to secure his release.

In this encounter Shri Pradeep Gupta, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th September, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.182–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Gujarat Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Chavda Ranjitsinh Jilubha, **(Posthumous)**
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Assistant Police Sub-Inspector (ASI) Late Shri Chavda Ranjitsinh Jilubha joined Kachchh Police in 1982. He was a very conscientious worker and has always shown tremendous initiatives. He has excelled in rural policing and as a due recognition of his abilities he was made In-charge of one of the most important Mirzapar beat of Bhuj Taluka Police Station. On intervening night of 29-30 September 2006 at around 03:00 am ASI Late Shri Chavda Ranjitsinh Jilubha was having tea at a stall on the Sukhpar- Mandvi, Mirzapar Trijunction and also continuously looking out for suspicious movements of vehicles and people. It was during his surveillance the Late ASI Ranjitsinh came across two men passing near the tea stall having red coloured oil can in their hand. Late ASI promptly inquired from these persons as to where they came from and headed for. These persons mentioned that they had come to collect petrol as their car had ran out of petrol around 1 km away from the tea stall on the Mandvi highway. To verify these details the Late ASI Chavda proceeded towards the stranded car on his two- wheeler motor cycle. He had found one white coloured Maruti Zen car standing near the entrance gate of the farm house on Mandvi Road. As the glass pane of the door was open late ASI Shri Chavda immediately started probing and checking inside the car. While checking the car thoroughly he found two more persons were also there and he also found one live cartridge on the floor near the driving seat. Instantly Late ASI sensed that his suspicion was leading him to something wrong. He called up to the P.S. and asked for reinforcements. The Late ASI tactfully started the preliminary enquiries of these four persons about their names etc. and noted them. On questioning further, one of these four persons suddenly took out a revolver and

fired upon the forehead of the Late ASI. The late ASI who was already fired upon and severely injured tried to catch hold of the accused. A physical scuffle took place but as the late ASI was profusely bleeding he was dumped on the road by one of these four persons and they escaped into the darkness. Within minutes the reinforcement from Bhuj Taluka P.S. reached the spot and evacuated the Late ASI Chavda Ranjitsinh Jilubha to the Govt. Hospital but he succumbed to his injuries after reaching to Govt. Hospital. The exemplary daring, tactful and valiant effort in total disregard of his personal safety not only could identify the four wanted criminals but also subsequently led the Kuchcch Police in catching the dreaded criminals (who have planned out several robberies in the district). One of the four accused has also assaulted the police inspector while he was leading the search and combing operation. The late ASI shri Ranjitsinh Julubha Chavda Single handedly putting self before duty sacrificed his life for the nation.

In this encounter (Late) Shri Chavda Ranjitsinh Jilubha, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th September, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.183–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jharkhand Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Binod Kumar Raut,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14.06.03 Binod Kumar Raut, officer in-charge, Simdega P.S. alongwith SI Abay Prasad Yodav and reserve guard havaldar Ajit rai, Constable Prakash Mahto Tripus Kujur Surendra Singh, H.G. Md. Sakimuddin and champo Oraon proceeded to Thalkobera, Village investigation. As soon as they reahed Saldega Tongritoli they saw one motorcycle with two riders coming from the opposite side another motorcycle with one rider was following it. They started fleeing away in panic on seeing the police jeep. Thereafter Binod Kumar Raut, Officer in charge shouted to stop them but they did not stop and challenged the police party and one of them started firing in discriminately. The police party taking position behind a big rock, retaliated the firing at the risk of the life despite the grave and imminent threat to his life Binod Kumar Raut, officer-in-charge did not loose heart and continued aimed firing at the criminal Anmol Kujur was hit by the bullet and later on succumbed to injuries while being brought to hospital. The other extremist's fled away firing indiscriminately. The police recovered one USA made pistol, three live cartridges, explosives, bomb preparing articles and one looted motorcycle, due to all these reasons police had to fire seven (7) rounds (five found Binod Kumar Raut, O/C Simdega P.S. and one each constable Surendra Singh and Tripus Kujur).

In this encounter Shri Binod Kumar Raut, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th June, 2003.

BARUN MITRA
Joint Secy.

42—361 GI/2007

No.184–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd. Aslam,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 08.02.2005 an information regarding presence of terrorists at Bassan Thuroo area of PP Arnas, was shared with GOC CIF (U) force. A joint operation of Police/54RR under the command of SI Mohd Aslam No.4450/NGO I/C PP Arnas was launched by SSP Reasi. The operational party despite hostile weather in that area cordoned off the hideout of terrorists who were hiding themselves in a big isolated cave. The nafri challenged them to surrender but they started firing indiscriminately upon the operational party. The operational party retaliated bravely and kept their moral high inspite of hurdles, due to heavy snowfall/ rains. During the operation the officer crawled inside the cave and led the Army troops/Police party enter in the cave where four dreaded foreign terrorists had taken the positions. Leading the operational party SI Mohd Aslam No.4450/NGO displayed extra courage without caring for his life, fought bravely during dangerous encounter by which operational party succeeded to eliminate four dreaded foreign terrorists belonging to Al-Badar and HUJI outfits (02 each) alonngwith recovery of huge quantity of arms/ ammunition. The operation was conducted w.e.f. 08/02/2005 to 11.02.2005 and in this connection case FIR No.11/2005 U/s 307//120-B/121/123-RPC ;7/27 A.Act was registered on verbal information of I/C PP Arnas at P/S Mahore on 10.02.2005 and the terrorists were eliminated on 11.02.2005. The identity of slain terrorists were established as: -

(i) Zaheer Abas S/o N/K R/O Pak, District Commander Al-Badar,
(ii) Abu Bakar S/o N/K R/o Pak, Al-Badar outfit.
(iii) Abu Amir @ Abu Anees S/o N/K R/o Pak, Huji outfit,
(iv) Abu Talla @ Umar Talla S/o N/K R/o Pak, Huji outfit.

The following recoveries were made from the slain terrorists:-

(i)	AK- 47 Rifles	:	04
(ii)	Mags. of AK	:	14
(iii)	Rds of AK	:	290
(iv)	Ammn. of PIKA	:	01

(v)	Pouch	:	02
(vi)	Weapon tool kit	:	01
(vii)	HE Grenade	:	01
(viii)	Smoke Grenade	:	02
(ix)	Rubber Stamps	:	02
(x)	W/Sets	:	02
(xi)	Diaries	:	03
(xii)	Matrix Sheet	:	05
(xiii)	Pencil Cells	:	27
(xiv)	Torch	:	01

In this encounter Shri Mohd. Aslam, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th February, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.185–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Talib Hussain,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information provided by Inspector Talib Hussain, SHO Police Station Mahore about the presence of terrorists belonging to HUJI and JEM Outfits at village Sumwali in between Sildhar and Bathoie, on 21.02.2006, a joint operation was launched by Police assisted by Army 61 RR. During search operation, an encounter took place between operational party (Police/Army) and terrorists. During encounter one Army Jawan namely Sepoy Rakesh Gupta No.1561599-M scarified his life and NK. Jatindera Singh Chouan No.4078117-K was injured seriously, while two terrorists namely Abu Qasim r/o Pakistan, Tehsil Commander HUJI of Gool area, (2) Mohd. Zaffar Code Abu Bakar S/O Master Jamal Din R/o Shajroo Tehsil Mahore belonging to JEM outfit were gunned down on spot. During gun battle one of their associates fled away from encounter site and hid himself in nearby dhok. A small contingent consisting of three SPOs namely SPO. Rattan Singh No.14/SPO-RSI, SPO. Mohd. Ashraf No.239/SPO-RSI and SPO. Mohd Maqbool No. 341/SPO-RSI headed by Inspector Talib Hussain, SHO P/S Mahore chased the fleeing terrorist upto the dhok where they eliminated him after a prolonged firefight. The Inspector exhibited exceptional tactical acumen and field craft of the highest order. Unmindful of his personal safety, he stealthily approached the terrorist by tightening the cordon under heavy fire and eliminated him. The identity of the killed terrorist is established as Qari Hamas code Abdu Saleem R/o Pakistan Tehsil Commander HUJI Mahore area. The below mentioned recoveries were made from the possession of slain terrorists: -

*	Rifle AK Series	:	03
*	Mag. Of AK Series	:	08
*	Amn. Of AK Series	:	141
*	Grenades	:	04
*	Wireless Set	:	02
*	Indian Currency	:	Rs.4415/-
*	Diaries small	:	03

In this encounter Shri Talib Hussain, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st February, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.186–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Chanchal Singh,**
   Sub Inspector
2. **Tek Chand,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of a specific information, during wee hours of 20-01-2007, regarding the presence of two Top terrorist Commanders of HUM outfit in a hideout made of big boulders of rock concealed by Deodar trees and bushes at Nali Dolu forest under Police Station and Tehsil Gandoh, District Doda, an operation was meticulously planned by SI Chanchal Singh No. 7222/NGO. After tracking for 02 hours through tough terrain and snow bound jungle SI Chanchal Singh alongwith a component of Police and CRPF immediately laid the outer cordon around the most tactically built hideout. SI Chanchal Singh alowngwith Constable Tek Chand No. 1109/D volunteered to approach the hideout to offer the terrorist's to surrender. On noticing the movement of Chanchal Singh and his associates, the terrorists opened indiscriminate fire towards them with an intention to target the police personnel and escape the cordon, but the SI and Constable showing the presence of mind of a highest order took positions and retaliated the fire in self defence. This fire fight continued for ½ hour. SI Chanchal Singh directed the other cordon personnel to come closer to the hideout by narrowing the cordon and give covering fire. SI Chanchal Singh and Constable Tek Chand under the covering fire from the cordon party tactically crawled near the hideout without caring for their lives, again asked the terrorists to lay down arms and surrender but the holed up terrorists lobbed grenades and continued indiscriminate firing. Sensing the tactics of terrorists to get out of the hideout under the impact of grenades and firing, SI Chanchal Singh and Constable Tek Chand launched assault on the hideout thereby killing both the dreaded " A" grade terrorists on spot. Their

identity was established as (I) Noor Mohd Code Ansari S/O Dilmir R/O Nali Dolu Gandoh, Divisional Commander of HUM outfit and (2) Mohd Ashraf Code Gori S/O Gh Nabi R/O Sanwara Gandoh, Area Commander of HUM outfit. 02 AK rifles alongwith other incriminating material were recovered on spot.

In this encounter S/Shri Chanchal Singh, Sub Inspector and Tek Chand, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th January, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.187–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd Farid,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During the intervening night of 2nd and 3rd July' 2006, an operation was launched from Darhal into Tambar Nari forest in Hill Tak area at a distance of about 25 Km from Police Station Darhal. A group of SOG/SSR under the command of Shri Mohd Farid Dy SP, after traveling in an inhospitable terrain through out the night, surrounded three terrorists in a hide out in deep forest and an encounter ensued. The terrorists hiding in the hide out were asked to surrender but terrorists started indiscriminate firing upon the troops which was retaliated as a result of which one "A" Category terrorist namely Ansar Pathan @ Shikari-2 District Commander of HIZB-E-ISLAMI outfit R/O Pakistan and a local terrorist namely Mohd Ikhlaq S/O Chandi @ Sky Fighter were killed while another foreign terrorist namely Omar ("A" category) was injured but managed to escape taking cover of thick forest and heavy rain and fog. Dy SP Mohd Farid had fought with the terrorist despite heavy odds and without caring for his life. The said officer has shown an exemplary courage in the encounter

as a result of which the above mentioned two dreaded terrorists were eliminated without any causality of civilian or any loss of our men. The following recoveries have been made from the place of incident:-

01. Rifle AK-47	-	01Nos
02. Magazine AK-47	-	02 Nos
03. Ammunition AK-47	-	40 Rds
04. Hand Grenade	-	01 No
05 Radio Set	-	01 No.

In this encounter Shri Mohd Farid, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd July, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.188–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Mohammad Rashid,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Swarn Singh,**
   Constable
3. **Shabir Ahmad,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on a specific information developed by Police, a joint operation was launched in village Amirabad (Drumbal) Tral, in the evening of 29.5.2006. After laying the cordon, parties were formed to carry out searches. These parties were led by S/Shri H.K.Lohia,IPS, DIG, SKR, Aanantnag; Sardar Khan,SP, Awantipora C.D.Agarwal, 2IC 53 Battalion BSF and S.G.Goyal, 2IC 173 Bn BSF and their officers. The terrorists trapped in the cordon avoided firing, hoping to break the cordon during night hours. Since it was dark by then,

the cordon was further strengthened by putting physical barriers viz: concertina wire, road block, lighting up of area and reinforcement, in order to foil the attempts of ANEs to escape and also to avoid civilian causalities, loss to property etc. In the first light of 30.05.2006, the searches were resumed and at around 0900 hours, the search parties were fired upon, but moving tactically these officers thwarted the evil designs of ANEs and effectively retaliated. In the meanwhile, the other group of terrorists lobbed three grenades in quick succession on parties led by S/Shri Sarkar Khan, SP Awantipora, Manoj Kumar, AC, 53 Bn, BSF, Mohammad Rashid, DYSP police component, Tral but since the search parties were anticipating such a move, no damage was caused and the terrorists were pinned down with effective and controlled fire. Finally, at around 1100 hours, by narrowing down the cordon, parties led by S/Shri H.K.Lohia, Sardar Khan, B.D.Shah, AC 53 Bn BSF, Mohammad Rashid, Dy.SP Police component Tral, went for targeted fire on the hiding terrorists and as a result of such coordinated operation, 02 of the terrorists got killed. Owing to heavy fire and intermittent lobbing of grenade the old wooden house, where these ANEs were hiding, caught fire. However, showing exemplary courage, these officers (with the help of fire brigade) controlled the fire from spreading to adjoining houses.

In the meanwhile other terrorists, exploded several IED's and threw grenades, in a bid to cause loss to the police party and also tried to set several houses, place of worship on fire in a bid to escape. Because of the heroic and gallant efforts of the men and officers of J&K police and BSF, the damage was avoided and in order to avoid killing of civilian the officers taking great risks evacuated all the civilians (around 80-100) to the nearby school building. By this time, darkness had set in and hence the cordon was again fortified. At around 2130 hours one terrorist hurled 02 grenades and opened heavy volume of fire on parties, guarding the Nallah side, in a bid to escape but the parties led by R.S.Bisht, AC 173 Bn, BSF, Mumtaz Ahmad, SDPO Awantipora foiled such attempts and retaliated, forcing the terrorist to retreat in his place of hiding. Following this escape bid, the terrorists were localized and the other search parties led by H.K.Lohia, IPS, DIG, Mohd Rashid, Dy.SP Police Component, Tral, further fortified the place and maintained night long vigil.

On 31.05.2006, in early morning hours, searches were begun by all the parties. The terrorists were not allowed to put the houses on fire by effective and controlled firing, in tandem by all the search parties in well co-ordinate and strategic moves and after getting frustrated, terrorists came out in the open by breaking a mud wall and directly targeted the senior officer who were advancing from various directions. In such dastardly attack, parties led by SP Awantipora Sardar Khan and S.G.Goel, 2 I/C 173 Bn, BSF came under direct line of fire and in this 03 BSF personnel of 173 Bn. namely Constable Altaf Hussain No.97199256, HC Kashmiri Lal No.85254200, Constable Baljinder

Singh No.01109956, got injured, who were immediately evacuated for medical treatment, following which lives of 02 BSF personnel could be saved but constable Altaf Hussain No.97199256 of 173 Bn BSF attained martyrdom. In the meanwhile Police parties led by Sardar Khan, SP Awantipora, S.G.Goel, 2I/C 173 Bn BSF, Mumataz Ahmad, SDPO Awantipora resorted to targeted fire on the terrorists, killing him swiftly. Two of the three killed terrorists were identified as dreaded terrorists of HM outfit, namely (i) Mohd Ayub Naik @ Waseem S/o Abdul Ahad Naik r/o Drumal/Amribad (ii) Mohd Ashraf Bhat @ Sahil @ Moulvi s/o Sonaullah Bhat r/o Naudal, believed to be involved in at least 30 cases of civil/security forces killings, important being the attack on IB personnel at village Sherabad (Tral) in which one IB officer Vinod Kumar was killed and two others were injured (FIR No.32/2006 dated 12.04.2006 of P/S Awantipora) and broad daylight attack on Ex-MP Shri Ali Mohd Naik at Tral in which Ex-MP was critically injured and two policemen got killed (FIR No.34/2006 dated 17.04.2006 P/S Tral). Besides, the killed terrorists were involved in several stand off attacks, grenade lobbying, IED blasts etc. The third terrorist killed could not be identified, as the body was charred beyond recognition/ in the debris of the gutted house.

The operation was called off, on the evening of 31.05.2006, after ensuring that no explosives etc. are lying behind and the area is safe for return of local population. Active assistance was provided to the locals by security forces in clearing the area, rebuilding their dwellings (relief both in cash and kind) and restoring of their cattle and properties, which resulted in winning over their hearts.

In this encounter S/Shri Mohammad Rashid, Deputy Superintendent of Police, Swarn Singh, Constable and Shabir Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30-05-2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

44—361 GI/2007

No.189–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Paramjeet Singh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 21.02.2006, it was reliably learnt that a local militant namely Zaffar Iqbal of HM alongwith one of his close associate is present in Dara Sangla area. Immediately the input was shared with local Army and Commando Group Surankote. Accordingly a joint column left for the targeted areas the same day. The Commando Group was led by SI Paramjeet Singh. Before launching the operation and laying the siege of the suspected area the nafri was adequately briefed and was directed to advance cautiously as the area was uphill and full of trees and bushes. SI Paramjeet Singh split the nafri into two columns one led with the instructions to approach from the left side which had no natural cover. Whereas the other column approached from the right side from Jungle area. On 22.02.2006 at about 7 AM the nafri forming cordon came under heavy fire by terrorists who were hiding behind thick bushes about 50 yards away from an abandoned house. The first burst of fire could not cause any damage to the alert troops. The nafri took position and simultaneously returned fire. SI Paramjeet Singh directed Constable Ghulam Hussain No.657/P to give him covering fire and himself started crawling towards the terrorists. As soon as he reached near the abandoned house he hide behind it, and lobbed grenades towards the terrorists hiding behind the bushes which forced the terrorists to flee. While running they resorted to firing indiscriminately. However both the fleeing terrorists were shot dead by SI Paramjeet Singh and Constable Ghulam Hussain. They were later identified as Zaffar Iqbal R/o Potha of HM and Abu Irfan R/o Pulwama of HM.

In this encounter Shri Paramjeet Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st February, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.190–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Kulwant Singh Jasrotia,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Tej Ram Katoch,**
   Deputy Superintendent of Police
3. **Mohd. Sharief,**
   Head Constable
4. **Punjab Singh,**
   Selection Grade Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 05.06.2005, on a specific information regarding presence of a group of terrorists in village Jamola Kalal Kass in the jurisdiction of Police Station Rajouri, Dy. SP Hqrs, Rajouri, Shri K.S.Jasrotia, without loosing any time, mobilized the Commando Group Rajouri under the command of Dy.SP (Ops) Rajouri Shri T.R. Katoch, nafri of Police Station Rajouri and Army. While conducting the search operation, the nafri was divided into four columns and Police personnel being locals and well versed with the topography of the area, led the troops towards the targetted area. The striking party were further divided into two groups under the command of S/Shri T. R. Katoch, Dy.SP (Ops) & K.S. Jasrotia, Dy. SP Hqrs. During search operation, soon after the target houses were cordoned, terrorists started volume of firing on the search party, which was effectively retaliated. The terrorists came out from the targeted houses and started running towards Nallah/Forest in two groups. One of the striking party headed by Dy.SP (Ops) Shri T.R. Katoch alongwith HC Mohd Sharief No.117/R and SG CT. Punjab Singh 959/R, chased the fleeing terrorists and fought with them without caring for their lives, resulting in the death of three terrorists. The other party headed by Dy.SP Hqrs. Shri K.S.Jasrotia, while chasing the fleeing terrorists towards forest, directed his troops to keep the terrorists engaged in firing from one side and he alongwith the party entered into the forest from other side. While reaching near the place where from terrorists were firing, the party was fired upon by the terrorists and in the encounter shot dead the other two terrorists. In all 05 terrorists were killed in this gallant action. The identification of the slain terrorists was established as (i) Syed Nissar Ali @ Shah Ji, Div. Comdr. of JEM outfit (ii) Bilal and (iii) Manaz Ali S/o Shah Tulla R/o Topa Darhal Rajouri, the

identification of other two terrorists could not be established. The following arms and ammunition were recovered from the possession of slain terrorists:

(i)	Rifle AK 47	05 Nos.
(ii)	Magazine AK	03 Nos.
(iii)	AK Ammunition	30 rounds
(iv)	Radio Set	02 Nos. (Damaged)

In this encounter S/Shri Kulwant Singh Jasrotia, Deputy Superintendent of Police, Tej Ram Katoch, Deputy Superintendent of Police, Mohd. Sharief, Head Constable and Punjab Singh, Selection Grade Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th June, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.191–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Udhey Kumar Aima,**
   Additional Superintendent of Police
2. **Mohd. Hafiz Malik,**
   Sub- Divisional Police Officer
3. **S. Hardip Singh,**
   Inspector
4. **Kamal Mehra,**
   Selection Grade Constable
5. **Soba Chand,**
   Selection Grade Constable
6. **Raj Kumar,** **(Posthumous)**
   Constable
7. **Bal Kumar,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 02.01.2004 at 1850 hours, two suspected persons wearing army dress were spotted by SGCt. Kamal Mehra No.16/GRP at platform No.2/3 at Railway Station, Jammu by their movements and the type of shoes they were wearing and he alerted his nearby SPO Mohinder Kumar No.233/SPO. Immediately the SGCt. and SPO of GRP, exhibited extreme courage and presence of mind and without caring for their lives, challenged these two suspicious persons to disclose their identity and in return these two suspicious persons opened indiscriminate firing, causing serious bullet injuries to them, with the result they fell down. These two fidayeens continued indiscriminate firing with their automatic weapons and also lobbed hand grenades, which created terror among people present on the platforms, killing two BSF personnel namely Ct. Dinesh Chander No.89003625 of 129 Bn BSF and Goverdhan Ram No.8200257C 145 Bn BSF, who were waiting for their train. Inspector Hardeep Singh SHO Railway Police Station and his men kept the militants engaged in cross firing till the reinforcement reached the spot. Shri A.R.Khan, IGP, Crime & Railway, J&K, immediately rushed on spot and was the first senior officer to participate in the encounter. Till the time, the operation was organized by IGP, Jammu (assisted by DIG Jammu & SSP Jammu), and GOC Tiger Division, in which both the terrorists (fidayeens) were eliminated during an encounter, the quick response to face the first brunt of the fidayeen attack was made by the GRP

Personnel under the command of IGP, Crime & Rlys. Shri A.R.Khan, Addl. SP Crime & Railways Shri Udey Kumar Aima, SDPO Railways Shri Mohd Hafiz Malik and SHO P/S Railways Inspr. Hardip Singh 1525/NGO. With the presence of mind and wit of the officers, managed the retaliatory act in such a way that both the fidayeens were forced to stay back at Railway bridge. The eviction plan implemented by GRP personnel under IGP, Crime & Rlys. in shifting the passengers to safer places was excellent and saved the precious lives of passengers. The gallant action of the officers engaged the other terrorist in the encounter till the additional forces of police and army reached the spot and in joint operation the other terrorist was also killed. During the operation, in which army also joined later, the following personnel who laid down their lives in the cause of the country, were awarded Shaurya Chakra (posthumously): -

1. Lieutenant Trivent Singh NO.IC 61417 W of 5 JAKLI
2. Ct. Raj Kumar No.2552/J

In this encounter S/Shri Udhey Kumar Aima, Additional Superintendent of Police, Mohd. Hafiz Malik, Sub Divisional Police Officer, S. Hardip Singh, Inspector, Kamal Mehra, Selection Grade Constable, Soba Chand, Selection Grade Constable, (Late) Raj Kumar, Constable and Bal Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd January, 2004.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.192–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Karnataka Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **N. Guruprasad,**
   Reserve Sub Inspector
2. **M.C.Jose, Armed Police Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23/06/05 Sri.N.Guruprasad received information that a group of 10-12 naxalites fully armed with fire-arms & Grenades were moving in the vicinity of the forest near Kammarapalu, Devarabalu hamlet of Hallihole village and were involved in propaganda against eviction of illegal forest dwellers from Mukambika Wild Life Sanctuary. RSI, Anti Naxalite Squad relayed the information to Sri. Murugan, SP over telephone and as per his directions, Sri Guruprasad with Anti-naxalite squad and ANF left for Hallihole in two vehicles. The team alighted at a spot at a distance of 9 to 10 kms from Kattinadi, Devarabalu. RSI Guruprasad divided the team into three groups and briefed the team about the operation to be conducted. Further he also instructed that minimum force should be used to apprehend the culprits. The third team which was personally headed by RSI Sri N.Guruprasad including Sri.M.C.Jose APC 12 of DCIB trekked through forest tracks and reached Kattinadi Devarabalu in Udupi district at around 2.00 pm in the afternoon. The team combed the forests near Kattinadi, Devarabalu where naxalites were allegedly conducting their activities. While searching for the naxalites, Sri Surendra Bovi, APC who was in the head sighted a group of 10-12 naxalites with rifles walking in the forest. On being noticed by the Naxalites he, quickly dropped his AK 47 rifle in the nearby bushes mistaking him to be a villager the naxalites enquired him about the route to Narasimha Naika's house. After the naxalites moved from the spot Surendra Bovi alerted M.C.Jose, APC who was nearby. On seeing this naxalites who were at a distance become suspicious and taking cover opened fire at Sri Surendra Bovi & Sri. M.C.Jose. Sri. M.C.Jose promptly retaliated the fire in self defence. Sri. N.Guruprasad who was nearby also came and joined to two APC's with his team & returned fire effectively against the naxalites. As a result the naxalites stopped firing and ran into the thick forest. The team immediately rushed to the spot and found the bodies of two naxalites. They were later identified as Kiran @ Umesh Banakal and Akash @ Ajith Kusubi. The naxalites who had escaped were not found. The group was a part of the People's War Group involved in naxalite activities in Raichur, Chikamagalur, Shimoga etc

and several criminal cases had been registered against them. Kiran @ Umesh is also suspected to be the Area Commander of Kundapur area. Sri M.C.Jose, APC 12, DCIB exhibited great sense of duty and courage in battling the naxalites from the front. He bravely battled the Naxalites and protected the lives of his team members. Despite the grave situation he displayed great courage in battling and thwarting the Naxalites and ensured that no team members and innocent villagers were killed or injured. Sri Guruprasad RSI, DAR, Udupi exhibited great sense of duty and leadership. He lead the team in the battle with against 10-12 naxalites and despite being in great danger gallantly fought the naxalites. Further the brave actions of this officer have hit the naxalites very hard who otherwise would have executed their evil designs in the district.

In this encounter S/Shri N. Guruprasad, Reserve Sub Inspector and M.C.Jose, Armed Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd June, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.193–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Maharashtra Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rajendra Shankar Kale,
Police Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 03.09.2006 P.I Babulal Patel and P.C.-30889, Rajendra Shankar Kale alongwith Driver H.C/28713 Rohidas Ratan Sonawane left for night patrolling as per direction of North Region Control Room. When they were on way near the Dahisar Railway Station on the west side of Jaywant Sawant Marg, at around 11.45 P.M. some people ran towards the patrolling van and told the police party that a knife-wielding miscreant was creating terror at Mhatrewadi, Dahisar. They also pointed out to a man wearing only a pant, standing at the corner of the by-lane and brandishing a Rampuri knife towards the people who had assembled there. P.C. NO. 30889 Rajendra Shankar Kale alighted from the Police vehicle and identified the miscreant as Diwakar @ Rocky Yadav, a dreaded desperado. Seeing the policemen, Diwakar Yadav started running towards the by lane, Since the police jeep could not pursue him through the narrow by lane, P.C No.30889/ Rajendra S. Kale started chasing the criminal on foot. During the chase, Diwakar Yadav stabbed one watchman of the residential society who came in his way and started moving towards local Ganapti pandal. P.C. No. 30889/ Rajendra s. Kale then shouted at Diwakar Yadav to surrender the Police but instead of heeding to his warning, Diwakar Yadav threatened P.C. No. 30889/ Rajendra Kale in Hindi " Aage Aayega tho Ghusadke Kat Dalunga" P.C. No.30889/ Rajendra S. Kale then pounced upon the dreaded criminal but Diwakar Yadav slashed P.C. No.30889/ Rajendra S. Kale with his knife in the abdomen. Just when Diwakar Yadav was about to stab him again P.C. No.30889/ Rajendra S. Kale managed to whip out his service pistol from the holster and shot Diwakar Yadav in his thigh causing the latter lost his balance and slipped P.C. No.30889/ Rajendra S. Kale then disarmed Diwakar Yadav and took hold of the knife and arrested the accused. Meanwhile P.I. Babulal Patel came to the place of incidence. The police party when informed about the incident on mobile phone by P.C. No. 30889/ Rajendra S.Kale arrived on the spot. Later, both the injured P.c. No.30889/ Kale as well as the miscreant Diwakar Yadav, were removed to Bhagwati Hospital, Borivali, Mumbai. In this connection, a case of attempt to commit murder was registered at MHB Colony P. Stn. Borivali, Mumbai vide C.R. No. 178/06, u/s 353, 307, 324, 506 (ii) IPC against Diwakar @ Rocky Bhairavath

Yadav and the same is under investigation. Enquiry of the accused has revealed that he was arrested in several sensational cases such as murder, robbery, extortion, thefts etc. in the jurisdiction of MHB, Dahisar, Kashimira and Mira Road area.

In this encounter Shri Rajendra Shankar Kale, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th September, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.194–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Maharashtra Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pradip Sitaram Nimbalkar, Constable **(Posthumous)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Late Shri Pradip Sitaram Nimbalkar, Police Constable Buckle No.01-584, aged 28 years, resident of 92/3221, Nehru Nagar, Kurla (East) Mumbai 400024 joined Mumbai City Police service on 17.10.2001 as a police constable. After he completed his police training, he was posted to Armed Police Head Quarters, Naigaon, Mumbai. He was a zealous and punctual policeman, who performed his daily duties with interest and dedication. From 26.07.2005 afternoon till 27.07.2005, there was heavy rainfall in Mumbai City and the outskirts of city. The low laying areas of the city got in inundated due to the unprecedented rainfall. The traffic came to grinding halt and electric supply also failed. Mumbai City got practically submerged on 26.07.2006. On that fateful day, Police Constable, late Shri Pradip Sitaram Nimbalkar, after performing his daily duties, left for his residence at Nehru Nagar, Kurla (East) at 2000 hrs. Due to water logging, he could reach upto Subhash Shah Chowk at about 0815 hrs. There was nearly 6 to 10 ft. water and practically the complete area of Nehru Nagar, Kurla (East) was submerged. Police Constable, Late Shri Pradip Sitaram Nimbalkar noticed one person who was later identified as Vijay Arjun Ambhore, aged 33 years getting drowned & dragged in the floodwater. He was desperately shouting for help. Police Constable, late Shri. Pradip Sitaram Nimbalkar jumped immediately into the water, swam against the flow of water for a considerable length, risking his own life and caught hold of Vijay Arjun Ambhore by his shirt and dragged him to safely. Few minutes later, Police Constable, late Shri Pradip Sitaram Nimbalkar again noticed one more person, later identified as Hemant Ramesh Satam, getting drowned and dragged in the water. Hence he again jumped in floodwater, swam, and brought Hemant Ramesh Satam, out of the water logged area safely. Police Constable, late Shri Pradip Sitaram Nimbalkar was actively involved in rendering crucial help in saving lives of people who were getting drown in the floodwater at Subhash Shah Chowk. He had involved himself whole-heartedly in the rescue work in order to save lives of the victims of flood. Again at about 0945 hrs, Police Constable, late Shri Pradip Sitaram Nimbalkar noticed one more person getting drowned. He was getting dragged in heavy flow of water. On seeing this, Police Constable, late Shri Pradip Sitaram Nimbalkar swam towards him and

caught hold of his shirt. At that time, the panic stricken man embraced Nimbalkar tightly. Nimbalkar tried to get out of his hold in order to save both of them, but he could not succeed and both of them got drowned in heavy flow of water. Sadly, the body of Pradip Nimbalkar was found the next day i.e. on 28.07.2005 at about 0815 hrs near building No.92, Nehru Nagar, Kurla (East). An accidental death was registered vide ADR No.99/2005 dated 28.07.05 at Nehru Nagar Police Station.

Shri Pradip Sitaram Nimbalkar, Police Constable saved lives of (1) Vijay Arjun Ambhore age 33 years (2) Hemant Ramesh Satam, age 21 years sacrificing his own life.

Thus Police constable, late Shri Pradip Sitaram Nimbalkar used his presence of mind, acted with determination inspite of danger to his own life, in discharge of his duty for saving two people from getting drowned. He also saved lives of several people by guiding them to safe places, and later sacrificed his own life while saving an unknown person from being drowned.

Under the circumstances (Late) Shri Pradip Sitaram Nimbalkar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th July, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.195–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **P.Achouba Meetei, Sub Inspector**
2. **H. Premananda, Havildar**
3. **T. Sadananda, Constable**
4. **H. Premjit Singh, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 11.08.2006 at about 4.00 am, received a reliable information was received about the presence of some 8/10 heavily armed militants at a house in Takhel village. The report further stated that the armed militants was planning to lay ambushes on security forces, sabotage the Independence Day celebration in the state by planting and exploding I.E.Ds in the state capital before and during the celebration of Independence Day 2006. On receipt of the information, a combined force of CDO, Imphal East and West, numbering approximately 5 officers and 30 constables and riflemen, under the command of Inspector M Mubi Singh, OC, Commando Imphal East organized an operation plan and rushed to the area without further loss of time. On reaching Sanjebam village, 1 Km short of Takhel village the force was divided into 3 (three) separate groups. Each group was assigned an area each for domination and search operation. Insp M Mubi Singh and his group were assigned to dominate and cutt off the escape route towards Heirok village in the east. SI P Achouba Meetei and his group were assigned the northwestern escape route at near Chingni Maril stream. SI Th. Jayenta Singh and his group were assigned the northeastern corner of the village at Khambachingjin. The remaining teams were covering the village at in between Sanjebam and Takhel village as well as on the top of the hillock on the southern side of the Takhel village. Within 10 minutes, each group took up their respective areas of assignment. After about 15 minutes of the search operation, the police party under Inspr. Mubi Singh came under heavy fire from near the house of one Takhellambam Mimai Singh of Takhel village. Insp M Mubi Singh, C/NO.9801149 T Sadananda and C/No.0101128 H Premjit and other dived to the nearby nullahs, some took cover by lying flat on the ground. They also immediately returned the fire.

After about 3-4 minutes, there was a slight lull in the firing from the militant side, taking the opportunity, Constable Sadananda and Premjit, both holding an AK rifles each, crawled forward to observe the source of the fire. Suddenly there was a barrage of firing from the militant towards them. The two constables ducked and took cover behind an elevated small mound. After about 10 seconds, firing came from other location and increases their firings both the constables separately retaliated to the two sources of firing without any let up. Then, Constable Sadananda saw one militant partly inside a pond behind the house, with an AK Rifle firing continually at both of them; he immediately fired to the armed militant and the militant lay dead at the spot. Both the Constables Sadananda and Premjit crawled ahead and closing in to locate another militant. An A K rifles loaded with one magazine was recovered from the spot, where a militant was found shot dead. Then Constable Premjit saw armed persons escaped from the house and ran towards Chingni Maril, and he immediately informed SI Achouba through W/t set. They were intercepted by the group headed SI Achouba Meetei. The fleeing militants having no escaped route fired towards the police party and tried to escape but the police party also retaliated immediately. Then, SI Achouba saw a militant armed with an AK rifles firing at him continuously. SI Achouba, who was holding an AK rifles, fired toward the militant killing him instantly at the spot. Hav. Premananda, who was just behind SI Achouba saw another militant armed with AK rifles crawling and firing towards the police party, Hav Premananda, who was also holding an AK rifles, fired towards the militant, the militant, however, escaped with serious injury, leaving behind an AK rifle loaded with one magazine and a rocket launcher with 12 (twelve) nos of CTG 40 MM Lethod Bomb. A trail of blood was followed but disappeared in the thick hills.

Later, the two deceased were identified as hardcore members of PLA (fighting force), they are.

(i) S/S. Cpl Mangsatabam Somorjit Meitei (30 S/O Iboyaima of Luwangsangbam Awang leikai.

(ii) S/S. L/Cpl. Loitongbam Sunil Singh (26) S/O L Naran Babu of Sorbon Thingel, Uripok.

Details particulars of the recovered articles;

(i) 3 (three) Nos of AK-56 Rifles bearing Nos 23306,12081856 and 03001

(ii) 4 (four) nos of AK-56 rifles magazines.

(iii) One lethod bomb launcher.

(iv) One Chinese made hand grenade.

(v) 12 (twelve) Nos of CTG 40 MM Lethod Bomb.

(vi) 28 (twenty eight) live rounds of AK rifles ammunitions
(vii) 22 (twenty two) empty cases of AK rifles ammunitions.

In this encounter S/Shri P. Achouba Meetei, Sub Inspector, H. Premananda, Havildar, T. Sadananda, Constable and H. Premjit Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th August, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.196–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Md. Habibur Rahaman,**
   Rifleman
2. **Md. Yahiya Khan,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 08.05.2006 at about 5.50 p.m. a reliable information was received that some armed cadres of People United Liberation Front(PULF) in short, were seen camping in a house at Sora Mamang Leikai village, on the National Highway-39, they were planning to indulge in subversive activities and extortion from the public as well as from the vehicles plying on NH-39 by kidnapping them for ransom. On receipt of the information, 3 teams of CDO/Thoubal unit led by commander JC No.517 Jem. A. Subhas Singh of 3rd IRB attached with CDO, Thoubal unit assisted by ASI N.Tikendra Meetei and Hav.1320001017 Ch. Pushpendra Kumar of 3rd IRB attached with CDO, Thoubal unit numbering 3 Officer and 12 men in three light vehicles rushed to Sora Mamang Leikai Village. The team on arrival at Heimanglok village, which is 1 km short of Sora Mamang Leikai village, Jem. Subhas deployed the three teams under one commander each tactically at 3 likely escape routes of the militants from their hide out. Jem. Subhas Singh and his party taking up position on the eastern side of the village, leading to the hillside. ASI Tikendra and his party were deployed at the South Eastern corner of Sora Mamang Leikai village leading to Maring village and Hav. Pushpendra and his party were deployed at the western corner of the village, on NH-39. The three groups simultaneously conducted tactical search operation of each house one by one. Suddenly, the police party under Jem. Subhas Singh was fired upon heavily with automatic weapons from a thatched shed, at a distance about 30-35 metres away from their location. The police party dived and took position in a nearby house and also retaliated immediately after firing intermittently for about 5/6 minutes, there was a lull for about a minute, Jem. A. Subhas Singh and Rfm.No. 1194488 Md. Habibur Rahaman, both holding an AK assault rifles each, crawled and inched forward with a great risk of their lives, otherwise there was the possibility of the armed militants overpowering them. After closing in about 10-15 metres, covered by Jem. A. Subhas Rfm. Habibur Rahaman moved ahead, ran and hide behind a tree, thinly covering himself. Jem. Subhas slightly raised his head and spotted one person holding an AK Series rifles, firing at

Rfm. Habibur Rahaman, Immediately Jem. Subhas fired from his rifle and shot him dead. Then Rfm. Habibur Rahaman saw a person crawling away very fast from the spot in the midst of a vegetable garden, he immediately informed ASI Tikendra on the wireless set. On getting the information ASI Tikendera Meetei and his party moved forward tactically. After about 2 minutes, Rfm. No.0197011 Md. Yahiya Khan spotted one person slightly, moving suspiciously in between a cow shed, he immediately indicated by a sign to ASI Tikendra and moved forward to verify, then suddenly the individual stand up and hurled a hand grenade towards the police party and the grenade fell in between ASI Tikendra and Rfm. Yahiya Khan, which fortunately did not explode. Instantly, ASI Tikendra and Rfm. Yahiya Khan, both holding an AK rifles each, fired to the individual simultaneously killing him at the spot. After the firing ceased, the spot was thoroughly searched and found two bullet ridden dead bodies, they were later on identified as, namely:

(i) Md. Musham (22) S/o Md. Enamuddin of Sikhong Muslim village, a hardcore member of PULF.
(ii) Md. Yakub Ali (23) S/o Md. Akbar of Yairipok Bamon Leikai, an active member of PULF.

The details of arms and ammunition recovered.

(i) One AK-56 Rifle bearing regd. No.56-18098864,
(ii) Two magazines, two live rounds of AK ammunition,
(iii) Thirteen empty cases of AK ammunitions,
(iv) One hand grenade (made in China).

In this encounter S/Shri Md. Habibur Rahaman, Rifleman and Md. Yahiya Khan, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th May, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

48—361 GI/2007

No.197–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Meghalaya Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Issac S. Marak,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 19.09.2006, information was received by Smti C.A. Lyngwa, MPS, that some HNLC militants were taking shelter in the Houses of some supporters at Umkrem village. The same evening two teams one led by Smti C.A. Lyngwa, MPS and the other led by SI Isaac S. Marak proceeded to the village, which is around 90 Kms away from Shillong. On reaching the village at 0430 Hrs of 20.09.2006, the teams led by Smti. C.A. Lyngwa, MPS and SI Isaac S. Marak respectively proceeded to their target houses which were located in the same village. On reaching the targeted house the team led by SI Isaac S.Marak quickly cordoned off the house. While cordoning, the militants got alerted and started firing at the police team. The police also retaliated in self defence. During the exchange of fire, one of the militant jumped out from the back window and ran towards the jungle. On seeing this, two police personnel namely BNC/321 Bishnu Marak and BNC/363 Sundayver Sangma pursued the fleeing militant into the jungle. To prevent any more escape, SI Isaac S. Marak alongwith BNC/576 Sanjeev Sharma and BNC/319 Cronen Marak went into aggressive attack and stormed into the house. Inspite of continued heavy and random firing from inside the house, SI Isaac S. Marak alongwith BNC/576 Sanjeev Sharma and BNC/319 Cronen Mark displayed exemplary courage and determination and in complete disregard to their own safety broke into the house where the militants were holed up with weapons. SI Isaac S. Marak, even in the face of grave danger to his life was able to single handedly gun down one of the militant who was armed with a weapon. When the officer was engaged in the encounter with the militants some of the bullets fired by the other militants nearly hit the officer which could have cost him his life, if not for his quick reaction. Inspite of this the officer remains undeterred. At the same instant, BNC/576 Sanjeev Sharma and BNC/319 Cronen Mark simultaneously pounced on the other militant who was trying to jump out of the window, apprehended him and disarmed him of his weapon. A modified 9mm sten gun with 19 live rounds in the magazine and 1 in the chamber was recovered beside the slain body shot by SI Isaac S. Marak and a 9mm carbine with 20 live rounds inside the magazine was seized from the other militant who was apprehended by BNC/576 Sanjeev Sharma and BNC/319 Cronen Marak.

In this encounter Shri Issac S. Marak, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th September, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.198–Pres/2007- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/4th Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Alok Kumar, Deputy Commissioner of Police** — **(PMG)**
2. **Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police** — **(1st Bar to PMG)**
3. **Mohan Chand Sharma Inspector** — **(4th Bar to PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 04.02.2007, specific information was received that one Bashir r/o Sopore, J&K along with two other Kashmiri militants will be coming to Delhi with huge consignment of explosive material, which is to be delivered to Pakistani fidayeen. It was also learnt that they were members of banned terrorist organisation JeM and coming to Delhi by Malwa Express. On this, an enquiry was made from Railway enquiry about the arrival of Malwa express from Jammu in Delhi and subsequently, the team was deployed at New Delhi Railway Station. At about 9 PM, Malwa express arrived and the police team identified one person as Bashir, who was accompanied by two other persons. In order to find out whether they have more accomplices along with them and to apprehend the Pakistani fidayeen to whom they were to hand over the consignment of explosive material, they were followed by the police team. All the three persons were carrying bags and walked up to Deen Dayal Upadhayay Marg beneath Ranjeet Singh flyover. They started waiting there. After a while, a person carrying a shoulder bag came up to those persons. This person carefully examined the contents of the box given by Bashir. Immediately after this transaction a signal was made to apprehend the militants. Simultaneously Sh Alok Kumar DCP/Special Cell and Sh Sanjeev Yadav, ACP/Special Cell/NDR while approaching the militant loudly disclosed their identities directed them to surrender before the police party. At this Pakistani militant, immediately whipped out a firearm and started running towards ITO side and then turned left towards a service lane leading towards Arya Samaj Mandir while indiscriminately firing at the advancing police party. The said militant had run

away after throwing away his bag and the shoebox given to him by Bashir. The police party had a narrow escape and was saved from the bullets fired by the militant as they were wearing BP Jackets. The police party also retaliated in self-defense and took up position and returned back the fire immediately. Every possible care was taken to sanitize the area so as to minimize the damage of loss of life and property. The militant took up position behind a tree and was continuously firing indiscriminately at the police team. Meanwhile the remaining three associates of the militant were overpowered along with their belongings by the police party. The firing from both sides continued for about 15 minutes. During the firing the police team again directed the militant to surrender before the police party. After that the said militant dropped his fire arm and surrendered before the police party after coming out of the tree cover by raising his arms in air. Immediately directions were given by DCP Special Cell to stop the firing and thereafter the said militant was overpowered by the police party.

Name and addresses of the apprehended persons were revealed as:

1. Shahid Gafoor s/o Abdul Gafoor r/o VPO Dallakey, Tehsil Daska, Distt. Siyalkot, Pakistan.

2. Bashir Ahmed Ponnu @ Maulvi s/o Abdul Gani Ponnu r/o Maharajpura, Sopore, Distt. Baramullah, J&K

3. Fayyaz Ahmed Lone s/o Ali Mohd Lone r/o Village Marhama, PO Jirhama, Kupwara, J&K.

4. Abdul Majeed Baba s/o Abdul Ahad Baba r/o Village Magrepora, PS Sopore, Distt. Baramullah, J&K.

Search was conducted of the bags, being carried by the above said terrorists, 3 kg of explosive material, one .30 calibre pistol along with one spare magazine, 4 non-electric detonators, one timer, six hand grenades, Rs. 50,000 of Indian currency and US $ 10,000 were recovered from the bags. A case vide FIR No. 07/2007 dated 05.02.2007 U/s 121/121A/122/123/186/353/307/120B IPC, 25/27 Arms Act, 4/5 Explosive Substance Act, 17/18/20/23 Unlawful Activities (Prevention) Act, 2004 & 14 Foreigners Act was registered at PS Special Cell in this regard. During the cursory interrogation of the above said militants they revealed that they all were active members of banned militant organization Jaish-e-Mohmmad. On the direction of their mentors in Pakistan, Distt Commander, Sopore, namely Haider r/o Pakistan and Altaf r/o Sopore, who is also an active member of Jaish-e-Mohmmad. The recovered explosive material was to be handed over to Shahid Gafoor r/o Pakistan which was to be used for the purpose of disruptive and terrorist activities in India.

RECOVERIES FROM THE TERRORISTS.

1. One .30 caliber Pistol along with two magazines & two live rounds
2. 3 kg of explosives material
3. 4 detonators
4. One Timer
5. 6 Hand grenades
6. Rs. 50,000/-
7. US $ 10,000/-

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICERS

SHRI ALOK KUMAR, DCP: On the day of action i.e. 04.02.2007, Shri Alok Kumar DCP led the police party from the front. Immediately after the transaction of delivery of explosive material, DCP Alok Kumar, who was positioned nearest to the spot of delivery, loudly disclosed his identity and asked the militants to surrender. At this Pakistani terrorist immediately whipped out his firearm and started indiscriminately firing at the advancing DCP Alok Kumar and after running towards ITO side, he took turn left towards a service lane leading towards Arya Samaj Mandir. Bullet fired by trained Pak militant hit DCP Alok Kumar on the chest but was saved due to the bullet proof jacket, worn by him. However he did not loose heart and in spite of being hit by the bullet he kept on the chase and fired at the militant in order to apprehend him and to save the lives of his fellow team members. Pak trained militant took cover of a tree in the service lane and continued firing at the police party. It was a war like condition, ringed by enemy fire and it was almost impossible to nail down the terrorist who was continuously firing in order to flee from the spot. It was a safer position of tree held by the terrorist with sophisticated weapon. DCP Alok Kumar knew fully well that Pak trained terrorist was capable of inflicting heavy causality on the police party with such safer position and armed with sophisticated weapon. Undeterred and unfazed DCP Alok Kumar who was in open area with out any cover to take cover of, continued retaliating in self defence. The firing from both sides continued for about 15 minutes. It was due to the gallant and heroic effort of DCP Alok Kumar which forced Pak trained militant to surrender before the police party. DCP Alok Kumar very closely faced the hail of bullets being showered from the dreaded terrorist's pistol. He put his life at risk and bravely confronted the criminal and fired 3 rounds from his pistol. DCP Alok Kumar has shown exceptional courage for the safety of his team members and displayed the most personal bravery and gallantry of the highest order on the face of terrorism.

SHRI SANJEEV KUMAR YADAV, ACP: on the day of action i.e. 04.02.2007, ACP Sanjeev Kumar Yadav followed the suspects from the New Delhi Railway station. Immediately after the transaction of delivery of explosive material, ACP Sanjeev Kumar Yadav, who was positioned nearest to the spot of delivery, along with DCP Alok Kumar loudly disclosed his identity

and asked the militants to surrender. At this Pakistani terrorist immediately whipped out his firearm and started indiscriminately firing at the advancing ACP Sanjeev Kumar Yadav and after running towards ITO side, he took turn left towards a service lane leading towards Arya Samaj Mandir. Bullet fired by trained Pak militant narrowly missed ACP Sanjeev Kumar Yadav. However he did not loose heart and in spite of being in the direct line of fire, he kept on the chase and fired at the militant in order to apprehend him and to save the lives of his fellow team members. Pak trained militant took cover of a tree in the service lane and continued firing at the police party. It was a war like condition, ringed by enemy fire and it was almost impossible to nail down the terrorist who was continuously firing in order to flee from the spot. It was a safer position of tree held by the terrorist with sophisticated weapon. ACP Sanjeev Kumar Yadav knew fully well that Pak trained terrorist was capable of inflicting heavy causality on the police party with such safer position and armed with sophisticated weapon. Undeterred and unfazed ACP Sanjeev Kumar Yadav who was in open area with out any cover to take cover of, continued retaliating in self defence. The firing from both sides continued for about 15 minutes. It was due to the gallant and heroic effort of ACP Sanjeev Kumar Yadav which forced Pak trained militant to surrender before the police party. ACP Sanjiv Kumar Yadav very closely faced the hail of bullets being showered from the dreaded terrorist's pistol. He put his life at risk and bravely confronted the criminal and fired 3 rounds from his pistol. It was due to his exemplary good work, extraordinary courage and valour, selfless dedication towards the duty and presence of mind that he was able to apprehend the terrorists and prevent heavy loss of life and property.

SHRI MOHAN CHAND SHARMA, INSPECTOR: on the day of action i.e. 04.02.2007, Insp Mohan Chand Sharma very closely followed the suspects from New Delhi Railway Station. Immediately after the transaction of delivery of explosive material, on being challenged, Pakistani terrorist immediately whipped out his firearm and started indiscriminately firing at the advancing police party and after running towards ITO side, he took a left turn towards a service lane leading towards Arya Samaj Mandir. Insp Mohan Chand Sharma was very close to the militant and when he tried to stop the fleeing terrorist, he fired at Insp Mohan Chand Sharma with aim. Bullet fired by trained Pak militant hit Insp Mohan Chand Sharma on the chest but was saved due to the bullet proof jacket, worn by him. However he did not loose heart and in spite of hitting by the bullet he kept on the chase and fired at the militant in order to apprehend him and to save the lives of his fellow team members. Pak trained militant took cover of a tree in the service lane and continued firing at the police party. It was a war like condition, ringed by enemy fire and it was almost impossible to nail down the terrorist who was continuously firing in order to flee from the spot. It was a safer position of tree held by the terrorist with sophisticated weapon. Insp Mohan Chand Sharma knew fully well that Pak trained terrorist was capable of inflicting heavy causality on the police party with such safer position and armed with sophisticated weapon. Undeterred and unfazed Insp Mohan Chand Sharma who was in open area with out any cover to

take cover of, continued retaliating in self defence. The firing from both sides continued for about 15 minutes. It was due to the gallant and heroic effort of Insp Mohan Chand Sharma which forced Pak trained militant to surrender before the police party. With utter disregard to his personal safety he effectively repulsed the thrust of the terrorist's attack. He was openly exposed to the fire but through his sheer grit and courage Inspr Mohan Chand Sharma managed to thwart the attack of terrorist. He braved the continuous hail of terrorist firing. Unfazed he continued his tirade against the militants and fired 4 rounds from his service pistol.

In this encounter S/Shri Alok Kumar, Deputy Commissioner of Police, Sanjeev Kumar Yadav, Assistant Commissioner of Police and Mohan Chand Sharma, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ 4th Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th Februay, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.199–Pres/2007- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Sanjay Dutt, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Satender, Head Constable**	**(PMG)**
3.	**Hansraj, Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 5.3.2005, there was specific information that Hamid would be coming from J&K along with a consignment of explosives and will alight at Mukraba Chowk, Samaipur Badli bypass and his associate Mohd Sariq would come on a motorcycle having registration No. HR-13-S-2639 to pick him up. At about 4.40 PM. Mohd. Sariq on the motorcycle came to Mukraba Chowk and stopped near a STD booth. Hamid got down from a TATA Sumo. He was found carrying a bag. He sat down on the motorcycle of Mohd Sariq and while they were moving away they were intercepted. The bag when searched was found to contain Explosive Substance RDX which when weighed come to 10.560 kgs. A case vide FIR No. 40 dated 5.3.2005 u/s 121/121-A/122/123/120-B IPC and 4/5 Exp. Sub. Act & 18/20 Unlawful Activities Prevention Act-2004 was registered and motorcycle on which they were traveling was also seized. Hamid Husain @ Abu Faisal and Mohd. Sariq both residents of Jaffrabad, Seelampur, Delhi were subjected to interrogation. They disclosed that they are members of Lashkar-e-Tayyeba and Hamid Hussain further disclosed that he had been working for the militant outfit since 2002. He stated that earlier also he had collected consignment of three AK rifles 6 magazines, large number of rounds, grenades, dynamite, detonators and the same have been kept in a safe hide out at Suraj Vihar, Uttam Nagar, Delhi. He further stated that in the safe hideout there are three Lashkar-e-Tayyeba militants and two are of Pakistani origin by the name of Bilawal and Shahnawaz and another Lashkar-e-Tayyeba militant Shamsh of Indian origin are present and their plans are to conduct a fidayeen attack on Indian Military Academy, Dehradun, Uttranchal. On this information, a team

led by Sh Rajbir ACP well protected with Bullet proof vests, bullet proof Helmets and duly equipped with sophisticated arms and ammunition reached Suraj Vihar, Uttam Nagar, Delhi. The hideout was identified and the area was receed. The area was evacuated and the police team surrounded the house. Sensing the presence of police the militants opened fire and in the ensuing shootout which lasted for about one hour three militants were killed. The militants fired nearly 160 rounds from their AK-56 assault rifles while police team fired 270 rounds. The deceased militants were identified as Bilawal @ Mohd Sariq r/o Rawalpindi , Pakistan, Shahnawaz r/o Sind , Pakistan and Shams @ Parvez Ahmed r/o Patna, Bihar. The Pakistani passport of Bilawal @ Abu Naman was recovered. His identification card issued from Pakistan was also recovered. Apart from the above other incriminating documents like diaries containing codes have also been recovered. The other recoveries are (a) Three AK-56 rifles, 6 magazines and 14 live rounds, (b) Approximately 100 kg dynamite (Gelatin Sticks) (c) 450 detonators, (d) four hand grenades, (e) 'Thuraya' satellite phone (f) one mobile phone (g) one Maruti Zen.

INDIVIDUAL ROLE OF POLICE OFFICERS

Role of SI Sanjay Dutt (Now Inspector)

During the shoot out SI Sanjay Dutt along with other team members cordoned the premises from all sides with the help of team members and he himself jumped inside the boundary wall near the lavatory along with Inspr Mohan Chand Sharma and other team members and started to move towards the rooms. Suddenly one of the terrorists came out of the room after sensing the movement of police he ran back to the room. Immediately terrorists came out of the room and started indiscriminate firing from their AK-47 assault rifles towards the approaching SI Sanjay Dutt. He was hit by bullets fired by terrorists but he was saved because of bulletproof jacket. Undeterred and unfazed, he lay down on the ground, as there was no cover and returned back the fire from his AK-47 assault rifle. The bullets fired by terrorists were causing bang and sparking on the boundary wall where SI Sanjay Dutt was lying. He was heavily under the fire but he did not loose his heart and galvanized the available resources. In between one of the terrorist lobbed hand grenade which exploded near the lavatory where SI Sanjay Dutt was lying and he again had a very narrow escape. With utter disregard to his personal safety he rallied his team members and effectively repulsed the thrust of the terrorist's attack. He was openly exposed to the fire and grenade attack but through his sheer grit and courage SI Sanjay Dutt managed to thwart the attack of terrorists. He braved the continuous hail of terrorists firing. Unfazed he continued his tirade against the militants and fired 21 rounds from AK-47 rifle. His accurate firing ultimately caused the end of dreaded LeT terrorists Shahnawaz and Shaqib Ali @ Bilawal both r/o Pakistan and Shams @ Parvez Ahmed r/o Bihar.

Role of HC Satender

During the operation HC Satender along with other team members jumped inside the boundary wall. HC Satinder took his position in Opp. direction of the room in which the three LeT fidayeen militants were present. Sensing the presence of police the militants opened unprovoked and indiscriminate firing towards the police team. HC Satender along with other team members also retaliated and fired upon the terrorists. The militants had lobbed 2 hand grenades towards the police party one of which exploded very near to him. HC Satender was in open and in the direct line of fire without having any cover. After the shootout three militants were identified as Mohd. Rafiq @ Abu Thala @ Shahnawas, Saquib. During the shootout HC Satyendra Kumar bravely confronted the militants. Unfazed he continued his tirade against the militants and fired 20 rounds from AK-47 rifles.

Role of Constable Hansraj (Now Head Constable)

During the operation HC Hansraj along with other team members jumped inside the boundary wall. HC Hans Raj took the position near the Iron Gate which was bolted from inside. Sensing the presence of police the militants opened unprovoked and indiscriminate firing towards the police team. HC Hansraj along with other team members returned the fire in self defence and to apprehend the militants. He very closely faced the hail of bullets in the open without any cover, from the trained militants and put his life at risk. It was his utmost exemplary courage which resulted in the neutralization of terrorists. Undeterred and unfazed, he bravely confronted the militants and fire 23 rounds from his AK-47 assault rifle. After the shootout three militants were identified as Mohd. Rafiq @ Abu Thala @ Shahnawas, Saquib.

In this encounter S/Shri Sanjay Dutt, Inspector, Satender, Head Constable and Hansraj, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th March, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.200–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Subhash Chand Vats**
   Sub Inspector
2. **Harender Singh,**
   Sub Inspector
3. **Sanjeev Lochan,**
   Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07.03.2006 at 7PM, specific information through the informer was revealed in the office of Special cell that Lashkar-e-tayyeba militants Ghulan Yazdani @ Naved @ Yahya r/o Hyderabad(AP), Chief of LeT in Bangladesh and wanted in several cases of terrorist activities acts and Ahsan Ullah Hasan @ Kabab Mohd @ Shahbaz Mohd @ Sajid Mehmood @ Shumon @ Jamil @ Ahmed @ Kajol r/o Chorangi Mor, Jheelchuli, Faridpur, Bangladesh will arrive in Delhi in Car No. UP-21-3851 at Holambi Kalan, Metro Vihar, Narela Alipur Road T-point between 5Am-6AM. It was also informed that they are heavily armed with arms ammunition and explosives. This information was recorded into daily diary and discussed with senior officers. To act upon this information a team under the supervision of ACP Sanjeev Yadav, Inspr Mohan Chand Sharma, Inspr. Badrish Dutt, Inspr. Sanjay Dutt, SI Rahul Kumar, Dharmender, Subhash Vats, Rajender Sehrawat, Dilip, Kailash, Ravinder Tyagi, Bhoop Singh, Vinay Tyagi, Harinder, ASI Vikram esingh, Devinder, Anil Tyagi, Sanjeev Lochan, Shahjahan, Satish, HC Satender, HC Satender Kumar, HC Rajbir, Krishna Ram, Rustam, Cts. Gurmit, Balwant, Rajinder, Parves , Hari Ram, Vinod Gautam and Ct. Gulbir was formed. The team was briefed regarding this information. The team duly armed with arms ammunition, BP jackets, torches and bulletproof vehicles etc issued as per malkhana register PS Special Cell departed from the office of Special Cell, Lodhi Colony in three official vehicle, 3 private cars, 2 two wheelers at 3 AM. In this team SI Rajender Sehrawat, SI Dilip, SI Harinder, HC Satender, HC Satender Kumar, Ct. Rajinder and Ct. Balwant were in uniform while others were in civies. The team reached GT Karnal Road bypass near Mukharba Chowk at 3.45 AM where

Inspr Mohan Chand Sharma disclosed the facts of the information to 5-6 passer byes and requested them to join the raiding party however every one of them left the spot with out giving their names and address after submitting their genuine excuses. Without wasting further time the raiding party departed from Mukharba Chowk and reached Alipur Narela Road, Holambi Kalan, Metro Vihar "T" point at 3.45 AM. Thereafter the entire raiding party was distributed into 9 teams and each team has provided with a vehicle in order to plug all the entry and exit points. All the team were briefed to conceal their presence at strategic places. Inspr Mohan Chand Sharma alongwith ACP Shri Sanjeev Yadav and SI Ravinder Tyagi positioned at T-stall on Narela Alipur Road, Hulambi Kalan Metro Vihar T-point. At about 4.30 am one blue coloured Maruti Car bearing No. UP-21-3851 was spotted coming from Alipur side by a team consisting of SI Subhash Vats stationed at Narela Alipur Road. This car came at Narela Alipur road Hulambi Kala metro vihar T-Point turned towards Metro Vihar and parked on the roadside. Immediately, all the teams were alerted. Thereafter both the occupants of the car started waiting. Inspr Mohan Chand Sharma identified the person as Ghulam Yezdani @ Yahya who alighted from the driver side. Immediately all the teams were directed to close in on the militants in order to apprehend the militants. Inspr Mohan Chand Sharma along with ACP shri Sanjeev Yadav loudly disclosed their identities and directed both of them to surrender. However both of them whisked out their firearms and started firing towards the approaching police party (team) and simultaneously jumped over the boundary wall on the roadside, to take cover of the wall and started firing at the approaching police team. The police team also took cover and retaliated by firing back at the militants. All possible care was taken to protect the lives and properties of the passerby's. The militants were surrounded by the police team and again asked to surrender. However they continued indiscriminate firing at the police team and started running towards the open field behind the boundary wall. The exchange of firing continued for about 30 minutes and when the firing from the militant's side stopped immediately Inspr. Mohan Chand Sharma along with ACP Sh. Sanjeev Yadav directed the team members to stop firing. Both the militants were found lying in an injured condition in the field; besides them one semi automatic pistol each was found lying with them from which they had fired at the approaching police team. Police control room was informed immediately and senior officers were also informed regarding the incident. The PCR reached the spot and injured militants were removed to the hospital. Both the Laskhar-e-Tayyeba militants armed with deadly arms and ammunition have obstructed the police team who were discharging their legal duties by launching murderous assault at the police team. A case was registered under appropriate sections of law in this regard at PS Narela, Delhi.

RECOVERIES FROM THE SLAIN TERRORISTS

1. One AK-56 Rifle with 2 magazines
2. 51 rounds cartridges of AK-56
3. Four Hand grenades

4. 40 packets of PETN of 100 gms each (Total 4 kgs)
5. FICN Rs. 47,000/- in the denomination of Rs. 500/-
6. Two pistols of make Lugar of Czech Republic of 9mm caliber with 2 magazines
7. Three live rounds of 9mm caliber, 125 fired rounds
8. One Maruti 800 car No. UP-2-3851
9. Other incriminating documents

INDIVIDUAL ROLE OF POLICE OFFICERS

SI Subhash Chand Vats: He was the team member under the supervision of ACP Sh. Sanjeev Kumar Yadav and Insp. Mohan Chand Sharma. On 8.3.2006 in the early morning along with the team reached Alipur Narela Road and took position at the strategic point. He spotted UP-21-3851, which was coming from Alipur side. He signaled the team about the arrival of the car. When the terrorists reached the spot, later on identified as Ghulan Yazdani @ Naved @ Yahya r/o Hyderabad(AP), Chief of LeT in Bangladesh and wanted in several cases of terrorist activities acts and Ahsan Ullah Hasan @ Kabab Mohd @ Shahbaz Mohd @ Sajid Mehmood @ Shumon @ Jamil @ Ahmed @ Kajol r/o Chorangi Mor, Jheelchuli, Faridpur, Bangladesh. Inspr Mohan Chand Sharma along with ACP Sh. Sanjeev Kumar Yadav disclosed the identity of the police team and started firing. SI Subhash Vats without caring for his life, face the hails of the bullets fired by the terrorist Ghulam Yezdani. When the militants fired a bullet aiming towards SI Shubash Vats he saved himself by jumping behind the wall of the field and he was direct in the line of fire of militant Ghulam Yezdani. He gave befitted reply to the militant Ghulam Yezdani and which resulted in neutralizing the firepower of militant. He gallantly confronted the militant and without caring for his life gave chase to the militant Ghulam Yezdani who was constantly and indiscriminately firing towards him and Inspector Mohan Chand Sharma. Unfazed and undeterred SI Subhash Chand Vats, in self defence and in order to apprehend the militant returned fire in order to ensure the safety of innocent public persons passing from there and his team. He put his own life at risk and neutralized the militant Ghulam Yezdani in the ensuing encounter. The die-hard officer fired 4 rounds from his service pistol.

SI Harender Singh: He was the team member under the supervision of ACP Sh. Sanjeev Kumar Yadav and Insp. Mohan Chand Sharma. On 8.3.2006 in the early morning along with the team reached Alipur Narela Road and took position at the strategic point. When the terrorists reached the spot and were directed to surrender the militant who was later on identified as Ahsan Ullah Hasan @ Kajol and who was on the direct line of fire towards SI Harender Singh along with ASI Sanjeev Lochan started firing at them. SI Harender Singh without caring for his life, face the hails of the bullets fired by the terrorist Kajol took a suitable position by laying himself on the road and retaliate in self–

defence. He gallantly confronted the militant Kajol and without caring for his life gave chase to the militant who was constantly and indiscriminately firing towards him. Unfazed and undeterred SI Harender Singh, in self defence and in order to apprehend the militants, also returned fire in order to ensure the safety of innocent public persons present up there, he put his own life at risk and shot dead the militants in the ensuing encounter. The die-hard officer fired 5 rounds from his service pistol.

ASI Sanjeev Lochan: He was the team member under the supervision of ACP Sh. Sanjeev Kumar Yadav and Insp. Mohan Chand Sharma. On 8.3.2006 in the early morning along with the team reached Alipur Narela Road and took position at the strategic point. When the terrorists reached the spot and were directed to surrender, but they started firing at the approaching police party. He without caring for his life, face the hails of the bullets fired by the terrorist Ahsan Ullah Hasan @ Kajol. He gallantly confronted the militant and without caring for his life gave chase to the militant who was constantly and indiscriminately firing towards him. He lay down in the field and forced the militant to shun the protection of the boundary wall. Unfazed and undeterred ASI Sanjeev Lochan, in self defence and in order to apprehend the militant, also returned fire in order to ensure the safety of innocent public persons present up there. He put his own life at risk and shot dead the militants in the ensuing encounter. The die-hard officer fired 4 rounds from his service pistol.

In this encounter S/Shri Subhash Chand Vats, Sub Inspector, Harender Singh, Sub Inspector and Sanjeev Lochan, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th March, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.201–Pres/2007- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Lalit Mohan Negi Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Hridya Bhushan, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**Girish Kumar, Sub Inspector**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 06/03/06, on the basis of a secret information regarding Hemant @ Sonu, team of Special Cell conducted a raid at Flat No.505, 5th Floor, Sagar Apptt., Sushant Lok-II, Gurgaon, Haryana at about 1.30 A.M. When the inmates didn't open the door, the police team made their entry by forcibly breaking open the door. Sanjay Singh S/o Bhopal Singh was overpowered, who revealed that one gangster (later identified as Jaiprakash @ JP R/o Najafgarh, Delhi) had skipped through the shaft from the rear balcony of the flat. On search Jaiprakash, a close associate of Hemant @ Sonu, was traced in rear side shaft, who was asked to surrender before the police. Instead, he opened fire upon the police party and took out a grenade and threatened to kill the members of police party and residents by exploding the grenade. In order to apprehend the criminal and in self defence, police party also returned fire. The gangster managed to hide himself under the cover of darkness. Police restrained firing keeping in view the security of public. Keeping in view the gravity of the situation additional force was sought from Special Cell and Haryana police. Meanwhile, on enquiry Sanjay Singh above revealed that Hemant @ Sonu along with his associate Jaswant @ Sonu is hiding in a flat No.9-1101, Valley View Estate, Gwalpahadi, Gurgaon on Faridabad Road. Accordingly, a team headed by Sh. Sanjeev Yadav, ACP, consisting of Insp. Lalit Mohan, Inspr. Hridaya Bhushan, SI Girish Kumar, and other left for Valley View Apartment, whereas other team members were left at the spot to work upon the situation to apprehend Jaiprakash @ JP. At around 5.30 A.M., the team reached Flat No.9-1101, Valley View Estate, Gurgaon and conducted raid. The inmates were

directed to open the door and surrender before the police. When inmates didn't open the door despite warning, police made entry by forcibly breaking open the door. Hemant @ Sonu immediately opened fire upon the police party. Police party returned the fire. Jaswant @ Sonu was seen climbing down to the tenth floor balcony from the rear side. Door of the tenth floor flat was also forcibly broke opened. The gangster later identified as Jaswant @ Sonu S/o Jagdish Prasad R/o RZ-421, Gopal Nagar, Najafgarh, Delhi, also fired upon the police party. In the ensuing encounter Hemant @ Sonu and Jaswant @ Sonu got killed. One 9 mm pistol and 455 bore revolver used by Hemant @ Sonu and one .38 bore used by Jaswant @ Sonu and live cartridges were recovered from them.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICERS

Shri Lalit Mohan Negi, Inspector: When the team reached at Flat No.9-1101, Valley View Apartment, where the gangsters were hiding, they were asked to open the door and surrender. When the gangsters disobeyed the lawful directions, Insp. Lalit Mohan took the initiative and with the help of other team members, broke opened the door. While breaking the door, he was completely exposed to any attack from the gangsters. As soon as he entered the flat, the dreaded duo took out their weapons and opened fire upon the police party. In self defence and in order to apprehend the gangsters, police party returned the fire. During the encounter with the interstate gangsters, Insp. Lalit Mohan bravely confronted Hemant @ Sonu, blocked his escape and without caring for his life, challenged the gangster and engaged him from within a very close range to ensure the safety of his fellow team members. He put his life at risk, so much that a bullet fired by the gangster hit him on his chest but he was saved by the virtue of bullet proof jacket worn by him. Undeterred and unfazed, the die-hard officer fired 4 rounds from his service pistol and played a vital role in eliminating the gangster.

Shri Hridaya Bhushan, Inspector: During the encounter with the interstate gangsters, when Insp. Hridaya Bhushan entered the flat, Hemant @ Sonu was firing from inside the kitchen, whereas, his associate Jaswant @ Sonu was running towards the rear side Balcony, simultaneously firing upon the police party. In self defence and in order to apprehend the gangsters, police party returned the fire. Without caring for his life, Insp. Hridaya Bhushan ran through the volley of fire and bravely chased Jaswant @ Sonu, who was trying to escape from the rear side balcony. Jaswant @ Sonu climbed down from 11th floor to 10th floor from the rear side of the balcony. The daring officer, exhibiting utmost courage, followed the gangster and climbed down to the 10th floor from rear side of the balcony. Putting his life at risk, he challenged the gangster and confronted him head on. A bullet fired by the gangster hit him on his chest but he was saved by the virtue of bullet proof jacket worn by him. However, the bullets could not deter the valiant officer from chasing the dreaded gangster. Undeterred and unfazed, the die-hard officer fired 6 rounds from his service pistol and played a vital role in eliminating the gangster.

Shri Girish Kumar, Sub Inspector: During the encounter with the interstate gangsters, when SI Girish Kumar entered the flat after breaking open the door, the dreaded duo took out their weapons and opened fire upon the police party. While firing, Hemant @ Sonu took cover inside the kitchen, whereas, the other one Jaswant @ Sonu ran towards the rear side balcony, simultaneously firing upon the police party. Police party also returned the fire. Sub. Insp. Girish Kumar, bravely confronted Hemant @ Sonu. When he saw the other gangster climbing down from the balcony, he quickly came down from 11th floor to 10th floor, where, inside flat No.10-1101, Jaswant @ Sonu had entered from the rear side balcony. He broke opened the front door and bravely confronted the gangster, without caring for his personal safety and life. When gangster fired upon the police he also returned fire. The daring officer, exhibiting exemplary valour, putting in risk his own life, came in close proximity to the gangster and blocked his escape. Undeterred and unfazed, the die-hard officer fired 3 rounds from his service pistol and played a vital role in eliminating the gangster.

In this encounter S/Shri Lalit Mohan Negi, Inspector, Hridya Bhushan, Inspector and Girish Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th March, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

52—361 GI/2007

No.202–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **S K Giri**
   Inspector
2. **Sajjan Singh,**
   Sub Inspector
3. **Kailash Chandra Yadav,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 06/03/06 at about 10 p.m. specific information was received to Insp. Lalit Mohan Negi that Hemant @ Sonu is present in a flat of Sagar Apartment, Sushant Lok-II, Gurgaon, Haryana along with his associates and are well equipped with sophisticated arms and ammunition. Immediately, a team under supervision of ACP Sanjeev Yadav to act upon the information was formed. The team reached Sagar Apptt, Sushant Lok-II, Gurgaon, Haryana at about 1.30 a.m., where H. No. 505 was pointed out in which criminals were stated to be hiding. On this the building was cordoned and members were deployed at strategic points. Insp. Lalit Mohan after loudly disclosing his identity asked to open the door. When the inmates didn't open the door, the police team made their entry by breaking open the door and one Sanjay Singh S/O Bhopal Singh was overpowered, who revealed that one of the gangsters later identified as Jaiprakash @ JP R/O Najafgarh, Delhi had skipped through the shaft from the rear balcony of the flat. On search the team found that Jai Prakash has entered the drainage Shaft. He was asked to surrender before the police, but instead, he opened fire upon the police party and took out a grenade and threatened to kill the members of police party and residents of the Apartments by exploding the grenade. Taking the advantage of darkness he continued his movements from one flat to another and one floor to another and firing simultaneously. In order to apprehend the criminal and in self defense Police party also returned fire carefully keeping in view the security of public at large. However, he managed to hide himself with in the building under the cover of darkness. Keeping in view the gravity of the situation more enforcement was sought from Haryana Police; other officials of Special Cell were also called. Consequently S.I. Rajender Singh CIA Haryana Police, Insp. S.K. Giri and Insp. Govind Sharma

along with their respective staff reached the spot. Meanwhile, on interrogation Sanjay Singh above revealed that Hemant @ Sonu along with Jaswant @ Sonu is hiding in a flat No. 9-1101, Valley View Estate, Gwalpadi, Gurgaon on Faridabad Road. Accordingly, a team under the supervision of Sh. Sanjeev Yadav consisting of Insp. Lalit Mohan, Inspr. Hridaya Bhushan, SI Umesh Barthwal, SI Chandrika Prasad, SI Girish Kumar, HC Surender, HC Dev Dutt, HC Yashpal, Ct. Sunder Gautam, Ct. Sunil Kasana and CIA Staff SI Rajender Singh along with staff left for Valley View Apartment. Meanwhile other senior officer from Haryana Police reached the spot, on search of Jai Prakash @ JP started in and around the flats, mean while it was revealed that he had entered into Flat No. 404 and made hostage the family in the flat on gunpoint. On this he was persuaded to leave the family and surrender before the Police. During the negotiations JP appeared on the Balcony, only on this time the hostages were safely rescued. JP handed over the grenade and his one pistol to Police and entered back into the flat, where, when he found the Police is present and hostages are not there, in fury he took out his another pistol and started firing indiscriminately upon the Police party. In order to apprehend the gangster and in self defence Police party also opened fire. In the ensuing encounter the dreaded gangster Jaiprakash @ JP got killed.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICERS

Shri S.K. Giri, Inspector: After reaching the spot at Sagar Apartment Sec. 56, Gurgoan Where the desperate gangster Jai Prakash @ JP who had fired upon the Police party and had a hand grenade with him, Insp. Giri took the charge of operation to apprehend criminal. He made efforts to locate him inside the flat where gangsters had kept inmates as hostages on gunpoint. Insp. Giri made all out efforts and persuaded the criminal to surrender before the Police and when fully armed gangster appeared on the Balcony along with hostages on gunpoint. Insp. Giri bravely entered into the flat and taking in view safety of the hostages removed lady and children, to safe place. After that, while standing on the entry gate of the flat, Insp. Giri again asked gangster to throw the Arms and surrender but instead, he fired upon the Police Party. Insp. Giri narrowly escaped the shower of bullets as one of the bullets hit the bullet proof Jacket worn by the officer. While he was in the close range of the gangster and even a bullet fired by the gangster hit his bullet proof Jacket. The undeterred and unfazed Officer, without caring for his life, made his way close to the gangster exhibiting exemplary valour in order to apprehend the criminal and in self-defense, the die-hard officer fired 3 rounds from his service pistol.

Shri Kailash Chandra Yadav, Sub Inspector: When initially Police party reached Flat No. 505 Sagar Apartment, Sec. 56 Gurgoan and forcibly entered into it, the inmate Sanjay Singh told police that gangster Jaiprakash @ JP had slipped into the shaft. On this S.I. Kailash Yadav along with some team members, immediately went to the ground floor to block the gangster's escape. When S.I. Kailash Yadav noticed JP hiding in Shaft behind ventilators, he challenged the gangster and directed to surrender before Police. Instead JP

started firing upon the Police Party, S.I. Kailash Yadav, who was in the open ground area narrowly escaped the sudden outburst of fire. On this Police party also fired towards the gangster in order to apprehend him and in self-defence. The daring officer without caring for his life crawled near the gangster and grabbed his leg. On this gangster who had a grenade, took out its pin and threatened to blast it. As the grenade blast could cause severe loss to public life and property, officer was directed to leave the gangster. Again when he was traced in a flat with inmates as hostages S.I. Kailash Yadav took his position right in front of entry gate of the flat. As soon as lady and children were removed safely from the flat, S.I. Kailash Yadav without caring for his life made his entry inside the flat straight in front of the criminal, and escaped shower of bullets fired by the gangster. In order to apprehend the gangster and in self defence S.I. Kailash Yadav fired 3 rounds from his service pistol.

Shri Sajjan Singh, Sub Inspector : When S.I. Sajjan Singh reached the spot at Sagar Aptt. Sec. 56 Gurgoan, Gangester Jai Prakash @ JP was hiding somewhere in Apartment after one phase of firing and scuffle. Sajjan Singh made all out efforts to trace the gangster and found him hiding in the Balcony of a flat. He challenged the gangster and asked him to surrender before the Police. The gangster instead started firing upon the Police party. In order to apprehend the gangster and in self defence S.I. Sajjan Singh also fired upon the gangster and without caring for his life, advanced towards him from Balcony of another flat. When gangster found Police approaching him, he quickly jumped on to another balcony and disappeared in dark. After some time it was discovered that the gangster had taken hostage a family, on gunpoint, inside flat No. 404. While other Police officers were persuading the gangster for surrender, while he was on one Balcony of the flat, S.I. Sajjan Singh, without caring for his life bravely made his entry inside the flat by breaking open the door of Balcony on the other side. Risking his life, S.I. Sajjan Singh rescued the lady and children present in the flat. After rescue of inmates, Police Party entered into the flat from entry gate. S.I. Sajjan Singh also joined them, while the gangster was firing indiscriminately upon the Police party. During this entire operation, the undeterred and unfazed officer fired 3 rounds from his service pistol and played a vital role in eliminating the gangster.

In this encounter S/Shri S K Giri, Inspector, Sajjan Singh, Sub Inspector and Kailash Chandra Yadav, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th March, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.203–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Kailash Singh Bisht,**
   Sub Inspector
2. **Rajinder Singh Sehrawat,**
   Sub Inspector
3. **Devender Singh,**
   Assistant Sub Inspector
4. **Bijender Singh,**
   Head Constable
5. **Sanjeev Shoukeen**
   Head Constable
6. **Vinod Gautam,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During interrogation, Jaish –e- Mohd Tehsil Commander Kamran-Ul Islam disclosed that he was to deliver the recovered money, arms & ammunition to other militant of Jaish-E-Mohammad outfit namely Irfan @ Suhail r/o Pakistan, operating in Kashmir valley from District Pulwama, Kashmir. Immediately, the team of Special Cell/Delhi Police officials consisting of SI Kailash Singh Bisht, SI R S Sehrawat, ASI Devender Singh, HC Bijender Singh, HC Sanjeev Shaukeen, Ct. Vinod Gautam and other were dispatched to J&K. The entire team worked tirelessly day and night in adverse conditions and hostile atmosphere to identify and apprehend these Pakistani militants. They had to work under the garb of local employees of MNC's and themselves succeeded to get specific and relevant information regarding Irfan @ Suhail and other Pakistani terrorists. On 27.12.2005, the team of Special Cell exactly identified the hideout of these foreign terrorists at the house of one local resident namely Mohd. Akram Butt at Butt Mohalla, Khrew of district Pulwama (Kashmir). Immediately, the team passed this vital information to senior officers in Delhi and a joint team of Special Cell officers present in J&K, 50 RR and SOG Pampore was formed to apprehend these Pakistani militants of Jaish E Mohd terrorist outfit. The team of Special Cell/Delhi Police reached at Butt Mohalla

and apprehended Mohd. Akram outside his residence. During questioning, Md Akram Butt denied the presence of terrorists in his house and tried to deliberately mislead the team. SI Kailash along with staff strictly interrogated Mohd. Akram & he thereafter admitted the presence of three trained militants in his house armed with deadly weapons. The team of 50 RR and SOG (Pompore) were also accompanying the party of Special Cell. The house of the Mohd. Akram Butt was cordoned with a two-tier ring. The officials of SOG were deputed in outer ring and the team of Special Cell and 50 RR took their position in inner circle. The area was cordoned systematically to avert civilian casualty. Thereafter, the terrorists were warned to surrender before the security forces. Enough time was given to the foreign terrorists to surrender but they didn't pay any heed to the warning of armed forces and opened fire with their automatic weapons upon raiding party to inflict casualty and escape in the cover of darkness. The team of Special Cell of Delhi Police and 50 RR also fired in retaliation to avert casualty of team member. The firing from both sides continued for about four hours and in the bid to escape, the foreign terrorists sustained bullet injuries and were shot dead at the spot. The area of operation remained cordoned whole night and an extensive search was made and huge haul of arms/ammunition, grenades, cell phones and incriminating documents were recovered. The team of Special Cell/Delhi Police fired 128 rounds in retaliation from their AK-47 assault rifles to avert casualty and apprehend the foreigner terrorists. A case under appropriate sections of laws was lodged in this regard at PS Pampore, J&K.

SHRI KAILASH SINGH BISHT, SUB INSPECTOR

SI Kailash Singh Bisht took position at backside of the house, as it was most vulnerable point for the militants to flee. The militants started firing indiscriminately from inside the house to make the things difficult to approach the house. When darkness loomed over the area, the militants came out of the house, firing indiscriminately on the raiding party by running in different directions. One of the militant ran towards SI Kailash Singh Bisht firing upon him. SI Kailash Singh disregard of his personal safety, ignoring all the dangers to life, undeterred and unfazed fired 30 rounds from his service Assault rifle in self-defense and neutralized the terrorist. He remained in the front without caring for his life and also closely monitored the entire operation. SI Kailash Singh Bisht endangered his life for the safety of his team members and displayed the most personal bravery and gallantry of the highest order on the face of terrorism.

SHRI RAJENDER SINGH SEHRAWAT, SUB INSPECTOR

SI Rajender Sehrawat took position in front of the said house and when the militant tried to flee, SI Rajender Sehrawat daringly confronted the JeM militant who kept on changing his position and continued firing on SI Rajender Sehrawat. In self-defence and in order to protect the lives of the members of the police team and accompanied staff, SI Rajender Singh Sehrawat disregard to his personal safety, ignoring all the dangers to life, undeterred and unfazed fired 25

rounds from his service Assault rifle in self-defence and neutralized the terrorist. He remained in the front without caring his life and also closely monitored the entire operation. SI Rajender Singh Sehrawat endangered his life for the safety of his team members and displayed the most personal bravery and gallantry of the highest order on the face of terrorism.

SHRI DEVENDER SINGH, ASSISTANT SUB INSPECTOR

Under the darkness and hostile topographical condition ASI Devender took position on one side of the house. The militants came out of the house firing indiscriminately on the Police Party. One of the militants ran towards ASI Devender with indiscriminate firing in order to flee from the spot. ASI Devender also retaliated in self-defense. The die hard officer without caring for his life & being confronted by the JeM militant, who was equipped with sophisticated Assault Rifle and Hand grenade, fired 27 rounds from his service Assault rifle and neutralized the terrorist. ASI Devender endangered his life for the safety of his team members and displayed the most personal bravery and gallantry of the highest order on the face of terrorism.

SHRI BIJENDER SINGH, HEAD CONSTABLE

When the militants opened fire indiscriminately on the police party, HC Bijender Singh took position in front of the house. As the militant tried to flee, HC Bijender Singh daringly confronted the JeM militant. HC Bijender disregard to his personal safety, ignoring all the dangers to life, undeterred and unfazed fired 13 rounds from his service Assault rifle in self-defence and neutralized the terrorist. HC Bijender endangered his life for the safety of his team members and displayed the most personal bravery and gallantry of the highest order on the face of terrorism.

SHRI SANJEEV SHOUKEEN, HEAD CONSTABLE

HC Sanjeev Shaukeen took position on one side of the house. One of the militant ran towards HC Sanjeev firing indiscriminately in order to flee from the spot. The die hard officer without caring for his life confront with the JeM militant, who was equipped with sophisticated Assault Rifle and Hand grenade, fired 18 rounds from his service Assault rifle and neutralized the terrorist. HC Sanjeev endangered his life for the safety of his team members and displayed the most personal bravery and gallantry of the highest order on the face of terrorism.

SHRI VINOD GAUTAM, CONSTABLE

Constable Vinod took position at the backside of the house. During the encounter one of the militant ran towards the backside of the house firing indiscriminately on raiding party. In the volley of fire, Ct Vinod Undeterred and Unfazed fired 15 rounds from his service Assault rifle and neutralized the

militant. Ct Vinod endangered his life for the safety of his team members and displayed the most personal bravery and gallantry of the highest order on the face of terrorism.

In this encounter S/Shri Kailash Singh Bisht, Sub Inspector, Rajinder Singh Sehrawat, Sub Inspector, Devender Singh, Assistant Sub Inspector, Bijender Singh, Head Constable, Sanjeev Shoukeen, Head Constable and Vinod Gautam, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th December, 2005.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.204–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tamilnadu Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri J. Jawaharlal,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07.06.2007, an agitation in the form of demonstration, road picketing, burning of effigies and burning of newspapers was organized in different parts of the State. Anticipating serious law and order repercussion, elaborate security arrangements were made in important, problematic and sensitive areas. In Villupuram District agitators assembled in as many as 28 centres and indulged in lawlessness, creating serious security implications. Sensing trouble, a strong Police contingent headed by Tr. Murali, Deputy Superintendent of Police, DCRB i/c Kottakuppam Sub-Division, and Inspector of Police, Tr. J. Jawaharlal was on security duty on the Puducherry- Bangalore National Highways (NH-66) at Thiruchitrambalam cross road junction in Auroville Police Station limit, Villupuram District. This junction is always a busy place and there was a big crowd at the time of incident. At about 10.15 hours, at Thiruchitrambalam cross road, many agitators activists had assembled for the agitation. The agitators suddenly set fire to a big scrambled bundle of a newspaper and the fire spread on the road endangering the lives of the road-users, general public, policemen and the agitators themselves. Sensing serious trouble, the Inspector of Police, Tr. J. Jawaharlal tried to put out the fire. At that time, Tr. Jawaharlal saw an agitator opening a big bottle containing petrol and the Inspector warned him on the serious consequences of fire-burst and danger to the agitators and general public. Ignoring the warning, the agitator hurled the petrol bottle amidst the agitators in the direction where the Inspector was busy putting out the fire. In order to save the life of the general public, the agitators and the policemen and also to prevent a major petrol-explosion, Tr. Jawaharlal courageously faced the petrol bottle to catch it but it fell on him. In the impact petrol spread on his pant and the fire on the ground spread to his pants. Immediately Tr. Jawaharlal fell on the ground and rolled to put out the flames. The police team rushed to his rescue by throwing a wet sack on him, put out the fire and took him to the JIPMER (Jawaharlal Nehru Institute for Post Graduate Medical Education and

Research) Hospital, Puducherry. The doctors gave him immediate Medical attention and declared that he had sustained 20% burn injuries on both his legs and thighs. At the scene of crime the Police Team put out the fast spreading fire and arrested 28 agitators for the crime committed by them, vide Auroville PS Cr.207/2007 u/s 143,147, 188, 285, 427, 332, 307 IPC. Inspector of Police, Tr. J. Jawaharlal risked his precious life, faced the big petrol bottle, prevented a massive petrol-explosion and thereby averted a major conflagration and loss of lives. His gallant and time action resulted in saving many lives and public properties. To save others, he has risked his life and sustained serious injuries, which had left permanent scars on a large, visible portion of his body. He was unmindful of the painful consequences when he attempted to prevent a catastrophe, Tr. J. Jawaharlal has displayed devotion to duty, commitment, courage and bravery of a very high order.

In this encounter Shri J. Jawaharlal, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th June, 2007.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.205–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Braj Bhushan,**
   Senior Superintendent of Police
2. **Rajendra Singh,**
   Additional Superintendent of Police
3. **Iqbal Singh,**
   Deputy Superintendent of Police
4. **Vijay Kumar Rana,**
   Sub Inspector
5. **Bhupendra Singh,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On actionable information about the presence of dreaded dacoit Kallu (Rewardee of Rs. one lack of UP Government) gang in the dense katri area near village Manpur within the jurisdiction of PS Fatehganj east district Bareilly, SSP, Bareilly Shri Braj Bhushan planned the entire operation timely and reached the targeted Katri area at 3 a.m. on Jan 16, 2006 with utmost secrecy. SSP's assault party consisted of SI Vijay Rana, SI Bhupendra Singh and 4 constables. This assault team was given cover by two parties from left and right flank led by Dy.SP Sri Iqpal Singh and Additional SP Rural area Shri Rajendra Singh along with other police officers. At about 3 O'clock assault team and cover parties moved on foot tactically in the dense katri. The place where Kallu and his gang had taken shelter was thickly dense so it was not easy to move or to locate any thing even in the day time. Police parties under leadership of SSP Bareilly was moving toward the target despite adverse and inclement weather conditions under poor visibility and thick fog. During this operation of four hours Police party had to face the danger of life on each and every step. But due to courage and dynamistic of its leader the police party kept on marching toward final goal. After a tiresome effort SSP Bareilly reached the location from where the Kallu gang was about 25-30 yards away. On that moment SSP Bareilly considered that from that location no effective action was possible, and it was very dangerous for the police parties to go nearer the dreaded dacoit Kallu gang who was the killer of one and half dozen Police officer in various police encounter, however, brave SSP Bareilly decided to move forward. SSP reached with assault party to about 25-30 feet away from the gang. Suddenly Kallu and his gang opened fire at SSP and his party with the intension to kill them. Because Kallu was inhabits of fire on Police officer after abusing them in

standing position, the SSP did not bother about personal safety even though the death as standing at hand shaking distance from him. He with extreme courage and call of duty, very bravely challenged the gang to surrender before the police. After hearing the words of SSP, a volley of bullets aiming to him was opened by the gang in which two bullets hit Braj Bhushan, fortunately the bullets hit bullet proof jacket and he had a providential escape from the certain death. At that moment SSP showed his exceptional bravery, re-ignited enthusiasm in the assault party and in self defense the SSP and assault party opened fire in retaliation. During exchange of fire Police party heard the cries of two-three dacoits. In cover party CO Faridpur Shri Iqpal Singh also received a bullet on his bullet proof jacket. Despite heavy volume of fire, on orders and motivation of the SSP, Braj Bhushan, the brave SP (RA) Rajendra Singh, SI Vijay kumar rana including SI Bhupendra Singh fearlessly, with utmost bravery and dutifully moved forward exhibiting extreme courage and followed the blood trails to locate the dacoits. The gang consisting 10-12 members were armed with semi-automatic lethal weapons. During exchange of fire which lasted approx 45 minutes from 7.15 a.m. to 8.00 a.m. SSP Bareilly and other member of assault team as well as covering team opened fire from their weapons.

The situation was critical for own safety since Kallu and his gang was assessed to be launching counter attack from the rear. On termination of firing, SSP Bareilly quickly re-grouped the police and searched for the dacoits. The dead body of dreaded dacoit Kallu alias Kallua was found at about a distance of 300 yards from the place where heavy volume of fire being carried out by dacoits. Consequent to presence of mind, use of field craft and tactics including utilization of bullet proof jackets the SSP Braj Bhushan and his team were saved from injury. The following recoveries were made:-

(i) One Semi-automatic Pistol 32 bore factory made 03 cartridge, 6 cartridge inside magazine and 06 blank cartridges

(ii) One SBBL Gun 12 bore factory made, One belt with 09 cartridges & 15 blank cartridges.

(iii) 10 blank cartridges & 13 live cartridges 9mm, 23 blank cartridges 315 bore and 07 blank cartridges.762 bore.

In this encounter S/Shri Braj Bhushan, Senior Superintendent of Police, Rajendra Singh, Additional Superintendent of Police, Iqbal Singh, Deputy Superintendent of Police, Vijay Kumar Rana, Sub Inspector, and Bhupendra Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th January, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.206–Pres/2007- The President is pleased to award the 3rd Bar to Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**Daljit Singh Chawdhary, Deputy Inspector General**	**(3rd Bar to PMG)**
2.	**Santosh Kumar Singh, Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**Arun Kumar Singh, Inspector**	**(PMG)**
4.	**Sanjay Kumar Gupta, Sub Inspector**	**(PMG)**
5.	**Ravindra Babu, Head Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 09-08-2006, Daljit Singh Chawdhary, DIG Kanpur Range alongwith his team, on credible information reached the deep inside of the ravines on the banks of river Yamuna of Village Katholi under the jurisdiction of PS Ayana, District Auraiya where Salim @ Pahelwan Gujjar carrying a reward of Rs. 1,25,000/- was halting on the hillock with bandit queen Geeta Jatav having a reward of Rs.15,000/- and his large gang to commit some sensational crime in the area. At about 1330 hours, Daljit Singh alongwith a small posse of force unobtrusively entered the ravines which are infested with thorny bushes, massive undergrowth and slippery/ swampy uneven hilly area and located the sentry of the gang on the top of the hillock. But before they could do anything, somehow the gang was already alerted and suddenly from the hillock two powerful grenades were lobbed on the police party with the intention to kill them. Both the grenades exploded near the police party. The entire area was filled with the smoke and stench and dust of the explosives and horrified the police party. Having strategic advantage the gang also started massive indiscriminate firing on the police party with the automatic weapons to kill them. Police party somehow saved their lives by using field-craft methods. Bullets buzzed past their bodies. The entire ravines were echoeing with the sound of bullets. On this sudden and unexpected attack, Daljit Singh Chawdhary motivated his men to fight the gangsters with supreme courage and bravery and divided the team into attack party consisting of himself, Inspector, Santosh Kumar Singh, Inspector Arun Kumar Singh, SI Sanjay Kumar Gupta and HC Ravindra Babu and other remaining members as a flank party to strategically surrond the gang. Gang consisting of 20-25 bandits and

strategically well-positioned with automatic weapons continued to fire indiscriminately on the police party with the intention to kill them. DIG challenged the gang to surrender but massive firing followed. One bullet struck on the right chest of Daljit Singh's bullet proof jacket and he had a providential escape. DIG alongwith Santosh Kumar Singh and Arun Kumar Singh with great speed and spurt of energy climbed the hillock by showing supreme courage, bravery, sense of duty and gallantry and without fearing for their lives entered the firing range of the gangster who was firing from the Light Machine Gun (LMG) targeting them. Bullets were zipping past their bodies, Daljit Singh Chawdhary face to face, in a close quarter battle, exposed himself to the dangers of rapid burst of LMG, fired alongwith his colleagues in support- Santosh Kumar Singh and Arun Kumar Singh and killed the gang leader. Sanjay Gupta and Ravinder Babu were facing indiscriminate firing from the bandit queen who was wreaking havoc after the killing of gang leader, very bravely fired at the firing bandit by entering in the firing range, by showing great courage, commitment to duty and valor and without worrying about their lives and killed the bandit queen. Thus in a broad day light encounter, from 1345 hrs till 1500 hrs, face to face with the gang who were heavily armed, the police party commanded by Daljit Singh showed extreme courage and conspicuous gallantry in the face of danger and gunned down two dreaded gangsters in one of the rarest encounters in the hostile terrains of the treacherous ravines. The following recoveries were made: -

(i) One LMG.303 bore with two magazines, 11 live cartridges and 18 empties
(ii) One .315 bore rifle and one magazine, 16 live and 21 empty cartridges.
(iii) One Double Barrel Gun-12 bore, 4 live and 8 empty cartridges
(iv) 12 live and 19 empty cartridges of AK-47
(v) 82 live and 10 empty cartridges of .306 Semi automatic rifle.
(vi) 4 charger clips of .303 bore cartridges
(vii) 1 charger clip of .306 bore cartridges.

In this encounter S/Shri Daljit Singh Chawdhary, Deputy Inspector General, Santosh Kumar Singh, Inspector, Arun Kumar Singh, Inspector, Sanjay Kumar Gupta, Sub Inspector and Ravindra Babu, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 3rd Bar to Police Medal/ 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th August, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.207–Pres/2007- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1.	**M. Ashok Jain, Senior Superintendent of Police**	**(PMG)**
2.	**Arvind Singh Chauhan, Sub Inspector**	**(PMG) (Posthumous)**
3.	**Sahasveer Singh, Head Constable**	**(PMG)**
4.	**Rajendra Singh Nagar, Head Constable**	**(2nd Bar to PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 13.05.2006, M. Ashok Jain, SSP Etawah received an information that Jagjivan Parihar Gang headed by Ran Singh Bhadouria was in the ravines of village Badhpura, PS Badhpura, Distt. Etawah. After deputing encircling parties, SSP formed one assault party under his own command. At about 1400 hrs, deep inside the Chambal ravines, while climbing a hillock, the sentry of the gang saw the SSP with police force and started shooting with intent to kill and alerted the gang. The SSP with supreme courage challenged the gang to surrender but instead, they started indiscriminate firing on the police party, with an intention to kill. Under the command of the SSP, the police also launched a well considered attack. Using their strategic position on hillock, the gang continued massive firing at the attack party. But due to continued pressure of attack and encircling parties, the gang crossed the river Chambal and entered into Dist. Bhind, Madhya Pradesh through dense ravines using the kidnapped persons as shields. Upon being relentlessly pursued, about 25-30 desperadoes took positions in the ravines of Joripura, PS Hoof, Distt. Bhind(M.P) and continue firing. The leader of the gang Ran Singh Bhaudauria challenged the SSP and killed a kidnapped person to deter the attack party from moving forward. The ravines echoed with the sound of bullets. Intent on rescuing the lives of other kidnapped persons, the SSP showed exceptional courage and entered within the firing range of the desperado with conspicuous gallantry and

in face to face close quarter battle fired and killed the gangster. The dauntless SSP kept the moral of the assault party high and encouraged them to face the situation bravely. By continuously reassuring the assault party and by giving them cover, SSP enthused confidence and courage in the team and assault party members. I/C SOG late Arvind Singh Chauhan, HC Ramkumar, HC Sahasveer, HC Rajendra Nagar showed great fortitude and in the face of extreme danger to their lives showed extraordinary courage and killed four gangsters who were firing indiscriminately on the assault party with an intent to kill. Thus in the broad day light encounter, face to face with the dreaded gang who were heavily armed, the SSP M. Ashok Jain and members of his attack party viz, I/C SOG Late Arvind Singh Chauhan, HC Ramkumar, HC Sahasveer, HC Rajendra Nagar showed extreme courage and conspicuous bravery in the face of danger and gunned down 5 dreaded criminals in one of the rarest encounters in the hostile and treacherous ravines of river Chambel. Following recoveries were made:-

1. Two Semi-automatic rifle, .306 bore, 500 live cartridges and 105 empties.
2. One Rifle .303 bore, 205 live cartridges and 27 empties.
3. One Double barrel gun 12 bore, 35 live cartridges and 16 empties.
4. Two Rifle .315, 250 live cartridges and 50 empties.
5. One carbine .9mm

In this encounter S/Shri M. Ashok Jain, Senior Superintendent of Police, (Late) Arvind Singh Chauhan, Sub Inspector, Sahasveer Singh, Head Constable and Rajendra Singh Nagar, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th May, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.208–Pres/2007- The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Rajesh Kumar Pandey, Additional Superintendent of Police** — **(2nd Bar to PMG)**
2. **Ram Badan Singh, Deputy Superintendent of Police** — **(PMG)**
3. **Shahab Rashid Khan, Deputy Superintendent of Police** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The STF U.P. in the process of curbing anti-terrorist activities in the State and on the information that chief of ill-famous terrorist group Lakshar-e-Taiba-Saleem @ Salar, having an operational code 'Doctor' was to arrive from Varanasi side to Lucknow on 08.03.2006, to cause blast at some significant and strategic places in the city, immediately sprang into action and deployed a police team, comprising of Shri Rajesh Kumar Pandey, Addl.S.P., and under his command, Shri Ram Badan Singh, Shri Sahab Rashid Khan, both Dy. Superintendent of Police, STF and other police officials of STF, to lay a trap to arrest the notorious terrorist Salim @ Salar, well before, he causes havoc in the city, by his terrorist activities. Shri Ram Badan Singh and Shri Shahab Rashid Khan, with available police force, and the informer under the command of Shri Rajesh Kumar Pandey, Addl. SP arrived at Indiranahar Canal Bridge on Varanasi-Sultanpur-Lucknow Road, within the jurisdiction of police station Gosainganj, district Lucknow, on 08.03.2006. Shri Rajesh Kumar Pandey, Addl. SP STF concerted and framed a strategy, according to the geographical location, to track-down the terrorist and the available police force, organized in different groups, under the respective command of Shri Ram Badan Singh Dy.SP Shri Sahab Rashid Khan Dy.SP, Shri B.M.Pal SI STF, and Addl. SP STF, himself and took their respective position and vigilantly watched and waited for the target. At about 05.30 a.m. in the morning, one truck, arriving from Sultanpur side, stopped near the Indira Nahar Canal bridge and one person with a raxine bag on his shoulder, alighted from it and having confirmation

from the informer that he was Salim @ Salar and after the truck left the place, Shri Rajesh Kumar Pandey, Addl. SP loudly challenged him to surrender, but in turn, Salim @ Salar abruptly opened fire on him, to kill, which he escaped and he moved ahead to arrest him but Salim moved on up-stream canal road, where he was challenged by Shri Shahab Rashid Khan, Dy.SP, but Salim dared to continue firing on him, to kill, which he providentially escaped. Seeing the target in his front, Shri Shahab Rashid Khan, Dy. SP in utter disregard to his personal safety and security, displayed exemplary courage and bravery of the high order with an objective to arrest him and firing in his defence, moved ahead. Seeing his offensive, Salim, though, continued firing upon the police force, yet moved back on the down-stream canal-road towards Habua bridge, with an object to give a slip to the police. Shri Ram Badan Singh, Dy.SP who had already taken the position there, with police party, in ambush, seeing the offensive of the terrorist, challenged Salim @ Salar to surrender and loudly told him that he has been surrounded by the police, but Salim @ Salar, seeing police parties in his front and in behind, desperately continued incessant firing upon the Dy.SP Shri Ram Badan Singh, who was in his front, with a definite intention to kill. Since the dreaded terrorist had intensified the firing, then in this situation of 'do or die', Shri Ram Badan Singh, Dy.SP, in utter disregard to his personal safety and security, to his life and limb, displayed exemplary courage and bravery of the high order and with a determined objective to nab him alive, replying with the restrained firing in self defence, moved ahead in front of the terrorist. In this fierce, face-to-face encounter, in the open the dreaded terrorist Salim @ Salar fell injured, who was later found dead. The Lashkar-e-Taiba terrorist Salim @ Salar was a dreaded criminal having 18 criminal cases to his record and was a proclaimed offender from Delhi. A reward of Rs.50 thousand was declared by Delhi Police (Order No.18-418-517/C&T/AC-III/PHQ dated 01.04.2005) and 25 thousand from Madhya Pradesh Police (Order No.AAV/AD/450/05 dated 05/11/05)while searched, one English factory made pistol with ammunition and a Bag containing paper packets filled with Explosive powder and 4 detonators with fuse assembly were found from his possession.

In this encounter S/Shri Rajesh Kumar Pandey, Additional Superintendent of Police, Ram Badan Singh, Deputy Superintendent of Police and Shahab Rashid Khan, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th March, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.209–Pres/2007- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Akhil Kumar, Senior Superintendent of Police** — **(1st Bar to PMG)**
2. **Rajesh Dwivedi, Deputy Superintendent of Police** — **(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Nirbhay Singh Gujjar over the last two decades had acquired the stature of a Bandit King in the Chambal ravines. Crimes like kidnapping for ransom, extortion, murder, dacoity and torture of innocents were second nature to the Dasyu Samrat who was the leader of the Inter state gang registered. The terror unleashed by his regime spread across the borders of five states. The Government of UP & MP had accordingly announced a reward of Rs 1,50,000 for his arrest. The dreaded dacoit was killed in a daring encounter by a small seven member STF team on the night of 07.11.05. The bold encounter was thoughtfully conceived, meticulously planned and extremely audaciously executed under the dynamic leadership of Mr. Akhil Kumar S.S.P. and ably assisted by DSP Rajesh Dwivedi. On 07.11.05, the small team of seven members got specific intelligence of the presence of the notorious dacoit and his gang in the ravines of Chambal around Auraiya. The STF Commander was fully aware of the dacoits being armed with state of the art weapons like AK47, SLR and grenades. He was also aware of the fact that the gang had complete mastery over the treacherous terrain. Undeterred by the adversity of the circumstances and exhibiting exceptional commitment and devotion to duty, SSP Akhil Kumar decided to seize the opportunity and launched his operation with his small team whose second in command was DSP Rajesh Dwivedi. In pitch dark night, the team moved towards the suspected hide out aided by night vision devices. However, the gang of dacoits somehow detected the movement of STF and engaged them in a fierce gun battle. SSP Akhil Kumar and DSP Rajesh Dwivedi were hit by the bullets fired by the dacoits. Despite being shot at, SSP Akhil Kumar in a rare display of exemplary courage and presence of mind kept

motivating and directing his men in the fire-fight. All appeals of the STF commander for surrender by dacoits fell on deaf ears and they continued to fire indiscriminately. Using superlative field craft and tactics, the STF commander, with utter disregard for his personal safety, dynamically maneuvered DSP Rajesh Dwivedi along with men and maintained relentless pressure on the dacoits. The STF established complete moral ascendancy over the dacoits and in about an hour of fire fight, the STF commander was successful in killing the dreaded dacoit and recovering huge cache of arms and ammunition. The STF operation in the ravines of Chambal near Auraiya on the night of 07 November is a fine saga of raw courage, grit, resoluteness and devotion to duty, executed in pursuit of upholding the highest traditions of the Indian Police Forces. SSP Akhil Kumar inspite of being hit on BP jacket displayed exceptional courage, great tactical acumen and inspirational leadership in eliminating the dreaded dacoit. The following recoveries were made:-

(i) One .30 bore Semi Automatic Rifle
(ii) One .303 bore rifle
(iii) One revolver .38 bore
(iv) Large amount of used cartridges
(v) One binocular.

In this encounter S/Shri Akhil Kumar, Senior Superintendent of Police and Rajesh Dwivedi, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th November, 2005.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.210–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Padam Singh,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Harprasad Sagar,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

In the night of 30-09-2003/01-10-2003 Shri Padam Singh, Dy S.P. and Inspector Harprasad Sagar (then Sub Inspector), attached with the security of Hon'ble C.M. U.P. Ms. Mayawati (then Ex.CM U.P), after having dropped at her residence in Delhi, were returning to Lucknow by Kaifiyat Express in the general compartment as common passengers. At about 1.30 a.m. to 2.00 a.m., as soon as the train passed Chola Railway station in Bulandshahar Distt., five criminals barged into the general compartment and started looting the passengers at gun point. When the criminals tried to rob the passengers sitting next to Dy S.P Shri Padam Singh, he challenged them and tried to take out his service weapon. On being challenged one of the dacoits fired a bullet at Shri Padam Singh to kill him which hit him in the abdomen and critically wounded him. When another criminal tried to fire at him, Shri Padam Singh, despite being critically wounded, showed exemplary courage and returned the fire injuring one criminal to save the precious lives and property of the passengers. Inspector Harprasad Sagar too, after challenging the criminals, started firing on them to save his officer and innocent passengers. As a result of the bravery shown by the two officers, the criminals' panicked and ran helter-skelter, and jumped from the running train. Critically wounded, Shri Padam Singh was rushed to Aligarh Medical College for treatment. One accused who was injured in firing by these bold officers was arrested and from his interrogation names of other four accused involved in the crime were revealed. One accused died after jumping from the running train. Chargesheet was submitted against the four remaining accused. The Sessions Court Aligarh in its verdict dated 2.6.2007 has convicted three accused each with 10 years rigorous imprisonment and with fine of Rs. 3000/-. The Court proceedings are going on against the fourth accused.

In this encounter S/Shri Padam Singh, Deputy Superintendent of Police and Harprasad Sagar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st October, 2003.

BARUN MITRA
Joint Secy.

57—361 GI/2007

No.211–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mojibullah Khan,
Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receiving specific information of the move of a group of NLFT (BM) terrorists in the jungles of Godaibari, QU-2223 a 'Hit Group' consisting of one officer, one JCO and twenty other ranks were launched to neutralize the said terrorists who were trying to exfiltrate into Bangladesh. On 09 July 2006 at 1530 hrs, while in ambush, Shri Mojibullah Khan, Havildar/GD observed a group of terrorists attempting to skirt the ambush and exfiltrate towards Bangladesh. Realising the gravity of the situation and appreciating the impending danger to own troops, he decisively moved to intercept the exfiltrating terrorists, lobbed a grenade and engaged them in a fierce firefight. With great determination unflinching courage and unmindful of personal danger he charged the terrorists and succeeded in killing two terrorists. Meanwhile Major Nisheeth Thapliyal the party Commander observed one more terrorist closing in from the other flank and successfully neutralized the third terrorist. The success of "OP Godaibari" on 9th July 2006 was the outcome of a rare display of courage, tactical acumen and dedication to duty of Havildar/GD Mojibullah Khan. The timely actions of the soldier, best exemplify the unparalleled raw courage that is rarely exhibited in battle. The operation culminated in killing of three NLFT (BM) terrorists. The following recoveries were made: -

(i)	7.62mm SLR	-	01 No
(ii)	7.62mm SLR Mag	-	01 No
(iii)	7.62mm SLR amn	-	10 Nos
(iv)	incriminating docu	-	

In this encounter Shri Mojibullah Khan, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th July, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.212–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri B S Lushai,
Subedar

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the night of 08 May 2006 JC-37076X Sub B S Lushai was part of a ambush party in SZOU Veng Meitei Leikai area in Churachandpur Dist in South Manipur. While in ambush at about 2240 hours, he noticed a Maruti Van approaching the ambush site. On seeing the barrier put by ambush, the driver tried to reserve the car and the co-driver fired on the ambush party. Shri B S Lushai, Subedar/GD immediately retaliated with accurate fire. Finance Secretary and one cadre of KYKL were killed in the action. The quick and effective response of the ambush party under the JCO has enabled the unit to enhance the image of the Security Forces among civil population. A very strong message was sent across all insurgents groups. The exemplary courage and devotion to duty displayed by Shri Lushai is very inspiring and has set off a desire amongst troops to emulate. His action has not only degraded the fighting potential of the insurgent group in the area but has also provided an exemplary training value to own troops.

In this encounter Shri B S Lushai, Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th May, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.213–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Shyam Lal,
Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on inputs received from own source regarding move of underground (UG) cadres of Kanglei Yawol Kunna Lup (KYKL) a banned UG organization of Manipur, a search and destroy operation was launched by the troops of 34 Assam Rifles on night of 21 January 2007. On 22 January around 0600 hrs, the Unit Ghatak Platoon, while approaching village Kharan, came under a very heavy volume of fire from the militants, using light Machine Gun (LMG) and grenade Launcher. The Platoon Commander, IC- 62834P Major BK Menon and his buddy number G/3400306Y Havildar Shyam Lal immediately positioned own Light Machine Gun detachment to provide fire support to pin down militants and began advancing from a flank towards militants position. The militants who were taken by surprise with this movement began retreating by continuously bringing down a heavy volume of fire on Havildar Shyam Lal and the officer. Despite being out numbered and under militant fire, Havildar Shyam Lal and the officer kept advancing by fire and move tactics, doggedly pursuing the fleeing militants and with own effective fire managed to kill one militant who was firing a Grenade Launcher and injuring a second. However, the injured militant managed to escape using the thick undergrowth. During this operation one militant of KYKL group was killed and was subsequently identified as self styled Private Khagenbam Ajao alias Ibungo and following recoveries were made: -

(a) One Grenade Launcher (Lethod Gun)
(b) One magazine of AK-56 rifle with 16 live rounds
(C) One Radio set (Kenwood).
(D) Large quantity of personal items belonging to militants.

In this encounter Shri Shyam Lal, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd January, 2007.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.214–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Maheshwar Daimary,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Number 153690L Rifleman/General Duty Maheswar Daimary is serving with 15 Assam Rifles in "OP Hifazat" in Tripura. The soldier was part of a "hit team" under Major S Ramesh conducting selective search operation based on specific information regarding the presence of NLFT terrorists in the jungle of Dhoomachara QU-4394. Shri Maheswar Daimary, Rifleman/GD as the leading scout took initiative and guided the party through a most arduous and unpredictable route to avoid detection. On reaching the spot at about 0450 hrs on 28 October 2006 a cordon was laid around the house. The soldier along with Major Ramesh Stealthily crawled towards the rear side of the house and in order to exploit surprise and shock action stormed into the house. There were four terrorists inside the house. Although out numbered Rifleman/GD Maheswar Daimary regardless of his personal safety and risk to life, displaying extra ordinary courage in the face of imminent danger, pounced on two of the terrorists rendering them to submission. This unpresented courageous action best exemplify the unparalled raw courage that is rarely evident in battle so shocked the terrorists that they could not react enabling the alert team to nab all the four terrorists. In this Operation four terrorists SS L/Cpl Sapan Debbarama alias Gauri, SS Pvt. Thanjoy Reang alias Thumju, SS Pvt. Khagendra Tripura Alias Tajahu and SS Pvt. Sanjit Debbarama alias Samlota were nabbed and recovery of two pistol, ammunition, war like stores and incriminating documents were made from them. The success of this operation on 28 October 2006 was the outcome of rare display of courage, tactical acumen, dedication to duty by Rifleman/General duty Maheswar Daimary.

In this encounter Shri Maheshwar Daimary, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th October, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

58—361 GI/2007

No.215–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kaizalam,
Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded:

No.152808P Havildar/General Duty Kaizalam is serving with 15 AR in OP Hifazat in Tripura. The soldier was part a hit team under Capt. Saurav Kumar Bawankar conducting selective search based on specific information regarding the presence of ATTF terrorists in general area Falkabari RM 31606. Shri Kaizalam Havildar/GD volunteered to be the navigator of the team and guided the party through a difficult and unpredictable route to avoid detection in order to surprise the terrorists. At about 0500 hrs on 12 September 2006 as the party was nearing village Falkabari terrorists hiding in the area sprung an ambush and opened heavy fire on them with automatic weapons and grenades. Although outnumbered and under heavy fire Havildar/GD Kaizalam with his presence of mind, regardless of his personal safety and risks to life, displaying extra ordinary courage, great determination in the face of imminent danger charged the terrorists position firing continuously from his personal weapon. This unpresented courageous action shocked the terrorist and they immediately abandoned the ambush position. The action of Shri Kaizalam, best exemplifies the unparalleled raw courage that is rarely evident in battle. In this operation SS Sgt Karna Dev Barma @ Biching a hard core ATTF terrorist was killed and war like sotres was recovered from him. Shri Kaizalam Havildar/GD displayed great courage perseverance and presence of mind in the most trying and challenging condition.

In this encounter Shri Kaizalam, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th September, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.216–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Athango Lotha, Constable**
2. **Yogesh Khawas, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27th Feb 2006, at about 1430 hrs one special operation team of 42 Bn BSF launched a special search operation in the house of Abdul Ahmed Lone s/o Sona Lone in village Bun Drabgaon, District-Pulwama, J&K, based on the information provided by one of the informer of the unit. The party after cordoning target house, Const Athango Lotha and Const Yogesh Khawas entered into the house for search. Suddenly, they were fired upon indiscriminately by the militants and lobbed grenades; resultantly both the constables were seriously injured. Without caring for their injuries, both the Constables immediately took positions and fired from their AK-47 rifles at one of the exposed militant and killed him on the spot. Despite bleeding profusely both the Constables foiled the escape attempt made by the second militant by blocking the escape route and engaged him by firing. The re-inforcement from the Bn HQ along with Commandant of 42 Bn BSF and Police Party of Charar-e-Sharief reached the encounter site immediately and strengthened the cordon. Arrival of the reinforcement boosted the morale of Const Athango Lotha and Const Yogesh Khawas and with the resolve to kill the second militant they came out of their position and in dare devil action neutralized the second militant in close combat battle. Both the injured constables were immediately provided with first aid and further evacuated to 92 BH Srinagar for treatment. The two killed militants were later identified as Gulam Mohammad Malla Code Aiyar S/O Gulla malla R/O village- Tharana, Distt- Pulwama (District commander of HM out fit) and Shaukat Ali Lone S/O Assadullah Lone R/O village Kashidore, Shopian.

Following arms and amns and other items were recovered from the spot:-

i)	AK Rifle	-	01 No
ii)	Pistol	-	01 No
iii)	Radio Set with Anteena	-	01 No (I COM)
iv)	Compass	-	01 No
v)	MAG AK Series	-	03 Nos
vi)	AMN AK Series	-	12 Rds
vii)	EFC AK AMN	-	27 Nos
viii)	Pistol Mag	-	01 No
ix)	EFC Pistol	-	01 No
x)	Pouch AMN	-	01 No
xi)	Unused SIM Card(Airtel)	-	02 Nos
xii)	Mobile Charger	-	02 Nos
xiii)	Nokia Mobile Batteries	-	02 Nos
xiv)	Cipher Documents (Matrix)	-	20 Pages
xv)	Pencil Cells	-	04 Nos
xvi)	Walkman (Damaged)	-	01 No
xvii)	Knife	-	01 No
xiii)	Jacket Camouflage	-	01 No
xix)	Identity Card	-	01 No
xx)	Wallet	-	01 No
xxi)	Indian Currency	-	Rs.3110/-
xxii)	Pak Currency	-	Rs.10/-
xxiii)	Ear Phone	-	01 No
xxiv)	Tazwid Mala	-	02 Nos
xxv)	Bread	-	03 Packets

In this encounter S/Shri Athango Lotha, Constable and Yogesh Khawas, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th February, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.217–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Jarnail Singh, Constable**
2. **Peter T, Constable**
3. **Raghu G, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23/24th Sep 2006, No. 89009449 Constable Peter T, No. 90755511 Constable Jarnail Singh and No. 90477001 Constable Raghu G of 195 Bn BSF were deployed for naka duty between Border Flood Light No. 1587 and 1591 located opposite to Boundary Pillar No.372/Main of BOP Sherpura, manned by 195 Bn BSF deployed under Rajasthan Frontier. No. 90755511 Constable Jarnail Singh was on sentry duty from 2200 hrs to 2400 hrs. At about 2300 hrs, Constable Jarnail Singh of naka observed suspicious movement of one militant opposite Border Flood Light Pole No. 1590, and on further observation he saw 04 other militants engaged in cutting the border fencing opposite to Border Flood Light No. 1591. He instantly alerted Constable Peter T and Constable Raghu G and challenged the militants. On being challenged, the militants started indiscriminate firing with Assault Rifles towards BSF Naka party. Constable Peter T and Constable Raghu G of naka party also pitched in engaging the militants by sustained firing. Three militants taking advantage of supporting fire and restricted visibility due to dense forest, darkness, managed to sneak the border fencing. However, the fourth militant managed to escape towards Pakistan side. Under the covering/support fire from across the border fencing, the militants made attempt to neutralize the three members of the naka party as they were blocking their route by sustained firing. Despite the adverse situation, these three Constables maintained their cool and retaliated the fire by displaying high degree of professionalism and exceptional courage. Meanwhile, the information regarding encounter with militants was communicated to Coy HQ on radio set. Coy Commander immediately mustered reinforcement from BOP Chitrakoot and sent to the naka point. The reinforcement on reaching

near the naka point blocked all the escape routes. Later the reinforcement from adjacent coy and Battalion Headquarters also arrived. On seeing the reinforcement, in a bid to sneak back, the militants fired indiscriminately towards BSF troops. Appreciating the situation that any delay in neutralizing the militants may result in them sneaking back, all these three Constables took courageous step to move ahead amidst firing. On seeing the brave attempt of these three Constables, the miscreants lobbed grenade on them, which exploded 40-60 mtrs away from the naka party. Militants made attempt to escape by running back. On this, Constable Jarnail Singh, Constable Peter T and Constable Raghu G in a quick reflex action came out of their crawling position and neutralized the three fleeing militants. After the encounter, three dead bodies of unidentified militants along with following arms, amns and miscellaneous items were recovered: -

i)	**Arms/Amns**		
a)	Assault Rifles	-	03 Nos
b)	Rifle German Made HK-270	-	01 No.
c)	Pistol Chinese Make	-	03 Nos.
d)	Live Grenade	-	20 Nos.
e)	Blind Grenade	-	02 Nos.
f)	Rockets HE Live	-	04 Nos.
g)	Assault Series Amn	-	928 Nos.
h)	Pistol Amn	-	95 Rds.
i)	22 Amn	-	272 Rds
j)	EFC-Assault Amn	-	120 Nos.
k)	Assault Mag	-	18 Nos
l)	Pistol Mag	-	06 Nos
m)	German Made Rifle Mag	-	02 Nos
n)	Tube Launching	-	02 Nos
j)	Rifle Grenade	-	04 Nos

ii)	**Miscellaneous items**		
a)	Indian Currency	-	Rs. 10,000/-
b)	Pak Currency	-	Rs. 60/-
c)	Rifle Cover	-	02 Nos
d)	Bayonet with scabbard	-	01 No
e)	Mag Pouch	-	03 Nos
f)	Black Pouch	-	03 Nos
g)	Rucksack	-	03 Nos
h)	Torch Chinese made	-	01 No
i)	Lighter	-	02 Nos
j)	Medicines	-	06 – 07 tablets
k)	Comb	-	01 No.
l)	Shoes	-	04 Pairs
m)	Water Bottle (Plastic)	-	03 Nos
n)	Trouser Jeans	-	03 Nos

o)	T-Shirts	-	03 Nos
p)	Belt	-	03 Nos
q)	Dry Fruit	-	03 Pkts
r)	Life jackets (Small)	-	06 Nos
s)	Vest	-	03 Nos
t)	Goggles	-	01 No
u)	Pistol Holster	-	03 Nos
v)	Compass	-	02 Nos
w)	Hand Gloves	-	02 Pairs
x)	Field Patti	-	01 Pair
y)	Wire cutter	-	01 No
z)	Knife Stainless Steel	-	01 No
aa)	Rifle Oil Cane	-	03 Nos
ab)	Shampoo Pouch	-	03 Nos

In this encounter S/Shri Jarnail Singh, Constable, Peter T, Constable and Raghu G, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd September, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.218–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Maharaj Singh,**
   Head Constable
2. **Naresh Binjhare,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on specific information regarding presence of two militants namely Ezaj Ahmed S/O Mohd Latif resident of Lodhara and Abu Bakkar resident of Pakistan in the general area of Punara, Lodhara, Raichak and Kudwah of PS-Basantgarh, District-Udhampur (J&K) to carry out recruitment of local youths, making arrangements for winter stocking of ration and to collect cocking bolts of .303 rifles issued to Village Defense Committee, a special operation was launched by the troops of 30 Bn BSF on the intervening night of 13-14th Sep 2006. At about 140545 hrs, one of the ambush party led by SI Bachan Singh observed the movement of two suspected persons approaching the house of one civilian namely Safdar Ali resident of Lower Punara through maize field. These suspected persons on seeing the ambush party opened indiscriminate fire with their automatic weapons towards the BSF party. BSF party effectively retaliated their fire, but by that time they ran towards the house of Safdar Ali and took position in side the house. Since the house is located amidst thickly grown-up maize field, the observation of the target house was difficult. The house was immediately cordoned off and all escape routes were blocked. Subsequently the troops surreptitiously reached the backside of the house tactically and successfully evacuated ladies and children. After that, the militants were asked to surrender, but the militants started firing on the BSF party from inside the house. The firing made from the small arms were ineffective to eliminate the militants entrenched in pucca building. Efforts were also made to flush out the militants from the house by hurling grenades through the chimneys of the house, but in vain as they were in good defensive position. Subsequently, troops of 12 RR deployed at Sang and Lodhara reached the encounter site and lobbed hand grenade and fired 8 to 10 rounds of Medium Grenade Launcher. Since all these efforts to flush out the militant from the house went in vain, 84 mm CGRL

rockets were fired resulting collapse of the wall of the house and both the militants came out of the house by firing indiscriminately with their automatic weapons and throwing hand grenades towards stop parties and ran towards Ujh river on east side of the house where the stop party consisting of No. 800022080 HC Maharaj Singh and No. 970078557 Constable Naresh Binjhare had taken position. The militants came face to face with stop party and fired burst from their AK-47 rifle on No. 800022080 HC Maharaj Singh and No. 970078557 Constable Naresh Binjhare. In a quick reflex by displaying high degree of professional competency, both BSF personnel dived, took position and killed one militant on the spot. The second militant managed to escape by taking advantage of darkness and thick maize growth. The slain militant was later identified as Ezaj Ahmed @ Abu Furkan son of Abdul Latif resident of Lodhara. Following arms and amns were recovered from the ambush site: -

a)	AK 47 Rifle	-	01 Nos
b)	AK Mag	-	02 Nos
c)	Ammunition AK	-	14 Nos
d)	Chinese Grenade	-	01 No.
e)	Mobile Phone(Nokia-1110)	-	01 No
f)	FM Trans receiver model No. GMRS-90102	-	01 No.

In this encounter S/Shri Maharaj Singh, Head Constable and Naresh Binjhare, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th September, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

60—361 GI/2007

No.219–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Narayan Datt Sati,**
   Inspector
2. **Sudhir Kumar Chauhan,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A new BOP at Kalsipara of District Coochbehar (West Bengal) was established for effective domination of Indo-Bangladesh border after the firing incident between BSF and Bangladesh Rifles on 28th March 2006. No. 98007853 SI Sudhir Kumar Chauhan of "E" Coy 33 Bn BSF was posted as Post Commander-BOP Kalsipara. On 12th April 2006 at about 1655 hrs BOP Kalsipara while carrying out the repair and maintenance work of a temporary road and erecting a temporary tin shed for platoon post, sentry observed bizarre movement of armed Bangladesh Rifles troops opposite to their area of operational responsibility followed by expatriation of civilians with their household goods and livestock. Immediately after eviction of civilians, BDR troops took defensive position and resorted to sustained firing on the BSF post without any provocation. The fighting strength of Bangladesh Rifles troops were further strengthened by reinforcement of Bangladesh Army. SI Sudhir Kumar Chauhan, Post Commander of BOP Kalshipara by exhibiting high level of professionalism, without any delay deployed available men under command and effectively retaliated the fire of Bangladesh troops from across the border. He immediately informed the matter to the Offg Coy Commander Inspector N D Sati at Coy HQ Jhikabari. Inspector N D Sati immediately rushed to the BOP Kalsipara along with reinforcement and both of them displaying high-level professionalism and field craft, strategically re-deployed their man power and weapons and persistently retaliated the enemy fire. It is to the credit of these junior Commanders that the nefarious design of Bangladesh troops to capture BOP Kalshipara could be thwarted successfully. Due to their excellent field management and extraordinary defence planning, no casualty caused to own troops. Whereas, intelligence reports had revealed heavy casualty to enemy and loss of civilian property and livestock.

In this encounter S/Shri Narayan Datt Sati, Inspector and Sudhir Kumar Chauhan, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th April, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.220–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **S.R.Ojha,**
   Deputy Inspector General of Police
2. **Arvinder Singh,**
   Second-in-Command
3. **Pauja Lal,**
   Sub Inspector
4. **D.M.Dutta,**
   Lance Naik
5. **J. Shivshankaran,**
   Constable
6. **Mohinder Singh,** **(Posthumous)**
   Head Constable
7. **Sayed Shamuddin,** **(Posthumous)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24 February 2005 at about 1430 hours two heavily armed Fidayeens forced their entry into Divisional Commissioner (D/C), Srinagar office, after resorting to indiscriminate firing and lobbying of grenades upon the CRPF and JK police personnel guarding at gate of the building. No.800620061HC/GD Mohinder Singh and No. 015051031CT/GD Sayed Shamuddin of 77 Bn were on checking/ frisking duty at Main entrants with Civil Police and have sacrificed their lives facing the brunt of the attack of the militants/Fidayeens. One JKP and an employee of the State Government were also killed while one CRPF Mahila, 2 JKP personnel and one civilian sustained injuries. Fidayeens stormed towards the Revenue Complex of DC Office. Conditions prevailing in the entire Kashmir valley due to unusually heavy snowfall were extremely inhospitable and the focus of the Government as that of the Security Force was totally on providing relief to the people. The terrorists had chosen their movement right but failed to calculate the resolve and tactical skill of the Forces. On seeing the intruding militants, L/NK D.M Dutta alongwith CT/GD J. Shiv Shankaran of CRPF on sentry duty at the gate opened fire promptly on the militants, which

forced them to move to the Nazrul building of Revenue Complex. Information of the attack was promptly conveyed to the IGP CRPF Srinagar, Shri.Ranjit Sinha alongwith Shri Balram Behra, D/C 77 Bn CRPF who, in no time reached the spot even while heavy exchange of fire was on. He was instrumental in evacuating the injured personnel in the midst of heavy exchange of fire. They were soon joined by Shri S.R Ojha, DIGP, CRPF, Srinagar, SSP Srinagar with SP City South, East, SOG and Shri T. Sekhar Comdt. 60 Bn CRPF, Shri Rakesh Sharma, Comdt. 75 Bn CRPF, Shri M. Minz, Comdt. 123 Bn CRPF and Shri Arvinder Singh, 2-I/C 37 Bn CRPF with their parties. Under the Command of Shri Ranjit .Sinha, IGP CRPF Srinagar, DIG, Ops Srinagar Shri S.R.Ojha planned the Operation in consultation and active participation of J&K Police after taking stock of the situation immediately the injured were evacuated to the Hospital. The priority was to evacuate the civilians who were trapped in the building adjoining Nazrul building. It was not clear where the militants were holed up and during the sudden attack utter chaos prevailed in this office where the civilian in thousand come everywhere. Different versions were reported and it was difficult to pin point the exact location of the militants. Shri Ranjit Sinha, IPS, IGP Srinagar and Shri S.R.Ojha, DIGP (Ops), Sringar went around the campus of Divisional Commissioner office in a CRPF bunker and decided that Nazrul building and other adjacent buildings were likely to be the hideout of these fidayeens. These buildings were ordered to be surrounded from all sides by placing the bunkers of 71 Bn CRPF under the Command of Shri Rakesh Sharma, Commandant 75 Bn, 123 Bn under the Command of Shri M.Minz, 60 Bn Commandant, 77 Bn and 37 Bn under the command of Second-in-Charge, Shri Arvinder Singh, Shri Balram Behra and SI/GD Pauja Lal. There was a component of J&K police with them. Shri Ranjit Sinha, IGP, Srinagar sat in the bunker of 71 Bn CRPF alongwith Shri Rakesh Sharma, which was stationed close to the gate in front of the first building next to Nazrul House. The bunker of 37 Bn CRPF was placed in front of first building where the militants were supposedly hiding. Shri S.R.Ojha DIGP(Ops) Srinagar sat in the bunker of 37 Bn CRPF to be able to co-ordinate the actions of all QRTs in the bunkers through mobile phone and wireless communication. 60 Bn bunker under the Commandant Shri T.Sekhar was placed close to the barracks of A/77 Jawans to avoid any escape from that side. At the back of the building, along the river, the QRT of 123 Bn under the Command of Shri M.Minz was placed to avoid the escape of the militants from the back. By placing the bunker of 37 Bn in tactical position, the two officers, Shri S.R.Ojha and the Second-in-Command Shri Arvinder Showed great courage to prevent the fire which started coming intermittently from Nazrul building from the militants from hitting the evacuation operation of the civilians by 71 Bn bunker from the adjacent buildings. Many employees and civilian visitors including ladies who were trapped inside, were rescued under the supervision Shri S.R.Ojha and Shri Ranjit Sinha, Shri Rakesh Sharma and his team without caring for their lives saved the trapped people by putting their lives in grave danger. There were two rooms in that building. After the evacuation the search operation was carried out under the Command and direct supervision of Shri S.R.Ojha, DIGP(Ops) Srinagar, AK-47 magazines were recovered from one of the rooms. Shri Ranjit

Sinha guided the team all along by being at the spot in one of the bunkers. Shri Rakesh Sharma, Shri S.R.Ojha and Shri Ranjit Sinha showed great courage beyond the call of duty and tremendous operational and tactical skills by safely evacuating all the trapped civilians, without any collateral damage to the valuable revenue records of the J& K State and to the heritage building in the heart of the city. The fire from the Nazrul kept coming intermittently and indiscriminately. The cleared building was occupied and dominated by the 71 Bn personnel. After this, Shri Ranjit Sinha and Shri S.R.Ojha, sat in the bunker of 37 Bn and started supervising the clearance of Nazrul building. The fire from Nazrul building kept coming intermittently and indiscriminately. Without caring for their lives, Shri Ranjit Sinha and Shri S.R.Ojha came out of the bunker and guided the assault team under the command of 2-I/C Shri Arvinder and SI Pauja Lal for final assault. The cover was provided by 71 Bn, QRT from the adjacent building and the bunker of 37 Bn, 60 Bn under Mr. Sekhar and 123 Bn under Mr. Minz. Shri S.R.Ojha, Shri Arvinder and SI Pauja Lal went close to the Nazrul building at a safe location under the cover of fire from our parties. Under the guidance of Shri Ranjit Sinha at the spot Shri S.R.Ojha, Shri Arvinnder and SI Pauja Lal with their assault team were able to successfully neutralize one of the militant who was behind the Almirahs in the verandah of Nazrul building and was already badly injured. From the window of Nazrul building opening towards the adjacent building, the assault team under the command of Shri S.R.Ojha, Shri Arvinder and SI Pauja Pal lobbed a series of grenades into the room, through the window which was broke open. Soon the second militant was also neutralized and Nazrul building was cleared. Shri Sekhar Commandant 60 Bn and Shri M. Minz, Commandant 123 Bn in the mean while effectively covered the building from all sides and through effective reply to the militants fire did not allow them to escape. They went beyond the call of duty to show great courage by preventing their escape. In spite of indiscriminate firing of the militants, the above party in the ensuing operation killed both the terrorists bravely and recovered two AK-47 Rifle, 12 Magazines, 311 rounds, 4 Chinese Grenades, 3 Agras 69 type grenades and incriminating documents.

In this encounter S/Shri S.R.Ojha, Deputy Inspector General of Police, Arvinder Singh, Second-in-Command, Pauja Lal, Sub Inspector , D.M.Dutta, Lance Naik, J. Shivshankaran, Constable, (Late) Mohinder Singh, Head Constable and (Late) Sayed Shamuddin, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th February, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

61—361 GI/2007

No.221–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Trupati Kant Hati,**
   Deputy Commandant
2. **Rajender Singh,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 02-09-2005, at 2345 hrs, on specific information regarding the activities of terrorists in the village Awaneera, PS Zainapora, Sub-Division - Shopian, District- Pulwama (J&K), the troops of 69 Bn CRPF went for "cordon and search operation" under the direct supervision of Shri S.Elango, Comdt-69 Bn CRPF. One party deputed for cordon cum search under the command of Shri Trupti Kant Hati DC, IRLA No.3595, of 69 Bn, CRPF positioned itself on the north eastern side of the village. At about 0420 hours on 03/09/2005, No. 830755739 HC (GD) Rajendar Singh of 69 Bn, CRPF, who had positioned himself beside the nulla, noticing movement of stalkers from the village side in the adjoining nulla, challenged and shouted "Koun Hai". The stalkers (later identified as hardcore terrorists), taken aback on being challenged, fired a volley of shots towards him, and tried to escape by breaking the cordon. HC(GD) Rajender Singh of 69 Bn, CRPF though overwhelmed from the burst of fire, exhibiting exemplary courage retaliated with his weapon effectively. Shri Trupti Kant Hati, Dy.Comdt, of 69 Bn, CRPF who had positioned himself in the right flank on the hillock, 10 feet away from HC (GD) Rajender Singh of 69 Bn, CRPF noticing the terrorists escape (from their flash of fire), chased them from his position, and simultaneously directed his party personnel to pursue the terrorists shouting "BHAG RAHA HAI, PEECHHA KARO". HC (GD) Rajendar Singh of 69 Bn, CRPF overcoming the initial shock of the burst of fire from the terrorists, and responding to the "lalkar" of his Commander immediately followed him to pursue the fleeing terrorists. The duo displaying extra- ordinary courage, chased the terrorists in the hilly and tough terrain up to 100 (Hundred) meters, and shot dead one of the terrorists on the spot in the ensuing gun battle (who was later identified as Adil Pathan).

In this encounter S/Shri Trupati Kant Hati, Deputy Commandant and Rajender Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd September, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.222–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ranjan Kumar Roy,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

At about 1500 hours on 07/09/2005, two unknown militants started indiscriminate firing at the Morcha located on the boundary wall in front of Neelam Cinema, Karan Nagar, Srinagar which was immediately retaliated by Constable Ranjan Kumar Roy of 50 Bn, CRPF, resulting in killing of one militant and an other escaping into nearby houses. Subsequently, cordon and door search around Sutra Shahi, Karan Nagar area were done. During house intervention of No.18-A on 08/09/2005, search party of 50 Bn, CRPF including 2 SOG/JKP were fired upon by the hiding militant causing injuries to Constable Ranjan Kumar Roy of 50 Bn CRPF and Constable Ajay Kumar Sharma of SOG/JKP who were leading from front. Constable Ajay Kumar Sharma of SOG/JKP succumbed to injuries and Constable Ranjan Kumar Roy of 50 Bn, CRPF despite a grievous injury to his leg, retaliated forcing the militant to retreat for cover. The exemplary courage, presence of mind and timely prompt action of Constable Ranjan Kumar Roy of 50 Bn, CRPF saved precious lives of our men. The hiding militant was subsequently killed in a fierce battle.

In this encounter Shri Ranjan Kumar Roy, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th September, 2005.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.223–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Quereshi Vafadar Ahmed, Constable**
2. **Munish Kumar, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the basis of information received from reliable sources regarding presence of training center of militants at Patiala Dhar, a joint recce party of STF and CRPF was sent to that area on 23/05/05 No. 903062114 CT/GD Qureshi Vafadar Ahmed and No. 035162647 CT/GD Munish Kumar were the members of recce party. The recce party after accomplishing their task, contacted Dett HQ 147 Bn, CRPF, Gandoh on 25/05/05 at about 2330 hrs over wireless set and requested to send reinforcement to launch operation. Accordingly a platoon of A/147 under command SI/GD Deepak Kumar accompanied by Shri. S.K. Sharma, D/C (Ops) and a party of STF under over all supervision of Shri. R.R. Sinha, 2-I/C 147 Bn, CRPF proceeded to Patiala Dhar on hearing from recce party and reached there on 26/05/05 at 0800 hrs. A raid operation was planned on the spot in consultation with recce party and executed immediately. CT/GD Qureshi Vafadar Ahmed and CT/GD Munish Kumar alongwith three STF jawans were detailed on assault party. The parties were sited at pre-determinated location by 0900 hrs on 26/05/05. The assault party noticed two men covering their body with shawl coming out of the hideout and proceeding towards back of the hideout. The two men opened fire after suspecting presence of SFs around them and jumped towards eastern side to flee away in the dense forest. The militants in the hideout opened fire on our troops with Pica Gun, RPG and other weapons. CT/GD Munish Kumar saw one militant loading RPG and immediately fired AK-47 bullets on him and pierced his chest. In the mean time CT/GD Qureshi Vafadar Ahmed willingly moved forward amid heavy fire, took position behind one militant firing on our LMG party with Pica Gun and fired on his head killing him on the spot. CT/GD Qureshi Vafadar Ahmed took his Pica Gun and Ammunitions in his custody whereas CT/GD Munish Kumar took over the RPG alongwith its live shells.

Some of the militants succeeded to flee away in the dense forest and five of them got killed in the operation. The dedication and courage shown by these two constables saved the lives of Officer and men participated in the operation.

The STF personnel detailed in the assault party also demonstrated dedicated attack on the militants, which helped the party ensure conduction of operation without any loss/injury to the participating personnel. The killed militants were identified as under: -

1. Jamaluddin S/O Gulam Nabi R/O Chabba
2. Farid Ahmed S/O Gulam Nabi R/O Kanw
3. Raiz Ahmed S/O Mohd. Shafi R/O Batogra
4. Shaukat Hussain S/O Gulam Rasul R/O Batogra
5. Shaheed Hussain S/O Badaruddin R/O Draman

The following Arms/Amns were recovered from the encounter site: -

1. Picca Gun - 01 No.
2. Rounds - 39 Nos.
3. Wireless Set - 01 No.
4. RPG - 01 No.
5. RPG Shell - 02 Nos. (destroyed on the spot)
6. Diaries.

In this encounter S/Shri Quereshi Vafadar Ahmed, Constable and Munish Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th May, 2005.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

62—361 GI/2007

No.224–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Dhoom Ravindra Bhai, Constable**
2. **Girraj Gurjar, Constable**
3. **Dilip Kumar Meena, Constable**
4. **Jeet Bahadur, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the basis of an information received by Shri Krishan Kumar, Assistant Commandant of 162 Bn, CRPF on 12/02/06 at about 2200 hrs, a cordon and search operation was conducted in Vill- Humshalibug, under PS-Yaripura, (District Anantnag) where two armed militants were hiding. The QRT of 162 Bn, CRPF under the command of Shri Bachu Singh, Dy Comdt., two platoons of G/162 Bn, under the command of Shri Krishan Kumar, and One Platoon of F/162 Bn under the command of Shri P.A. Dubey & under the over all command of Shri M.I.Mallick 2 I/C of 162 Bn, CRPF conducted the operation. After completion of the cordon, Shri Krishan Kumar, A/C of 162 Bn, CRPF who was in the inner cordon challenged the militants who were hiding in the house of Shri Mansoor Ware to surrender. Instead of surrendering, they opened heavy fire on our troops, and a fierce encounter ensued. Having realized that it is advisable to escape, one of the terrorists ran out from the house, while firing indiscriminately. This fleeing militant wanted to break open the outer cordon with heavy fire and escape. But Shri Dhoom Ravindra Bhai, Ct/GD and Shri Girraj Gurjar, Ct/GD of 162 Bn CRPF, positioned in the outer cordon, faced the situation with bravery and a close Quarter encounter between the terrorist and these two constables took place. Shri Dhoom Ravindra Bhai, Ct/GD and Shri Girraj Gurjar, Ct/GD devoted to their duties and dedicated to the core, without caring for their own lives, withstood the extreme threat of death from the bullets of the militant. Very soon they succeeded in killing the militant who was firing with his AK-47 relentlessly. After some time, the other militant also attempted

to escape from the house firing indiscriminately. But Shri Dilip Kumar Meena, Ct/GD and Shri Jeet Bahadur, Ct/GD of 162 Bn CRPF positioned in the inner cordon at this point, engaged the militant. Continuous bursts of bullets from the AK-56 of this militant could not deter the courage and morale of Shri Dilip Kumar Meena, Ct/GD and Shri Jeet Bahadur, Ct/GD. Without caring about their own security and safety Shri Dilip Kumar Meena, Ct/GD and Shri Jeet Bahadur, Ct/GD continued close quarter encounter with the militant. These constables showed rare bravery and presence of mind which finally fetched them the success of killing the second militant on the spot. All the four Constables namely Shri Dhoom Ravindra Bhai, Ct/GD, Shri Girraj Gurjar, Ct/GD, Shri Dilip Kumar Meena, Ct/GD and Shri Jeet Bahadur, Ct/GD of 162 Bn,CRPF showed extra ordinary courage, presence of mind, and exemplary bravery during the operation which resulted in the killing of two notorious militants and recovery of Arms One-AK-47, one AK-56, AK Magazine-08, AK-47 rounds-217, Wireless Set 01 and 02 chinese grenades (destroyed on the spot). The gallant action of the above mentioned four has also ensured no loss or damage to our troops or civilians. The slain militants were later identified as Mohd. Yusuf Bhat (Code Name Abu Dilawar), S/o Ali Mohd, Bhat, resident of Nandi Marg, D.H.Pura and Abu Asdulla, a Pakistani Militant.

In this encounter S/Shri Dhoom Ravindra Bhai, Constable, Girraj Gurjar, Constable, Dilip Kumar Meena, Constable and Jeet Bahadur, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th February, 2006.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

No.225–Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

1. **Rakesh Kumar,**
   Assistant Commandant
2. **T R Senapati,**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A Fidayeen attack took place at ITO Building on 07.01.2005 in which one JKAP and one CRPF personnel were killed. Immediately the ITO building was cordoned off by CRPF & JKP. When encounter between security personnel and terrorists were going on, Shri Rakesh Kumar, Asstt. Commandant, 84 BN CRPF and HC/GD T R Senapati, of 37 BN CRPF entered into the ITO building along with other security personnel. When one of the militants was coming down from the stairs, HC/GD T R Senapati aimed on him and killed him from very close range in a daring action without caring for his personal safety. When the other militant tried to come out of the room, the firing of Shri Rakesh Kumar, Asstt. Commandant and Inspector Rakesh Akram, SOG made him to turn back. The SOG and a party of BSF personnel made a hole from the roof of the room in which the other militant was hiding and threw grenades into the room from the hole. The other militant in order to protect himself, ran out of the room firing indiscriminately on our troops was finally gun down in a face to face firing by Shri Rakesh Kumar, Asstt. Commandant 84 BN CRPF and personnel of SOG, JKP without caring for safety of their own life.

In this encounter S/Shri Rakesh Kumar, Assistant Commadant and T R Senapati, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th January, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.226-Pres/2007- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Indo Tibetan Border Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ajmer Singh,
Constable/Driver

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On dated 20.5.2005 at 0500 hrs, a party consisting of one Gazetted Officer and ten others of "B" Company moved in Swaraj Mazda truck from Changland to attend TEWT at Kanubari, where 'A' Coy of 13 Bn was located. The Party followed Margherita, Tinsukia, Naherkaatia, Namrup, Dillighat, Barhat route to reach Kanubari. No. 047020789 Constable/Driver Ajmer Singh was the driver to the vehicle. At about 1030 Hrs while party was near to Dillighat, approximately 12 Kms short of Barhat, they were traped in an ambush laid by suspected insurgents of ULFA outfit. Insurgents opened heavy volume of fire with automatic weapons. The first volley of fire was aimed at the driver to the vehicle with the aim to incapacitate him and later on kill all the members of the party sitting in the vehicle. A bullet hit on the right hand of driver and due to trauma of the injury the vehicle was stopped for a while. Meanwhile the officer incharge took over the control of the situation. He directed him to drive the vehicle away from the firing range. Despite of the bullet injury and without caring of his personal safety Constable/Driver Ajmer Singh drove the vehicle away from the zone of ambush thereby saving lives of many personnel.

In this encounter Shri Ajmer Singh, Constable/Driver displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th May, 2005.

(Barun Mitra)
Joint Secretary to the President

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008